राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 9] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या 7

सोमवार,

दिनांक 16 नवम्बर, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत्, पंचायत, शिक्षा, वित्त, सिंचाई अकाल सहायता, वन, योजना, परिवार-नियोजन विभाग]

प्रश्न संख्या 182

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्री शिवनाथ सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजय सिंह

पंचों के रिक्त स्थान

123. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत नगर पंचायत समिति देवली, जिला टोंक में पंचों के स्थान रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने और इन स्थानों का चुनाव कब तक करवा दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि स्थानीय सरपंच कई सदस्यों को पंचायत की बैठक में इसलिए भाग नहीं लेने देते हैं, क्योंकि वे पांच बैठकों में अनुपस्थित रहे हैं।

(3) क्या सरपंच नगर श्री रतनलाल इस तरह की कार्यवाही करते हैं और सदस्यों को पंचायत की वैधानिक बैठकों में भाग नहीं लेने देते हैं? क्या सरकार उक्त सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही कर आदेश प्रदान करेगी कि वह पंचों को बैठकों में भाग लेने दें?

(4) क्या यह सत्य है कि न्याय पंचायत नगर के चुनाव में ग्राम पंचायत नगर के समस्त पचों को सूचना दी गई थी?

उप मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां, तीन पंचों के स्थान रिक्त हैं। रिक्त स्थानों के चुनाव शीघ्र ही सम्पन्न करवा दिये जायेंगे।

(2) जी नहीं। जिन पंचों के स्थान नियमानुसार रिक्त किये जा चुके हैं उनको छोड़कर किसी भी अधिकृत पंच को बैठक में भाग लेने से नहीं रोका गया है।

(3) जी नहीं, सरपंच ने किसी अधिकृत पंच को बैठक में भाग लेने से नहीं रोका है अतएव सरपच के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां, स्थान रिक्त की सूचना समय पर जिलाधीश को पंचायत द्वारा नहीं

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
दी जाने से जिलाधीश के रिकार्ड में स्थान रिक्त होने का इन्द्राज नहीं होने के कारण न्याय पंचायत के निर्वाचन में समस्त पंचों को सूचना दे दी गई थी।

श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या इनके साथ प्रधानों के चुनाव भी करवा दिये जायेंगे ?

श्री दिग्विजयसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं इन रिक्त स्थानों के चुनाव कब तक करवा दिये जायेंगे। ढाई साल से ये स्थान रिक्त पड़े हुये है।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): निकट भविष्य में।

श्री दिग्विजय सिंह : निकट भविष्य से क्या मतलब ? अब आप कब तक करवा देंगे-इन रिक्त स्थानों के चुनाव ?

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश को आज ही आदेश दे दिये जायेंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : } उपाध्यक्ष महोदय :
श्री मनोहर सिंह मेहता }

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (खबड़ा) : क्या यह सही है कि पंचायतों के चुनाव अभी 13 तारीख को हो रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग प्रश्न है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर सिंह।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब पंचायतों के चुनाव दिसम्बर में हो रहे हैं तो अभी इस समय अलग से पंचायतों के चुनाव क्यों करवाये जा रहे हैं। अब इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हैं ?

श्री हंसराज आर्य : क्या राजस्थान की सभी पंचायत समितियों के रिक्त स्थानों के चुनाव करवाये जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार जो चुनाव की परम्परा अपना रही है यह बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर जनतन्त्र में सरकार की आस्था है तो चुनावों के लिये कन्वेन्शन और परम्परा बनी हुई है कि रिक्त स्थानों के चुनाव 6 महीने के अन्दर अन्दर हो ही जाने चाहिये। माननीय सदस्य कह रहे है, डेढ़ साल हो गया····

श्री दिग्विजयसिंह : ढाई साल हो गये।

श्री लक्ष्मण सिंह : ढाई साल हो गये, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि कोई न कोई व्यवस्था करें, कोई आश्वासन दें कि 6 महीने के भीतर रिक्त स्थानों के चुनाव हो जाने चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं माननीय विपक्ष दल के नेता महोदय की राय से सहमत हूं कि जहां कहीं स्थान रिक्त हों उनके चुनाव जल्दी से जल्दी करवा देने चाहिये। जैसा कि प्रश्न के उत्तर में बताया गया जिलाधीश महोदय को

(श्री परसराम मदेरणा)

सूचना नहीं दिये जाने से चुनाव नहीं करवाये जा सके। सूचना के प्रभाव में चुनाव नहीं हो सके है। इसलिये जिलाधीश को मैं आज ही आदेश दे रहा हूं कि रिक्त स्थानों के चुनाव शीघ्र करवा दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय सन् 68 में····

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बतलाया गया कि रिक्त स्थानों की सूचना जिलाधीश के पास नहीं थी। यह बिल्कुल गलत बात है। पंचायत के रिक्त स्थानों की घोषणा डिप्टी डी. डी. ओ. करता है जो जिलाधीश कार्यालय में होता है।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो मानने में नहीं आ सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स में अमेन्डमेंट किया गया है। न्याय पंचायतों के जो नियम हैं वह नियम 12 में प्रावधान किया गया है और यह जो रिक्त स्थान हुये थे वह इस डिप्टो डी. डी. ओ. के घोषणा करने के मामले के पहले हुये थे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राव।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय यह आदेश एक ही जिलाधीश महोदय को दिये जायेंगे या सारे राजस्थान के जिलाधीशों को आदेश दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तो इन तीन स्थानों के रिक्त स्थान का सवाल है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सन् 68 में प्रश्न पूछा था कि राजस्थान की कितनी पंचायतों के पंच, सरपंच, प्रधान आदि के स्थान रिक्त है और सरकार ने उत्तर दिया था एक हजार से ऊपर स्थान रिक्त है। आज तक उन पंचायतों के चुनाव नहीं हुये है। आपके पास सूची आ गई है जिनके अन्दर यह ग्राम पंचायत भी है फिर आपने उनके चुनाव क्यों नहीं करवाये ?

श्री परसराम मदेरणा : जो उस समय प्रश्न के उत्तर में सूचना दी गई थी वह अभी मुझे याद नहीं है––उसकी क्या इनफॉरमेशन थी कि कितनी पंचायतों के चुनाव हो गये और कितनी पंचायतों के चुनाव नहीं हुये हैं लेकिन रिक्त पंचायत स्थानों के चुनाव जल्दी ही करवा दिये जायेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपने अब तक क्यों नहीं चुनाव करवाये ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं सरकार ने दिसम्बर के दूसरे सप्ताह में पंचायतों के चुनाव कराने की घोषणा की है तो फिर अभी इन रिक्त स्थानों के चुनाव कराने की क्या अहमियत है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : यही तो मैंने कहा है कि अब इतनी जल्दी चुनाव कराने की क्या आवश्यकता है ?

श्री परसराम मदेरणा : यों तो चुनाव जनरल इलेक्शन के साथ हो जायेंगे। जनरल इलेक्शन के साथ होते हैं तो भी जल्दी हो जायेंगे और उससे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जायगी और पहले करवाने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : प्रश्न संख्या तीन में बतलाया जो नहीं, सरपंच ने किसी अधिकृत पंच को बैठक में भाग लेने से नहीं रोका है। उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरपंच ने बैठक में भाग लेने से रोका है क्योंकि पंच कई बैठकों में भाग नहीं ले सके इसलिये सरपंच का कहना है कि पंचायत मीटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ 3-4 पंचों के स्थान रिक्त हैं। उनको बैठकों में शामिल नहीं होने दिया इस कारण रिक्त स्थान हुये है।

श्री परसराम मदेरणा : जो सूचना विभाग के पास आई है उसमें ऐसा नहीं है कि बैठक में भाग लेने से रोका है। अब माननीय सदस्य ने कहा है तो जांच करवा लेंगे। अगर उसका पद रिक्त नहीं हुआ है तो जांच करवा लेंगे। अगर उसका पद रिक्त नहीं हुआ है तो विधिवत् वह भाग लेने का हक रखता है और सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है क्या न्याय पंचायत नगर के चुनावों के बारे में समस्त पंचायतों को सूचना दे दी गई थी कि एक पंच मर चुका है और उसके नाम नोटिस जारी किया गया था, यह कहां तक न्याय संगत है ?

श्री परसराम मदेरणा : जिस पंच का स्वर्गवास हो गया है उसके सम्बन्ध में सूचना जिलाधीश के पास नहीं थी। उसको नोटिस दिया था वह गलत है।

श्री दिग्विजयसिंह : यह जिम्मेदारी किस की है कि जिलाधीश को सूचित करते हैं कि ग्राम पंचायत का पंच मर चुका है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत यदि ग्राम चुनावों की अवधि 6 महीने के भीतर भीतर हो और कोई स्थान रिक्त हो तो उसकी पूर्ति नहीं करवाई जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं जब दिसम्बर में चुनाव कराने की घोषणा करवा चुके हैं तो अब इन रिक्त स्थानों के चुनाव का आश्वासन दे रहे हैं तो क्या इस अधिनियम की धारा के विरुद्ध नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया मंत्री महोदय ने।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : दे दिया।

श्री दिग्विजयसिंह : जब उस पंच का स्वर्गवास हो गया तो जिलाधीश महोदय को इस बात की सूचना दे दी ?

प्रश्न संख्या 124

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बिरदा राम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री सुरेन्द्र व्यास।

डाक्टर मेहता समिति की रिपोर्ट

125. श्री सुरेन्द्र व्यास (टौंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन हेतु गठित डा. मेहता समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ चुकी है ? यदि नहीं, तो उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के क्या कारण हैं व अभी तक समिति ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

(2) उक्त समिति ने कितनी बैठकें अब तक की हैं व कितनी आगे करनी हैं ?

(3) राज्य सरकार ने उक्त विषय में क्या किया व समिति को कितनी बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा है ?

(4) उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक राज्य सरकार के पास आने की सम्भावना है व राज्य सरकार उक्त रिपोर्ट के आधार पर कब तक अधिनियम के संशोधन हेतु बिल सदन में प्रस्तुत कर सकेगी ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) जो नहीं उक्त समिति की अभी तक नौ बैठकें हुई हैं। अन्तिम बैठक 6, 7 व 8 दिसम्बर को नियत की जा चुकी है। जिसमें समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जायेगा। समिति ने पहले उच्च शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर कई बैठकों में पारस्परिक विचार-विमर्श किया। तत्पश्चात् राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों के मुख्यालयों पर गये और वहां के शिक्षाविदों, शिक्षा में रुचि रखने वाले प्रमुख नागरिकों एवं प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से मिले और उनके तत्सम्बन्धित विचारों से अवगत हुए। इन अनुभवी विद्वान एवं शिक्षाविदों आदि के विचारों को ध्यान में रखते हुए कई बैठकों में पुन विचार-विमर्श किया।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) समिति के कार्यक्षेत्र एवं निहित गम्भीर समस्याओं तथा राज्य के बाहर के सदस्यों की व्यस्तता आदि को ध्यान में रखते हुए समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार ने निर्धारित समय अवधि बढ़ा दी।

(4) उक्त समिति की 6, 7 व 8 दिसम्बर की बैठक में रिपोर्ट के प्रारूप को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार को समिति द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर दी जावेगी। फिर राज्य सरकार द्वारा इस पर विचार करने के पश्चात् अधिनियम के संशोधन हेतु बिल सदन में प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय; जैसा कि मन्त्री महोदय ने फरमाया मेरे प्रश्न संख्या (3) में मैंने यह पूछा कि राज्य सरकार ने उक्त विषय में क्या किया व समिति को कितनी बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा है। अभी दो साल पहले डाक्टर मेहता कमेटी बनी और उनको लिखा कि यह अमेंडमेंट के लिए कोशिश करें तो मैं निवेदन करना

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चाहता हूं कि 28 और 29 अप्रेल, 1969 को बैठक हुई। उसके बाद में 5 महीने तक कोई बैठक नहीं हुई और इसी प्रकार पिछले जून से लेकर आज तक कोई बैठक नहीं हुई इस कमेटी की। जहां तक मन्त्री महोदय ने कहा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर शिक्षाविदों से सम्पर्क किया। इसके लिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर उन्होंने किसी से भी सम्पर्क स्थापित नहीं किया है। उनके सजेशन सिर्फ सीनेट में आये थे और डिस्कशन हुआ था और डाक्टर मेहता कमेटी ने बैठकर क्या किया इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए मैं निश्चयपूर्वक मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने क्या उनको लिखा है ? कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे ? 6, 7 और 8 दिसम्बर को मीटिंग होने जा रही है उसमें जो उनकी रिपोर्ट है उसको फाइनेलाइज कर देंगे और बाद में कब तक अधिनियम विधान सभा में आ सकेगा इसके बारे में जानकारी चाहता हूं ?

श्री शिवचरण माथुर : समिति की अलग अलग बैठकें कब हुईं इसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दी गयी है और समिति के अध्यक्ष को मैंने स्वयं ने कहा है कि वे जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट फाइनेलाइज करें। लेकिन उनका कहना है कि पहले कई लोगों के सुझाव आये थे और उनके ऊपर विचार भी किया गया अलग 2 जगह जाकर यूनीवर्सिटी हैडक्वार्टर पर भी गये और उसके बारे में लोगों से सम्पर्क स्थापित किया। उसके बाद और आज देश के अन्दर भी एक दो समितियों का निर्माण हुआ था उनकी रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। 6, 7 व 8 दिसम्बर को जो मीटिंग होने जा रही है उसमें बताया है कि अन्तिम रूप से रिपोर्ट पर विचार करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद में बहुत शीघ्र ही सरकार उस पर विचार करेगी, कोई न कोई आगे कार्यवाही करेगी, यही मैं इस मौके पर कह सकता हूँ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल×××है और मन्त्री महोदय को बिल्कुल गलत जानकारी दी गयी है··

श्री उपाध्यक्ष : ××× शब्द कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर डाक्टर मेहता कमेटी नहीं आई और उसने अगर केवल वाइस चान्सलर से ही सम्पर्क किया हो, तो कह नहीं सकता पर समिति ने न तो सीनेट के किसी मेम्बर से सम्पर्क किया और न जयपुर के किसी नागरिक से ही सम्पर्क किया····

श्री शिवचरण माथुर : कोई सुझाव इस के बारे में देना चाहते हैं तो डाक्टर मेहता कमेटी को भेज दें। अगर नहीं भी गये हैं और सम्पर्क नहीं भी किया है तो यह कहां सवाल आता है कि उन्होंने इसके ऊपर विचार नहीं किया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : डाक्टर मेहता कमेटी बनी है क्या यह सही है कि केवल राजस्थान विश्वविद्यालय का जो अधिनियम है उसमें संशोधन के लिए बनाई गई है ? अगर हां, तो बाकी की यूनिवर्सिटी में जाने की क्या बात थी और

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
बाकी यूनिवर्सिटी में अमेण्डमेंट के बारे में यह स्कोप क्यों नहीं रखा ?

श्री शिवचरण माथुर : सरकार की मन्शा यह है कि आज की हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी एक्ट में क्या परिवर्तन ला सकते हैं इस पर विशेषज्ञों की राय लेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय का ही सवाल नहीं है। लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी एक्ट में परिवर्तन लाने का सवाल है इसलिए वहां जाने की बात की। बल्कि यहां पर भी कुछ लोगों को बुला कर चर्चा की है बल्कि दिल्ली के एक्सपर्टस् को भी बुला कर सम्पर्क स्थापित करने की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह पूछ रहा हूं कि राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालय है और उनके कानून हैं उनमें संशोधन करने का सुझाव देने का अधिकार समिति को है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह कहा गया है उस कमेटी को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि यह उनकी टर्म्स आफ रेफरेन्स में नहीं है ? जिस मीटिंग के लिए यह कमेटी मुकर्रर की गयी है और टर्म्स आफ रेफरेन्स में राजस्थान यूनीवर्सिटी एक्ट है उसमें ही संशोधन देने के सुझाव के बारे में यह कमेटी मुकर्रर की गई है वही काम सौंपा गया है अथवा बाकी विश्वविद्यालयों के एक्ट हैं उनमें भी परिवर्तन करने के सुझाव देने का अधिकार दिया गया है ?

श्री शिवचरण माथुर : यह आर्डर जारी किया गया है उसमें विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु निम्न सदस्यों की एक समिति गठित की है। उसमें सभी विश्वविद्यालय शामिल है।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि इसने कोई रिपोर्ट पेश की है ?

श्री शिवचरण माथुर : जी नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस समिति ने न तो छात्रों के प्रतिनिधियों से इस संशोधन के सम्बन्ध में कोई बातचीत ही की है ?

श्री शिवचरण माथुर : जो रिपोर्ट यहां पर अलग अलग मीटिंगों के बारे में हमें भेजी है उसमें यह कहा है कि छात्रों के प्रतिनिधियों से चर्चा की और फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा अगर सुझाव आप आवश्यक समझते हैं तो समिति के पास भेज दें और वह विचार कर लेंगे और अपनी रिपोर्ट में शामिल कर लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डा. मेहता कमेटी ने किसी से सम्पर्क नहीं किया। न तो छात्रों से सम्पर्क किया, न सीनेट के मेम्बर्स से सम्पर्क किया और न यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर्स से सम्पर्क किया। जहां तक मंत्री महोदय का कहना है कि सुझाव भेज सकते हैं तो यहां के बहुत से माननीय सदस्य डाक्टर मेहता की ब्यूरोक्रेटिक एप्रोच के बारे में जानकारी रखते हैं और वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हैं और मीटिंग भी पांच-छः महीने तक नहीं बुलाई गई है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
दो साल हो गए जब यह रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी और आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर एक्ट चल रहा है और यहां पर अधिकतर नोमीनेटेड मेम्बर्स हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है और उसी को बदलने के लिए यह कमेटी बनाई है और उसके ऊपर दो साल का टाइम लग गया और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। एक दफा सीनेट के अन्दर जो रेज्योल्यूशन भेजा था उसमें जो कुछ अभी तक इलेक्टेड मेम्बर होते हैं उसकी जगह भी नॉमीनेटेड मेम्बर को व्यवस्था कर दी और कोई सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मंत्री महोदय को जानकारी दी है, यह सरासर गलत है और उस कमेटी ने न तो छात्रों से कोई सम्पर्क किया, न सीनेट के मेम्बर्स से सम्पर्क किया और न यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स और प्रोफेसर्स से ही सम्पर्क किया। यह कमेटी अपने कमरे में बैठकर क्या करती है, क्या नहीं करती है है, इसकी जानकारी भी नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आप उनका पक्ष ले रहे हैं, क्या वह भी कोई माथुर है। ऐसा हम अक्सर अखबारों में देखते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : पक्ष लेने का प्रश्न नहीं होता हैं। समिति का निर्माण सरकार ने किया और इस समिति ने अलग अलग लोगों से सम्पर्क स्थापित किये। आप कहते हैं कि नहीं किये, यह दूसरी बात हैं। मेरे पास जानकारी हैं कि उन्होंने अलग अलग प्रतिनिधियों से मुलाकात की हैं। 6 7 और 8 दिसम्बर को मीटिंग हो रही है और ऐसे कोई भी सुझाव जो कि लेक्चरार्स के हों, प्रोफेसर्स के हों, पर्सनल इन्टरव्यूज के लिए चाहें तो मै जाकर इनके लिए कह सकता हूं। 6, 7 और 8 दिसम्बर वाली मीटिंग के लिए कह रहे हैं कि इस मीटिंग में वह अन्तिम रूप देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता हैं कि वह कैसी हैं और सरकार का क्या मन्तव्य बनेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं यह जानना चाहूंगा कि आखिरकार आपने इस समिति की स्थापना की यह महत्वपूर्ण विषय हैं, देश की हालत रोज बदलती जा रही है। समिति क्या करती है, क्या नहीं करती है ? किस से सम्पर्क स्थापित करती है ? इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन खासकर अगर सरकार के द्वारा एक समिति की स्थापना हुई तो उस समिति को विचार करके रिपोर्ट करनी चाहिए। शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट करना चाहिये। देश की परिस्थिति को देखते हुए यदि किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर समिति बैठी रहती है तो सरकार आखिरकार इस सम्बन्ध में क्या नीति रखती हैं, समिति को कोई आदेश देना उचित समझती हैं, एडवाइस देना उचित समझती है क्या आशा यह व्यक्त करना चाहती है समिति की रिपोर्ट आये या नहीं आये।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विरोधी दल के माननीय नेता से बहुत हद तक सहमत हूं, और यह बात सही है कि समिति की रिपोर्ट में बहुत विलम्ब हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुये मैंने समिति के अध्यक्ष जी को कहा था कि आप बहुत शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे दें जैसी भी हो ताकि सरकार उस पर अपने निर्णय ले सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री विजयसिंह : व्हाई डोन्ट यू डिस-मिस हिम ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राज्य सरकार ने जो इसकी अवधि निश्चित की है और क्या राज्य सरकार ने जो इस समिति के लिए विचारणीय विषय रखे हैं उन विषयों पर उसको स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है कि किस प्रकार की रिपोर्ट उनको प्रस्तुत करना है और किन विषयों के बारे में ? एक बात और दूसरी बात····

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह दी हुई है टर्म्स आफ रेफरेन्स में।

श्री दौलतराम सारण : वह ठीक है मैं जानता हूं। क्या इस समिति ने जो इतना लम्बा समय लिया है तो इसने अपने विषय के सम्बन्ध में प्रश्नावली प्रकाशित की है और वह प्रश्नावली उन्होंने कहां पर प्रस्तुत की है ?

श्री शिवचरण माथुर : प्रश्नावली की जानकारी तो मुझे नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नहीं की है।

श्री शिवचरण माथुर : 9 मीटिंगें जरूर बुलाई हैं यह जानकारी मुझे भेजी गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो साल में।

श्री शिवचरण माथुर : यह बात ठीक है कि इसमें एक्स्ट्रा आर्डिनरी डिले हुई है।

श्री दौलतराम सारण : आपने अवधि निर्धारित की है।

श्री शिवचरण माथुर : अवधि के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था कि वह बढ़ाई है, उनके निवेदन पर कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है और सारी तरफ से सारे आंकड़े इकट्ठे नहीं कर पाये हैं इसलिए और समय चाहिए और दिसम्बर में इसको अन्तिम रूप देकर सरकार के सामने रख देंगे।

श्री दौलतराम सारण : क्या समितियां बेकार लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के विचार से बनाई जाती हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने फरमाया मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति ने सरकार को कब तक रिपोर्ट भेज देंगे इस बात की लिखित में सूचना दी है और अभी तक उसने मीटिंगें क्यों नहीं बुलाई ? दूसरा मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस सदन के चार सदस्य सीनेट के मेम्बर्स हैं––प्रोफेसर केदार, श्री मूलचन्द डागा, श्री पी. के. चौधरी और मैं खुद। इन चार सदस्यों से कभी कोई सम्पर्क उस समिति के द्वारा स्थापित नहीं किया गया और न कभी कोई सजेशन मांगे गये····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री सुरेन्द्र व्यास : और न कोई क्वेश्चनेयर ही भेजा गया, और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों से भी सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में एक मेरा निवेदन छोटासा है कि आपको, उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी होगी कि इस सदन में अनेकों बार यह मसला उठाया गया कि राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्व-विद्यालयों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, प्रशासनिक अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, फाइनेन्शियल इर्रेग्युलेरिटीज बढ़ रही हैं और हम करोड़ों रुपया बजट के रूप में उनके लिए पारित करते हैं ऐसी स्थिति में अनेक बार इस सदन में युनिर्वासिटीज पर चर्चा किये जाने के बारे में मांग की गई है कि युनि-वर्सिटीज के एक्ट में इतनी खामियां हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द हो गया है। इसका एकमात्र कारण राज्य सरकार की उदासीनता इन विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में है। छात्रों में असन्तोष बढ़ रहा है और छोटी-छोटी बातों के लिए छात्रों को हड़ताल करनी पड़ रही है और विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द करना पड़ा है। मैं समझता हूं इसकी गम्भीरता को राज्य सरकार समझे। छात्रों में असन्तोष न बढ़े इस सम्बन्ध में कानूनों में जल्दी से जल्दी संशोधन लायें। अगर राज्य सरकार एक एमेंडमेंट बिल इस सदन में ले आती और उसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया होता या पब्लिक ओपीनियन के लिए रेफर कर दिया होता तो डॉक्टर मेहता भी उस पर अपने विचार प्रकट कर देते, तो मैं समझता हूं कि 6 महीने में सिलेक्ट कमेटी इस हाउस में रिपोर्ट पेश कर देती और उसके बाद में इस सदन में विचार होकर आज तक कानून में संशोधन हो गया होता। कानून में संशोधन करने का जो सदन को अधिकार है, वह अधिकार डा. मेहता को दिया गया है। वे डा. मेहता जो सिन्डीकेट के चुनाव में हार गये और जिनको 25 वोट भी नहीं मिले इस प्रकार के व्यक्ति को आपका अधिकार देना मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार ठीक नहीं है और पक्षपातपूर्ण है।

श्री शिवचरण माथुर : संशोधन का आधार समिति को नहीं दिया गया है। क्या संशोधन किये जायं इसके सुझाव देने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया है। जो भी संशोधन किये जायेंगे वे आपके सामने आयेंगे। वे संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसका उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है। जहां तक छात्रों में असन्तोष का सवाल है वह बहुत बड़ा व्यापक प्रश्न है। उसके लिए सभी चिन्तित हैं। आप भी चिन्तित हैं और हम लोग भी चिन्तित है।

जहां तक कमेटी की रिपोर्ट देने का सवाल है जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि इसमें एक्स्ट्राआर्डिनरी डिले हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने डा. मेहता से कहा था कि आप बहुत शीघ्र ही रिपोर्ट पेश कर दें। इसी आधार पर उन्होंने 6,7,8 दिसम्बर की तारीखें निश्चित की हैं। ऐसी हालत में उनकी रिपोर्ट दिसम्बर में आ जायेगी और इसके बाद में मैं बहुत शीघ्र ही वह रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा।

श्री लादूराम गुलानियां (फागी) : आपने जानकारी दी है कि रिपोर्ट करने का मेहता साहब को अधिकार है तो रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार आपको है या मेहता साहब को ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए मेहता साहब को आदेश देंगे ?

Page No 11

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जो अवधि निर्धारित की थी उसमें बारबार वृद्धि की है। उसके पश्चात् अब गवर्नमेंट के आर्डर के हिसाब से यह कमेटी सरकार के अवधि नहीं बढ़ाने के कारण डिफन्क्ट हो गई है?

श्री शिवचरण माथुर : यह बात तो नहीं है कि सरकार के अवधि नहीं बढ़ाये जाने के कारण वह डिफन्क्ट हो गई है।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दें डेट के हिसाब से कि किस समय तक उसका टाइम एक्सटेन्ड किया है और वह डिफन्क्ट नही हुई है।

श्री शिवचरण माथुर : टाइम तो एक्सटेन्ड किया गया है, उसके बाद में।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही तो पूछ रहा हूं कि किस समय तक के लिए टाइम एक्सटेन्ड किया गया है?

श्री शिवचरण माथुर : अन्तिम रूप से तारीख नहीं बढ़ाई है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं बढ़ाई है इसलिए वह डिफन्क्ट हो गई है।

श्री शिवचरण माथुर : डिफन्क्ट कैसे?

श्री भैरोंसिंह : जब गवर्नमेन्ट ने ऑर्डर इश्यू किया था तो उसमे यह था कि अमुक समय तक रिपोर्ट पेश कर देगी।

श्री लक्ष्मण सिंह : डिफन्क्ट नहीं तो ··

श्री शिवचरण माथुर : इस सारी कमेटी के एडवाइजरी फंक्शन्स है। रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे, इसके क्या मायने होते हैं?

श्री भैरोंसिंह : मायने तो जो आर्डर पढ़ कर सुनाया है उस आर्डर में दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा था कि मियाद बढ़ाई है तो उनका क्वेश्चन यह है कि क्या इसके बाद भी मियाद बढ़ाई गई है और कोई एक्सटेन्शन पीरियड का उस कमेटी को नहीं दिया है तो कमेटी डिफन्क्ट हो गई है।

श्री भैरोंसिंह : वह लीगली फन्क्शन नहीं कर रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे बजट भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लास्ट आर्डर कौन सा एक्स्टेन्शन का है?

श्री घीरसिंह : पहला आर्डर है जिस समय कि कमेटी कन्स्टीट्यूट की गई थी राज्यपाल महोदय द्वारा तद् एतद्द्वारा राजस्थान के विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन प्रस्तुत करने के निमित्त एक समिति गठित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

श्री भैरोंसिंह : नीचे का पेरा पढ़िये।

श्री घीरसिंह : इसमें नहीं बताया है कि कमेटी का कितना पीरियड रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नीचे लिखा है।

श्री घीरसिंह : उपरोक्त समिति अपना प्रतिवेदन तीन मास के समय में प्रस्तुत करेगी। तो इसमें यह गुन्जायश दी गई है कि तीन महीने में प्रस्तुत करेगी। कमेटी का का कार्यकाल तीन माह का हो अगर ऐसा

(श्री धीरसिंह)

होता तो इसमें लिख दिया जाता । कमेटी का कार्यकाल नहीं है लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जो तीन महीने का समय था उस टाइम को बढ़ाया गया है और और भी टाइम एक्सटैन्ड किया जा सकता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप हाउस को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहें तो कांग्रेस पार्टी के दूसरे मेम्बर से छू लें। तीन महीने में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है तो इसका अर्थ यह है कि कमेटी का पीरियड तीन महीने का है एण्ड दी कमेटी मस्ट एस्टेब्लिश इट्स रिपोर्ट विदिन थ्री मन्थ्स। उसको आपने दूसरा समझ लिया है।

श्री विजयसिंह : आप अपनी मिनिस्ट्री के पीरियड को 5 साल के बजाय 10 साल न समझ लें।

श्री शिवचरण माथुर : यह भी मान लिया जाय तो भी जो कमेटी ने डेलीबरेशन्स की हैं और दो साल तक मेहनत की है तो उसकी रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी और एडवाइजरी केपेसिटी में इसकी रिपोर्ट मान ले तो फिर सरकार इस पर विचार करने के बाद आपके सामने लायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह चीज अलग है। वह सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है कि आपने कमेटी का कार्यकाल अन्तिम रूप से किस समय तक का बढ़ाया है ?

श्री शिवचरण माथुर : केवल तीन महीने के बाद में निश्चित रूप से नहीं बढ़ाया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं बढ़ाया है तो कमेटी खत्म हो गई।

श्री धीरसिंह : अगस्त 1969 तक का टाइम दिया गया था। मैंने निवेदन किया है कि कमेटी के कोन्स्टीट्यूशन में कमेटी का टाइम डिटरमिन नहीं किया हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि अगस्त, 1969 के बाद में इस कमेटी का कोई टाइम गवर्नमेंट ने एक्सटेन्ड नहीं किया है तो 69 के बाद में इस कमेटी के फंक्शन एब इनोशियो वाइड है और यह कमेटी फन्क्टस आफिशियो है। इसका जुरिस्डिक्शन नहीं रहा और इस कमेटी ने अगस्त, 1969 के बाद में जो भी खर्चा किया है तो वह अनआथोराइज्ड और इल्लीगली किया है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री शम्भू राम।

श्री सुरेन्द्र व्यास: मेरा जवाब नहीं आया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्षः आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्षः अगला प्रश्न । आपको मौका दे दिया गया है। आप कहते हैं कि जवाब नहीं आया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवेदन कर रहा हूं

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, अगला प्रश्न, श्री शम्भू राम।

जयपुर जिले का विद्युतिकरण

126. श्री शम्भुराम (नालसोट) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सम्पूर्ण जयपुर जिले का विद्युतिकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

उप मंत्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) : अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, जब भी जयपुर जिले में विद्युत् लगाने की विधान सभा में बात आती है तो यह कह देते है कि अभी नहीं कहा जा सकता है। जो प्लानिंग था उसके अनुसार जयपुर जिले में बिजली सप्लाई नहीं की गई और दूसरी तरफ हर पंचायत समिति के क्षेत्र वाइज आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको आपने पूरा नहीं किया और प्रश्न पूछते हैं तो यह कह देते हैं कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसका क्या मतलब है ? क्यों नहीं किया जा सकता है और कब तक बिजली दे देंगे ?

श्री खेतसिंह : इस जिले में 2484 गांव है। एक साथ उन सबका विद्युतिकरण हो सकना कठिन है। 395 गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है। इस हिसाब से। 12 प्रतिशत विद्युतिकरण हो जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने वर्ष में हुआ है

श्री खेतसिंह : काफी जिले हैं। 76 प्रतिशत रूल इलेक्ट्रीसिटी के लिए कारपोरेशन से पैसा मिला है। दो पंचायत समितियां गोविन्दगढ़ और झोटवाड़ा इनमें होने के बाद अन्य स्थानों में भी हो जायगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्या सरकार को यह बात विदित नहीं है कि समस्त हरियाणा राज्य का विद्युतिकरण हो चुका है। क्या आप पड़ोसी सरकार नहीं है। क्या आप के पास इतनी योग्यता नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (कुछ व्यवस्था होने पर)

श्री लक्ष्मणसिंह : आप आश्वासन दे सकते हैं। सम्पूर्ण जयपुर जिले में साल में, दो साल में कब तक विद्युतिकरण हो जायेगा ? अगर यह भी आप नहीं कह सकते है तो आप किस योग्य हैं ?

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि हरियाणा स्टेट 6 जिलों की स्टेट है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि वहां जो बिजली दी जा रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): बजट का पैसा भी उतना ही है।

श्री विजयसिंह : उतना बजट दें तो आप दे सकते है ?

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाराज होने से तो विद्युतिकरण नहीं हो सकता है।

Page No 14

श्री जयनारायण सालोदिया : हमारी नाराजी से बल्ब चार्ज नहीं होता है। आप का बल्ब चार्ज नहीं होता है। बल्ब चार्ज नहीं होगा तो विद्युतिकरण नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय को उत्तर समाप्त करने दीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह कह कर कि हरियाणा एक छोटी स्टेट है। जयपुर जिला बड़ा है। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि वहां पर 4 मन्त्री काम करते हैं। यहां पर 40 मन्त्री काम करते हैं। आप यह बता सकते हैं कि हमारे जयपुर जिले में कब तक विद्युतिकरण करेंगे ?

श्री खेतसिंह : यह तो मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में निश्चित कर दिया है। अभी मैं निश्चित करने को परिस्थिति में नहीं हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : आप फिर किस स्थिति में है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : वह स्थिति बता दीजिए और आप अपनी स्थिति भी बता दीजिए ?

श्री लादूराम सुलानिया : आप उत्तर सही नहीं दे सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुखाड़िया जी के चोबदार हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : राजस्थान के मंत्री अपने खेत में बिजली लगाये। लालसोट, चाकसू, फागी ऐसे ही रह गये हैं। भोटवाड़ा, गोविन्द गढ़ के बजाय आप फागी को क्यों नहीं दे सकते हैं ?

श्री खेतसिंह : जयपुर जिले का नम्बर बहुत बाद में आता है। यह तो अभी नहीं कह सकता कि यह कब पूरा होगा ? प्रश्न का महत्व आप भी सोचते है और हम भी सोचते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार सम्पूर्ण गांवों के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में कोई निश्चित योजना रखती है ? कब तक सम्पूर्ण गांवों का विद्युतिकरण हो जायगा ? कोई सर्वे कराके, कोई मास्टर प्लान रखती है क्या ?

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में अभी जानकारी देना सम्भव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। रघुनाथ विश्नोई।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् बोर्ड को 50 करोड़ की ऋण सीमा बढ़ाने के लिए विधेयक भी सरकार यहां पर लायी है। मैं नाराजगी नहीं व्यक्त करता हूं बिनम्र निवेदन है, सरकार का कम से कम कोई योजना का आधार तो होगा ? जयपुर जिले में समस्त गांवों में इस योजना के अन्तर्गत, समस्त नहीं तो आधे भी इस योजना में नहीं करा सकते हैं। इस सम्बन्ध में आश्वासन भी देने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था, इस साल भी 76.56 लाख रुपया खर्च किया जायेगा, विद्युतिकरण करने के लिए। लेकिन राजस्थान में जयपुर ही जिला नहीं है। दूसरे भी जिले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

कृषि कार्य के लिए ऋण देने का लक्ष्य

127. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद प्रत्येक बैंक को कृषि कार्य के लिए ऋण देने का लक्ष्य दिया गया है। अगर हां, तो कितना ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जिला जालोर में ऋण देने का टारगेट किसी बैंक को नहीं दिया गया है ? अगर हां तो क्यों ? अगर नहीं, तो किस बैंक को ?

(3) क्या यह सत्य है जिला जालोर में अब तक पूरे क्षेत्रों में बैंकों से काश्तकारी ऋण मिलने की अब तक कोई सुविधा नहीं दी गई हैं ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो कौन सी बैंक किन 2 क्षेत्रों में ऋण सुविधा उपलब्ध करेगी ?

(4) बैंक ऋण नियम सरल बनें और काश्तकारों को शीघ्र ऋण मिले इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मंत्री वित्त (श्री विशम्बर नाथ जोशी) : यह प्रश्न दूसरे विभाग से सम्बन्धित है। इसलिए दूसरे विभाग को ट्रांसफर कर दिया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आज आप यहां खड़े होकर कह रहे हैं। फिर जवाब कब जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : 4 तारीख को भेज दिया गया है। यह तो प्रश्नकर्ताओं का दायित्व है कि वह विभाग को भेजें।

श्री लादूराम सुलानिया : कल के लिये रख दिया जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बैंकिंग योजना की गई है जिलों में ? सरकार इसी सत्र में जानकारी दे दे।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मिनिट..

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार के मामले

129. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1968-69

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
1969–70 एवं 1970–71 में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों (स्थायी एवं अस्थायी) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप में कितने मुकदमे किन किन के विरुद्ध किन किन दफा में दर्ज हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त मुकदमों में किन किन की तफतीश कब से चालू हुई है ? कितने मुकदमें कब कब चालान हुए एवं कितने अदालत में किस स्टेज पर चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त मुकदमों की कार्यवाही में विलम्ब के क्या कारण है ?

उपमंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) समस्त सूचना सूची में उपलब्ध है ।

(3) समस्त सूचना सूची में उपलब्ध है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है । सूचना जब मांगी जाती है तो सदन में जवाब दिया जाता है कि गवाह नहीं मिल रहे हैं । रिकार्ड नहीं मिल रहा है । गवाह नहीं मिल रहे हैं । रिकार्ड नहीं मिल रहा है । रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । इतने केसेज हैं इस बारे में राज्य सरकार कोई ध्यान नहीं देती है ।

एक माननीय सदस्य : चुनाव लड़ना है ।

श्री गंगाराम चौधरी : ज्यादातर वहां पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से अकाल राहत कार्य चले थे । 1, 2, 3 डिवीजन का रिकार्ड जहां जहां काम बन्द होता रहा उधर उधर ट्रांसफर होता रहा । गवाहों के बाबत यह है कि राहत के समय अलग अलग गांवों से आते थे । इस समय उपलब्ध नहीं हो रहे हैं । कई कठिनाइयां हैं जो जिलाधीश ने हमें बताई हैं उन्हीं को मैंने निवेदन किया है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, क्या अकाल राहत विभाग इस सम्बन्ध में स्पेशल आफिसर अपोइन्ट करके इन केसेज की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन करा कर रिकार्ड उपलब्ध करके कार्यवाही करेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : वैसे यह गृह विभाग के देखने का काम है । अकाल राहत विभाग की तरफ से जिलाधीश को बराबर ताकीद किया गया है कि इन मुकदमों की तफतीश जल्दी से जल्दी पूर्ण करवायें ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रश्न यह है कि रिकार्ड उपलब्ध करना है यह अकाल राहत विभाग पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा कर सकता है । विटनेस का काम है यह अकाल राहत विभाग कर सकता है । लेकिन इसके बारे में स्पेशल आफिसर मुकर्रर करके स्पेशल अटेंशन पे नहीं की जायगी तब तक सबके सब केसेज में भ्रष्टाचारियों को दण्ड नहीं मिलेगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिलाधीश पूर्ण प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से रिकार्ड उपलब्ध करने का।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री विजयसिंह !

प्राम चितावा में बिजली

130. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी, जिला नागौर से पांचवा 6 माइल की दूरी पर है जहां बिजली की व्यवस्था की हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि चितावा जो कि पांचवा से 5 माइल की दूरी पर है वहां बिजली की व्यवस्था नहीं है जब कि वहां पर करीब दो सौ से अधिक काश्तकार अपने कुओं पर बिजली लेने को तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां बिजली उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो विद्युत् व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

उप मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां। काश्तकारों की संख्या जो कनेक्शन लेना चाहते हैं उसकी जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह : मैं दे रहा हूं।

श्री खेतसिंह : अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लिहाजा प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह : आपने ग्राम तक इस एरिया में कितने कुओं पर बिजली दी है ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि कुचामन के क्षेत्र में पानी की बहुतायत है ?

श्री खेतसिंह : यह भी अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने 50 करोड़ का बजट विद्युतीकरण के लिए दिया है ?

श्री खेतसिंह : पचास करोड़ का बजट तो नहीं दिया है।

श्री विजयसिंह : पचास करोड़ का लोन आपको स्वीकृत नहीं हुआ है ?

श्री खेतसिंह : लोन भी स्वीकृत नहीं किया है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि पचास करोड़ खर्च करने के लिए विधान सभा ने मंजूरी दी है, लोन लेने के लिए ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका भी ना में उत्तर है। अगला प्रश्न !

श्री विजयसिंह : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर पानी अधिक है, कुए अधिक हैं, बिजली मंत्री महोदय वहां नहीं देंगे तो बिजली कहां देंगे ? क्या अपने चपरासी के क्वार्टर में बिजली देंगे ?

श्री खेतसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रश्नकर्ता ने चितावा का विद्युतीकरण करने का प्रश्न पूछा, तो चितावा जो कि पांचवा से 5 माइल की दूरी पर है, इसको सर्वे कराई है, वह सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और उसकी कार्यालय में

(श्री खेतसिंह)
छानबीन हो रही है कि क्या रिटर्न्स आयेंगे, मैट रिटर्न्स क्या आयेंगे ? उसके बाद में इस पर विचार किया जायगा ।

श्री मदनसिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस एरिया में एक भी कनेक्शन नहीं लगा हुआ है ? मंत्री जी, उस एरिया में एक भी कनेक्शन नहीं लगा है या लगा है ?

श्री खेतसिंह : कौनसे एरिया में ?

श्री मदनसिंह : चितावा में ।

श्री खेतसिंह : चितावा में विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो कनेक्शन का क्या प्रश्न है।

श्री मदनसिंह : वहां पर तीन कनेक्शन लग चुके हैं । आप कह रहे हैं कि विद्युतीकरण नहीं हुआ है जब कि तीन कनेक्शन उस गांव में लगे हैं, एडजेसेन्ट गांव से ?

श्री खेतसिंह : अगर चितावा· · ·

श्री मदनसिंह : अगर मगर नहीं, क्या आप चितावा के लिए कह सकते हैं ?

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही· · ·

श्री मदनसिंह : यह भी जरूरी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही हो।

श्री खेतसिंह : फिर भी माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं तो मैं जांच करवा लूंगा।

श्री मदनसिंह : एक लक्ष्मणसिंह के यहां है, एक दूसरे· · · ·

श्री खेतसिंह : मेरे पास इन्फार्मेशन है, जो मैंने निवेदन की । आपने जो कहा उसकी मैं जांच करा लूंगा।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के फार्म पर तो बिजली तुरन्त पहुंच जाती है, लेकिन जो गरीब काश्तकार हैं जिनके अन्दर बैल लेने की शक्ति भी नहीं है, बैल की जोड़ी की दो–तीन हजार कोस्ट हैं–उनको कुओं का विद्युतीकरण करने के लिए बिजली देने में सरकार आनाकानी करती है। उदयपुर क्षेत्र के अन्दर विद्युतीकरण प्रत्येक गांव वगैरह के अन्दर होता है और जो पैसा हमारे इधर का लेव्ह हो जाता है वह भी वहां लगता है. . .

श्री रोशनलाल शर्मा : लगता है ।

श्री विजयसिंह : जब कि हमारे यहां पानी की बहुतायत है, कुए भी बहुत हैं, फिर बिजली देने का प्रावधान क्यों नहीं रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री बृजवल्लभ बोहरा !

सुल्तानपुर तथा लाडपुरा में प्लाण्टेशन

131. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या वन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति, सुल्तानपुरा तथा लाडपुरा में किस किस गांव में प्लान्टेशन किये हुए हैं ?

(2) प्रत्येक प्लान्टेशन की देखभाल कितने आदमी करते हैं और उनका खर्चा प्रति माह क्या है ?

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

(3) क्या यह सही है कि प्लान्टेशन गोराजी बुडोदीत की हालत खराब है और उनमें से चोरी छुपे लकड़ी जाने से बिगड़ गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है।

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) पंचायत समिति सुल्तानपुरा के ग्राम बड़ोद, गोराजी, बूढ़ादोत, मंडावरा, भोटेली, ककरावक्ष, कचनावदा, जाखरोन, आटोन व चौसा तथा पंचायत समिति, लाडपुरा के ग्राम करबां बोड (बन्दा) कुन्हाडी, घघटाना व जगपुरा की वन भूमि में।

(2) केवल पंचायत समिति, सुल्तानपुरा के 5 ग्राम गोराजी, बूढादीत, कचनावदा, जाखरोन, आटोम व चौसा के प्लान्टेशन पर प्रत्येक पर एक एक केटल गार्ड निगरानी हेतु रखे गये हैं जिन्हें प्रत्येक को 90 रु. मासिक मजदूरी मिलती है।

(3) प्लान्टेशन की हालत खराब नहीं है। चोरी छिपे लकड़ी जाने की उचित कार्यवाही की जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चोरी छिपे जाने की ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : चोरी छिपे जाने की या रोकने की ?

श्री बृजवल्लभ बोहरा : मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर दिया था कि 1223 पेड़ काटे हैं, जिनकी कीमत नौ हजार रुपया है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि इन प्लान्टेशनों के अन्दर भारी भ्रष्टाचार है और सारा प्लान्टेशन जो आपने करवाया है, बरबाद हो चुका है।

श्री नारायणसिंह : यह तो जनरेलाइज करके स्टेटमेन्ट दिया है। मैं निवेदन कर सकता हूँ कि बूढादीत, कचनावदा वगैरह के अन्दर नाजायज तौर पर काटे हुए पेड़ों की शिकायत आई है और डी. एफ.ओ की इन्सपेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक '55' पेड़ों को काटने की बात है। पच्चीस केसेज भी लगाये गये हैं उनमें से 9 केसेज को अदालत में चालान किया हुआ है और बारह केसेज के अन्दर 323.96 मुआवजा को वसूली की गई है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह 55 पेड़ किस प्लान्टेशन के काटे हैं ?

श्री नारायण सिंह : 55 पेड़ आंटोन में, बड़ोद, गौराजी प्लान्टेशन में नम्बर 65 और मंडावरना में 65।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : गोराजी के अन्दर कितने काटे हैं ?

श्री नारायणसिंह : इसकी संख्या अलग है। बडोद में 65, बूढादीत है उसके अन्दर 22 बबूल के पुराने पेड़ काट दिये गये हैं इनकी गोलाई दस इंच से पच्चीस इंच तक है। दस नये पेड़ों के कूप देखे गये और दूसरे में 2 पुराने कूप निरीक्षण में देखे गये। इसके अतिरिक्त घास आदि का प्रश्न है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : यह बड़ोद गौराजी में ....

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्नकर्ता !

श्री बृजवल्लभ बोहरा : क्या यह वही पेड़ हैं, जो आप जवाब में बता रहे हैं, जिनके बारे में 11 तारीख को जवाब दिया था ? वह कितने पेड़ थे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा इन प्लान्टेशन के बारे में कि क्या इनकी जांच के लिए कोई समिति गठित की थी ?

श्री नारायणसिंह : एक समिति गठित जरूर की थी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : प्रेसर आ गया इसलिए हटा दी।

श्री नारायणसिंह : लेकिन उसकी न बैठक हुई है और न उसकी कोई रिपोर्ट है। मैंने स्वयं कई प्लान्टेशनों को देखने का प्रयत्न जरूर किया था और जितने प्लान्टेशन मैंने देखे उनके अन्दर...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : दबाव पड़ गया। इसलिए हटा दी।

श्री जुझारसिंह : किस ने जाकर देखा, किसने कह दिया।

श्री नारायणसिंह। वहां मैंने संतोषजनक कार्य देखा। वह बिल्कुल खराब हो गये हैं– ऐसी चीज नहीं थी। जो खराब हुए हैं वह स्वतः खराबी आने से हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर प्लीज ! श्री जुझारसिंह।

श्री बृजवल्लभ बोहरा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे यहां वर्षा कम होती है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझार सिंह !

श्री बृजवल्लभ बोहरा : और जब जंगल पर जंगल लगाते हैं, वन महोत्सव के समय जंगल लगाते हैं और बाद में इन प्लान्टेशन के हजारों पेड़ों को कटवा देते हैं, लोग काट कर पेड़ ले जाते हैं इस कारण प्लान्टेशन में खराबी होती जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझार सिंह !

श्री जुझार सिंह : मंत्री महोदय ने फर्माया प्लान्टेशन कमेटी कायम की हुई है तो क्या उसकी मीटिंग बुलाई गई ?

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न। यह प्रश्न प्लान्टेशन कमेटी की मीटिंग से ताल्लुक नहीं रखता है, यह प्लान्टेशन से ताल्लुक रखता है। अगला प्रश्न।

श्री जुझार सिंह : प्लान्टेशन की कन्डीशन सेटिस्फेक्ट्री नहीं है। मेरा अर्ज करने का मतलब है कि आपने उत्तर दिया है, पिछले प्रश्न के अन्दर आपने मंजूर किया है कि पचास प्रतिशत प्लान्टेशन खराब हो गये हैं।

श्री नारायण सिंह : प्लान्टेशन के अन्दर कई जगह जरूर खराबी हुई है, लेकिन उसके मेन दो कारण आते हैं, जैसा मैंने जवाब दिया था, कई प्लान्टेशन में तो वर्षा की कमी के कारण, जहां पेड़ डाले गये थे वे आज नहीं हैं। कई जगह कटाई हो गई है। लेकिन कइयों के जाकर मैंने रिजल्ट देखे हैं तो वह संतोषजनक है और उसको देखते हुए यह नहीं कह सकते कि प्लान्टेशन में बिल्कुल

(श्री नारायणसिंह)

खराबी हैं। मैं एक बात निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार इन प्लान्टेशनं की बात है, इनके अन्दर केवल पांच जगह पर कैटल गार्ड रखे हैं ताकि इनकी पूरी व्यवस्था हो सके, बाकी जितने प्लान्टेशन हैं वह नजदीक के वन अधिकारी के तहत रखे गये हैं और उनके द्वारा ही वह रक्षित किये जाते हैं और दस वर्ष पुराने प्लान्टेशन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बाकी के अन्दर कुछ कमी बरसात की भी आ जाती है, कुछ दूसरे कारण भी हैं और कुछ स्टाफ की कमी का प्रश्न भी आता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री जुझारसिंह : एक छोटा सा प्रश्न है, आप डिफेन्ड तो कर रहे हैं. इसके साथ साथ इन्क्वायरी करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रश्नकर्ता ने पूछा है वह कहां तक सही है ?

श्री लादूराम मुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहेंगे कि हर वक्त जो यह अनियमितता होती है उनकी रोकथाम के लिए क्या कोई अच्छी व्यवस्था बनाई है या बनाना चाहते हैं ? जो लोग इस प्रकार चोरियां करवाते हैं उन कर्मचारियों को क्या सेवा मुक्त किया है या नहीं ? या उनको प्रोत्साहन देते चल रहे हैं ? इन दो प्रश्नों का जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न !

श्री लादूराम मुलानिया : करार दे रहे हैं, मंत्री महोदय, उससे स्पष्ट हो जायगा, जिन लोगों ने पेड़ कटवाये उनको आप प्रमोशन देते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : जनरल बात कह रहे हैं।

श्री लादूराम मुलानिया : दूसरे जो लोग होते हैं, ईमानदार, उन पर मुकदमे चलाये जाते हैं। उनकी, जो लोग चोरी करते है, शिकायत पहुंचती है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष . अगला प्रश्न ! श्री राम प्रसाद बोहरा !

ग्राम सेवक विरुद्ध जांच

131. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री मय बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अब्दुल वहीब ग्राम सेवक पंचायत समिति, पिड़ावा जिला झालावाड़ के खिलाफ खाद, बीज एवं पौधों की रकम वसूल कर सरकार में जमा न करने का आरोप मई, 1968 में विकास अधिकारी एवं प्रधान द्वारा लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? खाद, बीज व पौधों की रकम कितनी कितनी है।

(2) क्या यह सही है कि इनका तबादला पिड़ावा से खानपुर किया गया था, और फिर कैंसिल किया गया ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? क्या इस अवधि में ये बिना छुट्टी मंजूर कराए इधर उधर घूमते रहे ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही विकास अधिकारी द्वारा की गई ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) क्या यह सही है कि गैर हाजिरी के वक्त ये उप वन मंत्री, राजस्थान के बंगले पर रहे और गैर हाजिरी के लिए बीमारी का सार्टिफिकेट पेश किया जो विकास अधिकारी द्वारा फर्जी होने पर स्वीकृत नहीं किया गया ? इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उप मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां। जांच चालू है। खाद, बीज की 166.50 पैसे व पौधों की 150.00 रुपयों की राशि होना बताया गया है।

(2) जी हां। स्थानान्तरण जिला कर्मचारीवर्ग समिति, झालावाड़ द्वारा किया गया था जो राज्य सरकार द्वारा निरस्त किया गया। बीमार होने के आधार पर अवकाश के लिए प्रार्थना–पत्र भेजते रहे जो चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकृत किया जा चुका है।

(3) चिकित्सा प्रमाण–पत्र के अनुसार यह कहा जा सकता है कि वे मुख्यालय से बाहर रहे और चिकित्सा प्रमाण–पत्र के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है।

श्री राम प्रसाद बोहरा : ग्राम सेवक के खिलाफ बीज व पौधों का जो (300) रुपयों के करीब गबन किया, उसके बारे में कलेक्टर साहब ने डेढ़ साल हो गया अभी तक जांच नहीं की जबकि विकास अधिकारी ने समय पर इसके लिये कार्यवाही करने के लिये निवेदन किया था।

दूसरी बात इसका ट्रांसफर तीन बार कैंसिल करके उप मंत्री श्री कन्हैयालाल ने अपने पास इनको रख रखा है ?

तीसरी बात, यह जो उन्होंने मेडीकल के लिए मांग की थी कि मैं बीमार हूं और झूंठे प्रमाण–पत्र और दवाइयों की कीमत आदि पेश किए थे, वह फर्जी पेश किए, विकास अधिकारी की ऐसी रिपोर्ट है, फिर भी कार्यवाही नहीं की ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विभाग के पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री जुझारसिंह : मंत्री महोदय को इस बारे में कोई पत्र मिला है और यदि हां क्या, कार्यवाही की और क्या जानकारी की ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : आपका पत्र दिनांक 18 अगस्त, 1970 का मिला था, उसकी जांच के आदेश मैंने दिए हैं।

श्री जुझारसिंह : इससे पहले भी है। आपको पत्र लिखा था, आपने जांच करके वहां से ट्रांसफर करने के आदेश दिए उसके बाद में उस ट्रांसफर को कैंसिल किया। यह तो दूसरा और तीसरा पत्र है। क्या जानकारी प्राप्त हुई है ?

श्री परशराम मदेरणा : फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि ग्राम सेवक के खिलाफ यह शिकायत होने

(श्री जुझारसिंह) :
के बाद उप मंत्री महोदय ने अपने गांव में उनको पोस्टिंग करवाली ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि कन्हैयालाल से वह मिला था ।

श्री परसराम मदेरणा : ग्राम सेवक की पोस्टिंग कौन से स्थान पर है । इसको मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री जुझारसिंह : ग्राम सलोदिया में पोस्टिंग है, उपमंत्री अन्नेसेसरीली उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कई आरोप हैं, आपको कई बार लिखा जा चुका है, आपको जानकारी होते हुए भी प्रोटेक्शन दी जा रही है . .

श्री परसराम मदेरणा : उप मंत्री के प्रोटेक्शन का सवाल नहीं है, उनके खिलाफ जांच एस0 डी0 ओ0 कर रहे हैं । यदि वह दोषी पाया गया, तो उसको दण्ड दिया जायगा ।

श्री जुझारसिंह : उप मंत्री खुद जब वहां सरपंच थे, के खिलाफ 14 आरोप हैं ?

(शोरगुल)

(श्री जुझारसिंह व श्री विट्ठल प्रसाद साथ साथ बोलने लगे) मंत्री महोदय ने आदेश दिया है ....

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : उनको उप मंत्री का अनुचित संरक्षण प्राप्त है । झालावाड़ के अन्दर करप्शन को फैलाने के लिए इन्होंने फारेस्ट डिप्टी मिनिस्टर को दिया हुआ है ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : झालावाड़ जिले में चुनाव लड़ते रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका तबादला कैंसिल करने के क्या कारण हैं ?

श्री जुझारसिंह : ट्रांसफर कैंसिल करने के क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रशासनिक कारण ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रशासनिक हैं ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : केवल राजनैतिक हैं । कलेक्टर ने आरोप लगाए हैं । उसका तबादला कर दिया जाता है । मंत्री महोदय कहते हैं कि ट्रांसफर कैंसिल करने के प्रशासनिक आधार हैं, केवल राजनैतिक आधार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार को कुछ संकेत करना चाहिए कि जांच कब खतम होगी ? वर्षों तक जांच चलेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : काफी लम्बे समय से एस. डी. ओ. के पास पेंडिंग है ।

श्री जुझारसिंह : किसके विरुद्ध जांच पेंडिंग है ?

श्री परसराम मदेरणा : ग्राम सेवक के खिलाफ जो बीज और पौधों के मामले में 300) रु. की अनियमितता करने का मामला है या गबन का मामला

(श्री परसराम मदेरणा)
है, यह जांच परगना अधिकारी के पास विचाराधीन है। पहले कलेक्टर ने फाइल मंगवाई थी और उसके अंदर की कार्यवाही स्टैंडिंग कमेटी को करनी चाहिए थी, उसमें कमी थी। कलेक्टर ने फाइल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजी। कमेटी ने उनको आरोप दिए, उसका जवाब उसने दिया और उसके बाद जो आरोप ठीक समझे जांच करने के लिए, उनकी जांच अब एस0 डी0 ओ0 कर रहे हैं और···

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : अगर आप जांच नहीं करवा सकते हैं तो गृह विभाग को दे दें।

(शोरगुल)

श्री जुझारसिंह : रिपोर्ट····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री विजयसिंह : एक उपमंत्री का सवाल है। जांच गृह विभाग के द्वारा हो जाय तो क्या एतराज है ?

श्री परसराम मदेरणा : उप मंत्री का प्रश्न कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : जो जांच हो रही है ग्राम सेविका के खिलाफ हो रही है या उप मन्त्री के खिलाफ..

श्री उपाध्यक्ष ; श्री नाथूराम।

कडाना बांध

133. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गुजरात में बन रहे कडाना बांध की ऊंचाई 419 फिट की बजाय 410 रखने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर गुजरात सरकार सहमत हो गई है ? यदि हां, तो नवीन एग्रीमेंट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो राज्य सरकार का अपने जन धन की रक्षा के लिए आगामी क्या कार्यक्रम है ?

(2) प्रस्तावित 410 फीट की ऊंचाई से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र का कितना हिस्सा डूब में आएगा तथा कितना बैक वाटर से प्रभावित होगा ?

(3) प्रभावित नागरिकों के लिए पुनर्वास, मुआवजे आदि के लिए क्या समुचित व्यवस्था करदी है ? यदि हां, तो योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो क्या सरकार आश्वासन देती है कि विस्थापित होने से एक वर्ष पूर्व ही सबको बसा दिया जायगा व मुआवजा दे दिया जायगा ?

(4) सर्वेक्षण में अब तक कुल कितना धन व्यय हो चुका है तथा पुनर्वास आयोग के कार्यक्रम आदि पर योजना की पूर्ति पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

(5) गुजरात सरकार से पूर्व एग्रीमेंट के आधार पर यह व्यय पूरा प्राप्त करना था ? क्या उसका परिपालन हो रहा है ?

(श्री नाथूराम)
यदि हां, तो अब तक कुल कितना धन प्राप्त हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) यह सारा मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और निकट भविष्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाई जाकर इस मामले का अन्तिम निपटारा किया जावेगा।

(2) 410 के एफ0 आर0 एल0 से राजस्थान का डूब में आने वाले क्षेत्र की सूची 'अ' संलग्न है। 410 के बैक वाटर इफेक्ट का सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

(3) प्रभावित नागरिकों के लिए पुनर्वास मुआवजा आदि की प्रारम्भिक व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार का इरादा है कि नागरिकों के कडाना बांध से प्रभावित होने से पूर्व ही पुनर्वास व मुआवजा आदि की व्यवस्था कर दी जावेगी।

(4) सर्वेक्षण कार्य में सितम्बर, 1970 तक कुल 6,03,556) व्यय किए जा चुके हैं। पुनर्वास कार्यक्रम पर कितना व्यय होगा यह कड़ाना का एफ. आर. एल. निर्धारित हो जाने पर ही बताना संभव होगा।

(5) गुजरात सरकार द्वारा अभी तक 3.50 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं और धनराशि के लिए गुजरात को लिखा जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूराम : आपने प्रश्न सख्या 1 में बताया कि निकट भविष्य में दोनों मुख्य मन्त्रियों की बैठक होगी तो निकट भविष्य में कब तक बैठक होगी ?

एक माननीय सदस्य : कल हो गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं हुई। कल होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। मैं समझता हूं इस माह के अंत तक या दिसम्बर मास के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में अवश्य होगी।

श्री नाथूराम : सूची में आपने बताया है कि कुल जमीन कितनी प्रभावित हो रही है। 410 से...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 419 रखें तो कितनी होगी ?

श्री नाथूराम : 419 का तो पहले जवाब दिया है कि कितनी प्रभावित होगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लिखा हुआ है कि बैक वाटर शामिल नहीं है, उसका सर्वे जारी रखा है। डूंगरपुर अलग है, बांसवाड़ा अलग है।

श्री रोशनलाल : पुनर्वास कहां कहां करेंगे ? कोई योजना बनाई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान में जो भूमि उपलब्ध हो सकेगी चाहे जंगलात की या दूसरे तरीके की, उसको कन्वर्ट कराकर रेवेन्यू में उसकी व्यवस्था का कार्यक्रम किया जा रहा है।

दूसरी बात हमने गुजरात सरकार को भी लिखा है कि वह इस बांध के कमांडेड एरिया में यहां के लोगों के लिए जमीन का रिजर्वेशन करें।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

तीसरी बात जमीन के बदले जमीन देना, मुआवजा देना, उसके साथ ही साथ मकान एवं दूसरी प्रापर्टी का मुआवजा कैश में देना, उसके लिए एस्टमेट्स बनाए जा रहे हैं।

श्री रोशनलाल : जंगलात से कहां कहां से जमीन निकाली जायगी, कोई योजना को अभी तक अंतिम रूप दिया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डाइरेक्टर आफ सेटिलमेंट इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि अलग अलग जगह उन्हीं जिलों में कहां कहां जंगलात की जमीन उपलब्ध हो सकती है, जंगलों में से निकाली जा सकती है और एलॉट की जा सकती है, उसका वह सर्वे करा रहे हैं और क कार्यवाही उसमें शुरू कर दी है। अभी जंगलों के नाम मुझे जबानी याद नहीं हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : (1) क्या सरकार यह उचित समझती है कि गुजरात सरकार के समक्ष इस मुद्दे को रखा जाय कि बांध की ऊंचाई 410 फीट पर कम करके रखा जाय ?

(2) माननीय प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न के तीसरे खण्ड में पूछा है कि विस्थापित होने से एक वर्ष पूर्व ही सबको बसा दिया जायगा व मुआवजा दिया जायगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, कडाना बांध बंध रहा है यह निर्विवादित बात है। वह बंधेगा और उससे एक विस्तृत क्षेत्र प्रभावित होगा। अधिकांश आदिवासियों के लिए विस्थापित करने की समस्या एक जटिल समस्या सरकार के समक्ष उत्पन्न होगी। इस सम्बन्ध में सरकार को अभी से विचार करना चाहिये योजनाबद्ध तरीके से ताकि समय से पूर्व ही उनको जगह बतायी जाय जहां कि वे बस सकें नहीं बस सकें तो उनको मुआवजा दिया जाय।

इन दो मुद्दों के सम्बन्ध में सरकार क्या जवाब रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने दो प्रश्न उठाये हैं। एक तो यह कि राज्य सरकार को गुजरात सरकार से यह कहना चाहिये कि एफ. आर एल. 419 के बजाय 410 ही रखे। सदन की जानकारी के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की ओर से यही स्टेण्ड लिया गया है कि इसका एफ. आर. एल. 410 ही रखा जाय बजाय 419 के। इससे गुजरात सरकार को पानी की कोई कमी नहीं पड़ती है। हमने इस बात को प्रमाणित भी कर दिया है। इसके साथ साथ गुजरात के इन्जीनियर्स को भी कन्विन्स कर दिया है कि जो कुछ हम कह रहे हैं वह सही है और अनुमति के दस्तखत गुजरात के इन्जीनियर्स के उस पर ले लिये हैं। उसकी एक कापी सेन्ट्रल मिनिस्टरी से हमको आयी और एक गुजरात के चीफ मिनिस्टर को गयी है और वे भी करीब करीब इस बात पर सहमत हैं किन्तु कुछ मुद्दों को आपस में बैठकर हल करना है। पावर और इर्रीगेशन मिनिस्टरी के तहत में मीटिंग बुलायी है ताकि ये सारे मुद्दे तय होकर एग्रीमेन्ट हो जाय। वह मीटिंग इस महीने के अन्त तक यह दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में होगी और ये सारे मुद्दे हल हो जावेंगे।

Page No 27

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रहा सवाल रिहेबिलिटेशन का। इस मुद्दे को भी हम उस मीटिंग में फाइनल करना चाहते हैं। हमारा यह स्टेन्ड था, है और रहेगा कि हमारे विस्थापितों को पूरा मुआवजा दिया जाय, उनको जमीन दी जाय और ठीक तरह से उनको बसाया जाय। दूसरे प्रोजेक्ट में जिस प्रकार से विस्थापितों को बसाया गया है उसी पेटर्न को यहां भी फोलो किया जाय। यही निर्णय उस मीटिंग में होने वाला है जहां यह पहले स्टेन्ड रहा है और अभी भी रहेगा।

पानी की डूब में आये यह एरिया उससे पहले ही हम सब को बसा देना चाहते हैं। सेटलमेन्ट, लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर और दूसरे सर्वे ऑफिसर की टीम लगाकर सारा विस्तृत सर्वे करा लिया है कि कितनी जमीन डूब में आती है और कितनी कहां जमीन उपलब्ध हो सकती है। कितने मकान बन सकेंगे इसका सर्वे कराना है ताकि जल्दी मुआवजे का भुगतान किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो लोगों के जीवन और मरण का प्रश्न है। पुनर्वास और जमीन दिलाने के मामले कब तक तय करा दिये जावेंगे ?

श्री रामप्रसाद लडढा : डूब में आने से पहले ही कर देंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : जमीन और मकान का पहले पुनर्वास करवा देंगे ?

श्री हीराभाई : उपाध्यक्ष महोदय, अगर

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)। श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या गुजरात सरकार से राजस्थान सरकार के पास कोई अवधि निश्चित हो गई है कि यह कडाणा बांध कब तक पूरा हो जावेगा और तब आपको क्या व्यवस्था करनी होगी ? एक तरफ आप कहते हैं कि जंगलों से जमीन दी जायगी। क्या राजस्थान के जंगलों से इतनी जमीन प्राप्त होने की संभावना है ? क्या इसके आपके पास आंकड़े हैं ? कब डूब में आवेगी कोई तारीख हो तो बता दीजिये ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। हीराभाई आप प्रश्न लम्बा कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल : यह सारा विवाद चले तब तक इसको स्टे किया जाय क्या सरकार ने इसके लिए कोई कोशिश की है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रामप्रसाद लडढा : माननीय उपाध्यक्षजी, आपके सहयोग से राजस्थान सरकार में यह शक्ति है कि जब तक रिहेबिलिटेट नहीं हो जायेंगे उनको कोई डुबो नहीं सकता।

श्री हीराभाई : जब तक बसा न दिया जाय इसको स्थगित रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय कडाणा डेम के सम्बन्ध सदन में चर्चा आयी, दोनों ओर से इस विषय पर काफी चिन्ता प्रकट की गई है। मंत्री महोदय ने कहा कि राज्य सरकार में इतनी शक्ति है कि किसी को डूबने नहीं दिया जायगा।

जो आंकड़े यहां प्रस्तुत किये गये हैं यदि बांध की 410 फीट पर ऊंचाई रखली जाय और गुजरात सरकार ने इसको स्वीकार भी करा लें तब भी डूब में आने वाली भूमि 16000 एकड़ होगी........

श्री नाथूराम : 35 हजार एकड़ होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह दूसरी है। जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार 15,400 एकड़ जमीन होगी। मकान डूब में आवेंगे वह 2200 होंगे, कुऐ डूब में आवेंगे वह 257 होंगे। इस सारी स्थिति में भी गुजरात सरकार को आप सहमत नहीं कर सके कि वह बांध को ऊंचाई 410 है। पुनर्वास के लिए कोई मशीनरी आपने सैट अप नहीं की है। राज्य सरकार के सामने कोई असेसमेंट नहीं है और यह भी नहीं बता सकती है कि पुनर्वास पर कितना खर्चा होगा। गुजरात सरकार से खर्चा लेना था, 3 लाख की मंजूरी दी। वह भी पेमेन्ट किया है या नहीं यह भी स्पष्ट नहीं है।

कडाणा डेम को लेकर हाउस में दोनों ओर से चिन्ता प्रकट की गई है और काफी विस्तार से पहले भी कहा गया है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार गुजरात सरकार के सामने घुटने टेक रही है और केन्द्रीय सरकार के सामने झुक रही है। राजस्थान की हजारों एकड़ जमीन डूब में आवेगी, लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा उनके मकान, कुए डूब में आवेंगे और उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए सरकार गुजरात सरकार औ केन्द्रीय सरकार के दबाव में न आकर इस समस्या के हल के लिए लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए सरकार को दबाव डालकर विस्तृत व्यवस्था कराना चाहिए जिससे यह मामला जल्दी से जल्दी तय हो सके और राजस्थान की जनता की स्थिति ठीक हो सके।

श्री रामप्रसाद लडढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जितनी चिन्ता है उतनी ही चिन्ता राज्य सरकार को भी है। उसी उत्तरदायित्व को निभाने की दृष्टि से मैंने पहले भी गुजरात सरकार से जो कुछ अपने केस के जस्टिफिकेशन के सिलसिले में कह सकता था कहा। उसी के फलस्वरूप 419 से 410 फीट की बात आयी। इसी तरह से इससे जो विस्थापित होंगे उनको जल्दी से जल्दी बसाया जाय उसके बारे में भी जल्दी से जल्दी योजना को कार्यान्वित कर जो खर्चा गुजरात सरकार से इसके लिये मिलना चाहिये उसके लिये हमें अधिक से अधिक सहयोग मिले इसका प्रयत्न करेंगे।

श्री नाथूराम : जो आंकड़े आपने बताये हैं 1996 के बन्दोबस्त के अनुसार हैं खातेदारी वगैरह के। आजकल जो सर्वे होगा उसके अनुसार ये आंकड़े ज्यादा आयेंगे तो मेरा यह निवेदन है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र का सर्वे कराने के लिये आश्वासन देंगे?

श्री रामप्रसाद लडढा : सर्वे जो हो रहा है वह एक्चुअल परिस्थितियों के अनुसार हो रहा है।

श्री नाथूराम : यह सर्वे तो जो प्रभावी क्षेत्र है उसका सर्वे है। इसके अन्तर्गत पूरा बन्दोबस्त नहीं कर रहे हैं। इसके लिये मेरा निवेदन यह है कि डूब में आने वाले क्षेत्र का 40 साल पहले सर्वे हुआ था इस समय पूरा सेटलमेंट नहीं हो रहा है अतः पूरा सेटलमेन्ट करने का आदेश दें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये आदमी तो डूब में आने वाले क्षेत्र का कर रहे हैं बाकी सेटलमेंट राजस्व विभाग के दूसरे आदमी कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछली बार भी गुजराती समाज के अधिवेशन के अवसर पर गुजरात के मुख्य मंत्री यहां आये थे। इस समय हमारे मुख्य मंत्री जी की बातचीत उनसे हुई थी जैसी कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट है उस बातचीत के दौरान श्री देसाई की जो बातचीत माननीय मुख्य मंत्री जी से हुई थी उसमें वे एग्री हो गये थे क्या आप यह बतायेंगे कि जो जो सुझाव हमने दिये थे उनसे वे एग्री हो गये थे ? जैसी कि रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी क्या यह ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न पहले भी आ चुका है।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि इस योजना के द्वारा अगर गुजरात को विशेष लाभ होगा और गरीब आदिवासी विस्थापित होंगे तो राज्य सरकार द्वारा गुजरात सरकार के समक्ष सुझाव दिया गया मुआवजा देने के लिये, उसका भार गुजरात सरकार को वहन करना पड़ेगा और जमीन देने के सम्बन्ध में भी उनसे बातचीत हुई ?

श्री भगवानदास शास्त्री : गुजरात सरकार ने कह दिया है कि एक इंच भी भूमि वे नहीं देंगे ?

श्री लक्ष्मणसिंह : यदि इसके लिये नहीं कहा गया है तो कहा जायगा या नहीं अगर कहा गया है तो गुजरात सरकार द्वारा किस प्रकार का आश्वासन या उत्तर राजस्थान सरकार को मिला है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालने का विचार रखती है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्री इस बारे में स्पष्टीकरण दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं स्पष्ट कर दूं गुजरात के मुख्य मंत्री जब यहां आये थे उस मौके पर कडाणा डेम के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्यों नहीं हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हर मौके पर हर बात की जाय यह जरूरी है क्या ?

श्री लक्ष्मणसिंह : कोंगो कोंगो हुआ होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने भारत सरकार के सिंचाई मंत्रीजी हैं उनके माध्यम से बातचीत की थी। उस बातचीत के द्वारा क्या कुछ हुआ वह सिंचाई मंत्री जी कह चुके हैं जो लोग इससे विस्थापित होंगे उसकी मुआवजे की जिम्मेदारी गुजरात सरकार पर होती है जैसे आम तौर पर जो इण्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं और उससे जिस राज्य को लाभ मिलता है वह उसी अनुपात के अन्दर

Page No 30

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
मुआवजे का जिम्मेदार होता है। हमने जमीन देने के लिये भी कहा है यदि वे दे सकें तो यह उपयुक्त होगा अन्तिम निर्णय तो जैसा बताया जा चुका है भारत सरकार द्वारा दोनों प्रदेशों के प्रतिनिधियों की बैठक बुला कर ही किया जायगा। मेरी निश्चित मान्यता है कि 410 फीट हाइट के बारे में भारत सरकार ने माना है गुजरात सरकार भी इसी को आधार मानकर चल रही है इसको गुजरात सरकार ने लिखकर भेजा है उस पर वहां के चीफ इन्जीनियर के दस्तखत किये हुए हैं इस बात का अन्तिम निर्णय हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां जो उत्तर दिया गया वह इस प्रकार है "राज्य सरकार का इरादा है कि नागरिकों के कडाणा बांध से प्रभावित होने से पूर्व ही पुनर्वास व मुआवजा आदि की व्यवस्था करदी जायगी" इससे तो यह आभास मिलता है कि सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार को करनी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान सरकार करेगी।

एट दी कास्ट आफ गुजरात गवर्नमेंट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारा खर्चा उन्हीं को देना है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न पुनः स्थगित किये गये।

श्री दौलतराम सारण : इनके उत्तर कब दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अगली टर्न पर।

श्री दौलतराम सारण : जो प्रश्न सदन में नहीं आते हैं तारांकित प्रश्न उनके उत्तर लिखित में नहीं मिलते हमें। उनके उत्तर हमें मिलने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था की जायगी।

श्री दौलतराम सारण : जो प्रश्न स्थगित करा दिये गये हैं उनके उत्तर भी दिलाने की व्यवस्था की जाय तो कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : उनके उत्तर भी भेजे जायेंगे जो प्रश्न पूछे नहीं जा सकते उनके भी उत्तर भेजे जायं।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी व्यवस्था भी हुई थी जो प्रश्न सदन में नहीं पूछे जा सकते उनके लिखित में उत्तर दिलाने की शासन की तरफ से व्यवस्था हुई थी लेकिन उत्तर लिखित में नहीं आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भेजे जाते हैं डाक द्वारा पहुंचते नहीं होंगे इसे फिर देख लूंगा।

श्री लाभचन्द वैद : 11 तारीख को मेरा स्थगित प्रश्न था समय समाप्त होने के बाद उसके लिए कहा गया कि स्थगित प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: आपका मैंने स्थगित किया था।

श्री लाभचन्द वैद : लिखित में उत्तर मिला है। उसमें लिखा गया है कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है लेकिन वह सूची मुझे नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे चेम्बर में मिल लीजिए मैं स्थिति स्पष्ट कर दूंगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कुओं के लिए बिजली

122. श्री शिवनार्थसिंह (गुढ़ा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनू जिले के नवलगढ़ सहायक अभियन्ता, विद्युत् बोर्ड के यहां से मार्च, 1970 के अन्त तक कितने कुओं का एडवान्स मनी लेकर विद्युत् कनेक्शन दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही एडवान्स मनी लेकर दिये गये कनेक्शन का कुल खर्चा इस कार्यालय क्षेत्र के लिये स्वीकृत रेग्युलर बजट में से ही किया गया और कोई अलग धनराशि इस योजना हेतु नहीं दी गई जिनसे साधारण कनेक्शन लेने वाले जिनका प्रायोरिटी में नम्बर आता है, कनेक्शन नहीं ले सके ?

(3) क्या विद्युत् बोर्ड इस क्षति पूर्ति हेतु अधिक धन राशि देकर इसकी पूर्ति करने का विचार रखता है ?

(4) क्या यह सही है कि एडवान्स मनी लेकर कनेक्शन देने का कार्य रेग्युलर बजट में से नहीं होकर अलग से होना चाहिये था ?

उत्तर

(1) 31 मार्च, 1970 तक नवलगढ़ उप खण्ड से 80 कुओं को अग्रिम राशि लेकर विद्युत् कनेक्शन दे दिये गये हैं।

(2) अग्रिम राशि लेकर दिये गये कनेक्शनों के लिये बजट में कोई अलग प्रावधान नहीं होता है बल्कि उनका खर्चा भी रेगूलर बजट से किया जाता है लेकिन इससे साधारण कनेक्शन लेने वालों को धन के अभाव से कभी रुकावट नहीं हुई, क्योंकि इन कार्यों के लिये काफी धनराशि दी जाती है ।

(3) यदि रेगूलर बजट में धनराशि की कमी रही है तो उसके लिये संशोधित बजट में प्रावधान कर दिया जाता है ।

(4) जी नहीं ।

जालोर में विद्युत क्षेत्र का विस्तार

124. श्री बिरदा राम फुलवारिया (जालोर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है सरकार का विचार जालोर क्षेत्र में बिजली दो मील के क्षेत्र में और अधिक बढ़ाने का था । यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं बढ़ाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि खेतड़ा (त. जालौर) में जो 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसके स्थान पर 25 किलोवाट का लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अब शीघ्र ही 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता ।

(2) जी हां। रेवतरा के लिये 100 के० वी० ए० का ट्रांसफारमर लगा हुआ था तथा उसकी जगह 25 के० वी० ए० का

(विद्युत मंत्री)
ट्रांसफार्मर लगाने का कोई इरादा नहीं है। 100 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर नवम्बर माह 1970 में लगा दिया जावेगा।

रिलीफ कार्यों के बिलों का रोका गया भुगतान

128. श्री रामकिशन (बैरे) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले के जिलाधीश ने किन किन रिलीफ कार्यों के किन किन ठेकेदारों के कितने कितने के बिलों का चुकारा रोका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन ठेकेदारों को किस रेट पर काम करने की स्वीकृति दी गई थी ?

(3) इन बिलों के चुकारे को रोकने के क्या कारण हैं

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के जिलाधीश ने अकाल राहत कार्यों के संबंधित सभी पेमेन्ट दिनांक 9–7–70 को बैंक को एक आदेश देकर रोक लिए थे जिसे दिनांक 12–7–70 को वापिस ले लिया गया, केवल कंप्रेशर के ठेकेदारों एवं मेटेरियल सप्लाई के दो ठेकेदारों के लिए पेमेन्ट रोकने के आदेश वापिस नहीं लिए, ऐसे सभी ठेकेदारों की सूची एवं राशि संलग्न है।

(2) इन ठेकेदारों को मेटेरियल सप्लाई व चूना सप्लाई का कार्य बी0 एस0 आर0 रेट पर तथा कंप्रेशर के ठेकेदारों को 4.25 पैसे प्रति होल ढाई फिट गेहरा मय ब्लास्टिंग के स्वीकृत टेन्डर रेट पर कार्य दिये थे।

(3) चुकारे रोकने के संभावित कारण निम्नलिखित थे।

(क) कंप्रेशर संबंधित

(1) कंप्रेशर द्वारा किए गये सुराखों की संख्या एवं उनके द्वारा खोदे गये मलवे की जांच एवं नपाई हेतु।

(2) ठेकेदारों द्वारा बारूद की खरीद के बिलों की जांच करने हेतु :

(ख) मेटेरियल संबंधित

(1) मेटेरियल सप्लाई में दी गई लीड की जांच हेतु।

(2) मेटेरियल सप्लाई के कामर्शियल, सेल टैक्स एवं रोयल्टी चार्ज को संबंधित विभागों से वसूली कराने हेतु।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम पंचायत बामनवास के सदस्यों का बैठक में भाग न लेने का मामला

144 श्री अर्जुनलाल (हिन्डोन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम पचायत बामनवास जिला सवाई माधोपुर में कई सदस्यों की बैठक मे भाग लेने न लेने का मामला काफी समय से जिला विकास अधिकारी, सवाई माधोपुर के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त पंचायत में दो महिलाओं को पंचायत कार्य में भाग लिये हुए लगभग 5 माह हो गये हैं, किन्तु

Page No 33

(श्री श्रवणलाल)

सम्बन्धित अधिकारियों ने उनको अभी तक पंचायत कार्य से पृथक् नहीं किया ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त पंचायत के कई वार्डों का चुनाव होना काफी समय से ढिलाई में पड़ा हुआ है ?

(4) यदि हां, तो क्यों, व अब कब तक चुनाव कराने का इरादा है ?

उत्तर

1. पंचायत, बामनवास के पंचों द्वारा पंचायत की लगातार 5 बैठकों में भाग नहीं लेने के सम्बन्ध में जिलाधीश, सवाई–माधोपुर के यहां शिकायतें प्रस्तुत हुई परन्तु पंचायत द्वारा तत्सम्बन्धित रिकार्ड नहीं भेजने के कारण वे कोई निर्णय नहीं ले सके। आदेशों की अवहेलना करने के लिये सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिलाधीश ने अपने पत्र दिनांक 21-10-70 द्वारा सरकार को निवेदन किया है।

2. जी नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना जिलाधीश को प्राप्त नहीं हुई, अतएव आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

3. राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत कोई स्थान रिक्त होने की तारीख के 6 माह के भीतर यदि पंचायत की अवधि समाप्त होती हो तो रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं करवाई जा सकती। पंचायत के चुनाव निकट भविष्य में हो रहे हैं। अतएव शीघ्र ही चुनाव करवाये जा सकेंगे।

4. पंचायत चुनाव निकट भविष्य में होने जा रहे हैं।

फसलों को क्षति

145. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के सब-डिवीजन, सुल्तानपुर, इटावा व मांगरोल की कई माइनर्स की टेल पर पानी नहीं पहुंचता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पानी समय पर न जाने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

1. कोटा जिले के सब-डिविजन, सुल्तानपुर की सभी माईनरों की टेल पर पानी पहुंचता है परन्तु सब-डिविजन, इटावा व मांगरोल की कुछ नहरों की टेलों पर पानी नहीं पहुंच पाता है।

2. जी नहीं।

सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिये बिजली के कनेक्शन्स

146. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये ग्रामों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिये विद्युत् देने का विचार है ? यदि हां, तो इस वर्ष कितने कुओं को नए बिजली के पम्पिंग सेट चालू करने के लिये कनेक्शन्स दिये गये ? तथा किन किन जिलों में कितने कितने ग्रामों को बिजली दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

उत्तर

जी हां। इस वर्ष अप्रेल से अक्टूबर तक करीब 3916 नये कुओं को विद्युत् कनेक्शन्स दिये जा चुके हैं। चालू वर्ष में अक्टूबर 1970 तक 158 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

नागौर जिले के नये सब-डिविजन

147. श्री गोरधन सोनी। (मेड़ता): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में तीन नये सब–डिवीजन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने कायम किये थे? यदि हां, तो कहां कहां किस तारीख को कायम किये गये?

(2) क्या यह सही है कि इन सब–डिविजनों में अब तक सुचारु रूप से कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है?

(3) क्या यह सही है कि मेड़ता में 33 के. वी. लाइन आने के बाद अब तक उद्योग एवं कृषि के लिये एवं घरेलू खर्च के लिये नई एप्लीकेशन्स नही लो जा रही हैं न कनेक्शन दिये गये हैं।

(4) क्या सरकार मेडता के उद्योग धन्धों को विद्युत् देने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक?

(5) क्या सरकार मेड़ता एवं मेडता क्षेत्र के डांगावास, मोकाला, इन्दावड पूलू, धनावा, गगरानी और मेड़ता रोड आदि जगह पर शीघ्र विद्युत देकर किसानों को लाभ पहुँचाना चाहती है क्योंकि इन स्थानों पर कई कुए हैं एवं पानी के भण्डार हैं?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डल के आदेश दिनांक 27–7–1970 द्वारा मेड़ता सिटी, मकराना व डीडवाना के सब-डिवीजन स्वीकृत हुये थे?

(2) प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण पूर्ण रूप से सुचारु कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। कार्यालय के लिये स्थान, स्टाफ आदि का प्रबन्ध किया गया है और कार्य शुरू कर दिया गया है।

(3) अब नयी एप्लीकेशन्स लेना शुरू कर दिया गया है। अब तक मेड़ता सिटी में कुल 15 अर्जियें व पादू कलां में 9 अर्जियां ली गई हैं। कनेक्शन्स देने का कार्य भी अब शीघ्र ही शुरू कर दिया जावेगा।

(4) जी हां। जैसे जैसे प्रार्थना–पत्र आयेंगे नियमानुसार कनेक्शन्स दिये जावेंगे।

(5) अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

विद्युत बोर्ड की आय एवं व्यय

148. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान स्टेट विद्युत् बोर्ड की कुल वार्षिक आमदनी व खर्चा कितना है?

(2) राजस्थान स्टेट विद्युत् बोर्ड की एसेट्स कितनी हैं?

(3) राजस्थान स्टेट विद्युत् बोर्ड ने क्या कृषि हेतु विद्युत् देने व ग्राम तथा कस्बों में अन्य कार्यों हेतु विद्युत् देने के विभिन्न

(श्री मूलचन्द डागा)
मापदण्ड अपनाये हुए हैं? यदि हां, तो क्यों और किस उद्देश्य हेतु ?

(4) राजस्थान स्टेट विद्युत् बोर्ड ने अपने एसेट्स बढ़ाने हेतु क्या क्या नये साधनों का उपयोग किया ? सन् 1961 से 1970 तक के इसके आंकड़े प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) विद्युत् मण्डल की कुल आमदनी व खर्चा बताते हुए सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची 'बी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल ने कृषि उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन देने हेतु कुओं को कनेक्शन देने के लिए कुछ सरल मापदण्ड अपनाये है जैसे निश्चित रिर्टन पर कनेक्शन लाभप्रद मानना एवं उनको मिनियम गारंटी पर कनेक्शन देना व कृषकों से फिक्सड कनेक्शन चार्जेज लेना।

(4) विवरण सूची 'सी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

तहसील भदेसर के ग्रामों में बिजली

149. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़ जिले की तहसील भदेसर में कितने ग्रामों में बिजली मिली है ? उन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) विद्युतिकरण के लिए जितने ग्राम स्वीकार हुये हैं, क्या उन सभी ग्रामों में बिजली चालू है ? यह भी बतायें कि किस किस ग्राम में किसानों को कुओं पर कनेक्शन दे दिये गए हैं ? और ऐसी कितनी दरख्वास्तें पेन्डिग हैं जिन पर कनेक्शन नहीं दे पाए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील चित्तौड़गढ़ में जो ग्राम स्वीकृत हुए हैं वहां अभी तक कनेक्शन नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो कितने हैं ? उन गांवों की सूची देने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि तहसील चित्तौड़ में ग्राम सहनवा में पंचायत द्वारा आबादी में रोड लाइट बिजली लगाने हेतु इन्जीनियर बिजली विभाग को निवेदन किया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि अभी तक पंचायत को बिजली नहीं दी गई है तथा कब तक सहनवा में आबादी में रोड लाइट लगा दी जायेगी ?

(5) क्या यह सही है चित्तौड तहसील के ग्राम सावा व घोसुन्डा में अभी तक किसानों की मांग के आधार पर कनेक्शन नहीं मिले हैं ? तथा क्या यह सही है कि घोसुन्डा में स्टेशन एरिया में क्या अभी तक कनेक्शन देना बाकी है ? यदि हां, तो कब तक इन्हें कनेक्शन दे दिया जावेगा ?

(6) क्या जो ट्रान्सफार्मर लगा हुआ है वह सावा की पूर्ति करने में सक्षम है ?

उत्तर

(1) आठ ग्रामों को। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, ग्राम आकोला (छोटा) व गीदा खेड़ी हाल ही में अक्टूबर 1970

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

में स्वीकृत हुए उनका विद्युतिकरण करना बाकी है। जिन गांवों में कुए के कनेक्शन हो चुके हैं व जितनी अर्जिएं पेंडिग हैं उनकी सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) तहसील चित्तौड़गढ़ में जो ग्राम मण्डल द्वारा स्वीकृत हुये थे और जिनको विद्युतिकरण करने के बाद भी कोई कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :-बिलोला, मेडीखेडा, भवानीपुरा, चिकसी, ओदियाणा, डगला का खेड़ा, बोजून्दा।

(4) ग्राम सहनवा में पंचायत से रोड लाइट लगाने के लिये एक प्रार्थना-पत्र ता. 12-2-69 को कार्यालय सहायक अभियन्ता, चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ था। परन्तु डिमान्ड नोट की रकम जमा न होने के कारण यह रद्द कर दिया गया है। इसके पश्चात् और कोई प्रार्थना-पत्र इस रोड लाइट लगाने के लिये प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) जी नहीं। कोई भी प्रार्थना-पत्र घोसुन्डा ग्राम के रेलवे स्टेशन ऐरिया का पेंडिग नहीं है, इसलिए कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता।

(6) जी हां।

(कृपया परिशष्ट 6 देखिये)

चम्बल से पाली जिले के गांवों को दी गई बिजली

150. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर से (वाया आमेट) चम्बल की बिजली की लाइन देवगढ़ आई है और अब चम्बल की बिजली दी जा रही है? यदि हां, तो किस तारीख से?

(2) (अ) क्या चम्बल की बिजली पहले की विद्युत् से सस्ती पडती है? यदि हां, तो कितनी सस्ती है और यदि सस्ती पडती है तो विद्युत विभाग की बिजली का रेट अभी तक पहले वाला ही क्यों चालू रखा गया है?

(ब) क्या सरकार ने चम्बल की बिजली का रेट पहले के रेट अनुसार लिया है? तो क्यों और क्या रेट लिया है? अधिक रेट लिया? क्या उपभोक्ताओं को वापिस रिफण्ड किया जायगा? यदि हां, तो किस माव से व कब?

(3) देवगढ़ से चम्बल की बिजली पाली जिले के किन किन गांवों में गई है? उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) उदयपुर जिले में चम्बल की बिजली दी गई है उन स्थानों पर बिजली का रेट कितना घटा दिया गया है और किस तारीख से?

उत्तर

(1) जी हां। 16-4-1969 से।

(2) जी हां। हाइडल एवं डीजल एरिया की टैरिफ सदन की मेज पर रख दी गई है। इस क्षेत्र में जहां हाइड्रिल की बिजली चली गई है वहां पर हाइडल टेरिफ लागू कर दी गई है।

इस क्षेत्र में चम्बल की बिजली 16-4-1969 को चालू की गई और दिसम्बर 1969 के बिलों में उदयपुर जिले के ग्रामों पर हाइडल दर पर लगाई गई है तथा पाली जिले में हाइडल दर अप्रेल, 1970 के बिलों में लगाई गई। राजस्थान राज्य विद्युत्

(श्री फूलचन्द बाफना)

मण्डल के आदेश संख्या आर.एस.ई. वी।एस-21 के0सी0। एस0 डबल्यू0एम0 ।–2 (68)। सी-469 दिनांक 14–5 69 के अनुसार डीजल क्षेत्र में हाइडल की बिजली लगने के पश्चात् छ महिने में हाइडल दर लग जानी चाहिये, पर कुछ प्रशासनिक कारणों से इस क्षेत्र में ऐसा करने में थोड़ा विलम्ब हो गया जिन ग्रामों में छः महिने में दर नहीं बदली गई वहां पर रिफण्ड करने के प्रश्न पर मण्डल अलग से विचार कर रहा है।

(3) जोजावर और धनला ग्राम।

(4) उदयपुर जिले के देवगढ़ क्षेत्र के ग्राम देवगढ़, ताल, लसानी, बरार भीम, इमली घाट को चम्बल की बिजली 16–4–1969 को दी गई और वहां पर दिसम्बर 1969 के बिलों में हाइडल दर लगा दी गई थी। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दर में हुई कमी संलग्न टेरिफ से ज्ञात हो सकती है।

केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को विद्युत् हेतु सहायता

151. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे:–

(1) केन्द्रीय सिंचाई और बिजली मन्त्रालय द्वारा क्या राज्यों में ग्राम विद्युतिकरण हेतु 4 करोड़ 44 लाख 81 हजार 900 रुपये स्वीकार किए गए थे?

(2) यदि हां, तो उक्त राशि में से राजस्थान को कितनी रकम प्राप्त हुई।

(3) उक्त राशि में से जिलेवार किस प्रकार व्यय किया गया। सूची सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या यह सत्य है कि आन्ध्र प्रदेश को 82 लाख, हरियाणा को 96 लाख 8 हजार, मध्य प्रदेश को 1 करोड़ 23 लाख, पंजाब को 1 करोड़ 13 लाख दो हजार, तामिलनाडू को 97 लाख 54 हजार और उत्तर प्रदेश को 78 लाख 17 हजार 900 रुपये प्राप्त हुए थे।

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को ग्राम विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत की गई राशि की जानकारी राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को नहीं है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को कुल 113, 5386 लाख रुपये का ऋण ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा अब तक स्वीकार किया गया है परन्तु अण्डर ग्राउण्ड वाटर के डेटा एवं राज्य सरकार की गारन्टी आदि फार्मलिटि पूरी नहीं होने के कारण यह राशि अभी तक मण्डल को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) इसकी जानकारी नहीं है।

संशोधित वेतन श्रृंखलाएं

152. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजकीय कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन श्रृंखला 1961 के अन्तर्गत किस किस केडर के कर्मचारियों को किस स्टेज पर एक वर्ष के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि देने पर रोक लगाई थी? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) संशोधित वेतन श्रृंखला के कारण कर्मचारियों के वेतन में अनोमली

(श्री श्रवणलाल)

होने से इसे मिटाने के लिये सरकार ने क्या आधार तय किये हैं और इस अनोमली को किस प्रकार मिटाया गया है ?

(3) अनोमली मिटाने के लिए किस सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेना पूर्व में तय किया गया था और अब इस अनोमली को मिटाने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है ?

(4) क्या यह सही है कि जिन कर्मचारियों को एक वर्ष तक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई उसके कारण उससे जूनियर का वेतन बराबर या अधिक हो गया ?

(5) क्या इससे सरकार के पुराने कर्मचारियों में असन्तोष फैला है जिससे राज्य कार्य में भी शिथिलता आई है।

(6) यदि हां, तो क्या सरकार रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि को अब दिलवाने के लिए कोई आदेश निकलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। अनोमली कई प्रकार की हो सकती है।

(3) अनोमली किस प्रकार की है जब तक यह स्पष्ट नहीं हो उत्तर देना सम्भव नहीं।

(4) इस प्रकार के मामले होना सम्भव है सिनियर व्यक्ति अयोग्य या अनक्वालिफाइड हो तो ऐसा हो सकता है।

(5) इसमें असंतोष का प्रश्न नहीं उठता।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

शराब का उत्पादन

153. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में इस समय शराब का उत्पादन और खपत कितना है ? राजस्थान बनने के समय यह कितना था और सन् 56 में कितना था ?

(2) क्या यह सही है कि अंगूरों से शराब निकालने के नये कारखानों के लिये लाईसेन्स दिये गये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार को यह पता है कि शराब के ठेकेदार जीपों में शराब की बोतलें भरकर गावों में पहुंचाते हैं और अपने कमीशन एजेंटों की मारफत बिकवाते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि निर्धारित ठेके के अलावा शराब बेचना अपराध है ? यदि हां, तो बिना लाइसेंस शुदा ठेकेदारों के कमीशन के आधार पर गांव गांव शराब बेचने की गैर कानूनी कार्यवाही के विरुद्ध सरकार क्या व्यवस्था करने वाली है ? अब तक कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार मानती है कि इस प्रकार गांव गांव शराब बेचने से शराबखोरी बढ़ती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1969-70 में शोधित आसव का 29, 22, 136 एल. पी. लिटर्स का उत्पादन हुआ, देशी मदिरा का उपभोग 52,48,070 एल. पी. लिटर्स हुआ एवं विदेशी मदिरा का उपभोग 11,73,266 लिटर्स (1968-69) में हुआ। वर्ष 1969-70 में विदेशी मदिरा के उपभोग की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1956-57 में शोधित आसव का उत्पादन

(श्री आबकारी मंत्री)

6,82,726 प्रूफ लिटर्स हुआ, देशी मदिरा का उपभोग 30,60,374 एल. पी. लिटर्स हुआ एवं विदेशी मदिरा का उपभोग 3,52,826 लिटर्स हुआ। राजस्थान बनने के समय की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) वर्ष 1969-70 में अंगूरों से शराब निकालने के नये कारखानों के लिए कोई लाईसेंस नहीं दिये गये हैं।

(3 व 4) राजस्थान आबकारी अधिनियम व नियमों के अन्तर्गत लाईसेंसी को स्वीकृत स्थान पर ही मदिरा बेचने का अधिकार है इस स्थान के अतिरिक्त मदिरा बेचते हुए पकडे जाने पर एवं बिना नियमित परमिट के मदिरा का परिवहन करते समय पकड़े जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाती है।

सांचोर उच्चतर माध्यमिक शाला व माध्यमिक कन्या पाठशाला के भवन

154. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर में उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन व माध्यमिक कन्या पाठशाला भवन सांचोर में पर्याप्त कमरे नहीं हैं ? अगर हां तो क्या सरकार ऐसे स्थानों मे ग्रामीण शिक्षा के विकास की दृष्टि से शीघ्र पूरा भवन निर्माण करना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला भवन सांचोर की ढाणी में कमरों की दीवारें फट गई और कुछ कमरों का मलबा नीचे गिरने का पूरा पूरा खतरा है ? अगर हां, तो उन कमरों की विशेष मरम्मत के बारे में सरकार ने अब क्या सोचा है ?

(3) माध्यमिक पाठशाला भवन सांचोर की ढाणी के फटे हुए कमरों की विशेष मरम्मत सरकार द्वारा कब तक करा दी जावेगी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला भवन डाबल तहसील सांचोर व डूंगरी तहसील सांचोर में भी अधूरा है ? अगर हां, तो उन भवनों को पूरा कराने के लिये सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं ? अब इन अधूरे पाठशाला भवनों को कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

(5) पिछड़े क्षेत्रों में राजकीय पाठशाला भवनों को पूरा कराने के लिए खाद्य नेरिटी फण्ड से आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के लिये शिक्षा विभाग ने अब तक क्या क्या प्रयत्न किए हैं ? भविष्य में इस बारे में क्या क्या प्रयत्न किये जावेंगे ?

उत्तर

(1) यह सत्य है। अतः नये भवन व पुराने भवन दोनों भवनों की सहायता से काम चलाया जाता है। आर्थिक साधनों की कमी के कारण इस वर्ष भवन निर्माण कार्य सम्भव नहीं है।

(2) यह सत्य नहीं है। वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कुछ कमरों का मलबा नीचे गिरने का खतरा हो।

(3) राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी में फटे हुए कमरों की मरम्मत सत्र 1971-72 तक कराली जावेगी ?

(4) यह सत्य है कि पाठशाला भवन डावल, डूंगरी का कार्य अधूरा है।

(शिक्षा मंत्री)
राज्य में ऐसे अन्य शाला भवन भी हैं जो अधूरे हैं अतः सरकार अपेक्षा करती है कि ऐसे शाला भवनों को पूरा स्थानीय जनता द्वारा कराया जाय फिर भी यदि आगामी वर्ष में बजट में प्रावधान हुआ तो इस पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(5) समस्त विद्यालय निरीक्षकों को लिखा हुआ है कि वे अपने जिलों के जिलाधीश महोदय से खाद्य चेरिटी फण्ड से शाला भवनों को पूरा करवाने हेतु आवश्यक धनराशि प्राप्त करने के प्रयत्न करें।

अप्रशिक्षित अध्यापकों की प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति

155. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले की प्राथमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक के पद पर अप्रशिक्षित अध्यापक कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कौन कौन सी शालाओं में कौन कौन से व्यक्ति कब कब से कार्य कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि प्रशिक्षित अध्यापक होते हुए भी अप्रशिक्षित अध्यापकों को उक्त शालाओं में प्रधानाध्यापक के पद पर लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस जिले की दो प्राथमिक शाला नं० (1) सिरोही राजकीय प्राथमिक शाला आबूरोड में (1) श्री अमृतलाल दलाल (2) श्री रतनलाल अग्रवाल ये दोनों अप्रशिक्षित अध्यापक क्रमशः प्रधानाध्यापक के पदों पर कार्य कर रहे हैं। श्री अमृतलाल दलाल दिनांक 30-8-68 से व श्री रतनलाल अग्रवाल दिनांक 30-1-68 से अब तक कार्य करते चले आ रहे हैं।

(2) दोनों ही अध्यापक मैट्रिक ग्रेड में काम कर रहे हैं और उनकी 10 वर्ष से अधिक सेवा होने के नाते ट्रेण्ड मानकर विद्यालय निरीक्षक सिरोही के उक्त विधियों से इनको प्राधानाध्यापक के पद पर लगा रखा है। वर्तमान में उनके विद्यालय का अनुशासन व शैक्षणिक कार्य सन्तुष्ट है। इसलिये उन्हें उक्त पद से हटाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त दोनों ही प्रधानाध्यापक ने अपने विद्यालय के हित में जन सहयोग द्वारा सामग्री जुटाकर विद्यालय को साधन सम्पन्न बनाये रखते हैं। साथ ही ये प्रधानाध्यापक के रूप में लोकप्रिय हैं।

स्टेट ब्यूरो आफ वोकेशनल एण्ड एज्यूकेशनल गाइडेन्स में नियुक्तियां

156. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में स्टेट ब्यूरो आफ वोकेशनल एण्ड एज्यूकेशन गाइडेन्स की कितनी पोस्ट्स हैं और उन पर कौन कौन कब कब से काम कर रहे हैं?

(2) इनमें से किन केन्डीडेट्स का सलेक्शन पी.एस. सी. के द्वारा हुआ है? उसकी सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि इन पोस्ट्स पर सिवाय डाईरेक्टर आफ ब्योरो के बाकी

(रूपसिंह)

तमाम का अपोइन्टमेन्ट एडहाक है ?

उत्तर

(1) राजस्थान क्षेत्र शैक्षणिक एवं व्यवसायिक निदेशन केन्द्र, बीकानेर में निम्न अधिकारी उनके नाम के सामने अंकित पदों पर उनके आगे अंकित तिथि में कार्यरत हैं :–

1–श्रीमती मिथिलेश कुमारी उप निदेशक	2–11–70
2–श्री दुलीचन्द जैन परामर्शक	24–9–70
3–श्री सत्यप्रकाश शर्मा परामर्शक	9–9–69
4–श्री हरिवंश जांगिड परामर्शक	26–9–70
5–श्री बी. डी. हस्तक मनोविज्ञान	2–4–65

(2) उपरोक्त अधिकारियों में से निम्न अधिकारी इन पदों पर अथवा इनके समकोटि पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित है :—

1–श्री दुलीचन्द जैन

2–श्री सत्यप्रकाश शर्मा

शेष अधिकारी तदर्थ रूप में इन पदों पर नियुक्त है।

(3) यह सही नहीं है उपरोक्त पैरा (2) में वर्णित व्यक्ति चयनित है तथा शेष तदर्थ रूप में इन पदों पर नियुक्त हैं।

एस. आई. ई. में नियुक्तियां

157. श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) एस. आई. ई. (स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ एज्यूकेशन) का पहिले क्या नाम था और यह नाम कब बदला गया ?

(2) एस. आई. ई. की कितनी पोस्ट्स हैं और उन पर कौन कौन कब कब से काम कर रहे हैं ?

(3) इनमें से किसी का पी. एस. सी. द्वारा सलेक्शन हो चुका है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

1–स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ एज्यूकेशन की स्थापना उदयपुर में सन 1963 में हुई थी। इस संस्थान का प्रारम्भ से यही नाम रहा है।

2–सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

3–उपरोक्त सूची में सूचना सम्मिलित है।

(कृपया परिशिष्ठ 8 देखिये)

वन लगाने की योजना

श्री दौलत राम सारण (डूंगरगढ़) : वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू, बीकानेर आदि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में वन लगाने की राज्य सरकार की क्या योजनाऐं एवं कार्यक्रम हैं ? क्या राज्य सरकार रेतीले क्षेत्रों में वन लगाने को प्राथमिकता देने का विचार रखती है।

Page No 42

(श्री दौलतराम सारण)

(2) क्या राज्य सरकार अकाल पर नियन्त्रण करने के लिए रेगिस्तान पर नियन्त्रण करना आवश्यक मानती है यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजनाएं एवं कार्यक्रम हैं ? और अब तक चालू क्या क्या कदम इस सम्बन्ध में उठाये गये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार वन लगाना एक आवश्यक कदम मानती है ?

(3) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी है कि प्राचीन काल से उक्त क्षेत्र में प्रत्येक गांव और कस्बे के आस पास बोड़, बणी, ओरण, सांसण, जोहड़-ताल पायतण के नाम से छोटे-छोटे वन खण्ड है जो अब नष्ट हो रहे हैं ? क्या सरकार के यह भी ध्यान में है कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज न होने के कारण ऐसे स्थान अनेक जगह तोड़ कर काश्त में ले लिये गये हैं ? और लिये जा रहे हैं ? इसकी रक्षा के लिऐ क्या कदम उठाये गये हैं ?

(4) क्या वन विभाग के यह भी ध्यान में है कि सारी सरकारी पड़त भूमि अलाट करने के कारण इन क्षेत्रों मे गांवो के पास तक पड़ी भूमि अलाट कर दिये जाने के कारण रेगिस्तान बेरोकटोक बढ़ने लगा है और गावो के चारों ओर रेत के टीले बढ़ते जा रहे हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

1–चूरू व बीकानेर जिलों में गत वर्ष एक नया वन मन्डल स्थापित किया गया है जो मरुस्थल में गोचर सुधार कार्य को प्राथमिकता देगा। इसके अतिरिक्त सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, उड़ती हुई बालू रेत के टीलों पर घास एवं वृक्ष आदि लगाकर मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के कार्य को भी हाथ में लेगा। इन कार्यों के लिए 1970–71 के लिए 11.85 लाख रु. का प्रावधान है। 1971–72 में इस कार्य हेतु 7.61 लाख रुपया प्रावधान तथा कुल चतुर्थ योजना में 52 लाख रु. का प्रावधान प्रस्तावित है।

इसी प्रकार बाडमेर जिले में इसी वर्ष मरुस्थल को उन्नत करने के लिए एक वन मन्डल की स्थापना की गई है जिसके द्वारा भी रेगिस्तान की रोकथाम के लिए आवश्यक उपचार अपनाये जाएंगे। इन कार्यों के लिए 1970–71 में 35 लाख रु. व्यय का प्रावधान है।

2–जी हां अकाल से प्रभावित रेगिस्तानी क्षेत्रों में गत वर्षों में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत वन एवं चरागाह विकास कार्य वन विभाग द्वारा कराये गये थे। रेतीले क्षेत्रों में वन विकास कार्यक्रम प्राथमिकता के विस्तृत पैमाने पर किये जा रहे हैं। ऐसे दस जिलों में जहां अकाल की समस्या हमेशा बनी रहती है उनमें गोचर सुधार बिगड़े हुए बनों को उन्नति, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, बालू रेत के उड़ते हुए टीलों की रोकथाम आदि विभिन्न कार्य वन विभाग द्वारा लिये जाना प्रस्तावित है। इस कार्य में उपरोक्त

(वन मन्त्री)

10 जिलों के अन्दर कार्य करने हेतु 97 लाख रुपये को लागत से कार्य करने की योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

3–प्राचीन काल में रैगिस्तानी क्षेत्र में ग्रामों के निकट बीड ओरण आदि गोचर के रूप में छोड़े गए हैं–इनका प्रबन्ध स्थानीय पंचायतों के अथवा राजस्व विभाग के पास है। वन विभाग का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं। कुछ बीड जिन पर वन विभाग का नियन्त्रण है उनमें अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं होने दिये गये हैं। यदि वन विभाग की बीडों पर अतिक्रमण करने की चेष्टा की जाती है तो विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

4–ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

बकाया मजदूरी का भुगतान

159. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) बाडमेर जिले में विभिन्न अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन 1968–69, सन् 1969–70 एवं 1670–71 में किन किन राहत कार्यों में किन-किन मजदूरों की कितनी–कितनी मजदूरी कितनी अवधि की बकाया है? सूची उनके मस्टर रोल नम्बर देते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार मजदूरों को उक्त बकाया राशि किस प्रकार कब तक देने की व्यवस्था कर रही है?

(स्थगित किया गया)

मुर्गी पालन के लिये अनुदान

160. श्री बृजवल्लभ बोहरा (बीगोद): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति शाहपुरा में सन् 1965–66 से अब तक कितने आदमियों को मुर्गी पालन के लिये अनुदान अथवा लोन दिया है? प्रत्येक की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) प्रत्येक के पास इस समय कितनी तादाद में तथा कितनी धन राशि की मुर्गी है।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) दोनों व्यक्तियों के पास इस समय एक भी मुर्गी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(9-11-70)

अकाल सहायता कार्य

39. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) इस वर्ष अकाल सहायता कार्यों पर राजस्थान में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई? जिलेवार आंकड़े दें।

(श्री दौलतराम सारण)

(2) प्रत्येक जिले में कितने ग्राम और कितनी जनसंख्या व पशु संख्या अकाल पीड़ित रही ?

(3) प्रत्येक जिले में कितने कितने व कौन कौन से सहायता कार्य चालू किए गए ? उनसे कितने मजदूरों ने लाभ उठाया ? काम-वार व जिलेवार संख्या बताने कि कृपा करें:–

(4) कितने मजदूरों को मजदूरी अभी तक चुकाना बाकी है और उसके कितने रुपये होते हैं ? जिलेवार अथवा कामवार आंकड़े लिये जायें ।

(5) मजदूरी के अतिरिक्त कुल कितना व्यय किस किस पर हुआ ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(9-11-70)

निर्माण कार्यों की स्वीकृति

42. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरदार शहर और डूंगरगढ़ पंचायत समिति क्षेत्रों में कितने ऐसे निर्माण कार्य पंचायत समितियां बनने से लेकर अब तक किये गये हैं जिनके कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र और उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये हैं ? ये कार्य कब कब के हैं और कितने लागत के हैं ?

(2) कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र और उपयोगिता प्रमाण-पत्र न देने के क्या कारण हैं ।

(3) इस सम्बन्ध में उपरोक्त समितियों ने कब कब प्रस्ताव पास करके जिलाधीश उप जिला विकास अधिकारी और विकास विभाग को भेजे और कब कब पत्र लिखे व कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? क्या इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी का दोष पाया गया है ?

(4) अब कब तक प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र और उपयोगिता प्रमाण-पत्र न देने का कारण हिसाब प्राप्त न होना जन सहयोग का अभाव एवम् अधिदर्शक का न होना बताया गया है ।

(3) पंचायत समिति, सरदार शहर की साधारण बैठक दिनांक 24–10–68 2–10–69, 7–3–70 व 11–9–70 में प्रस्ताव पारित किये गये व क्रमशः दिनांक 28–12–68, 10–10–69 व 13–3–70 तथा दिनांक 18–3–70, 16–10–70 व 30–9–70 को पंचायत एवं विकास विभाग जिलाधीश एवं उप जिला विकास अधिकारी को पत्र लिखे गये । इसी प्रकार पंचायत समिति डूंगरगढ द्वारा दिनांक 25-3-70 23–4–70 व 15–7–70 को प्रस्ताव पारित किए गए व दिनांक 26-5-70 को जिलाधीश को पत्र लिखा गया इस विभाग में व जिलाधीश के यहां प्राप्त पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की गई थी । अतः किसी अधिकारी का दोष पाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(4) अधिदर्शकों की नियुक्ति शीघ्र ही करवाई जाकर आवश्यक प्रमाण-पत्र दिलाए जाने की व्यवस्था करादी जायेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है) ।

स्थगित प्रश्न

(9-11-70)

नागौर-सुजानगढ़ मार्ग पर बसें

51. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर से सुजानगढ़ के लिये प्राइवेट बसें चलती हैं ? यदि हां, तो गाड़ि नं. एवं उनके मालिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन गाड़ियों का रोड टैक्स एव सेल्स टैक्स बकाया है ? यदि हां, तो कितना कितना किस गाड़ी का किस अवधि का बाकी है ? व्यौरेवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ये सब गाड़ियां जिनके नाम से हैं उन्हीं के द्वारा चल रही हैं।

उत्तर

(1) जी हां, इस मार्ग पर जो प्राइवेट बसें चलती हैं उन बसों के नम्बर एवं उनके मालिकों की सूची (क) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) यात्री कर के बकाया की सूची (ख) एवं रोड टैक्स की बकाया की सूची (ग) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(9-11-70)

सेल आफ लाईसेन्स्ड कमोडिटीज चेरिटी फण्ड

69. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजस्थान में सेल आफ लाइसेन्स्ड कमोडिटीज चेरिटी फण्ड नाम का कोई फण्ड है ? यदि हां, तो इसमें कुल कितनी धनराशि जमा है और कब से जमा है ? क्या सरकार ने इस धनराशि का कोई उपयोग किया है ? यदि किया है, तो क्या और अभी तक नहीं किया है, तो उसके उपयोग करने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

जी हां, राजस्थान में 'लाइसेन्स्ड कमोडिटीज चेरिटी फण्ड'' स्थापित है। इस फण्ड में सन् 1963 से राशि संग्रह की जा रही है। उक्त धन राशि का प्रत्येक जिले में सार्वजनिक हित की संस्थाओं को अनुदान देने हेतु उपयोग किया जाता है। वर्तमान में उक्त फण्ड में 33,97,419-49 रुपये की राशि जमा है।

कार्य सलाहकार समिति के 30 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का 30वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ। जो इस प्रकार है :

सोमवार, दिनांक 16 नवम्बर, 1970	राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970 पर विचार एवं उसका पारण।
मंगलवार, दिनांक 17 नवम्बर, 1970	राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, 1970 पर विचार एवं उसका पारण।
बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 1970	निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :- (1) राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 1970। (2) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1970।
गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर, 1970	(1) अनुपूरक अनुदानों की मांगों, 1970-71 (प्रथम खण्ड) पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसका पारण। (2) राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर विचार तथा उसका पारण। (3) राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1970 पर विचार तथा उसका पारण।

उपरोक्त समय के बटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उपरोक्त प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाय।

Page No 47

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, वैसे कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर आपत्ति नहीं की जाती। यह विशेष बैठक अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रातःकाल दस बजे बुलायी थी यह सूचना हमने सुबह, प्रातः उठते ही अपनी मेज पर देखी। जल्दी में हम सुबह उपस्थित नहीं हो सके थे। श्री रामकिशनजी भी जो उसके सदस्य हैं, भी उपस्थित नहीं हो सके थे। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकृत करने के बारे में प्रस्ताव जो प्रस्तुत हो चुका है। हम इस बारे में अध्यक्ष महोदय से बातचीत कर लेते हैं दोपहर के बाद इस पर वोट ले लिये जायं। जो समय का बटवारा दिया गया है उसके बारे में बार-बार संशोधन करना उचित नहीं समझते यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका ; इस पर मत नहीं लिये जायं यही मेरा निवेदन है।

श्री मूलचन्द डागा : यह प्रतिवेदन कार्य-सलाहकार समिति का है?

श्री रामकिशन : जिस दिन यह बैठक स्थगित हुई थी उस दिन हमें नहीं बतलाया गया था कि कार्य-सलाहकार समिति की बैठक आज प्रातः होगी इसलिये हम उपस्थित नहीं हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वित्त मंत्रीजी

अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन

राज्य मंत्री (वित्त) श्री बी. एन. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदान की मांग 1970-71 के प्रथम समूह के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सदस्य, विधानसभा ने राजस्थान विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी आशय के एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें।

इनके अतिरिक्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(1) श्री रूपसिंह, सदस्य विधान सभा ने बीकानेर शहर के सूरसागर तालाब में वर्षा का पानी डालने के बजाय तमाम शहर का मलमूत्र इकट्ठा हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। ऐसा ही प्रस्ताव गत सत्र में भी प्राप्त हुआ था और उस पर संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा चुका है।

(2) श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा ने नगरपालिका, लाडनूं जिला नागौर के हरिजन कर्मचारियों को पिछले 4 माह से लगातार वेतन न मिलने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री बंशीलाल व श्री गंगासहाय, सदस्य विधान सभा ने अलवर के केमिकल्स माइनिंग के कर्मचारियों को 8 माह से वेतन

(श्री उपाध्यक्ष)

न मिलने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने अलवर में गत 12-11-70 को आबकारी विभाग के जिला अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा पकड़े जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा ने दिनांक 11-11-70 को जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा श्री गजसिंह के आगमन पर पुलिस द्वारा कोई व्यवस्था न किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व-निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जाये।

इनके अलावा कुछ स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु विचाराधीन रखा गया था। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 301 जूनियर इन्जीनियर्स व ओवरसीयर को सरप्लस घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री कृष्णकुमार गोयल व श्री प्रेमसिंह सिनसी, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) ब्यावर में एडवर्ड मिल बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा का स्थगन प्रस्ताव।

(3) कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिलों के कृषकों को डाई अमोनियम फोस्फेट खाद निर्धारित भाव से ऊंची दर पर भी न मिलने के बारे में श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा का स्थगन प्रस्ताव।

(4) पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की योजना के पश्चात् पाठ्य पुस्तकों में अशुद्धि आदि व उनके समय पर न मिलने से संबंधित श्री दुर्गालाल गाढ़वार, सदस्य विधान सभा का स्थगन प्रस्ताव।

(5) बूंदी जिला स्थित केशोराय पाटन सहकारी चीनी मिल बंद पड़ी रहने के सम्बन्ध में श्री केशरीसिंह हाडा, सदस्य विधान सभा का स्थगन प्रस्ताव।

(6) ग्राम सेवाड़ी में निर्मित मीठड़ी बांध केकमान्डेड क्षेत्र के सम्बन्ध में सेवाड़ी के नागरिकों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बन्ध में श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा, सदस्य विधान सभा का स्थगन प्रस्ताव।

(7) ग्राम पचायत, आसोटा पंचायत समिति, लाडनूं जिला नागौर के सरपंच द्वारा हरिजनों को भूमि पर अपने रिश्तेदारों के पट्टे बनवाने के सम्बन्ध में श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(8) खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(9) नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के गत जून माह में जोधपुर आने आदि के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(श्री उपाध्यक्ष)

इन स्थगन प्रस्तावों में ऐसे तथ्य नहीं है कि जिनसे कि इनको अविलम्बनीय लोक महत्व माना जाये। ऐसी स्थिति में इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देना सम्भव नहीं होगा।

कुछ स्थगन प्रस्ताव और भी प्राप्त हुए हैं जिनको माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन रखा गया है। ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं।

1. ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव नहीं करवाने के सम्बन्ध में श्री रामसिंह कुडी, श्री हरजीराम बुरडक, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलतराम सारण श्री नत्थीसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

2. जिला बूंदी तहसील नेनवां में एक बांध के सम्बन्ध में श्री केशरीसिंह हाडा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

3. भीलवाडा जिले में सिंचाई विभाग के माध्यम से चल रहे अकाल राहत कार्यों में लाखों रुपयों के गबन के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

4. राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के अधीन कृषि उपकरण फैक्टरी झोटवाडा के मजदूरों एवं कर्मचारियों को गत अक्टूबर मास के वेतन का अभी तक भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सदस्य विधानसभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

. अलवर में राजर्षि कालेज के एक विद्यार्थी को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

6. तहसील नोहर के ग्राम कोलासर में 17 हरिजनों की खडी फसल कुडक करके राजस्व अधिकारियों ने पटवारी के सुपुर्द कर देने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य सदस्य विधानसभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

7. तहसील किशनगंज शाहबाद अटरू एवं बारां क्षेत्र में निर्मित बोगस एवं सहकारी फार्मिंग सोसाईटी की भूमि राजस्व अधिकारियों द्वारा विक्रय करने के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाडिया सदस्य विधानसभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

8. जयपुर स्थिति तोपखाना हजूरी गलता रोड गोटा फैक्टरी के पीछे नगर परिषद् जयपुर द्वारा अनुसूचित जाति के कुछ सदस्यों को आंवटित भू-खण्डों पर अन्य लोगों द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में श्रीगंगासहाय सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान विश्व विद्यालय के अन्दर विद्यार्थियों की जो हडताल चल रही है उस पर आपने जो व्यवस्था दी है वह मुझे शिरोधार्य है। लेकिन छात्रों के अन्दर असन्तोष व्याप्त है इसलिये इस सम्बन्ध में तत्काल ही सरकार की ओर से स्टेटमेन्ट हो जाना चाहिये था। इसके लिये आप कोई तारीख तय कर दें तो कुछ अधिक सुविधाजनक रहेगा। आप ये स्टेटमेन्ट कल तक दे सकते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : कल या परसों।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह राज्य सरकार के हित में है कि इस सम्बन्ध में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
जल्दी से जल्दी स्थिति का स्पष्टीकरण कर दें ताकि शांति बनी रहे और किसी प्रकार की अशांति, असन्तोष न बढने पावे।

श्री उपाध्यक्ष : कल दो स्टेटमेन्ट पहले ही रखे हुये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको तो आपको एडमिट कर लेना चाहिए था आज ही इस पर स्टेटमेंट हो जाना चाहिये था। आज बहुत स्टेटमेंट रख लिये गये इसलिए आज का आग्रह न करके कल तक अवश्य ही हो जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कल दो स्टेटमेंट पहले से ही रखे हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज पांच हो सकते हैं तो कल तीन हो सकते हैं आज पांच स्टेटमेंट हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय आपने······

श्री उपाध्यक्ष : परसों।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जूनियर इंजीनियर्स और ओवरसीयर्स को नौकरी से निकाला गया है उसके सम्बन्ध मे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने दी है। इस सम्बन्ध में आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक आदेश के द्वारा सितम्बर के अन्दर 301 जूनियर इंजीनियर्स को, ओवरसीयर्स को एक डेट एनमार्क करके, कि इस डेट के बाद इन जूनियर इंजीनियर्स, ओवरसीयर्स को सरप्लस घोषित किया है और इस प्रकार 125 दूसरे कर्मचारियों को भी इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से और विशेषकर मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कई प्रकार की पेचीदगियां पैदा हो जाने वाली हैं। जहां तक जूनियर इंजीनियर्स और ओवरसीयर्स को सरप्लस घोषित कर दिया गया है उनको तीन महिने के अन्दर अन्दर एब्जार्ब किया जाने को है और 40-50 व्यक्तियों को आपने एब्जार्ब कर भी लिया है लेकिन तथ्य यह भी है कि उनमें से अनेक की अवधि समाप्त हो रही है। जो सबसे अधिक काम्प्लीकेसी सरप्लस करने के बाद सर्विस रूल्स के अनुसार होगी वह यह कि तीन महिने के अन्दर सरप्लस व्यक्ति यदि कहीं एब्जार्ब नहीं होता है तो वह स्वतः ही रिट्रेन्च हो जायेगा, वह नौकरी से अलग मान लिया जायेगा। ऐसी स्थिति पैदा होने को है। जो आदेश आपने दिये है वे सरप्लस घोषित करने के हैं और दूसरे कोई आदेश आपने प्रसारित नहीं किये हैं। रूल्स के तहत दिसम्बर के एंड तक वे रिट्रेन्च मान लिये जायेंगे और इनमें जो 65 से लेकर आज तक नौकरी करते चले आ रहे हैं वे नौकरी से अलग मान लिये जायेंगे। उनके सामने फिर ऐज के सवाल को लेकर कठिनाई पैदा हो जायेगी। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मुख्यमन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार यदि इनको एब्जार्ब करना चाहती है तो कब तक इनको एब्जार्ब नियमानुसार कर दिया जायेगा, कितना समय इसमें लगेगा, और कौन से डिपार्टमेंट में होगा यह अलग सवाल है किन्तु जो कम्प्लीकेसी इसके अन्दर पैदा होने वाली है वह यह है कि तीन महिने के बाद वे नौकरी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

से स्वतः ही अलग मान लिये जायेंगे अगर वे एब्जार्ब नहीं हो पाते हैं। ऐसे जितने भी सरप्लस कर्मचारी हैं वे रिट्रेन्च हो जायेंगे। तो यह सवाल पहले है और दूसरे उपाध्यक्ष महोदय इनकी सर्विस···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर बहस नहीं होगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बहस का सवाल नहीं है। जहां तक रिट्रेन्चमेंट किया है सरप्लस नहीं किया है इसमें निवेदन करना है। राजस्थान सरकार जो सरप्लस घोषित कर रही है ये सारे सरप्लस कर्मचारी तीन महीने बाद रिट्रेन्च घोषित कर दिये जांय–यह एक विशेष परिस्थिति पैदा होगी। दूसरे माननीय उपाध्यक्ष महोदय जहां पर ये ओवरसीयर और जूनियर इंजीनियर एबजर्व हो सकते हैं, नौकरी पर लगाये जा सकते है–मसलन आपका इर्रीगेशन डिपार्टमेंट है····

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष जी यह बहस इस तरह लम्बी पड़ जायगी मैं यह निवेदन कर दूं–यह प्रश्न हमारे खुद के विचाराधीन है और दूसरे ओवरसीयर्स और इंजीनियर्स दूसरे डिपार्टमेंटस में और खुद में बी0 एन्ड आर0 में कितने ज्यादा से ज्यादा ओबजर्व किये जा सकते हैं-इस पर हम निर्णय कर रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : रूल्स के अधीन जो एक कम्प्लीकेशन····

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : वह हमारे नोटिस में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय सिंह।

श्री विजय सिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी सूझबूझ के अनुसार आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये किसी प्रकार का समय नहीं दिया (हंसी) क्योंकि जोधपुर में भूतपूर्व राजा का जो अभूतपूर्व स्वागत हुआ था उसमें लाखों आदमी एकत्रित हुये थे उसके लिये अगर आप मुझे समय दे देते तो शायद एक हफ्ता तो मैं ही ले लेता परन्तु अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं केवल इतना ही जहां कहीं पर भी इतनी भीड़ एकत्रित हो वहां कम से कम पुलिस की व्यवस्था होना आवश्यक है और हमारे यहां जिसमें पुलिस कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये होती है। दूसरे कोई मन्त्री महोदय आते हैं और अगर 10 लाख रुपये भी खर्च करते तो इतनी भीड़ एकत्रित नहीं होती इसलिये मैं गृह मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं वह ऐसे आयोजनों पर अपने अधिकार से जनता में इस प्रकार की शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये और भीड़ को नियंत्रित करने के लिये ऐसे मौकों पर पुलिस का अधिक से अधिक उपयोग लें।

श्री मदन सिंह (दांता रामगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराजा गज सिंह जी इतने लोकप्रिय थे कि जनता स्वयं कानून और

Page No 52

(श्री मदनसिंह)
व्यवस्था की स्थिति को नहीं बिगड़ने देती हैं। ये तो जो लोकप्रिय नहीं होते है उनके लिये कानून और व्यवस्था की जरूरत पड़ती है महाराजा गज सिंह जी के लिये कानून और व्यवस्था की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह स्थगन प्रस्ताव है कि आज जो राजस्थान के वेयर हाऊस कारपोरेशन के अन्दर सुपर फासफेट का खाद आया है उसको राजस्थान के गरीब किसान को न देकर इस विभाग के अधिकारियों ने गुजरात और बड़ौदा के फर्टीलाइजर मैनेजमेंट को व लाखों बोरी खाद दे दिया है और इसी तरह आपके अधिकारियों ने मद्रास में 1–1।। लाख बोरी खाद की भेजी है आज जो राजस्थान में रिटेल प्राइस है वह 62।।) रु. है और छबड़ा, छीपाबाड़ौद आदि का गरीब काश्तकार कोटा बूंदी में जाकर उसको खरीदता है। वहां पर उसको नहीं मिल पाता है। जिस समय धान की बुआई का समय आया आपने डी० ए० बी० खाद को बेचना बन्द कर दिया और जब आज चने की बुआई का समय है तो आपने गुजरात के फर्टीलाइजर के मेनेजमेंट को खाद दे दिया। राजस्थान का गरीब किसान चिल्ला रहा है और बड़ौदा, गुजरात व मद्रास को खाद दिया जा रहा है। आज राजस्थान के गरीब किसान को 62।। के बजाय 67।। में खाद खरीदना पड़ रहा है और वह भी उसे अपने स्थान पर न मिलकर कोटा में जाकर लाना पड़ता है केन्द्रीय सरकार ने जो खाद दी है वह राजस्थान वेयर हाऊस कारपोरेशन के स्टाक में हैं वह क्यों नहीं बेच रहे है और आज 62।। के बजाय 68।। के बड़ौदा की खाद बिक रही है–आज किसान लुट रहा है और आपके मैनेजमेंट ने गुजरात के फर्टीलाइजर को खाद सप्लाई की है और किस प्रकार बाजार में खाद बेची है इस प्रकार यह अनियमितता और किसान के शोषण की जो नीति है वह बिल्कुल गलत है। यह मेरा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव है। एक ओर राजस्थान की सरकार यह कहती है कि अधिक उत्पादन करो, खाद दिया जायगा लेकिन दूसरी ओर. गरीब किसान को कोई खाद नहीं दिया जाय और इस प्रकार लाखों बोरियां बड़ोदा के मैनेजमेंट को दे देना गुजरात के फर्टीलाइजर को देना कहां तक न्याय संगत है। इसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है इसलिये मैं चाहूंगा इसमें राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाया जाय कि कितनी बोरियां हमारे वेयर हाऊस कारपोरेशन में है और कितनी बोरियां गुजरात और बड़ौदा को दी है नहीं तो उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

दूसरे इसी प्रकार बांरा में पार्वती केनाल पर 8 हजार बीघा जमीन में नहर का पानी न देने के सम्बन्ध में है। आज वहां का किसान बरबाद हो रहा है इस सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था लेकिन आपकी कोई व्यवस्था इस पर नहीं हुई है। इस कैनाल पर नियना, खेताना, मियाणा आदि इस प्रकार के जितने गांव है उनको 8 हजार बीघा जमीन धोरो की खराबी के कारण वहा का किसान बरबाद हो रहा है। इस सम्बन्ध में भी राजस्थान सरकार से वक्तव्य दिलाया जाय।

Page No 53

(श्री देवीदत्त गाडिया)

यह मैं जानना चाहूंगा राज्य सरकार का यह अल्प कालीन सत्र चल रहा है और तीसरा जो मेरा स्थगन प्रस्ताव था वह बंगाली विस्थापितों के बारे में है जो देवली कैम्प में पड़े हैं। उस कैम्प में 8-10 बच्चे मर गये हैं। सर्दी भयंकर पड़ रही है उनके पास न ओढ़ने को है और न बिछाने को है--किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं इस प्रकार चार हजार से अधिक बंगाली विस्थापितों के बारे में . . .

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : (साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

उपाध्यक्ष महोदय झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं. . .

(बार-बार साथ-साथ बोलते रहने से दोनों माननीय सदस्यों का भाषण अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं इसलिये चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इनको उकसाया जाता है. .

श्री जगन्नाथ : (पुनः बार-बार साथ-साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री को पूछना चाहता हूं उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? क्या वे इस प्रकार भयंकर सर्दी में पड़े रहें। न उनके पास ओढ़ने की कोई व्यवस्था है और न बिछाने की कोई व्यवस्था है. .

श्री जगन्नाथ : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : पाईन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर आ गया है, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय या तो स्थगन प्रस्तावों पर इतना समय दिलाया ही नहीं जाय और अगर एक माननीय सदस्य बोलने लग गये हैं तो इस तरह बीच-बीच में व्यवधान नहीं डाला जाय। मैं समझता हूं यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है। आप इतना समय नहीं दिलायें ताकि स्थगन प्रस्ताव पर भाषण शुरू कर दिया जाय यह एक गलत बात है--जब एक माननीय सदस्य बोलने लग गये हैं. .

श्री उपाध्यक्ष : जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उसको बदनाम करना चाहते हैं. . (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय सदस्य आपकी जानकारी नहीं है। आपको तो बताया जाता है। साढ़े चार हजार बंगाली विस्थापितों की बात है। राज्य सरकार उनके पुर्नवास की व्यवस्था न कर सके, यह बड़े खेद की बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय उस देवली कैम्प के अन्दर. .

श्री जगन्नाथ : (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : 10 बच्चे मर गये दो आदमी मर गये। इस भयंकर सर्दी

(श्री देवीदत गाड़िया)
से बचने के लिये उनके पास कोई साधन नहीं है

श्री गिरधारी लाल व्यास: यह गलत है ।

श्री जगन्नाथ : (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : राज्य सरकार कोई व्यवस्था नहीं करती है ।

श्री जगन्नाथ : आप झूठ बोलते हो। आपकी ये झूठ कितने दिन चलेगी ?

श्री देवीदत्त गाडिया : मुख्य मन्त्री जी आप बतायें उनके पुर्नवास की क्या व्यवस्था कर रहे है ?

(दोनों माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : दोनों माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। देवली का विषय बहुत पुराना है इसको चर्चा का विषय नहीं बनाया जाय ।

(दोनों माननीय सदस्य पुन: एक साथ बोलते रहें) (अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाडिया : राज्य सरकार कोई आश्वासन न दें..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप बिराजो।

श्री जगन्नाथ : आप बिराजो ।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं हों, अपनी बात समाप्त कर दीजिये ।

श्री देवीदत्त गाडिया : जहां साढ़े चार हजार बंगाली विस्थापित है उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था है ? क्या योजना है- राज्य सरकार के पास, किस स्थान पर उनको बसाया जायगा । क्या इस प्रकार

श्री जगन्नाथ: (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज । आर्डर ।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज

(श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलते रहने पर माननीय श्री गाड़िया जी कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोसिंह

श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो देवली के विस्थापितों के सम्बन्ध में कह रहे हैं मैं यह चाहूंगा कि राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाये ताकि इस सम्बन्ध में जानकारी मिले कि कितने विस्थापित आये हैं और उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं क्योंकि मैं स्वयं भी वहां जाकर देखकर आया हूं । वहां पर कई प्रकार की समस्यायें हैं और उन समस्याओं का पिछले दिनों में कुछ समाधान भी हुआ है । मैं यह नहीं कहता कि आज भी उसी प्रकार की समस्यायें वहां पर बनी हुई हैं लेकिन फिर भी उपाध्यक्ष महोदय जानकारी दी जाये कि स्थाई या अस्थाई रूप से उनको बसाया जा रहा है या क्या प्रबन्ध किये जा रहें हैं । स्थाई

(श्री भैरोंसिंह)

प्रबन्ध किये जा रहे हैं तो किस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार करना चाहती है और यदि अस्थाई रूप से उनके सम्बन्ध में व्यवस्था करनी है तो किस प्रकार की व्यवस्था अब तक कर दी गई है और भविष्य में कैसी व्यवस्था होगी। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सभी अन्धकार में हैं और राज्य सरकार को एक वक्तव्य इस सम्बन्ध में अवश्य देना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्यमन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ भ्रांतियां पैदा हो सकती हैं इसलिए मैं विस्तृत स्टेटमेन्ट देने की पोजीशन में इस समय नहीं हूं लेकिन संक्षेप में यह निवेदन कर दूं कि एक बार मैं स्वयं भी उस कैम्प में गया था और उसके बाद मैंने वहीं से मुख्य सचिव को और हमारे जो फाइनेन्शनल कमिश्नर श्री मुकर्जी हैं उनसे कहा था कि वह दोनों वहां पर जायें। मुकर्जी जो कि विशेष तौर से फाइनेन्शल कमिश्नर के अलावा उस भाषा की जानकारी भी उनको होने की वजह से भी मैने उनसे कहा कि वह जायें तो ज्यादा अच्छा होगा और वह गये थे और जो कमियां तत्काल दूर की जा सकती थीं उनके सम्बन्ध में कार्यवाही भी की गयी। यह माननीय सदस्य जानते होंगे कि यह कैम्प भारत सरकार के बिहाफ पर राज्य सरकार देवली में चाहती है। उनके फिक्स्ड उसके लिए एक तरह से नार्म्स हैं कि जिसके अनुसार उनको राशन वगैरह और दूसरी चीजें दी जाती हैं और वहां पर उनके बसने का स्थाई रूप से जहां तक प्रश्न है भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के बीच में कुछ योजनाओं पर बातचीत भी चल रही है। जब उनके बारे में फाइनेलाइज हो जाये और उसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था हो जायेगी भारत सरकार की तरफ से और जो विस्थापित हैं वह भी उस योजना को पसन्द कर लें तो आगे कार्यवाही को जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह: स्थाई रूप से उनके सम्बन्ध ये क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: उसमें मुख्य बात यह है कि उनको बसाने के लिए वह आम तौर से चावल की खेती करने वाले हैं और इस लिहाज से जमीन राजस्थान के अन्दर आसानी से उपलब्ध नहीं होती। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र कि जहां ज्यादा वर्षा होती है और कुछ एरियाज कि जो दूसरे हैं उनका रिक्लेमेशन और दूसरा सारा करके, या कुछ पोकेट्स के अन्दर कि जो छोटी छोटी हैं यदि वहां पर जाने के लिए तैयार हो जायें तो उनको वहां भेजने के लिए योजना तैयार की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय यह बात सही है कि सारा खर्चा भारत सरकार के बिहाफ पर किया जा रहा है और उनको बसाने का दायित्व भी हम पर भारत सरकार सरकार के आग्रह के कारण से आया है लेकिन कुछ समस्यायें ऐसी हैं कि जो केवल प्रशासनिक स्तर पर उनका समाधान किया जाये तो आसानी से हल की जा सकती हैं। मैं जिस समय मुकर्जी गये थे उसके बाद में भी गया था और उसके पहले भी गया था और मुझे

(श्री भैरोंसिंह)

स्थिति में इस प्रकार का अन्तर नजर नहीं आया कि जिससे उनके प्रशासनिक स्तर पर समाधान होने वाली समस्याओं का समाधान हो जाता। हां, एक छोटा सा परिवर्तन था कि जहां पर किसी महिला डाक्टर की नियुक्ति की जाये और वह ऐसी डाक्टर महिला की नियुक्ति की जाये जो कि बंगाली भाषा जानती हो ताकि उनको जानकारी करने में सहूलियत होगी। मैंने भी एक चिट्ठी मुख्य सचिव को लिखी थी और जो कुछ मैंने वहां पर देखा वह राज्य सरकार के पास भेजा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि मुझे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से आये हैं और पाकिस्तान में हमारे साथ किस प्रकार का ट्रीटमेन्ट होता है उसकी चर्चा करने की यहां आवश्यकता नहीं है लेकिन पाकिस्तान में भी हमेशा दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया है लेकिन उस दिन दुर्गा पूजा का उत्सव मनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है उनको जो राशन का चावल उपलब्ध होना चाहिए था वह भी नहीं हुआ। उसके बाद में दीवाली का त्यौहार आया वह भी नहीं मना सके, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को जो भी भारत सरकार से इसके लिए मिलता है उसमें कुछ अतिरिक्त खर्च करके या राजस्थान सरकार की ओर से कुछ रिलीफ के खर्चे के द्वारा जो एडहाक ग्रान्ट है जो कि मुख्य मन्त्री जी के पास रखी थी इसमें उनकी टाइम पर दीवाली और दुर्गा पूजा मनाने के लिए व्यवस्था कर सकते थे। यदि आप स्वयं देखें तो आपको मालुम होगा कि जो महिला एक साड़ी पहनकर पाकिस्तान से निकली थी वहां आज एक साड़ी उसके पास है और जो बच्चा कुर्ता लेकर आया था वही उसके पास कुर्ता है और जिस तरह से उनकी फिजीकल कन्डीशन गिरती जा रही है—मैं इन दिनों की नहीं कहता लेकिन आज के पन्द्रह दिन पहले गया था तो उसके पहले वहां पर दस–बारह लड़के मर चुके थे और कई लोग बीमार थे। जल्दी से जल्दी उनके इलाज की व्यवस्था की जानी चाहिये उस समय भी मैंने यह कहा और भारत सरकार को कहना चाहिये कि हमारे राजस्थान की क्लाइमेट में लोग रह रहे हैं उसकी कन्डीशन को मीट करने के लिए जो पैसा मिलता है वह काफी नहीं है। चावल के साथ यदि कुछ वेजीटेबल हो तो खाया जा सकता है लेकिन उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो कि पाकिस्तान में बहुत थोड़ा चावल खाता था और अब चावल ही खाना पड़ता है तो वह अब अधिक खाता है और उसके बाद भी उसका स्वास्थ्य बना हुआ नहीं रहता है। इस प्रकार की व्यवस्था है कि न तो वहां पर कोई लेट्रीन्स का प्रबन्ध था, न पीने का पानी मिलता है। मैंने वैसे उस समय लेट्रीन्स के कन्सट्रक्सन का काम देखा था, शायद उसमें तो कोई प्रगति हुई होगी लेकिन जो पानी उपलब्ध हो रहा है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जितना पानी उनको दिया जा रहा था उसके लिए उनके पास बरतन नहीं था, खाने पीने के लिए कोई बरतन नहीं, बस एक थाली और कटोरी दी गयी और एक परिवार के लिए वह पर्याप्त नहीं है और एक परिवार के लिए छोटी सी वकट्स दी गयी हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं। एक एक परिवार में पानी भरकर रखकर तमाम

(श्री भैरोंसिंह)

दिन पीते रहें तो उसके लिए वह पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की छोटी-मोटी समस्यायें जिनका कि प्रशासनिक स्तर पर समाधान किया जाना चाहिये था--यदि सरकार कर देती तो खुशी की बात है, अगर नहीं की तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेडिकल एड देने का प्रश्न है, कपड़े देने का प्रश्न है आपने कपड़े बनवाने के लिए कुछ टैण्डर्स भी दिये हैं और कपड़े बांटे जायें तो मैं समझता हूं कि अच्छा होगा और वह जो विस्थापित पाकिस्तान से आये हैं वह भी महसूस करेंगे कि हम ज्यादा दुखी नहीं हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, कोई मतभेद जैसी बात नहीं है। मुझे जहां तक जानकारी है बल्कि मैं जब गया था उसके पहले ही जहां तक कपड़ों के वितरण का सवाल है कपड़ों का वितरण किया जा चुका था और लेडी डाक्टर भी वहां पर पहुंच गयी है और पीने के पानी के बारे में मैं गया तब भी कमी की शिकायत थी वह भी किसी हद तक दूर हुई है और दूसरे जैसे लेट्रीन्स वगैरह का सवाल है उसके बारे में भी कार्यवाही की गयी है। फिर भी और कुछ कमियां हैं कि जो राजस्थान के आधार पर दूर की जा सकती हैं या और तरह से मदद दी जा सकती है तो जरूर दी जायेगी। आखिर वह तकलीफ से आये हैं इसके सम्बन्ध में किसी के विरोध जैसी बात नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, बारां तहसील क्षेत्र में जो 7-8 गांव हैं जिनकी आठ हजार बीघा पार्वती कैनाल में पड़त रह गयी और वह लोग चिल्ला रहे हैं पानी के लिए उस सम्बंध में किसी प्रकार का वक्तव्य दिया जावेगा। इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूं और अभी तक इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आसन द्वारा इसका वक्तव्य दिलाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन-प्रस्ताव था, उसमें परिवार नियोजन के पूरे जिले के कर्मचारियों को करीब-करीब चार मास से वेतन नहीं मिल रहा है। वह विकट स्थिति में हैं। जिस विभाग के द्वारा जिन कर्मचारियों का...

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य। इस पर व्यवस्था दे दी गई है। कुछ कहना चाहते हों तो कह दें।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि जिस विभाग के कर्मचारियों को चार महीने से वेतन नहीं मिला हो उस विभाग के कर्मचारियों के साथ किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। इस मंहगाई के युग में वे किस प्रकार से अपना जीवन-निर्वाह कर सकते हैं। जो कर्मचारी 30 तारीख को

Page No 58

(श्री श्रवणलाल)

इस प्रकार से आशा लगाये बैठे रहते हैं और पूरे अन्य किसी पड़ौसी या दुकानदार से कर्जा लेकर चलाते हैं उन कर्मचारियों की इस प्रकार की स्थिति बनी हो कि चार मास से वेतन नहीं मिल रहा तो उनकी क्या हालत होगी ? मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि उन कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी उनका वेतन दिलाया जाय। अधिकारियों को बराबर मिल रहा है। इसका कारण भी बताया जाय कि किस कारण से उनका वेतन रोका गया है और क्यों अभी तक नहीं दिया जा रहा है ? मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि उनके लिए इमीजियेटली आपके द्वारा इस प्रकार के आदेश निकलने चाहिए और उन कर्मचारियों को इमीजियेटली वेतन मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत 12 तारीख को अलवर में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जिले के आबकारी विभाग के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस शख्स ने उसको पकड़वाया है उसके दफा 164 के मातहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी हो गये हैं। आज सुबह ही मुझे टेलिफोन मिला है कि वहां पर जितने भी लोग नाजायज शराब निकालते हैं वे गुण्डे रखते हैं और उनके गुण्डे सारे उन आदमी के पीछे पड़े हुए हैं और सारे अधिकारी आबकारी विभाग के भी और वहां के भी और वहां के भी लोकल अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी उस अधिकारी को जो कि पकड़ा गया है उससे हमदर्दी रखते हैं। उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है और उसको कब्जे में करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मुझे निवेदन करना है कि आज उस आदमी को जिसने शिकायत की थी गुण्डे उठाकर ले गये हैं। उसके साथ में सारे अधिकारी और शराब के ठेकेदार हैं और जो आबकारी के अधिकारी हैं और दूसरे लोग उसके बयान बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसको संरक्षण सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से कोई नहीं मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे यह सूचना मिली है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो अधिकारी हैं वे इस विभाग के जो जिम्मेदार मन्त्री हैं उनके कोई नजदीकी सम्बन्धी होते हैं या किसी तरह से वे उनमें इन्ट्रेस्टेड हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार...

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भाषण का सवाल नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। एक आदमी पकड़ा जाय और एक व्यक्ति सारे शासन के नोटिस में यह बात लाये, सारी गवर्नमेंट के नोटिस में यह लाये और जिस आदमी ने शिकायत की है उसको आपकी बदइन्तजामी की वजह से गुण्डे उठाकर ले जायें और उसको पुलिस का संरक्षण न

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मिले, जिले के सारे अधिकारी, कलेक्टर, एस. डी. ओ. उसके पक्ष में हों-उसको संरक्षण की कह रहा हूं। इस स्तर पर भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मन्त्री जी मौजूद हैं, मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं— उस व्यक्ति को संरक्षण दिया जाय। माननीय मुख्य मन्त्री जी, गृह मन्त्री जो उसको अपने पास बुला लें। उसको गुण्डे उठा ले गये हैं। उसकी जान भी जा सकती है। या उसको आबकारी विभाग के लोग ले गये हों तो उसको बचाने की कोशिश की जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि रामानन्द जी अग्रवाल ने बिल्कुल ठीक ही कहा है। अभी 5-6 महीने पहले सीकर में एन्टी करप्शन में किसी को पकड़वाया था तो पकड़ने वाले को पुलिस वाले तंग करते हैं, और उनको हर प्रकार से दबाते हैं और हरैस करते हैं। इसलिये मैं आपके जरिये से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो आदमी आपको सहयोग देता हो पकड़ाने में उसके साथ में जुर्म और अन्याय होता है कि उसको घर से निकाल दें। यही हाल सीकर में है। वहां भी ऐसे लोगों के साथ में जुर्म हो रहा है। बड़ी मुश्किल से जो यहां पर लोग इसके लिए तैयार होते है उनके साथ में इस प्रकार का हरैसमेंट होता है। मैं समझता हूं इसकी ओर तवज्जह करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब इसके लिए थोड़ा कड़ा कदम उठायें। यह अलवर का ही प्रश्न नहीं है। सीकर में भी दो तीन ही कल परसों के केसेज हैं जहां पुलिस की तरफ से दबाया जा रहा है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रियों के वक्तव्य।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का प्रश्न है।

कई माननीय सदस्य : आप इसको आने दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अलवर में एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट द्वारा किसी आफिसर को पकड़े जाने की बात है वह मेरी जानकारी में है। मगर जो कम्प्लेनेन्ट है उसके साथ में कुछ गुन्डों ने या और किसी ने कोई हरकत की हो या उसको पकड़ लिया हो या उसको हरैस किया हो यह मेरी जानकारी में, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस प्रकार की कोई कार्यवाही हुई होगी तो पुलिस तत्परता से दखल देगी और गुण्डों के खिलाफ कार्यवाही करेगी बशर्ते कि आप इसकी जानकारी दे दें कि कहां पर किस को उठाया गया है।

इसी तरह से दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है तो वहां की अगर वे मुझको जानकारी देंगे तो मैं कार्यवाही आवश्य करूंगा। किसी कम्प्लेनेन्ट को डिसकरेज करने के लिए अगर कोई

(श्री दामोदरलाल व्यास)

असामाजिक तत्व हैं और रामानन्दजी आप बतलायेंगे तो मैं अवश्य कार्यवाही करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरे जिले के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी और दूसरे विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मुझे इस बारे में डिटेल में बतलायें कि कौन राजस्व विभाग के अधिकारी हैं या दूसरे विभाग के अधिकारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने हरिजनों की फसल कुर्क करने के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव किया है। 17 परिवार ऐसे हैं जिनकी फसल को जबर्दस्ती कुर्क करके पटवारी की सुपुर्दगी में दे दी गई है। मुकद्दमे एस. डी. ओ. की कोर्ट में चल रहे थे। अदालत से फैसला हुआ और राजस्व अधिकारियों ने अत्याचार किया और उन लोगों की जमीनों पर नाजायज तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया है। उस झगड़े को लेकर फसलें कुर्क कर ली गई हैं। उन 17 परिवार का 20 साल से उन जमीनों पर कब्जा है। इस मामले में उच्चाधिकारी से जांच करवाई जाकर उनको फसल वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि चार साल के भयंकर अकाल के बाद उनके बच्चों के खाने के लिए फसल पैदा हुई है और उनको जबरदस्ती कुछ गुण्डे उस फसल को हड़प लेना चाहते हैं। इसलिए मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए यहां से किसी अधिकारी को भेजकर इस मामले की जांच करवाई जाय ताकि हरिजनों का हक उनको दिया जा सके।

श्री दुर्गालाल बाकड़दार (हवामहल, जयपुर) : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का प्रश्न है वे बच्चों को उपलब्ध नहीं होती हैं अभिभावक और बच्चे अपने पैसों से खरीदते हैं और राज्य सरकार को देना नहीं पड़ता है। फिर भी राज्य सरकार की अव्यवस्था के कारण पुस्तकें समय पर नहीं छपवाई जाती हैं और एक साल पूरा होने को है मगर बच्चों को किताबें नहीं मिलती हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आप अमहत्वपूर्ण बतलाते हैं। आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि यह इन्तजामी मामले हैं। बच्चों को वक्त पर किताबें दिलवाई जायें। अन्न मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए और कपड़ा मिलना चाहिए। ये सब करने की एलिमेन्ट्री ड्यूटीज राज्य सरकार की है। पढ़ने के लिए बच्चों को पुस्तकें भी मिलना चाहिए। उनको समय पर पुस्तकें नहीं मिलती हैं तो बच्चों को अखरता है, उनके अभिभावकों को अखरता है। एक तरफ तो आप राष्ट्रीयकरण करते हैं तो पुस्तकें समय पर छपवाने का दायित्व तो आपका है पुस्तकें सप्लाई करने का उत्तरदायित्व आपका है। सारा सालभर निकल जाय और बच्चे पैसे लिए इधर से उधर बाजारों में घूमते रहें और लम्बी कतार में लगे खड़े रहें और फिर भी किताबें नहीं मिलती हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप केवल, राज्य सरकार से यह आश्वासन दिला दें कि इसका इन्तजाम हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करिये, वे आश्वासन दे रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : जी, उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़दार साहब ने स्थगन-प्रस्ताव दिया है उसमें कुछ पुस्तकें नहीं मिलने का उल्लेख किया है और खास तौर से यह कहा है कि कक्षा 5 के भूगोल की किताब उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि कक्षा 5 में भूगोल की कोई किताब नहीं है। समाज विज्ञान की किताब में भूगोल का चेप्टर होता है।

श्री उपाध्यक्ष : समाज-विज्ञान की किताब को ही भूगोल की किताब कहते हैं, इसलिए कहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वे यह जानते हुए भी यह बात कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : भूगोल की किताब के नाम से बच्चे आपसे मांगते होंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा ख्याल है कि आपके बच्चे नहीं हैं इसलिए आप नहीं जानते हैं कि पढ़ाई का इन्तजाम कैसे होता है? भूगोल का विषय उसमें पढ़ते हैं तो उस आधार पर वे कहते हैं कि भूगोल की किताब है क्या?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल: ज्यादा बच्चे होते हैं तो मां-बाप को ऐसे ही मुगालता देते हैं।

श्री बालसिंह सोढा : मेरे द्वारा एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। उसके लिए शासन द्वारा जानकारी कराई जाये। पीने के पानी का प्रश्न है। राज्य सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। 1966 के···

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। जानकारी जल्दी दे दी जाएगी।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय, 12 हजार लोगों का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में जानकारी देने की शासन ने व्यवस्था दी है। माननीय मन्त्री महोदय ने हां कह दिया है। फिर भी हां ना में न बदल जाये। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : राज्य सरकार बदले नहीं। 19 तारीख से पहले राज्य सरकार सदन में निर्णय करे। आप इस बात की व्यवस्था करें कि 19 तारीख को निश्चित तौर से इस पर व्यवस्था की जाये। जनसंघ के साथ जैसा हुआ वैसा न हो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री केसरीसिंह हाडा : केशवराय सहकारी शुगर मिल के सम्बन्ध में·····

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी मांगी है।

श्री केसरीसिंह हाडा : केशवराय सहकारी शुगर फैक्ट्री 2 करोड़ 7 लाख की लागत की फैक्ट्री है। 26 फरवरी को उसका उद्घाटन हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 29 फरवरी को हुआ था।

श्री केसरीसिंह हाडा : वह फैक्ट्री ठप्प हो गई है। उसमें 25-25 लाख के शेयर गवर्नमेण्ट के हैं। वहां गन्ना उत्पादन जिन लोगों ने कर रखा है, उनको नुकसान होने

(श्री केसरसिंह हाडा)
वाला है। सरकार को एक वक्तव्य देने का आदेश होना चाहिए। जो परिस्थिति है वह मन्त्री महोदय स्पष्ट कर दें। आखिर वह कब तक चालू होगी? जब कि सीजन आ रहा है उसका चलाना जारी है।

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, टर्बाइन खराब हो गया था। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि वह चलेगी और इसी सीजन में चलेगी।

श्री केसरीसिंह हाडा : 13 तारीख को मन्त्री महोदय ने अखबारों में एक वक्तव्य दिया था कि केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल चल रही है। यह असत्य वक्तव्य दिया गया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मन्त्री महोदय कह देते हैं कि फैक्ट्री चालू हो जाएगी। मैं निवेदन करूंगा कि 2 टर्बाइन बेकार हैं। एक भी ठीक नही होगा। वहां फैक्ट्री प्लाण्ट मांगा गया है। राजस्थान सरकार से 50 लाख रुपये की मांग की जा रही है। न वह रुपया पहुँचेगा और न वह शुरू होने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कितना प्रोडक्शन है? क्या फैक्ट्री की स्थिति है? स्टेटमेण्ट आना चाहिए। इतना ही काफी नहीं है कि फैक्ट्री चालू हो जाएगी।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, गये वर्ष पहला वर्ष था। गन्ना लेने की जितनी स्थिति थी उतना लिया। उसके बाद टरबाइन खराब हो गया। वह कम्पनी को भेजने के लिए लिखा गया। अब सीजन में फैक्ट्री चलेगी। जितना माननीय सदस्य ने कहा है, लगता है, माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है। 13 लाख रुपया दिया जा चुका है। इस बात को 15-20 दिन हो चुके हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि गत वर्ष 9 हजार एकड़ में गन्ना था। आज वहां 3 हजार एकड़ भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपसिंह।

श्री रूपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन नामंजूर हो गया है। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। वहां 4 हजार की पापुलेशन है। वहां पानी का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री द्वारा वक्तव्य।

श्री बालसिंह सोडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी में कितने दिन लगेंगे? जो कह दिया गया है कि जानकारी की जाएगी। अगर विलम्ब किया जाये तो शासन को कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये। हजारों आदमियों के पेयजल का संकट है। 19 तारीख को सत्र समाप्त हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले उत्तर आ जायेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : सरकार के समक्ष रखा हुआ है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एमरजेंसी का प्रश्न है। सरकार को प्रकाश डालना चाहिए। शीघ्र से शीघ्र प्रकाश डालना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने एक प्रश्न रखा था।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा, वह यह है, माननीय सदस्य नत्थोसिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है, वह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सरकार की रीति नीति अस्पष्ट है। सरकार ने एक वक्तव्य भी दिया था विधान सभा में बोला गया। उसकी पुष्टि में यह संकेत किया गया था कि पंचायत समितियों के चुनाव दिसम्बर या जनवरी में होंगे। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है माननीय सदस्यों की उग्रता के साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। मैं यह जानना चाहता हूं और यदि यह सम्भव हो, तो सरकार पंचायतों के चुनाव आया दिसम्बर या जनवरी में निश्चित रूप से करायेगी या नहीं ? कोई जवाब नहीं मिलेगा तो, मैं यही समझूंगा कि नहीं होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य।

श्री लक्ष्मण सिंह : अपने पड़ोसी पर हम विशेष आक्षेप नहीं कर सकते हैं लेकिन मेरा अधिकार है प्रश्न पूछने का, वह कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी।
आर्डर प्लीज। वक्तव्य।

एक माननीय सदस्य : मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970, कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार 19 तारीख को डिस्कस होगा इसलिए राजस्थान सरकार 19 तारीख को अपना स्पष्टीकरण करेगी।

शासकीय वक्तव्य

भूतपूर्व राजाओं के प्रीवीपर्स सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्ष : मुख्यमन्त्री जी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामानन्द अग्रवाल ने भूतपूर्व राजाओं से सम्बन्धित सुविधाओं के बारे में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसके सम्बन्ध में मैं निम्न वक्तव्य देता हूं।

भूतपूर्व राजाओं की राष्ट्रपति द्वारा मान्यता समाप्त करने सम्बन्धी आदेशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कदम नहीं उठाये गये हैं-ऐसा श्री रामानन्द अग्रवाल ने लिखा है—यह सही बात नहीं है। राज्य सरकार ने भूतपूर्व राजाओं की मान्यता समाप्ति पर उनकी तत्सम्बन्धित रियायतें एवं विशेषाधिकार समाप्त करने की कार्यवाही की है। इस सम्बन्ध में निम्न विवरण मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न उठाया गया है कि भूतपूर्व राजाओं के पास जो कृषि की जमीन हैं उन पर अब सामान्य कानून क्यों नहीं लागू कर दिया जाता। राज्य सरकार ने तो काफी समय पूर्व ही राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की समाप्ति अवाप्ति अधिनियम, 1963 बना कर इस सम्बन्ध में कदम उठाया था। इसके अन्तर्गत भूतपूर्व राजाओं की कृषि भूमि, जो कि निजी सम्पत्ति में है, राज्य सरकार

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में निहित हुई किन्तु मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के सामने चला गया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उस अधिनियम की कुछ धाराओं को अवैध करार कर दिया है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अपील कर रखी है जो इस समय डिविजन बेंच के समक्ष विचाराधीन है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त भूमि के मुआवजे स्वरूप शुद्ध आय को केवल 7 गुना रकम देने का प्रावधान है। सीलिंग लॉ के अन्तर्गत मुआवजा की रकम लगान की 20 से 30 गुणा तक है। किस नियम के अन्तर्गत भूतपूर्व नरेशों की कृषि भूमि को अवाप्त किया जाय, इस प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

भूतपूर्व नरेशों को चुंगी कर, हाउस टैक्स, मोटर वाहन के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि से जो मुक्ति थी उसे समाप्त करने के सम्बन्ध में नियमों में आवश्यक संशोधन किया जा चुका है एवं आज्ञा भी प्रसारित की जा चुकी है।

भूतपूर्व नरेशों के पास जो हथियार हैं उनके लाइसेन्स के सम्बन्ध में हथियार के लाइसेन्स की छूट एवं उस पर लाइसेन्स फीस न लगाने का जो प्रावधान केन्द्रीय नियमों के अन्तर्गत है। यह जानकारी मिली है कि भारत सरकार इस अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने की दिशा में कार्यवाही कर रही है। आवश्यक संशोधन के पश्चात् भूतपूर्व नरेशों को भी इन हथियारों के लिए स्वतः ही लाइसेन्स आदि प्राप्त करना पड़ेगा।

राजाओं की मान्यता समाप्त होने के साथ साथ सरकार द्वारा उनको जो कर-मुक्त शराब दी जाती थी, उसकी छूट समाप्त कर दी गई है। आबकारी कानून . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक्साइज की।

आबकारी कानून के तहत अन्य नियमों से तो पहले भी उन्हें छूट नहीं थी। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इन नरेशों के पास मान्यता समाप्ति के दिन जो शराब का स्टॉक था उस पर भी आबकारी कर वसूल किया जाना चाहिए। 6-9-70 के पूर्व जो कर-मुक्त शराब इन नरेशों को नियमानुसार इश्यु हो चुकी थी उस पर 6-9-60 के बाद वसूली करना वैध नहीं समझा गया।

भूतपूर्व राजाओं को अपने पुराने झण्डों एवं अन्य चिन्हों का इस्तेमाल रोकने के बारे में भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वह स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

भूतपूर्व राजाओं को जो राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क गार्ड दी हुई थी वह गार्ड हटा ली गयी है। कुछेक महाराजाओं को पानी एवं बिजली की सुविधा मुफ्त देने का प्रावधान था उस सुविधा को समाप्त करने सम्बन्धी आदेश 1967 में ही राज्य सरकार द्वारा निकाले जा चुके थे। मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं को समाप्त करने सम्बन्धी आवश्यक निर्देश राष्ट्रपति के अध्यादेश के पश्चात् निकाले जा चुके हैं।

माननीय सदस्य ने एक यह भी सुझाव दिया है कि भूतपूर्व राजाओं के सगे-सम्बन्धियों

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यों आदि को भी जो एलाउन्स मिलते थे वह सब भी बन्द कर दिये जावें। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्टिकरण करना चाहूंगा कि ये भत्ते प्रिवीपर्स से सम्बन्धित अध्यादेश की परिभाषा में नहीं आते हैं। अधिकांश केसेज में यह अलाउन्स बहुत ही छोटी मात्रा के हैं। भारत सरकार से भी इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है कि जो अलाउंन्स भूतपूर्व राजाओं सम्बन्धियों को अथवा महलों के पुराने नौकरों को अथवा अन्य व्यक्तियों को जो राज्य के विलय होने के पूर्व में मिल रहे थे तथा बाद में भी राज्य सरकार द्वारा दिये जाते रहे हैं उनको बन्द करना नियमसंगत तथा तर्कसंगत न होगा, अतः राज्य सरकार द्वारा यहि निर्णय लिया गया है कि प्रिवीपर्स से भिन्न जो गुजारा भत्ता, खाना पीना, अलाउन्स पेंन्सन आदि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही थी उनको पूर्ववत् ही चालू रखा जावे।

इसी प्रकार से जो माननीय सदस्य का राजाओं की निजी सम्पत्ति को भी कब्जे में लेने सम्बन्धी सुझाव है वह सम्भव नहीं लगता। राष्ट्रपति के 6 सितम्बर 1970 के आदेश राजाओं के प्रिवीपर्स एवं उनके विशेष सुविधाओं से सम्बन्धित हैं न कि उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में। जो भूतपूर्व राजाओं के मछली पकड़ने, शिकार करने, जंगलों आदि के घास-चारा या ईधन लेने के विशेषाधिकार थे, उनको समाप्त करने सम्बन्धी आवश्यक निदेश भी दे दिये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि कृषि भूमि के सम्बन्ध में आपने जो कहा है कि हाई कोर्ट में आपकी अपील चल रही है, तो वह अपील तो उस कानून के सम्बन्ध में चल रही है जिसे 1964 में पास किया। प्रश्न अब यह उपस्थित होता है कि डिरिकगनीशन के बाद वह जमीन, जो राजाओं के पास है, उस जमीन पर सामान्य कानून लागू हो गया। हाई कोर्ट में जिस बिना पर राजा लोग रिट में गये थे वह इस बिना पर गये थे कि एज रूलर्स उनको वह भूमि मिली हुई है और राज्य सरकार को इस प्रकार का कानून पास करने का अधिकार नहीं है। अब डिरिकगनीशन के बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई है। वह रूलस रहे नहीं और बुनियादी कोई कानून को चेलेंज नहीं कर सकते। बहरहाल, अब डिरिकगनीशन के बाद जो भूमि, कृषि भूमि उनके पास है उन पर सामान्य तौर से कानून, लैंड रेवेन्यू एक्ट, टिनेन्सी एक्ट वगैरह लागू होते हैं, लेकिन अभी तक वह लगान नहीं देते हैं या कुछ लोग हैं, जो राज्य सरकार का अधिकार लगान वसूल करने का है या नहीं–इसको चैलेंज करते हैं तो उसके बारे में राज्य सरकार की क्या मान्यता है ? क्या राज्य सरकार यह नहीं मानती है कि जो भूतपूर्व राजा लगान इस बिना पर नहीं देते थे। राजा होने के नाते जिन्होंने लगान दिया नहीं, अब उनके सम्बन्ध में स्थिति परिवर्तित हो गई है और जहां तक सीलिंग कानून को लागू करने का प्रश्न होता है वहां उनको सात गुना उस सीलिंग कानून के तहत ज्यादा देना पड़ेगा–तो यह प्रश्न विचाराधीन हो सकता है लेकिन प्रश्न अब यह है कि जो लगान देना चाहिए राजाओं को, जो लगान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उनमें बकाया है, वह अब इस तरीके से वसूल होना चाहिए–इसके बारे में राज्य सरकार ने क्या कोई कदम उठाया है या नहीं ? यह जो परिवर्तित स्थिति है, उसके मुताबिक राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक राज्य सरकार उस पूर्व स्थिति को मान कर चल रही है, जो उचित नहीं है । फालो अप एक्शन के रूप में राजाओं के लैंड पर लैंड रेवेन्यू एक्ट, टिनेन्सी एक्ट लागू हो गया और राजाओं के लिए लैंड रेवेन्यू देय हो गया । क्या राज्य सरकार इन राजाओं से अब लैंड रेवेन्यू वसूल करना चाहती है ।

दूसरा प्रश्न, जहां तक टैक्स का प्रश्न है । चुंगी कर, हाउस टैक्स इनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है । मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के अन्दर अभी तक कोई भी, किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट नहीं किया गया है जब तक आप अमेन्डमेन्ट एक्ट में नहीं करते हैं तब तक रूल्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता है ।

इसी प्रकार से पंचायत अधिनियम के तहत भी राजाओं को छूट है और म्युनिसिपैलिटीज एक्ट के तहत भी राजाओं को टैक्सेज से छूट है, जब तक आप इनमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है । इसलिये मैं जानना चाहूंगा, आबकारी के बारे में, हाउस टैक्स के बारे में आपने कौनसे नियमों में किस प्रकार का परिवर्तन किया है जिससे आप यह मानते हैं कि इस प्रकार यह टैक्स अब राजाओं से वसूल होने योग्य हो गया है ? जहां तक मैंने जानकारी प्राप्त की है, अभी तक किसी भी म्युनिसिपल कमेटी को, पंचायत को या पंचायत समिति को आपकी तरफ से इस प्रकार के निर्देश नहीं मिले हैं, डिरिकगनीशन के बाद में इस प्रकार से यह कर वसूलने के योग्य हो गया है ? आप यह पोजीशन मान कर चलें कि उस कानून में जो प्रावधान था वह रूलर के लिए था, अब चूंकि कोई रूलर रहा नहीं इसलिए वह प्रावधान डिफन्क्ट हो गया तो इस प्रकार भी आपने अपनी तरफ से इन्टरप्रिटेशन या इस प्रकार का निर्देश किसी भी म्युनिसिपैलिटी या पंचायत को भेजा नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं । प्रश्न पूछना चाहें वह पूछ लीजिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न रूप में ही पूछ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो दोहरा रहे हैं बार-बार उसी आर्गुमेंट को ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तीसरा प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं शराब के बारे में जानना चाहूंगा मुख्य मन्त्रीजी से कि 6–9–70 को जो स्टाक था, आपने कहा कि राज्य सरकार ने उचित नहीं समझा उस पर आबकारी कर लेना। तो क्या कानूनी तौर से वसूल कर सकते थे या नहीं ? मैं समझता हूं कि कानूनी तौर से वसूल कर सकते थे । तो जब कानूनी तौर से वसूल कर सकते थे तब भी औचित्य समझ कर नहीं किया है या कानूनी तौर पर सरकार अपना अधिकार नहीं मानती है ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं समझता हूं, कानूनी तौर पर आपको अधिकार प्राप्त है। जहां तक उनके अला-उन्सेज वगैरह जो उनके परिवार के दूसरे मेम्बर्स को देने का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है उनको आप गुजारा दें, मुझे कोई एतराज नहीं। उनका गुजारा इन्स-फीशियंट हो, बढा दें तो भी मुझे एतराज नहीं लेकिन एतराज इस बात से है कि क्या आप उसको उसी पुराने राजाशाही तरीके से उस सिस्टम से सम्बद्ध करना चाहेंगे या नया कानून बना कर जैसे ओल्ड एज पेन्शन रूल्स या जो डिजेबल्टी सफर करते हैं उनको मदद देने के रूल्स अगर कोई नया कानून बना कर उनको मदद दें, आर्थिक सहायता दें तो उसमें भी कोई एतराज नहीं लेकिन यदि कोई राजा का दरबान था, चपरासी था, इस नाते दें तो वह एतराज योग्य बात है।

प्राइवेट प्रापर्टी के सम्बन्ध में आपने यह जो कहा है उस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्वेन्टरी है उस इन्वेंटरी का अगर मुलाहिजा करें तो उनको मछली पकड़ने, घास लाने ये चीजें जिनको प्रिविलेज मानते हैं, ये प्रिविलेजिज इसी इन्वेंटरी के अन्दर दर्ज हैं जिनके अन्दर प्राइवेट प्रापर्टी की लिस्ट दर्ज है। जब हम मुख्य मन्त्री से मिले थे तो उन्होंने इस प्रश्न को ला डिपार्ट-मेंट से और एग्जामिन कराने के लिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न पर मुख्य मंत्री ने ला डिपार्टमेंट से या केंद्रीय ला मिनिस्ट्री से लीगल ओपीनियन ले ली है कि राजाओं के डीरेकग्नीशन के बाद अब इस इन्वेंटरी की क्या हैसियत रह गई? जैसे कोई प्रोपर्टी में दर्ज है जयपुर का जैसे चन्द्र महल है, उसको इस प्रापर्टी के तहत राजा की प्राइवेट प्रापर्टी नहीं बल्कि उसका पब्लिक ट्रस्ट क्रीएट होना चाहिए और परटी-क्यूलर डेट पर अगर रूलर क्रीएट नहीं करे।....

श्री मदनसिंह : इट बिलोंग्स टु अस।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जैसे बताया गया है सारी की सारी जमीन स्टेट की प्रापर्टी थी, इन्वेंटरी में भी लिखा है, अब वह प्राइवेट प्रापर्टी के रूप में अलग बिल्डिंग के तरीके से बनाली और कितने राजाओं ने इन्वेंटरी के कुछ जवाहरात हीरे आदि उन लोगों के कब्जे में छोड़ दिए ताकि सेरीमोनियल तरीके से वे इस्तेमाल करें, वह उनकी निजी संपत्ति नहीं है, राजकीय संपत्ति है। मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की प्रोपर्टी की क्या हैसियत है क्योंकि सेरीमोनियल वह रस्म वगैरह अब माने जाने का सवाल पैदा नहीं होता, कोई रूलर नहीं रहा है इसलिए जवाहरात''

श्री मदनसिंह : कम्यूनिस्टों को तो खाद गोबर लीद की स्वात करनी चाहिये, आप हीरों की बात क्यों करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : और मौके मिलेंगे आपको''''

श्री मदनसिंह ; आप कहें कि राजाओं को फांसी लगा दें तो''

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर फांसी की जरूरत पड़ेगी तो यह इस सरकार के बस का रोग नहीं है।

(श्री रामनन्द अग्रवाल)

(1.15 बजे)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति तपदासीन)

इस तरीके से जिस इन्वेंटरी के अन्दर जवाहरात वगैरह हैं, लिस्ट में दर्ज हैं जिसके अन्दर कहा गया है कि स्टेट प्रोपर्टी होगी, सेरीमोनियल समय पर राजा लोगों को उनको इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। अब ऐसे ज्वेल्स को क्या स्थिति है आया राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए हैं या उन्हीं राजाओं के कब्जे में अभी भी छोड़ रखे हैं।

इसी प्रकार से जो शिकार के अधिकारी थे आपने बन्द कर दिए जैसे सवाई माधोपुर फारेस्ट में कई चोकियां बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो शिकार के लिए राजा लोग इस्तेमाल करते थे क्या इसी प्रापर्टी को राजाओं की मानते हैं या कानून के अनुसार जब शिकार के अधिकार खतम हो गये, तो आग्जीबियरी जो अधिकार थे वे खतम हो जाते हैं और क्योंकि स्टेट प्रापर्टी के अन्दर स्टेट फारेस्ट के तहत सारे के सारे खतम हो जाते हैं।

झंडा व एम्बलेम के बारे में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जानकारी चाहने की बात कही। इसमें जानकारी करने की क्या बात थी? अगर कोई राजा लोग यह जो झंडा या एम्बलेम जो आज भी राजाशाही के झंडे हैं, उनकी आफिशियल पोजीशन पुराने ट्रेडीशन के नाते हैं, रिकग्नाइज्ड पोजीशन नहीं है, तब रूलर नहीं हुआ, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब भवानी सिंह रूलर नहीं हैं तो जयपुर स्टेट का जो एम्बलेम था, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह पुराने ट्रेडीशन को बेइज्जती होगी। कल कोई सरकार मानले तो अनअथोराइज्ड होगा अगर भवानीसिंह उसका इस्तेमाल करे। बाकी और कोई झंडा बनाले जैसे ड्राइवर अपने ट्रकों पर झंडे लगाकर चलते हैं इस तरह से राजा लोग अपने झंडे बना लें, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जैसे विजयसिंह जी अपने कोट पर लगाते हैं, इसी तरह भवानीसिंहजी लगा दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सवाल यह है कि आफीशियली मान्यता प्राप्त जो एम्बलेम है, जिसको राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार स्वीकार करती आई है और आगे उसकी क्या स्थिति होगी, कह नहीं सकते, उस बारे में क्या स्थिति है।

श्री मदनसिंह : आपका अर्थ है कि अपने झन्डे के बजाय····

श्री रामानन्द अग्रवाल : तमाम प्रश्नों में मैं कह सकता हूं कि राज्य सरकार को जो फालो अप एक्शन लेना चाहिए था वह अभी तक नहीं लिया है और ऊपरी तरीके से छोड़ दिया है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी जो मैंने प्रश्न प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण दें।

श्री रामकिशन (वैर): एक प्रश्न मैं भी जानना चाहूंगा। अभी आपने फरमाया कि जो गुजारा भत्ता मिलता था भूतपूर्व राजाओं के परिवार वालों को वह चालू रहेगा। दो प्रकार के गुजारे भत्ते हैं। वर्तमान नरेश जो भूतपूर्व नरेश बन गए उनके तत्कालीन जो भाई भतीजे वगैरह थे क्या उनके गुजारे भत्ते भी चालू रहेंगे

(श्री रामकिशन)

या जैसे पूर्वजों को मिलता था वह मिलता रहेगा ? भरतपुर में जितने गुजारे भते थे बंद हो गए, पेमेंट नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार को इस संबंध में क्या कहना है ?

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी मैं भी चाहूंगा राजा महाराजाओं के डीरिकग्नीशन के बाद यह सही है कि प्रिवीपर्सेज खतम हो गए और उस कारण उनके खर्चे कम हो गए। इसमें किनेको गुजारा मिलता था या नहीं, यह भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों किस प्रकार से तय करती हैं, उन पर निर्भर करेगा लेकिन राजा महाराजाओं के जितने कर्मचारी थे उनकी छंटनी उन्होंने पहले से शुरू कर रखी है और काफी संख्या में लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उनके लिए मुझे याद है कि जब जागीर रिजम्शन एक्ट आया था तो जागीर कर्मचारियों को रिहेबिल्टेट करने का दायित्व राज्य सरकार ने अपने ऊपर लिया था। आज उन लोगों के सामने जो बेकारी की समस्या खड़ी है, उस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है। इस प्रश्न पर भी मुख्य मन्त्री सदन को जानकारी दें। शांति सेना में भर्ती करें या कांग्रेस पार्टी में भर्ती करें लेकिन उनकी रोटी की व्यवस्था हो जाय।

श्री मदनसिंह : दो तीन गुजारेदार बैठे हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के प्रश्न का····

श्री विजयसिंह : गांधीजी की फौज में भर्ती होकर तो उसका सत्यानाश कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार से इन दोनों प्रश्नों पर उत्तर चाहूंगा। यदि राजा की सर्विस में रहते तो उनको भविष्य निधि को कुछ मिलता। उनकी सेवा में वे थे और राजाओं का डिरिकाग्नीशन हो गया तो वे सेवा–मुक्त कर दिये गये। उनके रिएम्प्लायमेंट का क्या विचार कर रहे हैं। इन दोनों प्रश्नों पर मुख्य मन्त्रीजी अपने विचार रखें।

श्री सभापति : मुख्य मन्त्रीजी।

श्री केदारनाथ : एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि फौरिन बैंक्स में जो पहले बेलेन्स अकाउन्ट्स थे उनको पर्सनल प्रोपर्टी मानेंगे या क्या मानें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सभापति महोदय, एक प्रश्न यह उठाया गया कि जो जमीनें हैं उन पर लगान और दूसरे कानून जो सब पर लागू होते हैं वे उन पर लागू होंगे या नहीं। यह स्थिति तो स्पष्ट है कि डिरिकाग्नीशन के बाद जो भी जमीन उनके पास है जो नियमों के अनुसार दूसरों पर लगान लागू होता है वह उन पर भी लागू होगा उसमें कोई अन्तर नहीं हो सकता।

दूसरा प्रश्न यहां पर उठाया गया रिजम्पशन के बारे में। मैं समझता हूं माननीय सदस्य भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि कौन से कानून के तहत जमीन को रिज्यूम किया जाय उसको पूरे तौर से देखा जाय और देख कर उस पर हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद महीने भर में किसी परिणाम पर पहुंच जावेंगे कि कौनसे कानून का उपयोग उस पर ठीक है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तीसरा प्रश्न यह उठाया गया कि प्रोपर्टी और ओर्नामेन्ट्स स्टेट के समझ कर उनको सेरिमोनियल परपज के लिये यूज के लिये दे दिये जाते थे। मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसे क्या ओर्नामेन्ट्स हैं जो स्टेट के कब्जे में रहते थे और सेरिमोनियल परपज के लिये उनको दे दिये जाते थे। यह मेरी जानकारी में नहीं है कि उनको सेरिमोनियल परपज के लिए दे दिये जाते थे वे ग्रार्नामेन्ट्स वरना स्टेट को बिलोंग करेंगे। कानूनी दृष्टि से यह स्थिति स्पष्ट न हो कि वह प्रोपर्टी पर्टीकुलर परपज के लिए ही दी जाती थी और वह स्टेट को बिलोंग करती थी, कवेनेन्ट में मुवेबल प्रोपर्टी के बारे में जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा कि, काफी बैंकों में धन जमा है, कोई जिक्र नहीं है।

भत्तों के बारे में भी प्रश्न उठाया गया। मैंने निवेदन किया था कि इस सम्बन्ध में हमने स्वयं ने भारत सरकार से स्पष्टीकरण चाहा है और जो स्पष्टीकरण दिया है उसके अनुसार ही मैंने आपके सामने यह उत्तर प्रस्तुत किया है। उसमें उनके रिश्तेदार भी आजाते हैं, सगे सम्बन्धी भी आ जाते हैं और कर्मचारी भी आते हैं। जो सब उसमें सम्मिलित हैं।

एम्प्लोइज जो भूतपूर्व राजा महाराजाओं के यहां थे इस कानून की वजह से, डिरिकाग्नीशन की वजह से, उन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में क्या व्यवस्था हो उसके लिये माननीय सदस्य भी इस बात को मानेंगे कि राजस्थान सरकार यह सारा भार वहन नहीं कर सकती है। यह अखिल भारतीय प्रश्न है। केवल एक स्टेट में भी यह समस्या नहीं खड़ी हो रही है किन्तु सब स्टेट्स में यह समस्या है। इसलिये उसके लिये क्या किया जाय उस पर बातचीत करके क्या रास्ता निकल सकता है उस पर बाद में विचार किया जावेगा।

जो प्रश्न यहां उठाये गये हैं उनका संक्षेप में जिक्र किया है। म्युनिसिपल टैक्सों के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है उसको विस्तार से एक्जामिन कर लेंगे, रूलर्स के नाम से कोई एक्जम्पशन नहीं है। मैं निवेदन कर दूं कि रूलर्स को पर्सनल प्रोपर्टी पर एक्जम्पसन था। अब रूलर्स ही नहीं रहे तो ओटोमेटिकली वह समाप्त हो गया। ऐसे आदेश जारी कर दिये गये हैं। उसका तात्पर्य यही है कि अब कोई रूलर्स नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जेवरात वगैरा की इन्वेन्टरी, लिस्ट में आज नहीं लाया हूं, है उसमें साफ है कि ये जेवरात स्टेट की प्रोपर्टी है, सैरिमोनियल परपज के लिये उसको रख सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उसको हम चेक अप करा लेंगे।

श्री सभापति : गंगानगर में रेल्वे गेट पर हुई घटना के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायगा।

श्री दिग्विजयसिंह : रामानन्दजी के पास अलवर दरबार का सरपंच है उसका क्या हुआ?

गंगानगर में रेल्वेगेट पर गेटमैन द्वारा दरवाजा बन्द करने, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी तथा रेल्वे कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य :—

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री-गृह) : माननीय श्री रामचन्द्र आर्य ने 4 नवम्बर, 1970 को तथा माननीय श्री केदारनाथ एवं चार अन्य सदस्यों ने दिनांक 9 नवम्बर को गंगानगर में रेल्वे गेट नम्बर 118 पर गेटमेन द्वारा दरवाजा बन्द करने, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करना व रेल्वे कर्मचारियोंकी हड़ताल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति इस प्रकार है :

दिनांक 3–11–1970 को दोपहर बाद 3.45 पर अधीक्षक आरक्षी गंगानगर अपनी सरकारी जीप में जा रहे थे तथा रास्ते में गंगानगर सिटी का रेल्वे लेवल क्रासिंग था। रेल्वे गेटमैन क्रासिंग का अगला दरवाजा बंद करने जा रहा था और पिछला गेट अभी खुला था। इस बीच में अधीक्षक आरक्षी की जीप पिछले खुले हुए गेट से लेवल क्रासिंग के अन्दर आ गयी थी। अधीक्षक आरक्षी की जीप को वापस लौटाने का प्रयास किया तब तक गेटमेन ने पिछला गेट भी बन्द कर दिया जिसके फलस्वरूप अधीक्षक आरक्षी की जीप दोनों गेटों के बीच रुक गयी और किसी दिशा में नहीं जा सकी। अधीक्षक आरक्षी ने गेटमेन से किसी भी दिशा में गाड़ी निकल जाने के लिये गेट खोलने के लिये कहा परन्तु गेटमेन ने ऐसा नहीं किया और वह स्टेशन को चला गया। इस कार्यवाही से जीप व रेलगाड़ी में टक्कर होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। अधीक्षक आरक्षी ने कुछ समय तक इन्तजार किया फिर मजबूरन गाडी को गेट के सहारे लगा कर वहीं छोड़ दिया व स्वयं कोतवाली पहुंचे जहां पर थानेदार को उचित कार्यवाही करने के लिये कहा जिसके फलस्वरूप उसी दिन 5.10 सायं मुकदमा जेर दफा 336।342 ता. हि. गेटमेन श्री रणधीर सिंह के विरुद्ध दर्ज किया गया। तत्पश्चात् जमानत पेश करने पर उन्हें शीघ्र ही रिहा किया गया।

रेल्वे कर्मचारियों ने स्टेशन मास्टर व अन्य राजनैतिक तत्वों के प्रभाव से अनधिकृत हड़ताल कर दी जिसके फलस्वरूप दिनांक 3–11–70 को साढ़े पांच बजे सायं से दिनांक 4 नवम्बर 1970 के बाद दोपहर तक कोई भी ट्रेन का आना जाना नहीं हुआ।

कुछ लोगों ने बाजार की हड़ताल करवाने की कोशिश की परन्तु दुकानें पूर्ण रूप से खुलीं और बाजार में शान्ति बनी रही। दिनांक 4–11–70 को राज्य मन्त्री, श्री मनफूलसिंह व डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट उत्तरीय रेल्वे बीकानेर की आपसी बातचीत के बाद यह हड़ताल समाप्त हुई। इस बातचीत के बाद जिलाधीश गंगानगर को इस घटना की जांच पर एक पखवाड़े में रिपोर्ट पेश करने के लिये आदेश भेज दिये गये हैं। ए. एस. पी. का स्थानान्तरण किया जा चुका है। जिलाधीश की जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

जहां तक राज्य मंत्री श्री मनफूल सिंह द्वारा मुख्य मंत्री की तरफ से आश्वासन नेदे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

का प्रश्न है, जांच करने व ए. एस. पी. के स्थानान्तरण के लिये मुख्य मंत्री से फोन से बात हुई थी और इसी आधार पर हडताल समाप्त करने के लिए व बातचीत करने को कहा गया। परन्तु अधीक्षक आरक्षी के स्थानान्तरण के लिये मुख्य मंत्री ने कोई आश्वासन नहीं दिया। सम्भवतः टेलीफोन पर वार्ता होने में कोई भ्रम उत्पन्न हो गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, यहां जो स्टेटमेण्ट दिया गया है यह बिल्कुल फाल्स है सही नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : पहले एक जानकारी दे दी जाय कि जो पत्र की फोटोएस्ट कापी सदन में प्रस्तुत की गई थी वह सही है या नहीं सरकार उसको स्वीकार करती है या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सरकार के पास तो वह फोटो एस्ट कापी आयी नहीं है यहां जरूर पेश की गई है।

श्री भैरोंसिंह : हाउस में पेश हुई है उसको आपने देखा नहीं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : वह राज्य मंत्री मनफूलसिंहजी के पत्र की फोटोएस्ट कापी है इसको हम मन्जूर करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, जो गृह मंत्रीजी ने स्टेटमेण्ट दिया है उसमें यह कहा गया है कि गेटमेन ने उनकी जीप आने के बाद में गेट को बन्द किया है यह बिल्कुल गलत है। जिस समय एस. पी. की गाड़ी आयी गेट एक तरफ से बन्द हो चुका था उस समय गेटमैन पर जान बूझ कर दबाव डाला गया कि तुम यह गेट खोल दो। उस समय गेटमैन ने कहा कि मजबूरी है। मुझे आदेश है गाड़ी आ रही है मैं नहीं खोल सकता। इस पर उन्होंने जबरदस्ती उस गेट को खोलना चाहा। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि जान बूझ कर गेटमैन ने गेट बन्द कर दिया क्या इस रिपोर्ट को आप सही मानते हो क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसी के लिये तो कलेक्टर को इन्क्वायरी अधिकारी मुकर्रर किया है। इन्क्वायरी पर विपरीत असर न पड़े इसलिये इस मामले को कलेक्टर के ऊपर छोड़ दीजिये। उनकी इन्क्वायरी रिपोर्ट आ जायगी उसमें जिस किसी का कसूर साबित होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : राज्य मंत्रीजी ने जो लिख कर दिया है उसी के आधार पर हड़ताल समाप्त हुई है क्या आप नहीं समझते कि अगर उसके अनुसार कार्यवाही नहीं हुई तो पुनः हड़ताल होने की आशंका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हड़ताल का कोई प्रश्न नहीं है राज्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था उसके अनुसार ए. एस. पी. का तबादला कर दिया गया और जहां तक मुकदमे को विथड्रा करने का सवाल है मुकदमा अदालत में पेश ही नहीं किया गया। इन्क्वायरी कायम कर दी गई है एक आई. पी. एस. आफिसर को मुकर्रर कर दिया गया है। जहां तक एस. पी. का सवाल था एस. पी. के मामले में मुख्य मंत्रीजी ने कोई बात नहीं कही टेलीफोन सुनने में भ्रम हो गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह आपको पता होना चाहिये इस एस. पी. के जाने के बाद 70 कत्ल हुये है वहां की गुण्डागर्दी में इसका बहुत बड़ा हाथ है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : ये अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : सब से बड़े दुख की बात यह है कि इस सारे विषय को जिस तरह के सदन में सरकार की तरफ से रखा गया और जिस बात का सहारा लेकर इस सदन में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहते हैं उस वक्तव्य पर किसी को विश्वास नहीं हो सकता । सरकार कह रही है कि जीप जब फाटक में चली गई तब दूसरा फाटक बन्द कर दिया गया मैं समझता हूं गृहमन्त्री जी अपने कोन्सस से इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो वह खुद स्वीकार करेंगे यह बात कभी हो नहीं सकती···

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोन्सस है कहां ?

श्री भैरोंसिंह : थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा। उसी से वे यह सोचकर देखें कि इस प्रकार की कोई बात हो भी सकती है क्या ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं रेल से टक्कर खाने का डर पैदा हो गया । मैं समझता हूं आपके पास गाड़ी है और दूसरे माननीय सदस्य भी गाड़ी से चलते हैं ऐसा कई बार हो जाता है जब कार रेलवे फाटक के पास पहुंचती है और वह बन्द हो जाता है उसमें गाड़ी आने में पन्द्रह बीस मीनिट का अन्तर रहता है । उस दरमियान कई लोग गेटमैन की मिन्नतें भी करते हैं और कई उसको धमकाते भी हैं । किसी के धमकाने पर वह खोल भी देता है तो गाड़ी को खड़ा रहना पड़ता है । रेलगाड़ी के निकलने के बाद वे गाड़ियों को पास होने देते हैं। लेकिन जिस प्रकार का यहां स्टेटमेन्ट दिया गया है उसको देकर सदन भी स्तब्ध रह गया । एक अधिकारी को बचाने के लिये इस प्रकार की बात कहना कतई उचित नहीं होगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं जो वक्तव्य यहां दिया गया है वह तो प्रारंभिक रिपोर्ट जो सरकार के पास आयी है उसके आधार पर दिया गया है। अब रहा सवाल वास्तव में बात क्या थी ? उसके लिए कलेक्टर को जांच के लिये मुकरर कर दिया गया है उससे पहले कुछ भी कहना उचित नहीं होगा ? आप यह मानकर चलेंगे कि बीसों दफा ऐसा हो जाता है जब गाड़ी अन्दर होती है फाटक एकदम बन्द कर दिये जाते हैं उस समय गाड़ी को पीछे लेना पड़ता है। मगर आप भी यह सोच सकते हैं जब उनकी गाड़ी अन्दर घुस गई और फिर गेट बन्द कर दिया जाय तो यह कितना बड़ा अपराध है ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह तो आप मानकर चलेंगे कि गाड़ी अन्दर घुस जाय और दूसरा फाटक बन्द कर दे ऐसा किसी को पागल कुत्ते ने काट खाया हो तो वह बन्द कर सकता है नहीं तो यह तो पागल कुत्ते द्वारा काटी हुई सरकार ही ऐसी बात कह सकती है ।

आप यह कहते है कि यह तो प्रारम्भिक रिपोर्ट है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कलेक्टर को एस. पी. को

(श्री भैरोंसिंह)
जांच के लिए नियुक्त किया । एस. पी. और कलेक्टर दोनों एक ही जिले के प्रशासन को चला रहे हैं क्या आप उसमें उम्मीद कर सकते हैं कि वह एस. पी. के खिलाफ कुछ भी लिख सकेगा । दोनों एक साथ रहते हैं दोनों की प्रशासनिक जिम्मेवारी है । वह वहां के एस. पी. के खिलाफ कोई भी बात लिख सकेंगे यह कोई भी माननीय सदस्य मानने को तैयार नहीं होगा । एस. पी. की जांच कलेक्टर नहीं कर सकता इस तरह से जांच के नाम पर सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाने की चेष्टा करें तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस तरह से असलियत का पता नहीं चल पायेगा ।

दूसरा आपने यह कहा कि मनफूलसिंह जी ने मुख्य मंत्री जी से बातचीत की उसमें एस. पी. का उल्लेख नहीं था टेलीफोन पर कुछ भ्रम हो गया । मैं ऐसा मानकर चलता हूं यह भूल सुनने में नहीं हुई यह तो एक आधार बनाया गया । यह प्रश्न कई दिनों से चल रहा था उस दिन मनफूल सिंह जो बैठे थे कल मुख्य मन्त्री जी ने ए० एस० पी० की बात कही । अगर यही बात थी तो मैं गृह मन्त्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि आपने यह रेलवे के डी० सी० को लिखकर दिया या नहीं ?

श्री दामोदर लाल व्यास : माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बहुत पहले ही स्टेटमेण्ट दे दिया था । एस० पी० के मामले में उनसे कोई बात नहीं हुई ।

श्री भैरोंसिंह : डी० सी० के आफिस को जो चिट्ठी लिखकर दी गई है उसमें एस० पी० के स्थानान्तरण के बारे में बात थी । तो मैं यह जानना चाहता हूं आपके स्तर पर या मुख्य मन्त्री के स्तर पर डी० सी० को चिट्ठी लिखी गई थी कि जो फोटोएस्ट कापी की गई उसमें एस० पी० का उल्लेख नहीं होना चाहिये । जब चिट्ठी नहीं लिखी गई तो जो आश्वासन था उससे बैक आउट करने का कौन सा तरीका हो सकता था वह तरीका आपने इजाद कर दिया कि टेलीफोन सुनने में भ्रम हो गया । मैं यह कहना चाहता हूं आपने जो स्टेटमेण्ट दिया है वह अपनी मरजी से नहीं दिया है। आई० पी० एस० आफिसर्स एसोसियेशन ने मुख्य मंत्री को गृह मंत्री को दबाया है और इस प्रकार का स्टेटमेण्ट देने के लिये मजबूर किया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं मेरे से कोई आई० पी० एस० आफिसर इस बारे में नहीं मिला और न मुख्यमंत्री जी से ही कोई मिला है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं जो कुछ कह रहा हूं सही जानकारी के आधार पर कह रहा हूं आई० पी० एस० आफिसर्स ने रिजेण्टमेण्ट शो किया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं सही कह रहा हूं मुझे आई० पी० एस० आफिसर ने ही कहा है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : किस आफिसर ने कहा ?

श्री भैरोंसिंह : मैं विधान सभा में आप से पहले आया हूं ।

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपने जो कुछ स्टेटमेण्ट दिया है वह किसी के दबाव में आकर दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं जन आंदोलनकारियों के सामने सरकार के किसी भी प्रवक्ता ने आंदोलनकारियों के नाम पर जो भी कमिटमेण्ट किया जाता है उसका पालन किया जाता है। लोकतंत्र में आप विश्वास रखते हैं आन्दोलन करना इसमें अधिकार है और उसके बाद जो भी समझौता होता है उसका पालन किया जाता है उससे विश्वास का वातावरण निर्माण होता है। अगर विश्वास को तोड़ दिया जाता है तो लोग इस प्रकार से भरोसा नहीं करेंगे। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, जिस विश्वास के आधार पर उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित किया मैं समझता हूं उस विश्वास को आप कायम रखेंगे। अन्यथा जनतन्त्र में इस प्रकार के समझौते का कोई असर नहीं रहे। राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं वह एस0 पी0 के बचाने का सवाल नहीं है सरकारी प्रवक्ता ने जो लोगों को विश्वास दिलाया है उस विश्वास को पूरा करने के लिये एस0 पी0 का स्थानान्तरण कर दिया जायगा तो उनमें विश्वास जमेगा।

इसके अलावा कलेक्टर से जो जांच करवा रहे हैं कलेक्टर की जांच में किसी को विश्वास होने वाला नहीं। कलेक्टर के अलावा किसी उच्च अधिकारी से जांच करवायें ताकि वह एस. पी. के व्यवहार के बारे में भी जांच कर सके।

ऐसी स्थिति में उस कलेक्टर की जांच बेमानी होगी, वह किसी मतलब की नहीं होगी और इस जांच के आधार पर लोगों को कोई विश्वास पैदा नहीं हो सकता है और न यह कोई न्यायिक कार्यवाही होगी।

श्री सभापति : वन बाई वन।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति जी मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो एस. पी. हैं उसके मुकाबले में जो व्यक्ति फाटक पर रहता है वह एक कमजोर व्यक्ति होता है। जब ट्रेन आने वाली होती है तो वह फाटक बन्द कर देता है। यह ठीक है कि उनको खड़ा रहना पड़ गया। परन्तु ऐसे छोटे कर्मचारी की तो तारीफ होनी चाहिये थी उसके बजाय उस पर केस लागू कर दिया और वह सारी स्थिति पैदा हुई। मैं सभापति जी, आपके माध्यम से इस सरकार को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर वह जिला है जो कभी न कभी आपकी सरकार को लेकर बैठ जावेगा। वहां आपने ऐसे आदमी को रख छोड़ा है जो शराब पीने वाला है तो वह गंगानगर में जाकर क्या कर सकता है। लेकिन आपने कभी भी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया और न अब ध्यान दे रहे हैं। पहले भी यह बात मैंने कही है। गिलोडी वैसे ही कड़वी होती है और जब वह नीमड़ पर चढ़ जाती है तो और भी कड़वी हो जाती है। पहले ही आपका एस. पी. शराबी है और उसको फिर गंगानगर में भेज दिया तो सोचिये वह वहां पर कितना पाप करता होगा। अनाचार, दुराचार वह

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

करता होगा और सारे जिले में भयंकर हथकंडा वहां उसने जमा लिया होगा। इसलिये आप तुरन्त उसका तबादला कर दें और ऐसी स्थिति में जबकि वह काफी शराब पीता है और इसके लिये आपके डिप्टी मिनिस्टर ने वादा भी किया है। इस वादे को निभाने के लिये आपको इसका तुरन्त तबादला कर देना चाहिये और शांति, व्यवस्था कायम करनी चाहिये ताकि लोगों की आपके प्रति आस्था जम सके। चाहे कोई हो आपको तुरन्त इसका तबादला कर देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तथ्य में कि दरवाजा कौनसा बन्द था या नहीं और उन्होंने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की इसमें न जाकर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार ने स्वीकार किया है कि माननीय मनफूलसिंह जी की ओर से लिखित में यह पेश किया गया है और दरअसल में उन्होंने यह आश्वासन दिया था। इस बात को मान लेने के बाद चौधरी मनफूलसिंह जो आपके मंत्री मण्डल के एक सदस्य हैं और ज्वाइंट रेस्पांसबिलिटी होने के नाते इस जिम्मेदारी को जिसको कि उन्होंने स्थिति के अनुसार, उससे भी अधिक दे दिया हो तो भी ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी के अनुसार मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इसको ओनर करना चाहिये। इसमें आखिर मांग क्या है? इसमें एस. पी. के डिसमिस होने की बात नहीं है। प्रशासनिक कारणों से आप वैसे भी तबादला करते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी आपके मंत्रीमंडल के एक सदस्य ने जनता के आन्दोलन को शांत करने की दृष्टि से कि यह महसूस करते हुए कि उन्होंने कोई गलती की होगी यह आश्वासन दिया था तो पूरा करना चाहिये था।

सभापति जी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तथ्य में भी कि मुख्य मन्त्रीजी ने उनको कहा या नहीं और यह भ्रांति फैल गई। इसमें क्या बात सही है चौधरी मनफूलसिंह जी से इस सम्बन्ध में मेरी बात नहीं हुई इसलिए उनकी बात तो मैं नहीं कह सकता और मुख्यमन्त्री जी ने कहा वह सही ही होगा लेकिन मेरे से वहां के अलावा ट्रेड यूनियन के और इन्टक के लीडर्स है वे मिले हैं। वे मुख्यमन्त्री जी से भी मिलने गये थे और वे मेरे से भी मिले और यहां पर इस सदन में इस प्रश्न के उठाने के पहिले स्वयं मुझसे मिले हैं और उनको आपने यह कहा है कि मुख्यमन्त्रीजी ने उनको यह विश्वास दिलाया था और उस समय तक कहते थे कि वह इन्कार नहीं किया जा रहा है कि एस. पी. का ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। उनका आश्वासन और आग्रह यह था और आपने अपनी दिक्कत बताते हुए मुख्यमन्त्री जी कि हम इसको कर देंगे हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस तरीके से आपने उनको कहा था। उनका यह भी आग्रह था कि कलक्टर से जो जांच करवाई जा रही है उसके अलावा किसी आई.ए.एस. आफिसर से श्री गनेशन के द्वारा और इसकी जांच होनी चाहिए। स्थानीय कलक्टर की एक तरह से इस काण्ड में जिम्मेदारी है। जब यह कांड हो रहा था और उस गेट मैन के खिलाफ केस रजिस्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हुआ लोगों में भारी रेजेन्टमेंट हुआ और लोगों ने कलक्टर को एप्रोच किया, एस. पी. को एप्रोच किया कि आप मामले को ड्राप कर दें, इस गरीब के खिलाफ कोई केस न बनावें। लेकिन जब कलेक्टर ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और कहा कि जो कसूर करेगा वह सजा पायेगा. जिसने गल्ती की है वह सजा पायेगा। वरना इस मामले में लोग गेटमेन की ओर से माफी मांग रहे थे और कलेक्टर केस को छोड़ देता तो कोई हड़ताल नहीं होती और न कुछ होता। जब कलेक्टर ने भी पुलिस का पक्ष लिया और स्थिति को नहीं संभाला तो मैं समझता हूँ कि हड़ताल की जिम्मेदारी सही मायेने में कलक्टर के ऊपर आती है और उसी कलक्टर को आप इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं तो क्या वह इस घटना की सही जांच करा पायेगा, और न्याय कर पायेगा और जनता के साथ जो अन्याय किया गया है और आपने जो आश्वासन दिये हैं क्या वह उसके अनुरूप होगा? इसलिए आप जो कार्यवाही कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। कलेक्टर खुद इस मामले में इन्ट्रस्टेड पार्टी है, प्रीजूडिस है तो उससे इस प्रकार की जांच करवाना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि श्री गणेशन जो कि वहां पर कलेक्टर भी रह चुके हैं या आप किसी और आई. ए. एस. आफिसर से जांच करवाने की बात कह चुके हैं और उससे लोगों को सान्त्वना मिली है तो वह करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कलेक्टर को इस बात के लिए जांच अधिकारी नियुक्त नहीं करें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस सारे काण्ड में न सिर्फ एस. पी., ए. एस. पी. का कन्डेक्ट ही जांच काबिल है बल्कि खुद कलेक्टर का कन्डक्ट भी जांच योग्य है। जिला प्रशासन का हैड होने के नाते उसका कन्डक्ट भी जांच योग्य है। आज की उस सीचुयेशन में उसे प्रशासनिक हैड होने के नाते सही तौर से स्थिति को हैन्डल किया या नहीं यह चीज भी जांच करने के योग्य है। इसलिए कलक्टर को किसी तरह से इसका जांच अधिकारी नहीं होना चाहिये। श्री गणेशन को इसका जांच अधिकारी बनावें वरना किसी और को।

सभापति महोदय, एक और बात कहना चाहता हूँ। आखिर इस एस. पी. के बारे में गवर्नमेंट इतनी हेजीटेट क्यों है? यह आखिर मामला क्या है। इससे पहले सिनेमा का मामला वहां पर हो चुका है। इसके पहले पोलिटिकल पार्टीज के साथ एस. पी. के व्यवहार के बारे में भी बात आ चुकी है और किस तरह से यह व्यापारियों और लोगों को टेरोराइज कर रहा है, उसकी लोगों से परसनल रंजिश है और मारपीट करने के बारे में कई घटनाएं वहां पर हुई है। इस तरह की घटनाएं क्या सरकार के नोटिस में हैं या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन लोगों ने इसके बारे में एक मेमोरेन्डम सरकार को दिया है जिसकी जांच करवाने का सरकार ने आदेश भी दिया था लेकिन इन मामलों में आज तक कोई जांच नहीं हुई है।

सभापति महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? गवर्नमेंट क्यों अपने आश्वासन से पीछे हट रही है और हटना चाहती

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। इस एस. पी. के खिलाफ जिसके बारे में जनता में असन्तोष है वहां से क्यों नहीं हटाती। मैं इस बात को सदन में नहीं लाना चाहता था लेकिन यह एक सच्चाई है और मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है और जिला प्रशासन के और प्रशासन के इन छोटे छोटे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये लेकिन इस रोशनी में अब एस. पी. के तबादले के मामले में हस्तक्षेप हो रहा है और यह हमारे संविधान के विरुद्ध भी है कि इस तरह के मामलों में और इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि राज्यपाल महोदय इस मामले में इन्ट्रस्टेड हैं और इस एस. पी. को संरक्षण दे रहे हैं। इसमें उनका परसनल इन्टरेस्ट है। उनकी अपनी भतीजी है कोई उनके रिस्ते में उसके रिस्ते की बात चल रही है इस एस. पी. के साथ और इसलिए वे परसनली इन्टरेस्टेड हैं। और मैं यह विश्वस्त सूत्रों की जानकारी से कहता हूं कि सभापति महोदय उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया है और वे बार बार यह दवाब डाल रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : प्वाईंट आफ आर्डर, एक व्यवस्था का सवाल है माननीय सदस्य श्री रामनारायण का।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो अभी भाषण कर रहे हैं उन्होंने अपने भाषण में राज्यपाल महोदय का हवाला दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, वह सही है और यह आम धारणा है लोगों कि इस एस. पी. को संरक्षण दिया हुआ है और श्री रामानन्द जी ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है और इसीलिए इस एस. पी. को वहां से नहीं हटाया जा रहा है लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं आखिर मुख्य मन्त्री जी क्यों आप इस जिले को बर्बाद करना चाहते हैं इस तरह से कलेक्टर से इन्क्वायरी करवा कर वहां के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। मुख्यमन्त्री जी आपको इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये वह भी राजस्थान का एक अंग है, सीमावर्ती जिला है। इस जिले के अन्दर ऐसे अधिकारियों को आप नियुक्त करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि वहां आप लोगों की सुरक्षा भी नहीं कर सकेंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी वहां से हटाकर इसकी इन्क्वायरी करवाई जावें। और आप यह बहाना करते हैं, कलेक्टर उसकी एन्क्वायरी करेगा, क्या कलक्टर एन्क्वायरी करेगा ? कलेक्टर एस. पी. की एन्क्वायरी नहीं कर सकता इसलिये यह अन्य अधिकारी द्वारा कराई जानी चाहिये। जो बिलकुल निष्पक्षता रखता हो, इस प्रकार के अधिकारी से जांच करवाई जाय ताकि वहां के लोगों को तसल्ली हो जाय कि हमारे साथ न्याय होता है नहीं तो यह लाठी चलाने वाली सरकार नहीं चल सकेगी। गंगानगर में इस प्रकार की गुण्डागर्दी आये दिन हो, गांवों में लोग गोली चलाकर लोगों को मार दें, जनता की किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। ऐसे एस. पी. को आप बचाना चाहते हैं। आपके लिये शरम की बात है। यह इस प्रकार की घटना होते ही आपको

Page No 79

(श्री रामचन्द्र आर्य)

उस एस. पी. को सस्पेन्ड कर देना चाहिये था। (श्री रामनारायण चौधरी के बीच में व्यवधान करने पर) खबरदार इस प्रकार बीच में बोले तो। आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार डिस्टर्ब करने का (हंसी) कोई आपका अधिकार नहीं है। गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी आपको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिये और उसको सस्पेन्ड करना चाहिये और निष्पक्ष जांच करवानी चाहिये। अगर आप निष्पक्ष जांच नहीं करवाते हैं तो गंगानगर में आये दिन गुण्डागर्दी बढ़ेगी। कातिल लोग आये दिन हत्यायें करते रहते हैं। उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। किस तरह आप गंगानगर के लोगों के साथ बरबादी करते जा रहे हैं। इस कार लच्छेदार स्टेटमेन्ट द्वारा उसको नहीं मानते हैं। इसकी निष्पक्ष जांच करवा कर जो राज्य मंत्री जी ने लिखित में उत्तर दिया है उसको लागू करें, यही हमारी मांग है।

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर था।

श्री मदनसिंह : वह पाइन्ट आफ आर्डर तो खबरदार में चला गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह पाइन्ट आफ आर्डर खबरदार के लिये ही था।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सभापति जी राज्य सरकार की तरफ से जो मुख्य मंत्री जी ने कहा जो राज्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था उसमें एस. पी. को बदलने का आश्वासन नहीं था—अपनी ओर से लिख दिया। गृह मंत्री जी ने यह कहा जो लिखित उत्तर राज्य मंत्री जी ने दिया है उस लिखित आश्वासन के आधार पर जो रिजेन्टमेंट हुआ—रेलवे की 19 घंटे तक हड़ताल रही, सरकार को 6 लाख के करीब हानि हुई है जो उत्तेजना और क्षोभ हुआ वह उससे शान्त हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आखिर प्रशासनिक दृष्टि से सोचें तो एक एस. पी. के केडर का व्यक्ति इस तरह की नादानी करे और फिर उसको बदलें नहीं तो प्रशासनिक दृष्टि से मुख्य मंत्री जी आपके लिये उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। यह नेगलीजेन्स में शुमार करके सस्पेंड किया जाना चाहिये था ताकि इस प्रकार की नादानी भविष्य में हो। जिले के प्रमुख अधिकारी इस प्रकार की नादानी करें और फिर संरक्षण दिया जाय यह चिन्ता जनक स्थिति है और दूसरे न्यायिक दृष्टि से देखें तो एन्क्वायरी के लिए निष्पक्ष आदमी को नहीं रखें तो यह न्याय संगत नहीं है। आप जिलाधीश से एन्क्वायरी कराना चाहते हैं- चूंकि समझौता शर्त में आई. ए. एस. लिखा है, इस लिए कलेक्टर से इन्क्वायरी करवा रहे हैं यह प्रशासनिक दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं हैं। जो घटना घटी है वह सीनियर मोस्ट अधिकारी के साथ हुई है। सीनियर मोस्ट अधिकारी उस घटना में शामिल है, उस पर आरोप है ऐसी स्थिति में जिलाधीश निष्पक्ष एन्क्वायरी कर सकेंगे यह मान्य नहीं हो सकता है। घटना से सम्बन्धित जनता के लोगों को इससे सन्तोष नहीं हो सकता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आसन की मारफत इस घटना के लिये आपको प्रशासनिक दृष्टि से, न्यायिक दृष्टि से और गंभीरता से कार्यवाही करनी चाहिये। क्या राज्य मन्त्री को इतना भी अधिकार नहीं है—उत्ते जित वातावरण को देखकर ऐसे वातावरण में जिसमें जन जीवन

Page No 80

(श्री दौलतराम सारण)

ग्रस्त-व्यस्त हो गया हो दो दिन ट्रेन नहीं चले और ऐसी भयंकर स्थिति हो कुछ जनता को आश्वासन दे दें और वह शासन के द्वारा पूरा नहीं हो। ऐसे वातावरण में बिना मुख्य मंत्री से टेलीफोन किये हुए भी कोई आश्वासन दें–जन हित में और राज्य सरकार के हित में उसको आप व मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करें इतनी सुप्रीमेसी आपका मानकर नहीं चलना चाहिए। आखिर वे सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं उन्होंने टेलीफोन पर गलत समझ कर भी एस. पी. का आश्वासन दे दिया तो उसको आपको मान्य करना चाहिए और प्रशासनिक दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से आपके एक कलीग की प्रतिष्ठा की दृष्टि से और जनता को दिये गए आश्वासन की प्रतिष्ठा की दृष्टि से आपको स्वीकार करना चाहिए और एस.पी. को तुरन्त स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। माननीय रामानन्द जी ने जो बात कही है एक सवैधानिक हैड के विषय में आरोप करना उचित नहीं मानता हूं और वह अप्रासंगिक है लेकिन ऐसी सर्वत्र चर्चा गंगानगर जिले में है। मैं नहीं समझता कहां तक यह ठीक है और कहां तक नहीं है लेकिन वहां इस प्रकार की चर्चा होना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके अलावा सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि आप इस मामले को आगे नहीं बढ़ायें। यह मामला अनावश्यक रूप से एक उत्तेजना का स्वरूप बना हुआ है। इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। वहां दूसरे बहुत से मुद्दे हैं जो जनता को उद्वेलित किये हुए हैं और अगर उनके माइन्ड के अन्दर यह चिन्गारी पड़ेगी तो और भी भयंकर स्थिति हो जायगी। इसलिए मेरा निवेदन है इसको प्रतिष्ठा का विषय न बनायें। राज्य सरकार के एक राज्य मंत्री का आश्वासन है वह राज्य सरकार के केबीनेट का एक साझेदार व्यक्ति है और उनकी जिम्मेदारी का एक सवाल है तो इन सभी दृष्टियों से और न्याय की दृष्टि से उसको अधिक तूल न देकर एस पी. को वहां से स्थानान्तरित करें और इस मामले की घोषणा राज्य सरकार को शीघ्र करनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय ...

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति जी मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति जी मैं एक अर्ज करना चाहता हूं और बार बार मैंने सदन में अर्ज किया है और आपने स्वीकार किया है–सरकार की तरफ से स्टेटमेंट देने का मतलब कदापि यह नहीं है कि जनरल डिबेट हो जाय। जो कुछ माननीय सदस्य कहना चाहें वह कह सकते हैं किन्तु इस प्रश्न को लेकर ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं जैसे ऐडजोर्नमेंट मोशन एडमिट हो गया हो। इस प्रकार की परम्परा पड़ने से जो सदन का रूटीन वर्क है वह नहीं होगा और सारा समय इसमें चला जायगा। इस प्रकार के भाषण हरगिज नहीं होने चाहिये।

श्री सभापति : इसके बाद दो महत्वपूर्ण वक्तव्य और हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के बारे में मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है इसलिये इसको जल्दी समाप्त करें। कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लीजिये।

श्री केदारनाथ : सभापति जी अब श्री मनफूलसिंह जी राज्य मंत्री टेलीफोन से बात कर रहे थे उस इन्टरवीन पीरियड में जब टेलीफोन पर बात कर रहे थे–डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट से बातचीत कर रहे थे और उस समय रेल्वे डायरी में जो नोटस किये गये हैं वह इस प्रकार हैं–

"The Chief Minister of Rajasthan has assured me on telephone that the S. P. and A. S. P., Sri Ganganagar will be transferred immediately and an enquiry will be held by District Magistrate.."

यह सपन काट कर आर. ए. एस. आफिसर–"...by an I. A. S. officer and the cases will be withdrawn registered against Shri Randhir Singh, Gateman."

यह रेलवे डायरी में रिपोर्ट करने के बाद कलक्टर के दस्तखत होने के बाद, मनफूलसिंह जी के दस्तखत के बाद यह सारी की सारी एग्रीमेंट्स की कापी रेलवे आथोरिटी को पहुँच जाय और सभापति जी 19 घंटे तक रेलवे की हड़ताल रहे ...

श्री सभापति : यह उल्लेख किस डायरी में है ?

श्री केदारनाथ : यह डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, रेलवे की डायरी में है। 19 घंटे की हड़ताल, 6 घंटे का केन्द्र सरकार को नुकसान और राज्य सरकार को नुकसान।

"At about 3.00 P.M. Shri Randhir Singh, Pointsman, came to me and reported that while he was closing gate No. 118. Northern side, after closing Southern side, a jeep entered despite his protest. He also reported that the person in the jeep identified himself to be Superintendent Police and ordered him to open the gate and let the jeep passed. Since the train was approaching, Shri Randhir Singh refused to gentleman to open the gate and requested him to take the jeep back. It was also added by Shri Randhir Singh that on his refusal he immediately closed the gate and gave red signal to avert any untoward incident. After reporting the matter to me, he immediately rushed to gate No. 118 as per my directions. After passing the train he again came to me and began to report the matter.

While he was reporting the matter, some police constables along with A.S.P. Shri Khanna appeared and wanted to arrest Shri Randhir Singh. I intervened the arrest and requested the A.S.P. as Shri Randhir Singh was on duty he could not be arrested unless there are orders from D.S. Bikaner. On this he threatened me to have arrested and uttered abusing words.

He took Shri Randhir Singh forcibly with help of constables despite my protest.

Please take it for suitable action as you deem fit."

.... यह स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट है और 5.30 बजे मैं खुद रेजीडेन्स पर गया था और मैंने कहा कि अभी स्थिति आपके

(श्री केदारनाथ)

कन्ट्रोल में आ सकती है यदि आप स्टेशन पर जाकर रिजेन्ट शो कर दें और गेटमैन को बिना शर्त रिहा कर दें। उन्होंने जब यह बात नहीं मानी तो रेलवे की स्ट्राइक हो गयी, टेन्शन वहां कायम था और उसके बाद भी मनफूलसिंह जी ने इन्टरवीन किया। और कलेक्टर ने यही कहा कि ए. एस. पी. और एस. पी. का तबादला कर दिया गया है। लेकिन सभापति महोदय, मांग तबादले की न होकर सस्पेन्शन की थी। मांग इस बात की होनी चाहिए कि 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ 19 घन्टे की हड़ताल रही, सारा कारोबार ठप्प, कितनी बेचैनी। इसका कारण क्या है यह तो सेन्टर का मसला है क्योंकि कलेक्टर जांच करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि वह भी उसमें शामिल था। सेन्ट्रल आथोरिटीज ने जांच शुरू कर दी--मैं नहीं कह सकता कि कौन इसके लिए अधिकारी नियुक्त हो गया है। मैं सभापति महोदय, आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी को कि यह मसला एस. पी. को लेकर जो चला अच्छा तो यह होता कि हमारे राज्य मंत्री उनका क्या स्टेटस रहा, क्या प्रेस्टीज रही, उन्होंने इन्टरवीन किस के अधिकार से किया, टेलीफोन पर क्या बात हुई, क्या नहीं यह भी कह सकते हैं--आज सुबह हाउस होने के बाद भी जब इस पर डिसकशन चल रहा है तो राज्य मंत्री का यहां हाजिर होना जरूरी था। मैं यह मानकर चलूं कि या तो उनमें आत्म विश्वास नहीं है या फिर होम मिनिस्टर ने उनको दबा लिया कि हाजिर मत रहो शायद आपको क्रास क्वेशन किया जाये और आपको जवाब देना पड़े। इसलिए यह मसला जांच का मसला नहीं है। एस. पी. का तबादला फौरन होना चाहिए। उसमें है क्या यदि आप एक बार तबादला कर देते हैं, इन्क्वायरी हो जायेगी उसके बाद दो महीने बाद फिर तैनात कर देना। इसके अलावा और तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं--एक बात तो स्पष्ट है कि एस. पी. का बिहेवियर जो लोग उनसे मिलने गये, अगर एस. पी. समझदार होता तो उनसे कहा गया था कि गेटमैन की तरफ से हम माफी मांगते हैं लेकिन एस. पी. ने उन लोगों से कहा कि तुम चाहे तीन दिन तक हड़ताल करो मुझे चिन्ता नहीं है, मैं तो डंडे के जोर से हड़ताल तुड़वा लूंगा। एस.पी. का तबादला आप नहीं करेंगे, और कलेक्टर को जांच के लिए आर्डर्स दे दो। मैं नहीं समझता कि आप सारी असलियत को मानते हुए फैसला कर रहे हैं। मेरी मांग है कि एस.पी. का तबादला होना चाहिए क्योंकि टोकन स्ट्राइक सब जगह है और हो सकता है कि ज्यादा हालत खराब हो जाये इसलिए मेरा बारबार यही निवेदन है कि एस. पी. वहां से फौरन तबादला हो जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, इस प्रश्न को लेकर काफी माननीय सदस्य इस बात के ऊपर इसरार कर रहे हैं कि एस. पी. का वहां से तबादला किया जाये और जांच भी कलेक्टर से नहीं कराई जाये। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक एस. पी. [illegible] वाल है, किस का कसूर था, पाइन्ट्समैन की गलती थी या एस. पी. ने रैशनैस दिखाई, यह तो जानकारी इन्क्वायरी होने से ही नतीजा निकल सकता है। आपने नयी बात और बताई कि कलेक्टर उस समझौते में था। अगर ऐसी बात है जो कि मेरी जानकारी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में नहीं हैं, अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐतराज नहीं है कि कलेक्टर के बजाय दूसरा आफिसर उसकी जांच कर ले और वह जानकारी में करके अगर कलेक्टर उसमें हुआ समझौते के बीच में तो मैं जरूर मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करके दूसरा आफिसर उसके लिए मुकर्रर कराऊंगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं भी यही चाहूंगा माननीय गृह मंत्रीजी कि यदि आप इसको निष्पक्ष रूप से लेते हैं तो यह सरकार के लिए शोभनीय है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हमें किसी आफिसर की तरफदारी करके एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम नहीं करना है। अगर कोई आफिसर गलती करता है तो हम उसको सजा देंगे और दौलतरामजी ने कहा कि वहां की जनता में बड़ा असन्तोष है और उनके दिल में वहां के लोगों के लिए दर्द है···

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने आज तक बड़ी निष्पक्षता से काम लिया है। आप वही गृह मंत्री हैं जो अपने आप में सोचें कि किस तरह से चल रहे हैं।

सभापति : श्री आर्य।

श्री मदनसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन सर··

श्री सभापति : अभी उनका उत्तर हो जाने दीजिए।

श्री मदनसिंह : अभी इतनी सी बात है कि वहां गेट खुला था और जीप अन्दर आ चुकी थी और फिर बन्द कर दिया—उस समय एस. पी. के बजाय और कोई होता तो क्या करता? मुझे एक बात अभी बैठे बैठे दिमाग में आई कि यह क्या हुआ जैसे गाड़ी आ रही है और जीप गयी और पीछे से बन्द कर दिया उस समय किसी को कलाकन्द खिलाई जाये इस संबंध में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण चाहता था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज कर दिया कि एक तरफ का गेट बन्द नहीं हुआ था। मैं निवेदन कर रहा था कि उस समय जीप अन्दर घुस गयी और जब जीप को वापिस लेना चाहा तो दूसरा भी बन्द कर दिया। अब दौलतराम जी सारण ने बहुत चिन्ता व्यक्त की और कहा कि वहां की जनता में बड़ा असन्तोष है। अभी अभी म्युनिसिपल चुनाव हुए थे उन्होंने साबित कर दिया कि सरकार के प्रति वहां के लोगों की क्या धारणा है··

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने बेईमानी की। आपके राज्य मंत्री ने नोहर में जाकर सत्ता का दुरुपयोग किया··

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप इस कुर्सी को छोड़ें और फिर चुनकर आयें तब हम जानें।

श्री दौलतराम सारण : आप राजनैतिक कलर देकर इस घटना पर अपनी जिद से अड़े रहना चाहते हैं मुझे आपत्ति नहीं है आप अड़े रहें लेकिन मैंने जिस स्पीरिट में और जिस भाषा में आपसे निवेदन किया था आप उसको इस प्रकार से डाइवर्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है। आपके हाथ में सत्ता है और शक्ति है, आप एस. पी. को वहीं रखें वहां की जनता में ताकत होगी तो एस. पी. को बदलवा लेगी और ताकत

(श्री दौलतरामसारण)

नहीं होगी तो छूट जायेगी। एस. पी. के वहीं रखने पर आपका वर्चस्व कायम रहता है तो रखिये और न्याय, प्रशासन आदि सब चीजें ताक में रखकर एस. पी. को रखकर इन्क्वायरी करायेंगे तो ऐसा आप करवा सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है। लेकिन मंत्री महोदय आप 62 की याद कीजिए एक दिन आयेगा जब आपको भी महसूस करना पड़ेगा कि हमने कितनी गलती की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए माननीय सभापति जी, जहां तक इन्क्वायरी का संबंध है मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि कलेक्टर उसमें शामिल होगा तो मैं जरूर दूसरे आफिसर को मुकर्रर कर दूंगा और आपने जो अभी स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट पढ़ी वहां आपने यह भी पढ़ा होगा एस. पी. के बारे में कि सिर्फ एस. पी. ने गेट खुलवाना चाहा उसके अलावा कोई बात नहीं है ··

श्री दौलतराम सारण : आप सारा राजनैतिक कलर दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं राजनैतिक कलर नहीं दे रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : उसको धमकाया, गाली दी और अरेस्ट करने की बात कही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मगर सिर्फ इसलिए कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि उसको हटा दिया जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि सर्विसेज के अन्दर कुछ सेन्स आफ सिक्योरिटी कायम रखना है···

श्री दौलतराम सारण : बेईमानों और चोरों को संरक्षण देने से सर्विसेज डिमोरेलाइज होती है और वह आज आपने कर दी है। आपने कोई चीज नहीं छोड़ी है। आप सर्विसेज के संरक्षण के बहाने चोरों, बेईमानों और शराबियों को बचाना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह चोर और बेईमान नहीं है। आप गलत कहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : नहीं है तो मौके पर देखा जायगा। उसका और आपका कबाड़ा चौड़ा किया जायगा तब।

श्री भैरोंसिंह : माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा कि अगर ऐसी बात होती तो वह हो जायगा तो अगर और मगर की इस तरह की भाषा को छोड़े और स्पष्ट इस सदन में उनको घोषणा कर देनी चाहिए कि अमुक अधिकारी से जांच कराई जायगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि मेरी जानकारी में नहीं है कि एस. पी. था।

श्री भैरोंसिंह : आपको यह तो जानकारी है कि कलेक्टर और एस. पी. दोनों बराबर के ओहदे के हैं और जिस सबय हड़ताल हो रही थी तो उस समय वह कलेक्टर काम कर रहा था और सारी हड़ताल की घटना उसके सामने हुई है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर-मगर की भाषा के अतिरिक्त सरकार की तरफ से वह घोषणा की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरा प्रश्न मैं माननीय गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि हम लोग यह कहते हैं कि एस.पी. के खिलाफ इस प्रकार के आरोप हैं, लेकिन माननीय गृह मन्त्रीजी ने

(श्री भैरोंसिंह)

मैं यह जानना चाहूंगा कि उनको यह तो जानकारी होगी कि रेल्वे के एरिया में जो ग्राफेन्स होते हैं उनको रेलवे की पुलिस डील करती है। अगर उसका एस. पी. ने केस रजिस्टर कर भी लिया तो भी कायदा यह था कि रेलवे के थाने में उसको ट्रान्सफर कर दिया जाता और रेलवे के थाने के व्यक्ति उस व्यक्ति की गिरफ्तारी वगैरह के सम्बन्ध में कार्यवाही करते ? क्या गृह मन्त्री जी के ध्यान में यह चीज आई है कि सारी कार्यवाही रेलवे पुलिस द्वारा नहीं की गई है बल्कि सिविल पुलिस ने की है। आपने यह कहा है कि उसको केस रजिस्टर करने का अधिकार है तो केस रजिस्टर करके उसको ट्रान्सफर करने का अधिकार है उस पर कार्यवाही करने का नहीं है। यह गलती एस. पी. ने की है जिसकी वजह से उसको सस्पेन्ड किया जाय या उसको वहां से तुरन्त स्थानान्तरित किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जो अर्ज किया है वह यह है कि अगर कलेक्टर उस समझौते में शामिल होगा तो . . . .

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप यह स्पष्ट कर दें कि समझौते में था या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सुनना चाहें तो मैं सुनाऊंगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप साफ क्यों नहीं कहते है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सुनना चाहें माननीय सदस्य तो मैं कहूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप राज्य मंत्री मनफूलसिंह को यहां लाकर खड़ा कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके मुकाबले में कौन आ सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप लीपापोती करके इस मामले को टाल नहीं सकते। आप उसको बुला कर कहला दें कि वहां पर एस.पी. और कलेक्टर मौजूद थे या नहीं। उसने आश्वासन दिया या नहीं। उसको बुला कर यहां खड़ा कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्यों का इसरार है कि एनक्वायरी कलेक्टर नहीं करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसी सुपर टाइम स्केल के आफिसर को मुकर्रर कर दूंगा।

विपक्ष के माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब रहा सवाल इस बात का तो न्याय आपको सब के साथ में करना पड़ेगा। न्याय गेटमैन के साथ भी कीजिए और पुलिस के कर्मचारियों के साथ भी कीजिए और एस. पी. के साथ भी करिये। इन्क्वायरी का रिजल्ट आने दें उसके बाद में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री दौलतराम सारण : कानून के खिलाफ जाकर एस. पी. ने केस रजिस्टर किया है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह केस रजिस्टर कर सकता है और उसके कानूनी अधिकार में है। यह आपका गलत खयाल है।

श्री दौलतराम सारण : यह रेलवे के जुरिस्डिक्शन का मामला था और वहां पर

(श्री दौलतराम सारण)
एस. पी. ने जबरदस्ती की है। उसको मिस-बिहेवियर, मिसकन्डेक्ट के लिए सस्पेण्ड करना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी बडी होशियारी से बात को टाल गये कि केस रजिस्टर कर सकता है और क्या कार्यवाही हो सकती है वह कर सकता है। मैं भी यही कहता हूं कि केस रजिस्टर कर सकता है लेकिन पुलिस विभाग के कायदों के अनुसार केस रजिस्टर करने के बाद वह रेलवे पुलिस को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए था और रेलवे पुलिस ही अधिकृत थी कि अगर रेलवे के किसी व्यक्ति का आफेन्स हो गया था तो गिरफ्तार करती, लेकिन एस. पी. ने ऐसा नहीं किया तो इस वजह से एस. पी. के खिलाफ तुरन्त एक्शन लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि सुपर टाइम स्केल के आफिसर से एन्क्वायरी करा रहा हूं तो इसके डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। इससे इन्क्वायरी प्रेजुडिस हो सकती है। मैं इसलिए अभी कोई बात कहना पसन्द नहीं करूंगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय इसके पीछे····

श्री सभापति : राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : गृह मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट दिया है···

श्री सभापति : उसके विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं क्या ?

श्री रामचन्द्र आर्य : ···· उससे मुझे सन्तोष नहीं है। इन्होंने जान बूझकर इस बात को टालने के लिए और एस. पी. को संरक्षण देने के लिए इस तरह की बातें रखी हैं। मैं यह चाहता हूं कि एस. पी. को सस्पेन्ड किया जाय। यदि नहीं करते हैं तो सत्ता इनके हाथ में है। जबरदस्ती इन्होंने 7 जनवरी को जिन्दा और अधमरे लोगों को जलाया था। इन गृह मंत्रीजी ने ऐसे अधिकारियों को आज गंगानगर की छाती पर बिठा रखा है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करते हुए वाक आउट करता हूं।

इंडियन डेरी एण्ड इन्टरप्रन्योर एग्रीकल्चरल कं लि. को जिला जालौर में भूमि आवंटन के संबंध में–शासकीय वक्तव्य

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, दिनांक 11 को जिला जालौर में इंडियन डेरी एण्ड इन्टरप्रेन्योर एग्रीकलचुरल कंपनी लि. को 1001 एकड़ भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में कुछ विचार या वाद विवाद पेश हुआ था। माननीय सभापति महोदय, मुझे इसकी सही स्थिति की जानकारी सदन को कराने के लिए कहा था। मेरी जानकारी में जो स्थिति की जानकारी हुई है उससे माननीय सदस्यों को अवगत करना चाहता हूं।

दिनांक 7 अक्टूबर, 1968 को विकास आयुक्त ने राजस्व विभाग को जानकारी दी थी कि एक ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी, इन्डियन डेरी एण्ड एन्टरप्रेन्योर एग्रीकलचरल कम्पनी लिमिटेड निर्मित की जा रही है। यह कम्पनी एल. सी. सिक्का की देखरेख में प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर द्वारा केटल फार्म एवं

(श्री रामकिशोर व्यास)

मिल्क व मिल्क प्रोडक्ट बनाने हेतु जिला जालोर में निर्मित की जा रही है। कम्पनी ने जिलाधीश जालोर से मिल कर झुन्झानी झोड़ की जमीन का चयन किया है। जिलाधीश ने विकास आयुक्त को उक्त वन विभाग की जमीन वन से मुक्त करने हेतु लिखा है। विकास आयुक्त ने इन सब बातों की जानकारी देते हुए राजस्व विभाग से यह पूछा था कि उक्त वन विभाग की जमीन प्रस्तावित डेयरी इन्डस्ट्री हेतु किन शर्तों पर निर्माताओं को दी जा सकती है। वन विभाग ने इस सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक से सम्मति लेकर उक्त वन भूमि को उक्त डेयरी इन्डस्ट्री हेतु वन विभाग से मुक्त कर राजस्व विभाग में हस्तांतर करने की 28 मार्च 1970, को स्वीकृति प्रदान की।

इन्डियन डेयरी एन्टरप्रेन्योर्स एग्रीकल्चर कं. लि. उक्त क्षेत्र में एग्रोइन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स स्थापित करना चाहती है। इस कम्प्लेक्स में निम्न चीजें प्रस्तावित हैं:–

(1) मल्टीपरपज मेकेनाइज्ड ईरिगेटेड एग्रीकल्चर फार्म,

(2) मिल्क, फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट,

(3) फी प्रोवेन्डिग मिल,

(4) कराकाज यूटिलाइजेशन प्लान्ट प्रस्तावित है।

कम्पनी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह इस बहुधन्धी कार्य हेतु 117 लाख रुपये खर्च करेगी और 1971–72 वर्ष में प्रोडक्शन चालू हो जावेगा। चूंकि इस पर राज्य में एक बहुधन्धी उद्योग की स्थापना होती थी, अतः विकास विभाग, उद्योग विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श से उक्त भूमि उक्त कम्पनी को 30 वर्ष की लीज पर निम्नलिखित शर्तों पर दिये जाने का निर्णय लिया गया:—

(1) पहले वर्ष केवल एक रुपया लीज लिया जायगा।

(2) अगले चार वर्षों में उक्त जमीन के बाजार भाव पर तीन प्रतिशत पर एकड़ जो कि 250 पर एकड़ से अधिक नहीं होगी,

(3) पहले पांच वर्षों के उपरांत लीज मनी उक्त जमीन की बाजारू कीमत 6 प्रतिशत होगी बशर्ते कि वह 250 पर एकड़ से अधिक न हो।

यह भी तय किया गया कि उक्त जमीन डेयरी और डेयरी इन्डस्ट्री, पौलट्री एवं पोलट्री इन्डस्ट्री हेतु ही काम में ली जावेगी, और कृषि विभाग यह तय करेगा कि कम से कम कितने मवेशी कम्पनी द्वारा रखे जायेंगे। ऐसी उक्त जमीन पर केवल फॉडर क्राप ही उगायेगा एवं धान्य या वाणिज्यिक फसल नहीं उगा सकेगा। ना जमीन किसी दूसरे को सबलेट की जा सकेगी। शर्तों के उल्लंघन पर जमीन पुनः अधिग्रहण की जा सकेगी। इन सब शर्तों को सम्मिलित करते हुए लेसी से इकरारनामा लिखाया जावेगा। यह आदेश 'दिनांक 13-9-70 को प्रसारित किये गये। अभी तक उक्त कम्पनी को उक्त भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है। जिलाधीश ने इकरारनामा का प्रारूप अनुमोदन हेतु भेजा है जिसका परीक्षण विधि विभाग के परामर्श से किया जा रहा है।

उपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि उक्त कम्पनी को राजस्थान भू-राजस्व

(श्री रामकिशोर व्यास)

अधिनियम की धारा 102 के अन्तर्गत राज्य में एग्रोइन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स की स्थापना हेतु दी गई थी, जिसके लिए कि राज्य सरकार सक्षम है। चूंकि इस प्रकार के कम्प्लेक्स से राज्य में इन्डस्ट्रियल विकास होने की सम्भावना है अतः सीलिंग के प्रावधानों से उक्त कम्पनी को मुक्त किया जाना अनुचित नहीं होगा। साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि इस वर्ष उद्योग हेतु भूमि आवंटन करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिह : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कुछ कहने से पहले..........

श्री भैरोंसिह : आपने जो अभी 102 लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत एलॉटमेन्ट करने की बात कही है, क्या यह 1958 में इस प्रकार जो भूमि एलाटमेन्ट करने के नियम बने थे, उसके अन्तर्गत यह किया गया है?

श्री रामकिशोर व्यास : 102 के अन्तर्गत।

श्री भैरोंसिह : 102 के जो नियम बने हैं, उसी सेक्शन के अन्तर्गत ?

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, टेक्निकल, जैसे कि डी. एफ. ओ. या सी. सी. एफ. इन में किसी से फॉरेस्ट लेन्ड रिलीज करने से पहले इनसे कन्सल्ट नहीं किया गया है ? नम्बर दो, क्या डेयरी परपज के लिए लेन्ड एलॉटमेन्ट सेक्शन 102 के अन्तर्गत किया ? राजस्थान लेन्ड एलॉटमेंट का डेयरी फार्म के लिए या पोलट्री फार्म के लिये एक सीमा निर्धारित है। क्या यह सही है कि जानवरों की संख्या भी निर्धारित है ? उसके लिए मैक्जिमम 500 बीघा एलॉट की जा सकती है। क्या यह सही है कि 13 अगस्त, 70 को 1 हजार एकड़ जमीन दी है। उस समय से इतने मवेशी गाय, भैंस कितने रखे जाएंगे? आज तक राजस्थान सरकार के सामने इस प्रकार की कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है ? क्या यह सही है कि उस रूल के अधीन जो मिनियम रेवेन्यू वसूल करना चाहिए, 25 बीघा पर 1 रु. वसूल किया जाये, यह व्यवस्था है नियमों में। जब कि आप ने एक वर्ष में 1 रु. वसूल करने की कार्यवाही की है ? क्या यह सही है कि आपको एप्लीकेशन दी गई जब कि कम्पनी का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सामने आज तक इस कम्पनी के कौन डायरेक्टर हैं, इसका कितना केपिटल है, फाइनेन्शियल पोजीशन क्या है, यह कुछ नहीं है ? केवल यह इतने कि यह लाख रुपये इनवेस्ट करेंगे। इसके अलावा कोई जानकारी इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनका शेयर केपिटल क्या है, उसकी फाइनेन्शल पोजीशन क्या है, यह अब तक राज्य सरकार ने जानकारी प्राप्त नहीं की है ? क्या यह सही है कि यह मि. सिक्का एक रिटायर ऑफिसर है ? क्या वह इन बातों के लिए राज्य सरकार को सन्तुष्ट कर पाये हैं ? क्या यह सही है कि डेयरी फार्म के अधीन, कृषि फार्म के अधीन जो भूमि रहनी चाहिए वह सीलिंग कानून को संशोधित करते वक्त सरकार ने विथड्रा कर ली है ? जिसमें यह आदेश दिया गया है कि कोई आदमी अपने पास 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रख सकता है ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सामने

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि मि. सिक्का ने कोई डेयरी फार्म मशीनरी परचेज की है या वह मशीन परचेज करेंगे। इस प्रकार की कोई जानकारी राज्य सरकार के सामने दी गई हो। अगर यह जानकारी राज्य सरकार के सामने नहीं थी, जैसा कि पता है, तो राज्य सरकार ने उनको जो जमीन दी है उसका क्या कारण है? जब रूल्स में निर्धारित एक भी रूल का पालन न करते हुए 102 के अन्तर्गत यह एलॉटमेंट किया गया है। रूल्स की अवहेलना की गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह स्थिति है। राजस्व मन्त्री जी इसे स्पष्ट करें।

श्री रामकिशोर व्यास : दो-तीन बातें आई हैं। एक तो आपने यह कहा है कि फॉरेस्ट डिपोर्टमेन्ट, कलेक्टर, डेवलपमेन्ट, इनके जो अधिकारी हैं उनकी सलाह लिए बिना यह किया गया है। लेकिन जिन अफसरों के नाम आपने बताये हैं, उनकी सलाह इसमें शामिल है। कलेक्टर की सलाह है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सी. सी. एफ. की राय है?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें मौजूद है?

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कब की है।

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख हमारे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डिपार्टमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया।

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्ट में नहीं है।

दूसरे, डेयरी रूल्स हैं, 102 के अन्तर्गत किया गया है इसलिए कि 500 बीघा से अधिक देना है। अगर किसी को हेवी इण्डस्ट्री लगानी है। बड़ा प्लाण्ट लगाने का है। मिल्क या फूड का उत्पादन करना है, तो उससे यह कवर नहीं हो सकता था। यह तो 102 से ही कवर हो सकता है। इसमें यह चारों बातें शामिल हैं।

(1) मल्टीपरपज मेकेनाइज्ड इर्रिगेटेड एग्रीकल्चर फार्म,

(2) मिल्क फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट,

(3) फीड प्रोसेसिंग मिल,

(4) क्रॉसकाज यूटिलाइजेशन प्लाण्ट

श्री कृष्णकुमार गोयल : माफ करें, आप ने पढ़ा है? इसमें लिखा है–

Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land to Dairy and Poultry Farms) Rules, 1958.

श्री रामकिशोर व्यास : हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : Have you read it?

श्री रामकिशोर व्यास : हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपका डेयरी और इन्डस्ट्री का दोनों का इसमें कवर होता है। रूल्स में लिखा हुआ है। यह सब इसमें आता है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह कम्प्लेक्स में कवर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या है, तो वह बोलिये।

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी तरफ से एप्लीकेशन आई थी।

श्री भैरोंसिंह : आप ने किस खास काम के लिए दी है?

श्री भैरोंसिंह : कम्प्लेक्स किस तरह का है?

श्री रामकिशोर व्यास : चार बाते है:—(1) मल्टीपरपज मेकेनाइज्ड इरिगेटेड एग्रीकल्चर फार्म, (2) मिल्क, फूड प्रासेसिंग प्लान्ट, फीड प्रोवेंडिंग मिल, कराकाज युटिलाइजेशन प्लान्ट...

श्री भैरोंसिंह : यही चार बाते हैं और कोई इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स नहीं है? इन चार बातों के अलावा?

श्री रामकिशोर व्यास : यही चार बातें बताई हैं, मल्टीपरपज मेकेनाइज्ड इरिगेटेड एग्रीकल्चर फार्म, मिल्क फूड प्रोसेसिंग प्लान्ट, फीड प्रोवेंडिंग मिल।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तत डेयरी में आ जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इन चार के अलावा और कोई बात नहीं है?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : और बाते पीछे बतायेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करूं कि सबसे पहले तो माननीय सदस्यों की इस बात का स्पष्टीकरण हो जाय कि जो सिक्का नाम बताया या जिनका नाम भी बताया वह रिटायर्ड ऑफिसर हैं। यह सही बात है कि वह रिटायर्ड ऑफिसर हैं और केटल ब्रीडिंग के अन्दर हिन्दुस्तान के माने हुए एक्सपर्टस् में से हैं। उन्होंने इस बारे में कुछ और टेक्निशियनों के साथ इस बात के लिए एप्रोच किया था कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के प्रोजेक्ट को तैयार करने की कोशिश करें कि जिससे केटल ब्रीडिंग हो और इस प्रकार का कम्प्लेक्स तैयार किया जाय जिससे राजस्थान के अन्दर बहुत पोटेंशियल तरीके से डवलपमेंट कर सकें। उन्होंने इस सम्बन्ध में मांग की—उनका इस सम्बन्ध में जो मेमोरेन्डम है उसमें है कि किसी भी व्यक्ति की पच्चीस हजार से ज्यादा शेयर केपिटल नहीं होगी। यह मेमोरेन्डम का एक पार्ट है। कुछ लोग मिल कर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से, दूसरों से, अलग अलग जगह से सबका सहयोग प्राप्त कर के अगर यह सफल कम्प्लेक्स होता है तो एक दिशा जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
अब तक डेवलपमेंट की सामने रखी हुई है उसमें एक दिशा और खुलती है। और वह भी किसी इंडिविजुग्रल के द्वारा नहीं, एक जोइन्ट लिमिटेड कन्सर्न के द्वारा, उसमें कई एक्सपर्ट्स मिल कर काम करेंगे। उसमें किसी केपिटलिस्ट का सवाल नहीं है। उसमें पच्चीस हजार से ज्यादा इंडिविजुग्रल की शेग्रर केपिटल नहीं हो सकती। स्माल स्केल इण्डस्ट्री में ही इससे ज्यादा एन्करेज करते हैं। तो यह इस प्रकार का प्रोजेक्ट है। इसको इस लाइट में देखें।

श्री भैरोंसिंह : इससे क्या हुग्रा? इसमें एक बात तो यह बता दीजिये कि शेग्रर केपिटल पच्चीस हजार से ज्यादा नहीं होगी—क्या यह ग्रावेदन-पत्र में लिखा है? मैं दूसरे यह जानना चाहता हूं कि कुल कितनी कपिटल है?

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : किस किस की ग्रौर कितनी है?

श्री रामकिशोर व्यास : 1 करोड़ 70 लाख लगाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिह : लगाना नहीं......

श्री रामकिशोर व्यास : प्रोस्पेक्टस का है, पचास हजार ग्राथोराइज्ड केपिटल रखी है।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : पेड-ग्रप कितनी है, ग्रौर सब्सकाइब्ड कितनी है?

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने स्वयं ने डेयरी डेवलपमेंट के लिए ग्रौर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए नियम बना रखे हैं, उन नियमों के ग्रन्तर्गत ग्रगर कोई एलॉटमेंट होता ग्रौर उस एलॉटमेंट से राजस्थान के विकास में किसी प्रकार का योगदान होता, तो सदन का कोई भी माननीय सदस्य उसका विरोध करने की ग्रावश्यकता महसूस नहीं करता। लेकिन जिस प्रकार से एक हजार बीघा जमीन का एलॉटमेंट.....

श्री रामकिशन : 1000 एकड़।

श्री भैरोंसिंह : 1000 एकड़ जमीन का एलॉटमेंट किया गया है ग्रौर डेयरी डेवलपमेंट ग्रौर पोल्ट्री फार्मिंग के सम्बन्ध में जो बनाये गये नियम हैं उनको ग्रलग रख कर धारा 102 के ग्रन्तर्गत, जो राज्य सरकार को एलॉटमेंट के लिए विशेषाधिकार मिला हुग्रा है, उसका उपयोग करके ग्रगर एलॉटमेंट किया जाता है, तो वह निश्चित रूप से एक चर्चा का कारण बनता है। सभापति महोदय, राजस्थान में डेयरी डेवलपमेंट किया जाय–इसमें किसी को कोई ग्रापत्ति नहीं है, लेकिन यह केवल सिक्का नहीं है जिनको एक हजार एकड़ जमीन का एलॉटमेंट किया गया है, ग्रलवर के पास शाहजेन, सिरस्का के जंगल में इस प्रकार जमीन का एलॉटमेंट कराने का प्रत्यन कर रहे हैं। धौलपुर में इसी तरह राजमाता ने भी...

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : भैरोंसिंह जी, मुख्य मंत्री जी ग्राप तक सूचना भेज देते हैं ग्रौर क्षेत्र के प्रतिनिधियों तक नहीं पहुंचती—क्या मामला है?

श्री भैरोंसिंह : अगर मेम्बर विजिलेण्ट हो, तो सूचना आ जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : या आपका कोई और सोर्स है ?

श्री भैरोंसिंह : इसी प्रकार, सभापति महोदय, धौलपुर में नवर्न डेयरी के नाम से एक डेयरी चालू करने का काम किया जा रहा है, धौलपुर में राजमाता इसी प्रकार की योजना को लेकर चल रही हैं। भरतपुर में भी इसी प्रकार डालमिया ने एक डेयरी चालू कर रखी है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि राजमाता धौलपुर में डेयरी के नाम से कन्डेन्स्ड मिल्क और पाउडर मिल्क बनाने की योजना चालू करने का काम कर रही हैं, उसके लिए उन्हें छः एकड़ लैंड की आवश्यकता पड़ेगी और डालमिया जो डेयरी डेवलपमेंट की योजना हाथ में लेना चाहते हैं और डेयरी प्रोजेक्ट या डेयरी डेवलपमेंट के लिए जो भरतपुर में योजना चालू की गई है उनमें भी छः एकड़ की आवश्यकता महसूस हुई है, तो मैं यह नहीं समझ पाया कि जब डेयरी डेवलपमेंट के लिए जो योजना बनाई गई है, प्लान्ट लगाया गया है, जो काम चालू हो गया है उसमें तो छः एकड़ लैंड की आवश्यकता महसूस की गई, लेकिन उसी प्रकार के काम के लिए जालौर के अन्दर एक हजार एकड़ जमीन एलॉट की गई है। इन दोनों के अन्दर अन्तर का औचित्य नजर नहीं आता है। राज्य सरकार यह कह कर चले कि इसके अन्दर बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, राजस्व मंत्री जैसे यह कह कर चलते हैं कि एक करोड़ सत्तर लाख का इन्वेस्टमेंट अगले साल हो जायगा और जैसा कि आप यह कह रहे हैं कि आथोराइज्ड केपिटल पचास हजार की है, तो जब इतनी आथोराइज्ड केपिटल है और माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना है कि पच्चीस हजार से ज्यादा के शेअर एक इंडिविजुअल को नहीं देना चाहते हैं, तो इस बात की हॉलोनेस पता लगती है· · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1 करोड़ 70 लाख के इन्वेस्टमेन्ट के लिए तो दो सौ शेयर होल्डर होने चाहिए। तो यह पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पब्लिक लिमिटेड।

श्री देवीदत्त गाडिया : कहां है पब्लिक लिमिटेड। यह प्राइवेट लिमिटेड है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दोनों तय करके बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : पब्लिक लिमिटेड।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री जी कह रहे थे वह सही नहीं है–इसका मतलब यह है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पब्लिक लिमिटेड कम्पनी नेम्ड इंडियन डेयरी एन्टरप्रेन्यूअर्स कम्पनी लिमिटेड।

श्री रामकिशन : इसमें लिखा है उतना पढ़ दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरा क्या पढ़ूं।

श्री भैरोंसिंह : इस स्थिति में प्रश्न विचार करने का यह है कि जो काम छः एकड़ में हो सकता था, उसके लिए एक हजार एकड़ ज़मीन क्यों दी गई? इसके साथ ही साथ मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, कि जब यह कह कर चल रहे हैं कि 1 करोड़ 1 लाख....

एक माननीय सदस्य : एक करोड़ 70 लाख।

श्री भैरोंसिंह : 1 करोड़ 70 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा और पचास हजार आथोराइज्ड कैपिटल है तो क्या राज्य सरकार ने कभी इस सम्बन्ध में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई है कि जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पर यह अन्दाज लगाया जा सकता हो कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट जरूरी है? कितना इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके क्या रिटर्न्स होंगे? और जिस मकसद को लेकर यह काम हो रहा है उसके लिए कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी तब जाकर टार्गेट्स को अचीव कर सकते हैं? कब उन टार्गेट्स को अचीव किया जायगा? मेरी जानकारी के अनुसार इस प्रकार की कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट राजस्थान सरकार ने तैयार नहीं करवाई है और न जिस व्यक्ति को यह जमीन एलॉट की गई है उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना कर दी है। अगर कोई यह मान कर चले कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिना ही राज्य सरकार यह दावा कर सकेगी कि अमुक समय में टार्गेट्स पूरे हो जाने चाहिए तो ऐसी बात नहीं है। जिस आर्डर से आपने यह जमीन का एलॉटमेंट किया है उसमें केवल यह कहा है कि इस जमीन का उपयोग तीन कामों के लिए किया जायगा। इसके साथ ही दूसरी बात उसमें यह लिखी है कि इस जमीन का उपयोग वह तीस वर्ष के लिए कर सकेंगे, तीस वर्ष के बाद में उनका राइट होगा कि चाहें तो एक्सटेंशन करा लें। बाकी इसमें कोई शर्त ऐसी नहीं है जिस शर्त के आधार पर इस व्यक्ति को इस बात के लिए पाबन्द किया जा सके कि तुमने एक करोड़ सत्तर लाख का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया? तुमने अमुक समय में इस प्रकार का प्लान्ट क्यों नहीं लगाया? जो डेयरी प्रोडक्ट की शर्त थी वह आज तक तुमने पूरी क्यों नहीं की? इस प्रकार का डेवलपमेंट का काम तुम्हें करना चाहिए था वह तुमने क्यों नहीं किया? इस प्रकार का डिटेल में किसी प्रकार का उस पार्टी के साथ एग्रीमेंट है?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है "...shall be liable to be resumed on breach of conditions...."

श्री भैरोंसिंह : कौनसी कन्डीशन्स? वह तो इसमें लिखी है। एक तो है : "In case of breach of any condition

(श्री भैरोंसिंह)

of allotment referred above, the land together with any structures thereof shall be liable to resumpt on without payment of any compensation." आपका मतलब यह है, मैं यह कह रहा हूं कि आपने जो शर्तें रखी हैं उनमें पहली शर्त तो यह है कि वह जमीन केवल डेयरी, डेयरी डवलपमेंट के काम के लिए काम में लाई जायगी। पहली यह है, दूसरी यह है : "The lessee would be allowed to construct buildings for purposes like cattle shed, poultry shed, storage godowns, residence of the workers engaged on the dairy farm.. etc. etc. तीसरी यह है: "The land shall not be sub-let or otherwise in any way transferred by the lessee." चौथी है इन केस आफ ब्रीच। इसका मतलब यह है कि तीन कन्डीशन्स हैं ब्रीच करता है तो यह जमीन रिज्यूम की जा सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कन्डीशन्स पर्याप्त नहीं होतीं। इन कन्डीशन्स के स्तर पर जो एस्योरेन्स मिला है और जिन एस्योरेन्स को आपने असेम्बली में व्यक्त किया है कि 1 करोड़ 70 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, अमुक प्रकार का प्लान्ट लगेगा, अमुक प्रकार से डेयरी डवलपमेंट होगा, अमुक प्रकार से मिल्क प्रोडेक्ट का काम होगा, कितने समय में यह काम होगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। इस प्रकार की कोई लैसी की तरफ से किसी प्रकार की गारन्टी नहीं दी गई है। इस प्रकार से एग्रीमेंट पर जमीन देने पर, आप मान कर चलिये, राजस्थान में आपका अनुभव है तो हमने भी राजस्थान के अन्दर देखा है कि इस प्रकार से जिन लोगों ने जमीन ली हैं और इस प्रकार से जिन लोगों ने फारेस्ट पर कब्जा किया, उन्होंने कितना और किस प्रकार का इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट राजस्थान के अन्दर किया ? स्थिति यहां तक है कि उस इन्डस्ट्री का दिया हुआ लोन वसूल नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज वसूल नहीं होते हैं और पी. डी. आर. में एक्शन लेने में असम्भव रहते हैं और अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। वैसी ही अब एक यह नई स्थिति लाना चाहते हैं–इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो लीज लिखी है क्या इसका कोई डीड एक्जीक्यूट हुआ है उसके और राज्य सरकार के बीच में ? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं हुआ है ऐसी हालत में एलॉटमेंट के आपने कलेक्टर को आदेश कर दिए और कलेक्टर एलॉटी को जमीन ट्रांसफर कर दे, तो ट्रांसफर करने पर आपका आर्डर केवल इफेक्टिव रहेगा। एग्रीमेंट पर किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं हुए। इस प्रकार की स्थिति घातक होगी। सिक्का साहब हो, उनके डेयरी डेवलपमेंट के ज्ञान को मैं चुनौती नहीं देना चाहता, उनके सहयोग से राजस्थान का विकास होता है तो मुझे आपत्ति नहीं लेकिन आप मानकर चलें कि न तो श्री सिक्का के पास पूंजी है न श्री कक्कड़ के पास पूंजी है, बल्कि ब्लेक मनी किसी न किसी रूप में सेठ की आएगी, वही इसमें लगने वाली है। बाकी श्री कक्कड़ के पास पूंजी कितनी है वह अच्छी तरह से जयपुर का हर आदमी जानता है और सिक्का साहब के पास कितनी पूंजी है, लोगों से छिपा हुआ नहीं है। वह अपनी पूंजी के आधार पर डेढ़ करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दें, यह संभव नहीं है। जो लोग पूंजी को आगे लेकर इन्डस्ट्री के रूप

(श्री भैरोंसिंह)

में खर्च करना चाहते हैं वह लोग आ रहे हैं।

श्री सिक्का अपने कमिटमेंट को निभाएगा या नहीं कह नहीं सकता। अब तक जो एग्रीमेंट किया है ठोस विचारधारा के आधार पर ठोस कमिटमेंट के आधार पर नहीं किया, केवल इसी आधार पर किया है कि एप्लीकेशन आ गयी, दबाव आ गया और उस कारण से यह कर दिया।

राजस्थान में जमीन की कमी है। आज राजस्थान के भूमिहीन किसान जमीन आवंटन करने के संबंध में आन्दोलन कर रहे हैं वहां आप एक एक हजार एकड़ के फार्म बनाकर डेयरी डेवलपमेंट का काम सोपेंगे तो निश्चित रूप से और लोग भी क्लेम करेंगे और आप लोगों के लिए इन्कार करना मुश्किल होगा। सीलिंग कानून में डेयरी डेवलपमेंट के लिए हमने जो एग्जेम्शन्स दे रखे थे, 6 महीने पहले वापस लिए। हजारों मवेशी हैं वह लोगों को बेचने पड़े हैं, जमीन सरकार को सरेंडर करनी पड़ी है। यदि डेयरी डेवलपमेंट का सवाल था तो साइन्टीफिक युग में किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, लोगों को उसका शिक्षण देकर उन लोगों को एन्करेज किया जा सकता था लेकिन ऐसा न करके उनकी जमीन को सरकार ने रिज्यूम किया और सरकार खेती में जो जमीन थी, वह इस प्रकार के फार्म्स को एलाट करने जा रही है। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट से कोई रिटर्न्स के लिए नहीं होगी। इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट जैसे और लोगों ने फार्म्स बना रखे हैं, उस प्रकार के बना कर एग्रीकल्चर का काम करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार की स्थिति होती है, आप भी जानते हैं।

राजस्थान में, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, कई लोग ऐसे हैं डेयरी विकास के नाम पर फार्म्स के लिए धारा 102 के तहत जमीन एलाट करवाई लेकिन एक भी मुर्गी फार्म पर नहीं है। या तो मकान बना रखे हैं या खेती करते हैं या आबादी में लेकर जमीन का विक्रय करते हैं। इस तरह दूसरे कामों के लिए भूमि का उपयोग किया जा रहा है। राजस्व मन्त्री और मुख्य मंत्री जानते हैं और ऐसी हालत में जब कोई डीड एग्जीक्यूट नहीं कराया, आपने डेवलपमेंट के लिए कन्डीशन्स प्रेस्क्राइब नहीं की, हस्ताक्षर उनसे नहीं कराए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और उससे पहले जमीन का एलॉटमेंट कर दिया, मैं समझता हूं सरकारी स्तर पर प्रशासनिक रूप से जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए उसमें जबरदस्त कमी रही है और ऐसी हालत में राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक प्रकार से पैटर्न बनेगा। इस प्रकार का पैटर्न राजस्थान में नहीं बनायें जिसमें एक हजार एकड़ जमीन में किसी प्रकार का डेयरी विकास का काम नहीं हो सके। बीकानेर में लोगों ने एप्लीकेशन्स दिए, मुझे याद है जैसलमेर जिले में कुछ लोगों ने एप्लीकेशन्स दीं, सरकार ने जवाब दिया कि हम 500 एकड़ से ज्यादा जमीन एलॉट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी एप्लीकेशन्स खारिज की हैं। तो राजस्थान में भूमि की कितनी आवश्यकता है, कितनी अवेलेबुल है, दोनों को ध्यान में रखकर इस प्रकार के औद्योगीकरण को प्रोत्साहन नहीं दें जिसमें ज्यादा जमीन को कवर करें और थोड़ा काम हो।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि जमीन का एलॉटमेंट नहीं किया तो सारे एग्रीमेंट को कैंसिल करें, एलॉटमेंट न करें और इस प्रकार के कामों के लिए एलॉटमेंट के संबंध में यदि धारा 102 के तहत कोई नियम नहीं बनाकर चलते हैं तो डेयरी डेवलपमेंट के लिए जो नियम बने हुए हैं उनके आधार पर जमीन का एलाटमेंट करें तो वह सेफ होगा और रिटर्न्स मिलेंगे।

(घंटी)

इसलिए राज्य सरकार एलॉटमेंट कैंसिल करें और इस प्रकार के उद्योगों के विकास के संबंध में योजना बनाकर उस आधार पर एलॉटमेंट करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा वरना कहीं पक्षपात की बू आती है जो आज प्रकट नहीं होती है लेकिन शेयर्स खरीदने के समय बदबू बनकर लोगों के सामने आ गी। सरकार हाथ काट चुकी तो फिर मुश्किल होगा, ऐसी स्थिति पैदा न हो, ऐसी व्यवस्था की जाय।

श्री बिरदाराम (जालौर) : सभापति महोदय, जो एक हजार एकड़ जमीन फार्म के लिए दी है मैं वहीं का ही जालोर जिले का भीनमाल का रहने वाला हूं। कम से कम हमें तो मालूम रहना चाहिए, आपने ऊपर से निर्णय थोपा है, हम से सलाह होनी चाहिए थी। हम वहां के निवासी हैं। भीनमाल के आसपास के 7-8 गांवों के मवेशी आ सकते हैं। भीनमाल, जुंजानी, कावतार अरत्नू, मीरपुरा, नरता, कुशलापुरा और आस पास के गांव हैं। 8–9 गांवों के मवेशी चरते हैं। उनके लिए सरकार क्या इंतजाम करेगी। लोगों का वहां मवेशी पर आधार है, इतनी भेड़-बकरी हैं सांड व ऊंट हैं, वह चरते हैं, सरकार उनके लिए क्या बंदोबस्त करेगी? डेरी फार्म वहां खोला जाएगा तो वहां के रहने वालों का उसमें हिस्सा रखा जायगा या नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार ने लीज दिया है इस पर मुझे आपत्ति केवल इस बात पर नहीं कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई या नहीं, उसका लोन एग्रीमेंट अभी तक साइन हुआ या नहीं, वह केवल टेक्नीकल पाइंट्स हो सकती हैं। मेरा बुनियादी तौर पर मतभेद इस बात पर है कि जो सरकार की खुद घोषित नीति है भूमि सुधारों के संबंध में, भारत सरकार की नीति है आपके दल की नीति है वह एलॉटमेंट उन तमाम भूमि सुधारों की नीति और सीलिंग लॉ को लागू करने का कम्पलीट ओपन रेप्युडिएशन है।

अगर आप इंडस्ट्री लगाने की दृष्टि से किसी आदमी को रा-मेटीरियल पैदा करने के लिए जमीन दें तो फिर तमाम टेक्सटाइल मिल काटन पैदा करने के लिए और जमीन मांगेंगे। ये दूसरी जितनी भी मिलें हैं और कारखाना लगाते हैं शुगर फैक्ट्रीज हैं उनको पहले आपने जमीन दी गन्ना पैदा करने के लिए, अभी मई में हमने उन एग्जेम्शन्स को खतम किया जो शुगर फैक्ट्रीज हैं जो शुगर के फार्म्स हैं चाहे रा–मेटीरियल जरूरी हो, तब भी वह जमीन उनको नहीं दी क्योंकि आखिर सवाल पैदा होता है केन्द्र में पहले खाद्य मंत्री जो के. एम. मुंशी थे तो उन्होंने कृषि विकास की दृष्टि से इस प्रकार का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्कीम रखी थी कि, छोटे छोटे किसानों के पास कैपीटल इन्वेस्टमेंट है नहीं, इसलिए बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाने चाहिए और बड़े बड़े कैपीटलिस्ट्स को हम दे दें, वह उसके अन्दर कैपीटल इन्वेस्ट करके देश की पैदावार बढ़ा देंगे। इसका असर देश की आम जनता पर क्या होगा, रोजगार पर क्या होगा, डिस्पैरिटी पर क्या होगा, वह दृष्टिकोण नहीं था केवल यह था कि पैदावार बढ़ेगी, सामाजिक न्याय पर क्या असर होगा, वह नहीं था। आपका भी दृष्टिकोण इसमें मुझे लगता है कि वह श्री के. एम. मुंशी की स्कीम थी, उसी को आप इन्डस्ट्री के नाम से, विकास के नाम से राजस्थान पर लागू करना चाहते हैं, वह यह है कि एग्रो इन्डस्ट्री बनायेंगे, मशीने लगायेंगे जिसमें कुछ करोड़ या लाख इन्वेस्ट करेंगे उसके लिये आप एक हजार एकड़ देना चाहते हैं। कारखाना जो लगेगा उसमें कुछ एकड़ की जरूरत होगी बाकी गाय, भैंस, भेड़ के चरने के लिये आप देना चाहते हैं, उनके पालन के लिये आप देना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि गाय भैंस आदि पालने का जो धन्धा करते हैं या उनसे आप उनका धन्धा छीन कर इन लोगों को देना चाहते हैं या उन लोगों को देना चाहते हैं जो दूध वगैरा इनको सप्लाई करे। यह बुनियादी सवाल है। आज हर तरीके से मैकेनाइज करके इस प्रकार के धन्धे को मोनोपोलाइज करके अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मैंने सुना है कि कुछ मोनोपोलिस्ट यह जो जूतों पर पोलीश वगैरा मोचियों के लड़के करते हैं, उसके लिये मोबाइल वान्स जारी करना चाहते हैं। कुछ कैपेटेलिस्ट यह सोच रहे हैं। क्या लोगों को आप रोजगार देना चाहते हैं या जिसके पास रोजगार है उसको भी आप छीनना चाहते हैं? कुछ मोनोपोलीज के हाथ में धन्धा देकर आप उसको सिकोड़ना चाहते हैं या उस धन्धे को आप फैलाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि यह जो अपने लीज दिया है यह बिलकुल कैपीटेलिस्ट थिंकिंग से है और कुछ लोगों को जमीन देने का मकसद होगा और इससे इन्डस्ट्री और एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन मिलेगा नहीं। पांच छः एकड़ आप कारखाने के लिये दे दीजिये। पचीस वालों को प्रोत्साहन मिलेगा जो गायें पालते हैं, भैसे पालते हैं, उनके दूध की बिक्री हो सकेगी और इसी दृष्टिकोण से यह कारखाना आप लगाते हैं तो यह दुरुस्त है।

तीसरी बात आपने यह रखी कि यह सब-लेट नहीं करेंगे। श्रीमान जी, यह पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है। बिरलाजी या शाहू जैन इसके सारे शेयर्स खरीद कर लेंगे तो आप इसको रोक सकेंगे क्या? पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के मार्केट वेल्यू के हिसाब से शेयर बिकेंगे। यदि यह घाटे में चली गई तो इसको वे नहीं लेंगे और प्रोस्परस होगी तो यह जैन साहब के हाथ में जावेगी, बिरला साहब या टाटा साहब कोई इसको ले लेंगे। शेयर मार्केट में जो इसकी वेल्यू अदा करेगा वह ही ले सकेगा। सब-लेट को कैसे रोक सकेंगे? मोनोपोली को आप कैसे रोक सकेंगे? 25 हजार के शेयर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? हरिजनों के नाम से करा लेते हैं तो इसके लिये तो क्या कहा जाय। 25 लाख हों तो भी ले लेंगे। घनश्यामदासजी बिरला के नाम से थोड़े ही है, बेटे-पोते आदि के नाम से है।

श्री भैरोंसिंह : घनश्यामदासजी इनकम टैक्स नहीं देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सीलिंग कानून आपने लगाया है उसके तहत रा-मैटिरियल पैदा करने की दृष्टि से किन्हीं इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को जमीन अलॉट की उसको आपने खत्म की। बागात को खत्म किया। उसके लिये भी यह कहा जा सकता था कि डेवलपमेंट की दृष्टि से यह ठीक है लेकिन जमीन का कुछ हाथों में कन्सन्ट्रेशन न हो, ज्यादा लोगों को जमीन मिले इसलिये कानून में संशोधन किया गया है। मई में कानून पास करके अगस्त में एक हजार एकड़ जमीन अलॉट कर दी। यह बिल्कुल गलत है। पंजाब की मिसाल माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने मौजूद है। एक हजार एकड का बिरलाजी को फार्म के लिये जमीन दी। उसके लिये वहां पर आपकी पार्टी भी विरोध कर रही है। हालांकि वह पावर में नहीं हैं। सिद्धांततः अकाली पार्टी भी इसका विरोध कर रही हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी विरोध कर रही हैं सब पार्टियां विरोध कर रही हैं और उसका नतीजा यह हुआ कि उस लीज को कैंसल करना पड़ा। उसके पीछे भी यही सब्ज-बाग दिखाये गये थे। इसलिये आप राजस्थान में एक गलत परम्परा डाल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट के लिये यह कहा जा रहा है कि सीलिंग के पक्ष में नहीं हैं। चीफ मिनिस्टर कान्फ्रेन्स में इसको लागू करने के लिये कोई बात नहीं कही। लेकिन आपने सीलिंग को नीचा करने के सम्बन्ध में पहला नम्बर ले लिया। आपकी सीलिंग को लागू करने में क्या नीयत है यह इस एग्रीमेंट से ही पता लग जाता है। 60 के बाद अपने एक बीघा जमीन भी वापस नहीं ली है। जुम्मे 2 सात दिन भी इसको पास किये नहीं हुए आप उसकी खिलाफवर्जी करके अलॉट कर रहे हैं। मई में पहला अधिवेशन हुआ, उसके बाद इसको लागू करने की बात थी किन्तु उसका वायोलेशन करके आपने अगस्त में एक हजार एकड जमीन अलॉट कर दी। आपकी पार्टी में इससे आपकी क्या पोजीशन होगी? आपने राष्ट्रपति के चुनाव के समय क्या कहा और उसके बाद आपका रोल क्या रहा, यह सर्व विदित है। आप लैंड रिफार्म्स को लागू करना चाहते हैं या नहीं चाहते है यह आपकी सिन्सियरिटी और कन्विक्शन के तौर पर परीक्षा का समय है। यह आपके लिये भी उचित है और राजस्थान की जनता के लिये भी उचित है। इसलिये इस एग्रीमेंट को केन्सल कर दिया जाय।

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय ....

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : प्रोन ए पोइन्ट ग्रोफ ग्रोर्डर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सब रूल्स को बालाए ताक रख कर एक एक स्टेटमेन्ट पर ....

(व्यवधान)

मुझे कह लेने दीजिये।

पांच-छः स्टेटमेन्ट्स सदन में हुए हैं उन पर अलग अलग भाषण हो रहे हैं

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार की अक्ल मोटी है इसलिए।

श्री मदनसिंह : इज इट पोइन्ट ऑफ ग्रोर्डर ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : पब्लिक इम्पोर्टेन्स के मामले पर स्टेटमेन्ट उपाध्यक्ष

(श्री यशवंतसिंह नाहर)
महोदय की आज्ञा से ही यह स्टेटमेन्ट का दिया जाना संभव हुआ है। उसकी क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं वह अलग बात है। लेकिन स्टेटमेन्ट होता है तो यह कन्वेंशन हो गया है कि प्रश्न पूछे ही जायं? इन रूल्स में यह रखा हुआ है कि स्टेटमेन्ट हो जाने के बाद प्रश्न नहीं पूछे जावेंगे।

श्री सभापति : यह रूल्स में है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : लेकिन यह कन्वेंशन बन गया है कि प्रश्न पूछे ही जाय। मैं समझता हूं यह सरमेनाइजेशन कहां से आगया ? यह ऐसा हो गया तो दुनियां डूब जायगी यह गलत हुआ ? इस प्रकार की बातें स्टेटमेण्ट के बाद कहां से आती हैं।

श्री श्रवणलाल : क्या इस अलोटमेन्ट को केन्सिल किया जायगा ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरे एतराज पर निर्णय हो जाने दीजिये। ढाई घण्टे तक मैं चुपचाप बैठा रहा। आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है लेकिन हर स्टेटमेण्ट के बाद यह सरमेनाइजेशन कहां से आता है ? हमारे जो रूल्स है हम उससे कितने आगे बढते जा रहे हैं यह सोचने की बात है।

श्री मदनसिंह : मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं'

श्री सभापति : पहले जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसका तो निपटारा करना पड़ेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री): इस पर इतना वाद–विवाद होगा मैं नहीं समझता था। यह समझ कर हमने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसी प्रकार से पंजाब में एक हजार एकड़ का फार्म दिया गया था इरिगेटेड लैण्ड में से यह भूमि दी गई थी सीड मल्टीप्लिकेशन के नाम पर दी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जालोर के अन्दर जो यह भूमि दी गई वह यह ध्यान में रखकर कि उस एरिया के अन्दर एक एक्सपर्ट के जरिये यह काम हो सके इस लिहाज से केटल डवलपमेण्ट के लिहाज से, जहां आये दिन अकाल की स्थिति पैदा होती रहती है और वहां से केटल का माइग्रेशन हुआ करता है उस जगह के लिए कोई इण्डस्ट्री बन सके तो सारे जिले को कई स्थानों पर इस चीज को कोआपरेटिव के तरीके से, मिल्क कलेक्शन के तरीके से और, और तरीके से एक्सपेरीमेण्ट सफल होने के बाद आगे इसको एक्सपाण्ड किया जा सके। इसी भूमिका के अन्दर इस बात को ध्यान में रखते हुए यह हमने सोचा था। इस में मोनोपोली टेण्डेन्सी को बढावा देने की बात नहीं है यह कल्पना हम करके चले भी नहीं। सोचा यह था कि वहां की काकरेज ब्रीड है जो सबसे बेस्ट मिल्क यील्ड ब्रीड है। इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इस प्रकार वहां की इकोनोमी को डवलप करने के लिये किसी न किसी के द्वारा पहल करने की जरूरत है। केटल ब्रीड को इम्प्रूव करके और वह भी कामर्शियल तरीके से हो, जिले के लोगों में यह भावना न हो कि यह जमीन दूसरे लोगों को दी जा रही है, जिले के लोग

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की भावना को हमें ध्यान में रखना है इसके पीछे कोई सीलिंग की भावना को इधर उधर करने का प्रश्न नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक राजस्थान के अन्दर आर्चर्डस पर सीलिंग नहीं रखी। टी- काफी प्लाण्टेशन पर सीलिंग नहीं, इण्डस्ट्री समझ कर इस पर सीलिंग नहीं लगाई··

श्री रामकिशन : यह आप कहां की बात कह रहे हैं

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसको सभी जानते हैं केरल की बात कह रहा हूं।

श्री रामकिशन : तो आप साफ नाम लीजिये ना।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम यहां जब कोई कदम उठाते हैं तो उसको पोलिटीकल रूप देने की चेष्टा की जाती है राजस्थान में हमने यहां पर जो कुछ इस सम्बन्ध में किया है उस पर स्टिक रह कर चलना चाहते हैं।

यहां पर यह कहा गया कि हम सीलिंग ला को डिफीट करके और इन्डीवीज्युवल के लिये कुछ करना चाहते हैं मैं समझता हूं यह भ्रम है इस प्रकार कुछ नहीं किया गया है। जो हमने टाइम शिड्यूल कायम किया है उस पर हम दृढ़ हैं। जो प्लाट्स हमने देने का निश्चय किया है वह किसी को ट्रान्सफर न हो जाय उस पर चेक्स काउण्टर चेक्स रख सकें उसका मिसयूज. न हो इसके लिये सोचा जा सकता है। इस बारे में सदन में किसी प्रकार के सुझाव आते हैं जो एग्रीमेण्ट का प्रारूप है उसमें किसी प्रकार की तब्दीली की आवश्यकता है सदन उस बारे में कुछ ठोस सुझाव देगा तो हम उसके अनुरूप उसमें चेन्ज कर सकते हैं। हमारा इस बारे में कोई इन्सिस्टेन्स नहीं है भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य न चाहते हों कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार की इण्डस्ट्री न खुले··

श्री आईदान सिंह : अभी तो मैं इस बारे में बोला ही नहीं हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर माननीय सदस्यों को इस मामले में एतराज हो तो और वे यह सोचते हों कि इससे वहां के लोगों को नुकसान होने वाला है तो हम इस पर पुनः विचार कर सकते हैं··

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : आप यह उद्योग दांतारामगढ़ में रख दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर दूं हमारा इन्सिसटेन्स नहीं है आप लोग इस बारे में गम्भीरता से विचार कर लें। दूसरी तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य हैं वे सारे इस बात को सोच लें कि इससे लाभ होने वाला है या नहीं हमारी इसको किसी प्रकार भी थोपने की मन्शा नहीं है। ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट की कापी आपके पास हैं इस बारे में कोई सजेशन्स हों जो एग्रीमेण्ट होना बाकी है उसमें कोई कांक्रीटली काम हो सके उसका मिसयूज न हो इस लिहाज से सजेशन्स हों तो आप दे सकते हैं। अगर इसमें किसी का यह ख्याल हो कि हम इससे मोनोपोलिस्ट टेण्डेन्सी को बढ़ावा दे रहे हैं इससे नुकसान होने वाला है आप लोग यह फैसला कर लें कि इस रास्ते पर जाया जाय या न जाया जाय इसमें मुझे एतराज नहीं है।

श्री श्राईदानसिंह : इस जमीन के अन्दर बेरों के पेड़ खड़े हुए हैं। इसके पीछे दस गांव हैं। इस सर्दी में वहां के भील जाति के लोग वहां से बेर लाकर अपनी रोटी रोजी कमाते हैं उनका क्या होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप लोग मिल कर कह दें कि नहीं खोला जाय तो खोलेंगे नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां 6 एकड़ में काम हो सकता है उसके लिये एक हजार एकड़ देना इसको आप उचित समझते हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भरतपुर और अलवर में जो औसतन रैनफाल है वहां तो इतने से एरिया में काम हो सकता है। लेकिन उस इलाके में जहां पानी वर्षा से प्राप्त करना मुश्किल है, वहां पर कुए बनवाने होंगे फोडर ग्रो करना होगा और इसके साथ साथ मशीनों के लिये इनवेस्टमेण्ट करना होगा। आपको मालूम है बीकानेर में दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत वहां सेण्टर खोला गया था लेकिन जब वहां पर अकाल पड़ गया तो वह स्कीम नहीं चल सकी। वहां के और यहां के वातावरण में अन्तर है। हम यह नहीं चाहते कि किसी प्रकार के मोटिव इम्प्यूट करने की बात क्यों आये ?

श्री मदनसिंह : इसमें सवाल एक है टैकनिकली जो भैरोंसिंहजी ने फरमाया एक तो वह और दूसरा हमारे समाजवादी या साम्यवादी नेता ने फरमाया। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या गवर्नमेण्ट को अधिकार इस गान्धी शताब्दी के साल में हरिजन के सिवाय किसी अन्य को जमीन के अलॉटमेण्ट करने का था वहां दूसरों को अलोटमेण्ट क्यों हुआ है लीज पर अलॉटमेण्ट में और रेगुलर अलॉटमेण्ट में क्या कोई फर्क है ? क्या गवर्नमेण्ट इस प्रकार के लीज देने की अधिकारी है? अगर अधिकारी है तो कोई सवाल नहीं किसी के कहने से बन्द आप क्यों करेंगे ? क्या इसको बन्द करके राजस्थान की प्रगति को रोक देना चाहते हैं ? अगर अधिकार नहीं था तो हमारे सदन के सदस्य अधिकार दे दें तो कोई अनुचित नहीं होगा। मैंने प्रश्न रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय से किया है कि इस साल में गवर्नमेण्ट को इस प्रकार से हरिजनों के अलावा अन्य लोगों को भूमि देने का अधिकार था क्या ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं केवल दो प्रश्न रखना चाहता हूं····

श्री सभापति : आप बैठ जाइये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : दो हजार बीघा जमीन का मामला है।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, जब बाडमेर में 100 बीघा जमीन एलॉट हो रही थी तो गवर्नमेंट की ओर से यह कहा गया था कि कुए बनवायें जायेंगे और पहले भी यह बात हो चुकी है और यहां पर बहस हो चुकी है और उसकी इजाजत दी है और उस एरिया में 100 बीघा, 50 बीघा जमीनें एलाट हुई है और वहां पर क्या हुआ है और इसी अपोजिशन की तरफ से 100 बीघा, 50 बीघा की सिफारिश बाढ़मेर के लिये हुई थीं।

श्री सभापति : एक प्रश्न के आधार पर यहां आज वक्तव्य दिया गया और कुछ

Page No 102

(श्री सभापति)

स्थिति का स्पष्टीकरण हुआ है। उस दृष्टि से, नये तरीके से विचार करने की बात है। प्रश्न ही पूछना है, यह लीगली हुआ है, यह रूल्स में है या नहीं तब तो विवाद का कोई अन्त नहीं होगा। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह स्थिति रखी है। सभी सदस्यों को विशिष्ट रूप से कि क्या इसमें अमेंडमेंट होना चाहिये एग्रीमेंट में और इसका क्या प्रारूप होना चाहिये, एग्रीमेंट की रूपरेखा क्या होनी चाहिये, टोटली इसको केन्सिल किया जाना चाहिये, इसके लिये आप सरकार को सुझाव दें कि कोई सदस्यों की समिति हो, या सभी दलों के, प्रमुख दलों के नेता बैठकर राजस्व मन्त्रीजी के साथ विचार कर कोई ठोस नतीजा निकालें और उस नतीजे पर पहुंच सकें इस दृष्टि से इस पर विचार हो तो उचित होगा। सिर्फ प्रश्न ही करते रहे तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और फिर बहस बढ़ती ही जायेगी। जब सरकार की ओर से ऐसी स्थिति आ गई है और सरकार की ओर से इन्सिसटेन्स, एडमेंसी इस डील में नहीं है और जैसा कि माननीय मुख्य-मन्त्रीजी ने कहा है राज्य सरकार ने यह राज्य के हित में किया है और इसके लिये सरकार तैयार है तो कोई ठोस सुझाव दिये जाने चाहिये। ऐसा कोई ठोस सुझाव होना चाहिये कि दलों के नेता मुख्य-मन्त्रीजी के साथ या राजस्व मन्त्रीजी के साथ बैठ कर इसका कोई पृथक रास्ता निकाल लें और इसका कोई हल निकाल सके तो ज्यादा अच्छा होगा। श्री नाहर ने जो आपत्ति प्रस्तुत की थी वह तो मैं समझता हूं कि इस स्थिति को स्पष्ट करने के बाद स्वतः ही निरस्त हो जाती है और यह कितना महत्वपूर्ण है कि हाउस में मैंने राजस्व मन्त्रीजी को 16 तारीख को वक्तव्य देने लिये कहा और इस प्रकार से आज चर्चा हुई और चर्चा के दौरान में कुछ न कुछ नतीजा निकला है। यह जो आपत्ति है आपने स्वयं ने कही है कि नियम तो नहीं है लेकिन कन्वेंशन है यह कन्वेंशन भी नहीं तोड़ना चाहता हूं। इस कन्वेंशन पर वरिष्ठ-प्रत्यक्ष हों तभी इसके विपरीत व्यवस्था दिखायेंगे तो अच्छा होगा। अब इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी समाप्त करें। मुख्य मन्त्रीजी के सुझाव में उस संदर्भ में कोई ठोस सुझाव हों तो।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय,

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति जी, अभी मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है उसके पीछे भी राजनीति है। उन्होंने यह कोशिश की है और खास तौर से जालोर के सदस्यों को डरा दिया है कि हम इन्डस्ट्रीज़ लगावे या नहीं ? मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं यह आपने जो एक तरह से धमकी दी है उससे जालोर के लोग सोचेंगे कि यह इन्डस्ट्री लगाना एक अलग बात है और जमीन का एलाटमेंट करना दूसरी बात है। अलवर, भरतपुर वगैरह में ज्यादा बरसात होती है इसलिए वहां केटल रखना जरूरी नहीं है। तो मैं आपको यह निवेदन कर देना चाहता हूं। यह कहा गया कि जो इन्डस्ट्रीज है, या लगाई जावेगी उसके लिये

Page No 103

(श्री रामकिशन)

कुए खोदने होंगे और भी काम करने होंगे। इसके लिये आपको एक हजार एकड़ जमीन देनी पड़ रही है। यह जो आपकी दलील है वह लच्चर है। चाहे आपका उद्देश्य इन्डस्ट्रीज लगाने का हो लेकिन एक ही आदमी को पशुपालन और इन्डस्ट्री लगाने दी जाये तो उचित नहीं है। इस तरह हमारा जो उद्देश्य है समाजवाद का उससे अलग होकर आप चाहे अनचाहे पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं। एग्रीमेंट में संशोधन का सवाल है वह बहस का विषय नहीं है। जैसा आपका सुझाव है विचार कर सकते हैं। लेकिन आप इस जमीन का एलाटमेंट करेंगे तो यह एक मिसाल बनेगी और जगह जगह जो दूसरे उद्योग हैं वे लोग भी हर जगह कच्चा माल पैदा करने के लिये आपसे जमीन को सहूलियत मांगने लगेंगे और आप इन्कार नहीं कर सकेंगे और नतीजा यह होगा कि लोग सरकार पर दोषारोपण करेंगे। पिछले दिनों आपने यह घोषणा की थी और अनचाहे ही आप उस रास्ते पर जा रहे हैं कि यह इन्डस्ट्री जालोर में लगेगी और इसमें पशु पालन का बड़ा धन्धा होगा, दूध मंहगा होगा और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपने यह भी कहा कि भेड़ों को रख कर उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। यह इन्डस्ट्री, यह बीड़ जो कि राजस्थान में पांच हजार वर्षों से है और इसमें आपका पशुपालन विभाग है, उसको डेवलप करने की ओर आप ध्यान दें लेकिन एक ही आदमी को देकर, 2500 बीघा जमीन एक ही आदमी को दे कर आप अपने लिये ही मुश्किलात पैदा कर देंगे। इसलिये उद्योग चाहे वह शुगर का हो, काटन का हो और किसी का हो इस आधार पर मांग करने लगेंगे और उनके साथ आप दूसरी तरह का व्यवहार करेंगे तो वह पक्षपात होगा और आरोप लगाया जायेगा और सीलिंग कानून जिस मंशा से आपने पेश किया है वह स्वतः ही इससे समाप्त हो जायेगा। इसलिये यह जमीन ऐलाट नहीं की जाये। यह मेरा निवेदन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा यह निवेदन है कि एलाटमेंट नहीं किया जाये।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, मैंने बार बार निवेदन किया है। मैं इतनी ही जानकारी करना चाहता हूं ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : लीज कैन्सिल कर दी जाये।

श्री लादूराम सुलानिया : यह जो आपने जमीन दी है उसके बारे में तथ्य आये हैं। इस जमीन को देने के पहिले मेरा यह निवेदन है कि आप एक नोटिस निकाल दें और आम पब्लिक को सूचना कर दें कि यहां पर एक डेयरी फार्म बनवाना चाहते हैं। इसमें एक हजार एकड़ जमीन होगी और इस प्रकार की मवेशियां पाली जायेंगी। मैं कहता हूं कि इसके बाद कितने लोग आते हैं और अपनी राय देते हैं और उसके बाद आप विचार करें। इसमें आप एक, क्राइटेरिया रखते हैं कि मवेशियों को पालना है। वे लोग इस कार्य को हाथ में लेते हैं।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों को जमीन एलाट करने का तय किया गया था फिर यह जमीन कक्कड़ एण्ड कम्पनी को क्यों अलोट क्यों की गई। यह आपको

(श्री लादूराम सुलानिया)

ध्यान में रखना चाहिये था । जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यहां पर कहा है कि हम लोगों की राय नहीं ली गई जब कि वे उस क्षेत्र के विधायक हैं और आपके दल के हैं । आपने उन्हें पूछा है क्या ? ये दो तीन बातें हैं जिनसे एक मिसाल सामने आती है और उससे यह जाहिर होता है कि वह जमीन जिसे मुख्य मन्त्री जी सब सदस्य कहें तो उसको कैंसिल कर देंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको कैंसिल नहीं की जाकर उसे जालौर जिले के रहने वाले जितने भी हरिजन आदिवासी लोग हैं उनकी एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर आप उनको यह जमीन दे दें और उसमें उत्पादन किया जाये और राज्य सरकार धन दे और जमीन दे इससे लोगों को रोजगार मिल सकेगा वरना हमें डर है कि····

श्री सभापति : जो सुझाव आये हैं सदन के विचारार्थ मुख्य मन्त्री ने प्रस्तुत किये हैं उस सन्दर्भ में कुछ विचार रख दें, तो कोई ठोस नतीजा होगा ।

श्री लादूराम सुलानिया : यही तो कह रहा हूं कि यह कम्पनी कोन दे कर वहां के लोगों को आदिवासी लोगों को कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर राज्य सरकार यह जमीन उनको दे दे ।

श्री सभापति : ठीक है बस ।

श्री लादूराम सुलानिया : अब यह सुझाव दूंगा कि इस पर विचार····

श्री सभापति : खत्म करें····

श्री लादूराम सुलानियां : हमें डर है कि जितनी मवेशियां यहां पर पाली जायेंगी ·

श्री सभापति : यू. आई. टी. का बिल आने वाला है उसमें शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के दो मेम्बरसं रखने का प्रावधान है वरना वह रह जायेगा ।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं यह कहना चाहता हूं····

श्री नत्थीसिंह : शिड्यूल कास्ट को डेढ़ बीघा और इनके 1000 एकड़ जमीन ?

श्री लादूराम सुलानिया : जितनी मवेशियां इस बीड़ में होंगी वे बूढ़ी भी होंगी और बाद में उनकी हत्या की जायेगी । इस प्रकार की हमें आशंका है । इसमें हमारी धार्मिक हानि होती है इसलिये कम्पनी को यह जमीन नहीं दी जाये । आदिवासियों को यह जमीन एलाट की जाये और उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बना कर उत्पादन कार्य किया जाये ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, आखिर गांधी ने क्यों जोर लगाया था इस बात के लिये कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण हो और जमीन का विकेन्द्रीकरण हो । आखिर हमने उस वक्त सर-सब्ज बाग दिखाये थे कि इससे यह लाभ होगा, वह लाभ होगा लेकिन परिणाम यह रहा कि लाखों आदमी आज रिक्शा चला रहे हैं । सभी उद्योग नष्ट हो गये और जो जमीन थोड़ी बहुत बच रह गई है उसका भी केन्द्रीकरण हो गया तो गरीब नष्ट हो जायेंगे । इन्द्रा जी ने अपने सुपुत्र को मोटरों का कारखाना लगाने का लाइसेन्स दे दिया तो हमारे जो ये 38 मिनिस्टर हैं इसी तरह से

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

अपने अपने लड़कों के नाम कारखानों के लाइसेन्स दे देंगे और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। इन्दराजी में भी यह ताकत नहीं है। हमें प्रहरी के रूप में यहां पर आये हैं और यह नहीं हो सकता कि 2000 बीघा जमीन एक ही आदमी को दे जायें। चाहे हमें कितनी ही तकलीफ उठानी पड़े तब भी हम यह जमीन हरगिज नहीं देने देंगे। और आपने कहा इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। आज भी हम कहते हैं चारो धाम तीर्थ करने जाते हैं तो जालौर और नागौर जाने के लिए उसे कहा जाता है। चार-पांच हजार की बैल की जोड़ी देखने को मिलती है। वहां भी विकेन्द्रीकरण होना चाहिये इसलिये कि अगर वह दूध भी दिल्ली जाने लगा तो वहां के बेचारे बालकों के लिये क्या बचेगा? किसी कम्पनी को वही जमीन न दी जाय जो दी गई है उसको कैन्सिल की जाय ताकि थोड़े बहुत ग्रामों में बच्चों का निर्वाह हो सके।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, हमने सीलिंग एक्ट पास किया और जो एग्जेम्पशन विथड्रा किये वह बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाये हैं। मैकेनाइज्ड फार्म पर जो एग्जेम्पशन थे वह विथड्रा किये और इसी तरह कैटल ब्रीडिंग फार्म पर विथड्रा किये गये वह वास्तव में प्रगतिशील कदम था। मैं यह चाहता हूं जो प्रगतिशील कदम हमने उठाये हैं और जो सीलिंग पर निश्चय ही इम्पलीमेन्टेशन करने जा रहे हैं तो मैं यह चाहता हूँ सीलिंग से अधिक कोई जमीन किसी भी कैपेटेलिस्ट को नहीं दी जानी चाहिये। अगर यह फार्म भी एस्टेब्लिश किया जाय तो उसको भी सीलिंग से अधिक सीमा पर जमीन नहीं देना चाहिये। यद्यपि गवर्नमेंट को अधिकार है राजस्थान लैन्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत मगर उस एक्स्ट्रा आर्डिनरी पावर का यूज नहीं करना चाहिये। थर्टी थ्री एकड़ से हो सकता है दो हजार एकड़ पर आयें। उससे ज्यादा किसी भी तरीके से लीज पर जमीन नहीं दी जानी चाहिये—एक दृष्टिकोण तो यह है और दूसरा अगर हम किसी कैपेटेलिस्ट को देते हैं गवर्नमेंट में भी खुद में केपेसिटी नहीं है कि गवर्नमेंट खुद फार्म स्थापित करें। बहुत सी इन्डस्ट्री गवर्नमेंट चला रही है इसकी भी गवर्नमेंट रेस्पान्सिबिलीटि ले ले और गवर्नमेंट खुद चलाये नहीं क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स ऐक्टिव इन्ट्रेस्ट नहीं लेते है इसका मतलब उनमें अयोग्यता है।

बहुत से एग्रीकल्चरिस्ट है और उनमें बहुत एक्सपर्ट हैं और उनको सर्विसेज दूसरी जगह नहीं मिलती है तो उन एक्सपर्ट को लगाये जायं और उन एक्सपर्ट्स को लगाकर क्यों नहीं उसको सक्सेसफुल करवी है और सेकिन्ड होता है को-आपरेटिव बेसिस पर। अगर समाजवाद लाना चाहते हैं तो या तो गवर्नमेंट इस डेयरी को स्थापित करे और चलायें कापरेटिव बेसिस पर यह तीसरा आल्टरनेटिव है और जब कोई आल्टरनेटिव नहीं होता है तो पूंजीपति को दें। इसलिये मैं इसको उचित नहीं समझता हूं और अगर दें भी तो सीलिंग से अधिक सीमा पर किसी भी सूरत में जमीन नहीं दी जानी चाहिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल: इस सारे प्रश्न पर जो बहस चल रही है उसमें दो मुद्दे हैं एक तो जो लीज दी गई है वह एक्ट के

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अधीन दी है या नहीं और या मुख्य मंत्री जी ने अपने नियमों के अधीन दी है ? मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मुख्य मंत्री जी को संकट में डाल दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल: जालौर एक रेगिस्तानी इलाका है और उसमें एक बीड़ है और उस बीड़ के आस पास रहने वाले लोगों की अव्यवस्था, वहां की वह वन सम्पदा है और उसमें एक हजार एकड़ निकालकर उद्योग के नाम पर एक ही लिमिटेड कन्सर्न को दे दी जाय–मैं समझता हूं यह अनुचित है। जैसा आपने कहा सदन की भावना ऐसी है तो मैं कैन्सिल करने को तैयार हूं। एक हजार एकड़ जमीन देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। किसी भी फैक्टरी को चलाने के लिये 6 एकड़ मेक्सिमम होता है। अगर जालौर में डेयरी इन्डस्ट्री डवलप करना चाहते हैं तो 6 एकड़ बहुत है। आपने एक हजार एकड़ जमीन उसको 30 साल के लिये दे दी तो निश्चित रूप से यह सदन के विचारों से विपरीत है। इसलिये इसको निरस्त करिये।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल): इस बीड़ के अन्दर दो हिस्से है जिसके अन्दर एक तो सड़क निकलती है और एक गांव का रास्ता है। एक तो आपने पूरा घेर लिया है और एक गांव का रास्ता बन्द कर दिया है उसको ऐसे ही रहने दीजिये। दूसरा बीड है जो पश्चिम में है उसको अलाट कर दीजिये....

(व्यवधान)

आप सुन तो लीजिये। जो एन्क्रोचमेंट किया है और सड़कें बन्द कर दी हैं....

श्री रामकिशोर व्यास: (अश्रव्य)

श्री आईदानसिंह: फेमिन के पैसे से खाई खुदाई है। (व्यवधान) वह खाई जो चार साल तक मरम्मत कराने की जरूरत नहीं रहेगी। (पुनः व्यवधान) वह फेमिन में वन विभाग ने खुदाई है। मेरा सुझाव है जहां गांव के मवेशी चरते हैं इन्डस्ट्री लगा दीजिये। सारे मवेशी उसमें चल सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल: फिर उसको सरेन्डर किया जाय यह कहां तक...

(अश्रव्य)

श्री रामकिशोर व्यास: यह बीड चार हजार एकड का है।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री देवीदत्त गाडिया: यह केन्सिल कर दीजिये। यह सदन की भावना है। सभी माननीय सदस्यों की यह भावना है केन्सिल कर दी जाय।

श्री सभापति: भावना सुन लो।

श्री नत्थी सिंह: प्रतिक्रिया भी तो बतायें।

श्री सभापति: (मुख्य मंत्री की ओर देखकर) कुछ कह दीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य: जो जंगलात लगा रखे हैं..

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : जहां चांवल पैदा होते हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाय।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मैं मुख्य मंत्री जी को कह रहा हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): माननीय सभापति जी, पहले मैंने जो कुछ कहा उससे बात स्पष्ट हो जाती थी लेकिन इसके बाद और विचार स्पष्ट कर दूं। अगर इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का जो सवाल है कि इस प्रकार से जमीन देकर उद्योग को-उस डेयरी वाले काम को आगे बढ़ाने में दिक्कतें पैदा होंगी तो हमारा कोई रेजिसटेन्स नहीं है और अब इस लाइट में बातचीत करेंगे। बिना जमीन के उद्योग लगाने को तैयार हो जायेंगे तो स्वागत है हो और न लगायें तो उनकी मर्जी है।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। माननीय मुख्य मंत्री जी सरकारी कर्मचारियो से सम्बन्धित मांगों पर अपना वक्तव्य देंगे और फिर उसके बाद आगे का बिजनेस····

राज्य कर्मचारियों की मांगों पर मुख्य मंत्री द्वारा शासकीय वक्तव्य

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : चेयरमैन महोदय, वैसे तो जब एसेन्शल सर्विसेस के बारे में कानून को विचारार्थ लेने वाली बात थी उससे पूर्व वक्तव्य देने वाली बात थी लेकिन आज के बिजनेस में परिवर्तन हुआ है तब भी मैंने यह उपयुक्त समझा कि वह वक्तव्य मैं आज ही दे दूं तो उपयुक्त रहेगा इसलिए मैं निम्न वक्तव्य देता हूं :

राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों के प्रति हमेशा सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा है। सरकार की यह मान्यता है कि प्रशासन की कुशलता के लिए संतुष्ट राज कर्मचारी वर्ग आवश्यक है। इस नीति के अनुसरण में, राज्य सरकार ने समय समय पर राजकर्मचारियों के वेतन-मानों, मंहगाई-भत्ते की दरों एवं अन्य सेवा परिलाभों में सुधार किये हैं। राजस्थान के निर्माण के पश्चात् 1-4-50 से एकीकृत वेतन-मान लागू किये गये थे। इसके बाद चार बार 1-3-56, 1-9-61, 1-4-66 एवं 1-9-68 से वेतन-मानों में सामान्य संशोधन किये जा चुके हैं। 1-4-5) से मंहगाई-भत्ते की दरों में कोई एक दर्जन बार वृद्धि की जा चुकी है। महंगाई-भत्ते की वर्तमान दरें केन्द्रीय मंहगाई-भत्ते की दरों के बराबर है। 620 रु. मासिक से कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिये मंहगाई-भत्ते का काफी भाग पेन्शन आदि के प्रयोजन के लिये मंहगाई वेतन माना गया है। मंहगाई-भत्ते में वृद्धि के कारण पिछले पांच वर्ष में राज्य पर 48 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडा है।

2. राज्य के वित्तीय साधन सीमित हैं। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों की हाल की कुछेक मांगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार कर निर्णय लिये हैं। निम्नांकित उल्लेखनीय हैं-

(क) कनिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण:--नियमों के अन्तर्गत अस्थायी कनिष्ठ लिपिक का स्थायीकरण निर्धारित परीक्षा उतीर्ण करने पर ही हो सकता है।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

फिर भी 1-9-68 से पहले के नियुक्त अस्थायी कनिष्ठ लिपिकों को स्थायी रिक्त स्थानों की उपलब्धि के अनुसार उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर स्थायी किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ख) अतिरिक्त समय कार्य—हमारे यहां ओवर टाइम भत्ता देने की प्रथा नहीं है किन्तु किसी कार्य विशेष के लिये लम्बे समय तक कार्यालय के निर्धारित समय से बाहर अतिरिक्त घन्टों तक काम किया जावे तो उन कर्मचारियों को मानदेय दिया जाता है। पहले मानदेय दिये जाने के लिये न्यूनतम अतिरिक्त समय 60 घन्टे निर्धारित था, हाल ही में न्यूनतम सीमा घटा कर 24 घन्टे कर दी गई है।

(ग) खाद्यान्न अग्रिम—प्रारम्भ में खाद्यान्न खरीदने के लिये अग्रिम एक वर्ष विशेष के लिए ही स्वीकृत किया गया था। हाल ही में खाद्यान्न अग्रिम नियमित रूप से दिये जाने का निर्णय ले लिया गया है। इस अवसर पर मैं राज्य सरकार के इस निर्णय की भी घोषणा करना चाहता हूँ कि जिन राज कर्मचारियों का वेतन एवं मंहगाई-भत्ता 200) रु. से कम हो उन्हें खाद्यान्न अग्रिम की न्यूनतम धनराशि 200) रुपया स्वीकृत की जावेगी।

3. पिछले कुछ समय से राज्यकर्मचारी अपनी बारह मांगों के सम्बन्ध में जोर दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में दुर्भाग्य से हड़ताल हुई किन्तु बाद में सहानुभूति एवं सहयोग की भावना व्याप्त हुई और इस आश्वासन पर कि कर्मचारियों की मांगों पर समुचित विचार किया जावेगा, हड़ताल समाप्त कर दी गई। कर्मचारियों की निम्नांकित मांगों पर निर्णय ले लिये गये हैं—

<u>मांग संख्या 1 (क)—1-9-68 को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेने वाले कर्मचारियों को एक अग्रिम वेतन वृद्धि</u>—इस मांग का आधार वेतन आयोग की सिफारिश थी जिसे राज्य सरकार ने पहले पूर्णतः स्वीकृत नहीं किया था। सरकार ने इस विषय पर पुर्नविचार किया तथा 31-3-70 को 12 साल या इसके अधिक की निरन्तर सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को जिनका वेतन 1500) रुपये से कम हो एक अग्रिम वेतन वृद्धि देने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इससे 27 लाख रुपये प्रतिवर्ष का अतिरिक्त व्यय होगा।

<u>मांग संख्या 3 पूर्व—प्रभाव से दक्षतावरोध पार करने दिया जाना</u>—नियमों के अनुसार कनिष्ठ लिपिकों को दक्षतावरोध पार करने के लिये टंकण परीक्षा पास करना आवश्यक था। अब यह निर्णय लिया गया है कि 1-9-68 से पहले सेवारत कर्मचारियों को बिना टंकण परीक्षा दक्षतावरोध पार करने दिया जावेगा बशर्ते उनका सेवाभिलेख संतोषप्रद हो। कर्मचारियों की मांग है कि यह लाभ पूर्व प्रभाव से दिया जाना चाहिये, यह मांग भी स्वीकार कर ली गई है, और 7-11-70 को आदेश जारी कर दिये गये है इससे वित्तीय भार 3 लाख रुपया प्रतिवर्ष होगा।

<u>मांग संख्या 11—मंहगाई वेतन पर प्रोजेक्ट अलाउन्स दिया जाना</u>—अब तक

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

प्रोजेक्ट अलाउन्स की गणना वेतन की प्रतिशत के रूप में दी जाती थी, मंहगाई वेतन पर नहीं। अब प्रोजेक्ट अलाउन्स की गणना के लिये मंहगाई वेतन को भी वेतन मानने के आदेश दिनांक 15-2-70 को जारी कर दिये गये हैं। इस निर्णय का वित्तीय भार 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा।

इन तीन मांगों पर निर्णय ले लेने के पश्चात् सरकार ने कर्मचारियों की शेष मांगों के सम्बन्ध में भी विचार किया है और इनमें से कुछ मांगों पर लिये गये राजकीय निर्णय की मैं घोषणा करता हूं।

मांग संख्या 1 (ग):–1-9-68 से कम किये गये वेतनमान कम नहीं किये जाने चाहिये–कुछ एक पदों पर पुराने नियमों में निम्नतर एवं उच्चतर दोनों पदों के लिये एक ही समेकित वेतन शृंखला (रनिंग स्केल) थी जब कि नये नियमों के अनुसार निम्नतर एवं उच्चतर पदों के लिये अलग अलग वेतन मान निर्धारित कर कर दिये गये हैं। निम्नतर पदों पर नियुक्त कर्मचारियों ने नये वेतन मान निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्ति की है, जिसकी महत्तम सीमा पुराने समेकित वेतन मान (रनिंग स्केल) की सीमा से कम है। इसमें सबसे अधिक प्रभावित कर्मचारी लेखाकार हैं। 1-9-68 से लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी का एक ही वेतनमान 175-485 था जब कि नये वेतन मान में लेखाकार को वेतन शृंखला 200-450 एवं सहायक लेखाधिकारी की वेतन शृंखला 275-650 है। 1-9-61 से वेतन मान को लागू करने के पश्चात् जहां रिक्त स्थान, खुली भर्ती परीक्षा अथवा लेखा लिपिक से पदोन्नति परीक्षा द्वारा भरे गये हैं, इससे अच्छे व्यक्ति आकर्षित हुए हैं। राज्य सरकार लेखाकारों की वेतन शृंखला की न्यूनतम सीमा में वृद्धि करना आवश्यक नहीं समझती, यह सीमा 200 रुपये ही रहेगी, किन्तु पुराने समेकित वेतन मान की महत्तम सीमा 485 रुपये को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि लेखाकारों का वेतनमान नये नियमों में 525 रुपये तक हो जावे। अतः 1-4-70 से लेखाकारों के लिए नयी वेतन शृंखला 200-525 लागू की जावेगी। नये वेतन मान में राज्य सरकार और कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती।

मांग संख्या 2(क)–सभी पद 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जावें:–कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने विशिष्ट रूप से सभी सेवाओं में पहली सीधी भर्ती से अगली स्टेज पर उन सभी पदों का जिनका अधिकतम वेतन 650 या इससे कम हो, शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने की मांग की है। इस सम्बन्ध में कोई सामान्य निर्णय नहीं लिया जा सकता क्योंकि विभिन्न सेवाओं के प्रथम भर्ती के बाद पदोन्नति की प्रतिशत निर्धारण के नियमों में प्रत्येक सेवा के कार्य एवं योग्यता आदि के अनुसार भिन्नता है। फिर भी राज्य सरकार ने निम्नांकित निर्णय इस सम्बन्ध में लिये हैं:–

(1) विभिन्न अधीनस्थ सेवाओं में भरती के नियमों या आदेशों में इस प्रकार के उपयुक्त प्रावधान कर दिए जावेंगे कि प्रति वर्ष के रिक्त स्थानों में से कम से कम 12½ प्रतिशत स्थान उसी विभाग के उन लिपिक वर्ग एवं

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से चयन द्वारा भरे जावेंगे जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव पूरा करते हों। इसमें पदों के कर्त्तव्य के अनुसार आयु की सीमा में भी उपयुक्त शिथिलन किया जावेगा एक वर्ष के इस प्रकार भरती के लिये आरक्षित रिक्त स्थान केवल एक वर्ष के लिए आगे गिन लिये जावेंगे।

(2) राज्य सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि वेतन मान संख्या 2 (66-90) से वेतन मान संख्या 11 (160-360) के पदों पर पदोन्नतियां केवल वरिष्ठता एवं योग्यता (सीनीओरिटी-कम-मैरिट) के आधार पर ही की जावे। इसके अंतर्गत पदोन्नति से भरे जाने वाले काफी स्थान आ जावेंगे जिनमें वरिष्ठ लिपिक एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापक भी सम्मिलित होंगे। निर्धारित अनुपात में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए खुली भर्ती चालू रहेगी।

(3) सचिवालय तथा दूसरे कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती में अच्छे व्यक्तियों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए जयपुर में तथा भूतपूर्व खण्ड मुख्यालयों (डिविजनल हैडक्वार्टर्स) पर प्रतियोगी परीक्षा लिए जाने की व्यवस्था की जावेगी।

(4) सचिवालय में वरिष्ठ लिपिकों के लिए (लेखा लिपिकों के अतिरिक्त) पदोन्नति के अवसर बढ़ाने लिए सहायकों के पदों में वृद्धि की जाने का प्रस्ताव है।

मांग संख्या 2 (ख)–समान योग्यता वाले व्यक्तियों को समान वेतन दिया जावे:—इस सम्बन्ध में मुख्य मांग आर. एन. आर. सी. अथवा पी.एन.आर.सी. पास तृतीय श्रेणी के पुरुष नर्स-कम-कम्पाउन्डर्स को वही वेतन श्रृंखला देने के लिए है जो महिला स्टाफ परिचारिका (नर्स) की है। महिला स्टाफ परिचारिका (नर्स) की वेतन श्रृंखला इस समय द्वितीय श्रेणी के पुरुष परिचारिकों (नर्स) के बराबर है। यह निर्णय लिया गया है कि आर. एन. आर. सी. एवं पी. एन. आर.सी. पास पुरुष परिचारिकों (नर्स) को जो महिला स्टाफ परिचारिका (नर्स) के समान ही कार्य करते हैं दिनांक 1–4–70 से वही वेतन मान दिया जावे जो महिला स्टाफ परिचारिका (नर्स) को दिया जाता है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए पुरुष परिचारिका (नर्स) कम कम्पाउन्डर तृतीय श्रेणी के पदों में से उपयुक्त संख्या में पद द्वितीय श्रेणी में परिवर्तित कर दिए जावेंगे।

मांग संख्या 4—राजकीय आदेशों को अनुपालना होनी चाहिये:—यह एक सामान्य प्रकार की मांग है किन्तु महासंघ के प्रतिनिधियों से बातचीत के समय यह शिकायत की गई कि महत्वपूर्ण विषयों पर राजकीय आदेशों की सख्ती से पालना नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात निलम्बित राज्य कर्मचारियों की विभागीय जांच की कार्यवाही पूरी करने में विलम्ब की बताई गई। यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय जांच आयुक्त को विभिन्न नियुक्ति अधिकारियों से निलम्बित राज्य कर्मचारियों की विभागीय जांच के संबंध में सूचना एकत्र करने का कार्य सौंपा जावेगा और इन मामलों में जांच की प्रगति नियमित रूप से देखी जावेगी। दूसरे मामलों में तुरन्त अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जावेंगे।

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

मांग संख्या 5-जिला स्तर पर परामर्शदात्री समितियों का निर्माण:--राज्य व्यापी महत्व के मामलों पर विचार करने के लिए पहले ही राज्य स्तर पर एक समिति बनी हुई है। सरकार की मान्यता है कि जिला स्तरीय समिति से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध न होगा क्योंकि इस प्रकार की समितियों के सामने लिये जाने वाले अधिकांश मामले जिला स्तर पर नहीं निपटाये जा सकते, कारण कि उन पर निर्णय विभागीय अध्यक्ष अथवा सचिवालय स्तर पर ही लिया जा सकता है। किन्तु सरकार ने राज्य कर्मचारियों की समस्याओं पर पारस्परिक विचार-विमर्श करने का अवसर देने की नीति को स्वीकार कर लिया है और इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि निम्नांकित बड़े विभागों में अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए विभागीय कर्मचारी समितियों का निर्माण किया जावे:—

1—प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

2—चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन

3—सार्वजनिक निर्माण (भवन एवं पथ) उपवन सहित

4—सिंचाई

5—राजस्थान नहर परियोजना

6—चम्बल परियोजना

7—जन स्वास्थ्य आयोजन

8—कृषि

9—विभिन्न जिलों में भू लेख एवं राजस्व कर्मचारी तथा भू-प्रबन्ध, चकबन्दी एवं उप निवेशन विभाग के कर्मचारी।

10—मुख्य लेखाधिकारी, परीक्षक, स्थानीय निधि, निदेशक, बीमा एवं निदेशक अल्प बचत एवं लाटरी के अधीनस्थ कर्मचारी।

यह समितियां विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में कार्य करेगी। अन्तिम दो समितियों के अध्यक्ष क्रमश: अध्यक्ष राजस्व मण्डल तथा विशिष्ठ सचिव (वित्त) विभाग होंगे।

मांग सं. 12-विभिन्न सेवा परिषदों को दिये गये आश्वासन

यह मांग भी सामान्य प्रकार की है, सेवा परिषदों को दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता की ओर सम्बन्धित मंत्रियों एवं राजकीय विभागो का ध्यान आकर्षित कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण आश्वासन अर्थात् कनिष्ठ लेखाकार के पृथक् से संवर्ग बनाने के सम्बन्ध में मैं घोषणा करता हूं।

इस समय लेखा लिपिक वास्तव में विभिन्न कार्यालयों में वरिष्ठ लिपिक हैं जो 10) रु. प्रति माह विशेष वेतन पा रहे हैं, यदि उन्होंने लेखालिपिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। इनका कोई राज्य व्यापी संवर्ग नहीं है। सरकार ने सिद्धांत रूप से कनिष्ठ लेखाकारों का पृथक् से राज्य व्यापी संवर्ग बनाये जाने के निर्णय की पहले घोषणा करदी है। कनिष्ठ लेखाकार राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का जिसमें इस समय केवल लेखाकार और सहायक लेखाधिकारी है, निम्नतम पद होगा। इनके भर्ती की प्रणाली, वेतनमान आदि के सम्बन्ध में, अब निम्नांकित निर्णय ले लिये गये है:—

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(क) विभागों में लेखा लिपिकों के सभी पद समाप्त कर दिये जावेंगे और इनके स्थान पर कनिष्ठ लेखाकार के पद बना दिये जावेंगे कनिष्ठ लेखाकार का वेतनमान 170–390 (वेतनमान सं. 12) बिना किसी विशेष वेतन के होगा। किन्तु वेतन स्थायी-करण के लिए लेखालिपिकों एवं वाणिज्य लेखालिपिकों द्वारा लिया गया विशेष वेतन, वेतन माना जावेगा।

(ख) वर्तमान लेखालिपिकों में से निम्नांकित श्रेणी के लोग स्वतः ही कनिष्ठ लेखाकार के संवर्ग में नियुक्त कर दिये जावेंगे:—

(1) वे व्यक्ति जो कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में ग्रेज्यूएट हों, जिन्होंने लेखा लिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण करली हो एवं जो 31–3–70 को लेखालिपिक के पद पर अथवा कार्यवाहक रूप में लेखाकार के पद पर काम कर रहे हों। इसमें उनके सेवाकाल तथा उनकी नियुक्ति स्थायी अथवा अस्थायी होने का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(2) वे व्यक्ति जो स्थायी वरिष्ठ लिपिक हों, मेट्रीकूलेट हों, जिन्होंने लेखा लिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण करलो हो और 31–3–70 को लेखा लिपिक के रूप में अथवा कार्यवाहक लेखालिपिक के रूप में कार्य कर रहे हो, उनका सेवाकाल कुछ भी हो।

(3) वे मेट्रीकूलेट जिन्होंने लेखा लिपिक की परीक्षा 1–4–67 से पहले उत्तीर्ण कर ली हो और जो इसके बाद से 31–3–70 तक कम से कम निरन्तर 3 वर्ष तक लेखा लिपिक के रूप में कार्य कर चुके हों।

(4) लेखा लिपिक की परिभाषा में वे सब पद सम्मिलित होंगे जिनके कर्तव्य समान प्रकार के हों और जिन पर नियुक्ति के लिए लेखालिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक हो, चाहे उस पद का नाम कुछ भी हो।

(5) स्थायी पदों पर स्वतः ही नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा बनायी गई समेकित वरिष्ठता सूची के अनुसार की जावेगी और वे व्यक्ति, जो स्थायी नियुक्ति के लिये कनिष्ठ होंगे, इस संवर्ग में अस्थायी रूप से नियुक्त किये जावेंगे।

(ग) शेष बचे हुए पदों को भरने के लिये एक प्रतियोगी परीक्षा होगी और भविष्य में इस संवर्ग में भर्ती वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होगी। यह प्रतियोगी परीक्षा सामान्यतः उन लोगों के लिए खुली होगी जो ग्रेज्यूएट हों तथा जिनकी कि आयु 28 वर्ष से अधिक न हो किन्तु ऐसे सब राज्य कर्मचारी जिन्होंने पहले ही लेखालिपिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है किन्तु जो कनिष्ठ लेखाकार के रूप में स्वतः नियुक्ति के योग्य नहीं पाये गये, इन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकेंगे, चाहे वे ग्रेज्यूऐट्स न भी हो और उनकी आयु अधिकतम सीमा से अधिक हो बशर्ते कि ऐसे व्यक्तियों को केवल तीन ही अवसर दिये जावेंगे।

(घ) लेखाकारों के संवर्ग में प्रति वर्ष 2/3 रिक्त स्थान सामान्य पदोन्नति नियमों के अनुसार कनिष्ठ लेखाकारों से पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे किन्तु सुयोग्य नवयुवकों को लेखाकारों के रूप में राज्य सेवा में आने का अवसर प्रदान करने के लिये प्रति वर्ष के 1/3 रिक्त स्थानों पर सीधी भर्ती चालू रहेगी।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वे विषय जो अभी विचाराधीन हैं–

कुछेक मांगें ऐसे विषयों पर हैं जिन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है–

मांग सं. 6 वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन समाप्त कर दिये जावें–

राज्य सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं कर सकती कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन नहीं रहें। अलबत्ता गोपनीय प्रतिवेदन के प्रपत्र में संशोधन करने के लिये प्रस्ताव बन गये हैं और संशोधित प्रपत्र लागू करने से पूर्व उस पर संयुक्त परामर्शदात्री समिति में विचार-विमर्श होगा।

मांग सं. 8–पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कर्मचारियों पर सारे राजकीय नियम लागू हों–चूंकि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के कर्मचारी राज कर्मचारी नहीं होते, उन पर राजकीय नियम लागू करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। इन कर्मचारियों की पदोन्नति, तथा सेवा-सुविधाओं सम्बन्धी विषयों पर पृथक् से विचार किया जा रहा है।

मांग सं. 9–नये वेतन आयोग की नियुक्ति तथा अन्तरिम राहत दिये जाने की मांग को सिद्धान्त रूप में स्वीकार करने की स्पष्ट घोषणा:–केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किये गये आधार पर अन्तरिम राहत राज्य-कर्मचारियों को दिये जाने में राज्य पर वित्तीय भार इतना अधिक आता है कि उसे वहन करने में राज्य सरकार असमर्थ है। यह अनुमान किया जाता है कि राज-कर्मचारियों को अन्तरिम राहत (जहां राजकीय वेतन मान लागू हैं, उन अनुदान प्राप्त संस्थाओं को अनुदान में वृद्धि की आवश्यकता को सम्मिलित करते हुये) का वित्तीय भार लगभग 7.5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होगा। अतः यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

मांग सं. 11–दैनिक भत्ते की दरों में वृद्धि:–दैनिक भत्ते की संशोधित दरों सहित नये नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ये नियम शीघ्र ही जारी होंगे।

मांगें जो स्वीकार नहीं की गईं

मांग सं. 1(ख)–1–9–68 से समाप्त किये गये विशेष वेतन की क्षतिपूर्ति नियमों के अन्तर्गत निर्धारित वेतन तथा पुराने नियमों के अन्तर्गत प्राप्त वेतन एवं विशेष वेतन के अन्तर के बराबर व्यक्तिगत वेतन पहले ही दिया जा चुका है। विशेष वेतन की क्षतिपूर्ति की मांग जिसका तात्पर्य विशेष वेतन को नये नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये वेतन में मिलाना है, स्वीकार नहीं की जा सकती।

मांग सं. 1 (घ)–वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये विशेष वेतन दिये जाने चाहिए:–विशेष वेतन के सम्बन्ध में निर्णय समुचित विचार के बाद लिये गये हैं और सरकार के लिये अब विशेष वेतन के मामले पर पुर्नविचार कठिन है।

मांग सं. 7–सभी राज्य कर्मचारियों को गृह-किराया भत्ता दिया जावे:–इस समय एक लाख से अधिक जन संख्या वाले नगरों तथा गंगानगर व माउन्ट आबू में किराये के मकानों में रहने वाले राज्य कर्म-

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है। यदि कर्मचारियों की यह मांग कि सभी राज्य कर्मचारियों को सभी स्थानों पर चाहे वे किराये पर रहते हों अथवा नहीं, मकान किराया भत्ता दे दिया जावे, स्वीकार कर ली जावे, तो इसका राज्य सरकार पर वित्तीय भार 2।। करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। इसके पश्चात् कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने यह व्यक्त किया कि राज्य कर्मचारियों के लिये किराये भत्ते नियमों को उन नगरों पर भी लागू कर दिया जावे जिनकी जन संख्या एक लाख से कम किन्तु 50 हजार या उससे अधिक हो, और इन नगरों में रहने वाले उन कर्मचारियों को भी किराया भत्ता दिया जावे जिनके अपने निजी मकान हैं, इसके अत्यधिक वित्तीय भार को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के लिए इस मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत होंगे कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार जो कुछ कर सकती है, किया है और आगे भी जो कुछ सम्भव होगा, करती रहेगी।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी चाहूंगा...

श्री सभापति : वाद विवाद नहीं होगा। एसेंशियल सर्विसेज संशोधन विधेयक पर इस सदन में 18 तारीख को चर्चा होगी उस दिन हम इस स्टेटमेण्ट पर भी चर्चा कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेण्ट की बात नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अंतरिम राहत के प्रश्न को सिद्धान्ततः स्वीकार करती है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है, वित्तीय साधनों के दृष्टिकोण पर विचार करना आवश्यक है।

श्री रामकिशन : इस स्टेटमेण्ट की एक कापी मिल जाये, ऐसी व्यवस्था कर दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : साइकिलोस्टाइल्ड है।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

यातायात मन्त्री।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं राजस्थान पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1968-69 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री सभापति : याचिका का उपस्थापन। श्री चुन्नीलाल जेलिया।

श्री चुन्नीलाल जेलिया : मैं टौंक, सवाई माधोपुर रोड एवं उनियारा-इन्द्रगढ़ रोड पर योजना पर कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव से पहले यह एक विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन है। यह बहुत छोटा सा प्रतिवेदन है। इस पर सम्मति प्रकट करने के लिए.....

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, इस विषय में एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बाद में ले लेंगे।

श्री नत्थीसिंह : मैं विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : मैं काल अटेंशन मोशन बाद में ले रहा हूं।

श्री नत्थीसिंह : विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पहले भी प्रस्तुत होते रहे हैं। यह जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हो रहा है इससे पहले के भी प्रतिवेदन हैं उनको क्यों नहीं लाना चाहते हैं। जब कि यह व्यवस्था दी गई थी कि सारे मामलों को एक साथ लिया जाएगा।

श्री सभापति : यह बात उचित प्रतीत होती है। मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति के जो सभापति हैं वे सदन की भावना का ध्यान रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : इस पर पूरी चर्चा होगी।

श्री रामकिशन : समय देना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : खास तौर से कुछ माननीय सदस्यों का विशेषाधिकारों से सम्बन्ध है। मैं चाहता हूं कि इसे किसी और समय पर रख लें।

एक माननीय सदस्य : यह ठीक है।

श्री सभापति : समिति के सभापति महोदय को किस समय आसानी रहेगी ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : विशेष कारण यह है कि लगभग 3 साल से कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। वैसे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कोर्ट में केस पड़े होने के कारण हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो। इसीलिए पड़े हुए हैं।

श्री सभापति : इसे कल लेना है या परसों लेना है ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें समय निर्धारित किया जाये। 15-20 मिनट में चर्चा नहीं हो सकेगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय से जानकारी कर लें। इसके लिए समय निर्धारित किया जावे।

श्री सभापति : मैं सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए, इस पर हम दुबारा अध्यक्ष महोदय से चर्चा करके, उसके बाद रखा जा सकता है। ठीक है। एजेण्डा के आगे के विधेयक पुरःस्थापित कर दिये जायें।

श्री मन्त्री महोदय।

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पुरःस्थापित करने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत, राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1970) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : नाउ वी स्टार्ट काल अटेंशन नोटिस।

श्री नत्थीसिंह जी हां।

श्री सभापति : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था उस पर····

श्री रामकिशन : इस पर आज बात कहां हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बात कर लेना।

श्री सभापति : बात करने के बाद संशोधन होते रहते हैं। अजेण्डा का एक आइटम समाप्त हो जायगा। बात करनी है, तो बात कर लें। बात करने के बाद संशोधन होते रहते हैं। उसके पहले कार्यवाही चलती नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, वहां एक भ्रम रहता है और वहां जाने के बाद वह भ्रम दूर हो जाता है। लेकिन हमारा भ्रम तो अभी बना हुआ है, इस प्रतिवेदन में कमियां हैं और इस आशय की आपत्ति आपने प्रस्तुत की थी। अब एकाएक ही आपने कहा कि अध्यक्ष महोदय से परामर्श करके लिया जा सकता है। तो यह उचित नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, शासन की भावना तो पूरे सदन की भावना होती है।

श्री सभापति : (सरकारी पक्ष से) उत्तर दे दीजिये। (विराम)

सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावना है उसके विरुद्ध शासन के जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। मैंने केवल यह विचार रखा कि 16 तारीख को राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक है।

श्री नत्थीसिंह : यह आपने तब देखा था।

श्री रामकिशन : एसेन्शियल सर्विस वाला आयेगा यह सोच कर उसकी ही तैयारी करके आये थे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह था।

श्री सभापति : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने पास किया था।

श्री रामकिशन : नहीं था।

श्री सभापति : वह भूल मत कीजिये। असेंसियल सर्विस वाला था, नगर सुधार (संशोधन) विधेयक था।

श्री रामकिशन : दो होने नहीं थे।

श्री सभापति : दो नहीं थे ?

श्री रामकिशन : दो हो नहीं सकते थे।

श्री सभापति : एक होता।

श्री रामकिशन : एक होता प्रसेंशियल सर्विस वाला।

श्री सभापति : वह ले लिया जाय।

श्री रामकिशन : वह ले लिया जाय।

श्री सभापति : वह कैसे ले सकते हैं। आप जल्दी छुट्टी चाहते हैं। चलिये आप देख लीजिये। हां, आपका संकल्प। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। (विराम) यह पास करा लेते हैं।

यह कार्य सलाहकार समिति का जो 29 वां प्रतिवेदन है इसमें आंशिक परिवर्तन करते हुए जो 16 तारीख से 19 तारीख तक का, जो कार्य लिया जाने वाला है सदन में और जिसके सम्बन्ध में गृह मन्त्री का प्रस्ताव आया, सदन में प्रातःकाल प्रस्तुत किया था, उसको स्वीकार किया जाय ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का 30 वां प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री नत्थीसिंह।

पूर्वी जर्मनी से आयातित ट्रेक्टरों को राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा किसानों को वितरित किये जाने एवं ट्रेक्टरों के खराब हो जाने संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदय, हरित क्रांति के नाम पर इस प्रदेश में ही नहीं, समस्त भारत के अन्दर तरह तरह के कई कदम उठाये गये उनके विस्तार में न जाकर मैं एक ही बात को लेता हूं, उसमें एक विशेष कार्य किया है कि जो ट्रेक्टर इस प्रदेश में आसानी से नहीं मिलते थे, उन ट्रेक्टरों को एग्रो-इन्डस्ट्रियल कोरपोरेशन के जरिये राजस्थान में सप्लाई करने का काम हाथ में लिया गया। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में, मुझे आपके जरिये सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है और विशेष रूप से कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना है कि जो पूर्वी जर्मनी से ट्रेक्टर मंगाये गये आर एस जीरो नाइन, जिसके सम्बन्ध में किसानों को स्वयं शुरु से आपत्ति थी, उनके अन्दर एक हिचक थी ट्रेक्टर लेने में लेकिन निगम ने जगह जगह इस बात के प्रदर्शन किये कि आर एस जीरो नाइन ट्रेक्टर बहुत उपयोगी है और उपादेय है और इसके इन्जिन में खराबी नहीं है। मुझे स्वयं मालूम है कि निगम के अध्यक्ष और राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के उप मन्त्री भरतपुर से सेवर गये और वहां किसानों को आमन्त्रित किया कि इस ट्रेक्टर का डिमान्स्ट्रेशन देंगे यह बात उनके दिमाग में बैठाने के लिए कि यह ट्रेक्टर बहुत अच्छा है, उपयोगी है और इसके इन्जिन में कोई खराबी नहीं है और यह जो ट्रेक्टर है इसके साथ में जो इम्प्लीमेंट्स हैं वह भी बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ट्रेक्टर को लेने में किसान हिचक रहे थे, वह ट्रेक्टर लेना नहीं चाह रहे थे लेकिन उनको प्रेरित किया गया कि इस ट्रेक्टर को खरीदा जाय और इस प्रकार से सैंकड़ों ट्रेक्टर किसानों को दिये गये। इन ट्रेक्टरों की यह हालत बनी है भरतपुर में कि वहां पर चालीस ट्रेक्टर दिये गये, उन ट्रेक्टरों में से दो ट्रेक्टर को छोड़

(श्री नत्थीसिंह)

कर बाकी सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। यही हालत राजस्थान के दूसरे भागों में भी है। इस सम्बन्ध में·····

(4.15 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

मैं निवेदन कर दूं कि निगम की जो परम्परा रही है, निगम जिस प्रकार राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाते हैं उनकी जिस प्रकार की परम्परा रही है उसी के अनुरूप जो यह आर. एस. जीरो नाइन ट्रैक्टर दिये गये या दूसरे ट्रैक्टर दिये गये, उनकी न तो निगम की ओर से देखभाल का इन्तजाम हुआ और न उनकी सर्विस का इन्तजाम हुआ और न इन्जिनियरों की किसी तरह की सुविधा प्रदान कराई जाती है बार बार सम्पर्क स्थापित करने के बाद भी, इसलिए यह चर्चा का विषय हो गया है कि निगम के द्वारा इस मामले में भी धांधलीबाजी होने लगी है। इस आर. एस. जीरो नाइन के सम्बन्ध में निगम ने विशेष तौर से अभियान चलाया था कि राजस्थान का जिस तरह का जलवायु है, जिस तरह का साइल है उसके लिए यह बड़ा उपादेय है। लेकिन उसके बाद में जो हालत हुई है, सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इन ट्रैक्टरों को खरीदने के लिए जो कीमत रखी गई और उसके साथ साथ जैसी कि नीति है, दो इम्प्लीमेंट्स उसके साथ जरूर खरीदने पड़ते हैं तो उसके लिए पन्द्रह सोलह हजार का खर्चा एक किसान ने किया और उसके साथ टूल भी लिये हैं तो इस प्रकार बीस हजार का खर्चा करके ट्रैक्टर को लिया है। इसके लिए उन्हें विभिन्न बैंकों से कर्जा लेना पड़ा, अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी, लेकिन उसका बुरा परिणाम यह हुआ है कि ट्रैक्टर खराब हो गया, चल नहीं रहा है। जब इसकी शिकायत की तो पहले तो कहा कि पुर्जे मंगा रहे हैं, फिर कहा कि इन्जीनियर को भेज रहे हैं। लेकिन किसान के लिये इसका नतीजा हुआ कि क्योंकि उसने अपने बैल बेच दिये थे, इस लिये उसकी भूमि पड़त रह गई और उसको पैसे की हानि हुई, दूसरी तरफ खेती की बड़ी भारी हानि हुई है। इसलिए कृषि मन्त्रीजी, का सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन इन्जीनियरों ने इस बात का दावा किया था और निगम ने किसानों को यह आश्वासन दिया था कि निश्चित तौर से इस ट्रैक्टर के इन्जिन में खराबी नहीं है. लेकिन अब जब कि केन्द्र के स्तर पर भी यह विषय उठा तो केन्द्र के मंत्री महोदय ने भी माना है कि इसके इन्जिन में खराबी है, मेकेनिकली इसमें इतनी खराबिया रह गई हैं कि हिन्दुस्तान में काम में लाने लायक ट्रैक्टर नहीं हैं। लेकिन जो भोले भाले किसान हैं जिन्होंने आपके प्रचार और आपके कहने पर विश्वास किया और उसके कारण पैसा लगाया–आज उनकी दशा क्या है ? इसलिए मेरी मांग है कि क्योंकि ट्रैक्टर की कन्डीशन इतनी खराब हो गई है इसलिए सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कदम उठाया जाय, किसानों को उनके ट्रैक्टर का पैसा वापिस दिलाया जाय, उनसे वह ट्रैक्टर वापिस लिया जाय और दूसरा ट्रैक्टर जो उसी किस्म और कीमत का हो वह सरकार के

(श्री नत्थीसिंह)

द्वारा दिलाया जाय। किसानों की जो इसमें रकम लगी है वह रकम उनको वापिस की जाय ताकि वह अपनी खेती सम्भाल सकें। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार और निगम को इस बात की जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए कि उनके कारण किसानों को नुकसान हुआ है, उनके कारण ही किसान न तो खेती को समय पर जोत पाये और न ही बो पाये····

एक माननीय सदस्य : काम कर रहे हैं, अच्छे हैं।

श्री नत्थीसिंह : आप कह रहे हैं कि अच्छे हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में जितने आये उनमें से 38 खराब हैं और दो काम कर रहे हैं। इसलिए सारे राजस्थान में जो इनके कारण नुकसान हुआ है, उस नुकसान के खमियाजे की पूर्ति क्षतिपूर्ति निगम के द्वारा कराई जानी चाहिए क्योंकि किसानों ने आपके प्रचार का शिकार होने के कारण ही नुकसान उठाया है। इसलिए यह···

(4.07 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं कि यह जो ट्रैक्टर हैं इनको तुरन्त वापिस लिया जाय, किसानों को इनकी कीमत दिलायी जाय और आगे आपके पास दूसरे ट्रैक्टर हों तो इन किसानों को वह ट्रैक्टर दिलाने में प्राथमिकता दी जाय। उनको जो नुकसान हुआ है, उस सारे खमियाजे की निगम के द्वारा पूर्ति कराई जानी चाहिए थी–यह नहीं किया तो अब राज्य सरकार की क्या योजना है। मैंने जैसा कहा दो ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, उससे वह अपनी खेती को सुधार रहे हैं लेकिन और जो किसान अपनी खेती में सुधार लाना चाहते हैं उनके सामने बड़ी बाधा खड़ी हो गई है। इसलिए मुझे आशा है, इन बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे और कृषि मंत्रीजी, आप तो स्वयं जानते हैं कि उन ट्रैक्टरों में खराबियां हैं आपको पता है तो आप चुप्पी क्यों लगाये हुए हैं। हम आपका ध्यान आकर्षित करते उससे पहले ही क्यों कि आपने यह विभाग सम्भाला हुआ है, आप हरित क्रांति लाने का यश ले रहे हैं, लेकिन हरित क्रांति की जगह इन ट्रैक्टरों की वजह से बरबादी की क्रांति आई है इसलिए आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए था और ट्रैक्टरों को वापिस लेने की ओर उन किसानों को क्षतिपूर्ति की कार्यवाही हो जानी चाहिए थी। अब इस सदन में आपका ध्यान, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कर रहा हूं और मुझे आशा है कि आप आज ही घोषणा करेंगे और किसानों को राहत देंगे, उनकी क्षतिपूर्ति करेंगे और उनको जो ट्रैक्टर दिये गये हैं वापिस लेकर उनकी कीमत वापिस देकर उनको दीगर ट्रैक्टर देंगे या दूसरे प्रकार के ट्रैक्टर दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष जी, मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। माननीय सदस्य यह समझ कर बैठे हैं कि आर एस जीरो नाइन जो जर्मन ट्रैक्टर के नाम से कहलाया जाता है को हमने खरीदा है या उसकी हमने जांच कराई है–यह सही नहीं

(श्री शोभाराम)

है, लेकिन फिर भी यह सही बात है कि बहुत सी जगह से इसकी शिकायत आई है, लेकिन शिकायतों का किस प्रकार क्या समाधान कर रहे हैं उसको बताने से पेश्तर मैं कुछ इसके सम्बन्ध में कि किस प्रकार से यह उपलब्ध हुआ, विवरण, जानकारी आपको देना मुनासिब समझता हूं। भारत सरकार और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के आर. एस. 09 ट्रैक्टर के निर्माताओं के बीच दिनांक 21-12-68 को हुए समझौते के अनुसार स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया ने 1998 आर. एस. 09 ट्रैक्टरों का आयात किया। भारत सरकार ने इन ट्रैक्टरों की, आयात करने के पूर्व अपने ट्रैक्टर ट्रेनिंग टेस्टिंग केन्द्र बुदनी पर जांच करवाई। उक्त केन्द्र के विशेषज्ञों ने यह सलाह दी कि यह ट्रैक्टर सभी दृष्टि से भारत के लिए उपयोगी हैं। इस जांच रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

ट्रैक्टर ट्रेनिंग और टेस्टिंग केन्द्र बुदनी की उक्त रिपोर्ट का अध्ययन करके राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इन्डिया के द्वारा 348 आर. एस. 09 ट्रैक्टर प्राप्त किए। इनमें से 100 ट्रैक्टर दिल्ली की एक कम्पनी को समय समय पर राजस्थान से बाहर बेचने के लिए दिए गए। 163 ट्रैक्टर राजस्थान में बेचे गए। निगम में प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त 163 में से राजस्थान में लगभग 100 ही ट्रैक्टर रह गए हैं। इसके अलावा 85 ट्रैक्टर निगम के पास बचे हुए हैं।

उक्त ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में हमें समय समय पर विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जांच करने पर पाया गया कि इन शिकायतों के मुख्य कारण निम्न हैं:—

(1) निर्माताओं ने ट्रैक्टरों में नान-ट्रोपिकेलाइज्ड इलेक्ट्रिकल्स का इस्तेमाल किया है जो इस देश के गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है।

(2) डीजल तेल को साफ करने के लिए जो यन्त्र ट्रैक्टर में लगाए गए हैं, वे डीजल को भली भांति फिल्टर करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

(3) ट्रान्समिशन क्लच इस देश की भूमि के लिए कमजोर हैं। व्यक्तिगत शिकायतें आने पर 9 ट्रैक्टरों को निगम को वापिस लेना पड़ा क्योंकि निगम के अभियन्ताओं ने यह बताया कि इन ट्रैक्टरों के निर्माण में मूलभूत दोष रह गए हैं और इनको ठीक करना आसान नहीं था तथा निर्माताओं से हुए समझौते के अनुसार निगम इस प्रकार के ट्रैक्टरों की पूरी कीमत पाने का अधिकारी था। अन्य कई ट्रैक्टर ठीक किए गए जिनके लिए 10 नए ट्रैक्टरों को तोड़ना (केनलाइज्ड) पड़ा। इसके तुरन्त बाद अगस्त, 1970 में भारत सरकार को इस सारी स्थिति से अवगत कराया गया और उनको बता दिया गया कि निगम के पास जो ट्रैक्टर बचे हुए हैं अथवा काश्तकारों से वापिस लिए गए हैं उनको निगम जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के निर्माताओं को पुनः लौटाना चाहता है। अतः भारत सरकार यह मामला जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन के प्रतिनिधियों से तय कर निगम को सूचित करे। इस पर भारत सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को लिख दिया है कि राजस्थान निगम को आवश्यकतानुसार उक्त ट्रैक्टरों को

(श्री शोभाराम)

ठीक करने के लिए स्पेयर पार्ट-भेज दिए जावें और इस बारे में उनके जो क्लेम्स हों उनके बारे में भी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक निर्माताओं के साथ बात की जावे। इस सम्बन्ध में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक निर्माताओं से भी चर्चा हुई और उक्त चर्चा के फलस्वरूप उन्होंने 30 ट्रैक्टरों के लिए मोडिफाइड पार्ट के सैट भेजे। उनमें से 8 सेट ट्रैक्टरों में लगा दिए गए जो अभी तक संतोषजनक तरीके से चल रहे हैं। प्रत्येक मोडिफ़ाइड पार्ट के सेट की कीमत लगभग 4000) रु. है। अन्य ट्रैक्टरों के सेट भी बदले जा रहे हैं। इनके अलावा इस प्रकार के मोडिफाइड 50 सेट और शीघ्र ही प्राप्त होने वाले हैं जो संभवतः 15-12-70 तक इन ट्रैक्टरों में बदल दिए जायेंगे। यह सेट बिना कीमत ट्रैक्टर में लगाए जा रहे हैं और इन ट्रैक्टरों की गारंटी का समय उक्त सैटों के लगने के बन्द 6 माह और बढ़ा दिया जा रहा है। जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के निर्माताओं का कहना है कि वे मोडिफाइड पार्ट्स का परीक्षण इस देश में कर चुके हैं और इनके लगने से ट्रैक्टर सफलतापूर्वक काम करते रहेंगे। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री शिन्दे ने हाल ही में एक प्रश्न के उत्तर में संसद् में बताया है कि उक्त ट्रैक्टर के निर्माताओं ने हवाई जहाज द्वारा मोडिफाइड पार्ट्स लगने के बाद ट्रैक्टरों के बारे में कोई दूसरी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक वह इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे। निगम भी मोडिफाइड लगे हुए ट्रैक्टरों की कार्यशक्ति के सम्बन्ध में रिपोर्ट की इंतजार कर रहा है। फील्ड स्टाफ (फिटर्स व मेकेनिक्स) को निदेश दिये जा रहे हैं कि जिन ट्रैक्टरों में मोडिफाइड पार्ट बदल दिए गए हैं उनके सफलतापूर्वक संचालन पर दृष्टि (ओब्जर्वेशन) रखें ताकि उनकी कार्यशक्ति की टैक्निकल रिपोर्ट शीघ्र भेज सकें। कृषि उत्पादन कार्यक्रम (रबी) में अवरोध न पड़ने पावे, इस उद्देश्य से उन क्षेत्रों में वाजिब कीमत पर हायरिंग यूनिट खोले जाने की व्यवस्था की जा रही है।

चूंकि यह प्रश्न अखिल भारतीय है अतः किसानों से ट्रैक्टर वापिस लेना या न लेना भारत सरकार की नीति से सम्बन्ध रखता है। जहां तक राजस्थान सरकार एवं निगम का प्रश्न है यदि मोडिफाइड पार्ट लगने के बाद भी यह ट्रैक्टर कामयाब नहीं हुआ तो भारत सरकार को दृढ़तापूर्वक आग्रह करेंगे कि यह ट्रैक्टर किसानों से वापिस ले लिए जावें और उनकी कीमत पुनः वापिस दे दी जावे।

अब रहा सवाल भरतपुर जिले में आर. एस. 09 के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि भरतपुर जिले में निगम ने आर. एस. 09 ट्रैक्टर वितरित किए हैं ज्यों ही इन ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में शिकायतें आई निगम ने उन शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया। यही नहीं निगम ने भरतपुर में अपना अस्थाई रिपेयर स्टेशन भी खोला। जहां पर अगस्त और सितम्बर तक सब ट्रैक्टरों को दुरुस्त किया। एक मैकेनिक इसी काम के लिए भरतपुर में लगा दिया गया, जो अब तक काम करता रहा है। यह ठीक है कि जब तक मोडिफाइड पार्ट्स नहीं लगें तब तक और जगह से भी उसको सर्विस संतोषजनक रही, इस प्रकार की सूचना नहीं

Page No 122

(श्री शोभाराम)

मिली। अब वहां पर स्थाई रूप से रिपेयर स्टेशन स्थापित कर दिया गया है। यह स्टेशन अब वहां पर न केवल इन ट्रैक्टरों को दुरुस्त करेगा बल्कि इनमें मोडिफाइड सेट भी 30 नवम्बर तक पूरी जगह पर लगा देंगे जहां ट्रैक्टर बाकी रह गए हैं वहां भी मोडीफाइड सेट्स लगा देंगे।

जहां तक इन ट्रैक्टरों को पुनः ग्रहण किए जाने का प्रश्न है, यदि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जिनसे पत्र-व्यवहार चल रहा है, इन ट्रैक्टरों को लेने में सहमत हो जाता है तो निगम इन ट्रैक्टरों को बदलने की कार्यवाही करेगा अन्यथा अगर मोडीफाइड पार्ट्स लगाने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो भारत सरकार को हमें मजबूर होकर लिखना पड़ेगा कि जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से ट्रैक्टरों की कीमतें वापस कराने के लिए आग्रह करें। जहां तक निगम की धनराशि का ताल्लुक है आज अगर उम्मीद की जाती है कि 50 लाख रुपए निगम वापस करे तो यह असंभव चीज है। लेकिन एक चीज मैं माननीय सदस्यों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मोडीफाइड पार्ट्स लगने के पश्चात् भी अगर ये कामयाब नहीं हुए तो निश्चित तौर से भारत सरकार को लिखना पड़ेगा कि हमारे यहां से ट्रैक्टर वापस ले लिए जायें।

दूसरी बात जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, उसके लिए निवेदन है कि जहां जहां पर ट्रैक्टर्स गए और जो खड़े हुए हैं, आज रबी की फसल में थोड़ा समय बाकी है, वहां जाकर उचित किराए पर ट्रैक्टर्स लगा दिए जायं और जिस अनुपात में ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं आर.एस. 09, उसी अनुपात में भरतपुर ट्रैक्टर्स भेजने के लिए आदेश दिए गए हैं।

तीसरी बात हमारे पास जिन ट्रैक्टर्स में मोडीफाइड पार्ट्स लगे हुए हैं उनकी रिपोर्ट 8 दिन के अन्दर दे दी जाय। सबसे बड़ी खामी रही है नोन ट्रोपिकलाइज्ड इलैक्ट्रिकल्स की। जर्मनी का टेम्परेचर नीचे था इसलिए ये वहां कामयाब हुए लेकिन आज परीक्षण के बाद सिद्ध कर चुके हैं कि ट्रोपिकल देशों में जहां गर्म जलवायु होती है वहां इस प्रकार के इलैक्ट्रिकल पार्ट्स् जो 8 की सूची है, उनको बदलने के लिए वायदा कर लिया है।

मैं समझता हूं कि इन पर भी ये मोडीफाइड पार्ट्स काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई कार्यवाही करनी होगी। माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं। इस मौके पर तो यही कह सकता हूं।

श्री रामकिशन : 8 ट्रैक्टर वापिस ले लिये तो कौन से जिले से लिये और किनके वापिस लिये ? आपने यह भी कहा कि 8 ट्रैक्टर्स में नयी मशीनरी लगा दी और प्रयोग के लिये रखे हैं।

श्री शोभाराम : भरतपुर में दो ट्रैक्टर हैं।

श्री रामकिशन : नत्थीसिंहजी को तो जानकारी है। वहां की स्थिति के सम्बन्ध में मेरी दस बारह बार माननीय मंत्रीजी से बातचीत हुई है। भरतपुर में अधिकांश ट्रैक्टर दिये हैं। आपके मैकेनिक गये लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के खेतों में वे ट्रैक्टर

(श्री रामकिशन)
खड़े हुए हैं। उनमें इलेक्ट्रिक की गड़बड़ नहीं है किन्तु सब ही तरह की गड़बड़ है। एक गांव में दूसरा ट्रैक्टर न हो तो वह पहले वाला भी स्टार्ट नहीं हो सकता। एक ट्रैक्टर रात को चल रहा है और सुबह जब उसको स्टार्ट करते हैं तो दूसरा ट्रैक्टर लाना पड़ता है। वापिस लिये हैं ट्रैक्टर वह भी पक्षपात-पूर्ण तरीके से लिये गये हैं। भरतपुर में सबसे अधिक ट्रैक्टर दिये गये हैं वहां से तो केवल दो ट्रैक्टर लिये और दूसरी जगह से अधिक लिये हैं उनके मर्जी के लोग हैं इसलिये भरतपुर में किसान मिले हैं और प्रार्थना-पत्र दिये हैं। मुख्य धन्धा भरतपुर में खेती का है।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी जगह खेती नहीं होती है क्या ?

श्री रामकिशन : डेढ सौ वर्ष में भी डेढ मन अनाज पैदा होता है आपके यहां भरतपुर में ऐसा करेंगे तो आप भूखों मर जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी।

श्री रामकिशन : अकाल मंत्रीजी बोल उठे इसलिये कह रहा था। दो फसलों का प्रयोग किया। अबकी साल भी बांध में पानी नहीं रहा। इन आदेशों से कोई फायदा नहीं है। आयन्दा खेती कर सकेंगे इसमें भी सन्देह है। क्योंकि ट्रैक्टरों में आग लग जाती है। आपने फरमाया कि दो ट्रैक्टर का नवीनीकरण किया है ? दो ट्रैक्टर भरतपुर से लाये उसकी जानकारी दे दें।

श्री शोभाराम : इसकी मैं कल जानकारी दे दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : आपका समझौता हो सकता है। निगम के साथ 'किसान का समझौता है। वह क्षतिपूर्ति करे। आपने उसकी गारन्टी की है आपको गारन्टी को निभाना चाहिये।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अब करीब 2 पच्चीस मिनिट और अवशेष हैं। यदि माननीय सदस्य सहयोग दे सकें तो इस सीमा में यह छोटा सा विधेयक पारित किया जा सकता है। सहयोग मिल जाय उस आश्वासन के आधार पर मैं चाहूंगा, कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और संकल्प है और जनमत के लिये भी है। माननीय सदस्यों का नाम मैं उल्लेखित करता हूं नाम में भी संशोधन हो सके तो यह बिल सीमा में पारित हो सकता है। संकल्प पर तो माननीय सदस्य नहीं चलेंगे।

श्री रामकिशन : संकल्प पर चलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।
(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढदार :
(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन :

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1970 पर संकल्प।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मेरा खयाल है, संक्षेप में तो आपका सहयोग मिलेगा ही।

श्री रामकिशन (वेर) : मेरा संकल्प यह है कि "यह सदन दिनांक 15 जुलाई, 1970 को श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्थापित राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (अध्यादेश संख्या 8 सन् 1970) को अस्वीकार करता है।"

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार जिन कारणों से यह अध्यादेश लाया गया है उन कारणों में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि एक कमेटी बनी है और कमेटी ने कुछ संशोधनों की सूचना दी है कि नगर सुधार न्यास का संपूर्ण रूप से सुधार किया जाय। शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नगर न्यास के सदस्य बनाये जायं। इन कारणों से एक अध्यादेश लाया गया।

अध्यक्ष महोदय, देखने में यह संशोधन मासूम संशोधन है। लेकिन सरकार की वास्तविक मंशा क्या है यह संशोधन प्रकट करता है। कमेटियां बनती हैं और रिपोर्ट देती हैं, विधान सभा का सत्र बुलाते हैं नहीं। इसलिये बहाना लगा दिया जाता हैं कि राज्यपाल महोदय को इसका प्रयोग करना पड़ता हैं। ऐसे 2 छोटे 2 कारणों के लिए अध्यादेश का प्रयोग करते हैं, राज्यपाल को जो शक्ति दी है क्या उसका उचित प्रयोग हो रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : राज्यपाल के पास और काम ही क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : जो संशोधन लाया गया है मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। मैं इसके पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स को राष्ट्र के जीवन में घुलने मिलने का पूरा 2 मौका दिया जाय। सरकार मान्यता की दृष्टि से और संस्कार की दृष्टि से इसका प्रयोग नहीं करती है। लेकिन राजनैतिक कारणों से सरकार इस प्रकार के छोटे मोटे उनको संतुष्ट करने के लिये कदम उठाया करती है वरना सरकार के संस्कार इस प्रकार के नहीं हैं कि पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को विकास का मौका दें।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का अध्यादेश है और कानून बनाया जा रहा है, मैं समझता हूं, इसमें संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि खुद माननीय मंत्री महोदय मानते हैं कि रिपोर्ट आयी और एक दो को स्वीकार कर लिया और बाकी को नहीं किया। नगर न्यास का जिस प्रकार से गठन किया गया है उसमें तिहरी व्यवस्था की गयी है। नगरपालिका है, नगर न्यास हैं और अब हाउसिंग बोर्ड भी बना दिया है। इनका समीकरण नहीं है। नगर न्यास के कामों को बारीकी से देखा जाय तो, नगर सुधार, रोशनी आदि का प्रबन्ध करना और आवश्यकीय सेवाओं की व्यवस्था करना। इनका एक दूसरे का समीकरण और सहयोग नहीं है और एक दूसरे से सहयोग करने की स्थिति में आते नहीं हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कई नगरपालिकाओं में और नगर न्यासों में विवाद खड़ा हो गया है और इस तरह से वहां का विकास रुक गया है। नगरपालिका अपना क्षेत्र बताती है और नगर न्यास अपना, इस तरह से झगझट पैदा हो गये है और स्थानीय विकास

(श्री रामकिशन)

रुक गया है। मंत्री जी किस कारण से इस प्रकार से दोहरी व्यवस्था करने जा रहे हैं इसका कोई जवाब है क्या ? आप इसका जवाब यह देंगे कि हम सत्ता को विकेन्द्रित करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास की डेमोक्रेटिक परिभाषा है। राजनीति में परास्त लोगों का आश्रय गृह। जो लोग आपके चुनावों में हार जाते हैं उनको वहां पर अटका देते हैं। आज आप इस संशोधन द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के व्यक्तियों को नोमीनेट करना चाहते हैं इसमें किसी को ऐतराज नहीं यदि सभी मेम्बर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के ही रखदें तो मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन जिस प्रकार से न्यास का गठन किया जाता है उससे मुझे सख्त ऐतराज है। जो विधान सभा के चुनावों में परास्त हो जाते हैं, जनता द्वारा जो ठुकरा दिये जाते हैं उनको इसमें आश्रय दिया जाता है वह इसलिये कि कहीं सिण्डीकेट में न चले जायं इण्डीकेट में आ जायं इसलिए सब किया जाता है....

श्री मूलचन्द डागा : यह आपका कहना गलत है।

श्री रामकिशन : आप शान्त रहें तो मेहरबानी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, आज जितने भी न्यास बने हुए हैं उन न्यासों के मेम्बरों और अध्यक्षों पर आप नजर डालें तो निष्पक्ष व्यक्ति यह स्वीकार करेगा कि सच-मुच राजनैतिक लाभ के लिए ये पद सृजन किये गये हैं। राजस्थान के पराजित राज-नीतिज्ञों को इसमें रखा गया है। भरतपुर नगर न्यास के अध्यक्ष को ही ले लीजिये श्रीराम-स्वरूप गुप्त को वहां का अध्यक्ष बनाया गया है। उनको टिकट नहीं दिया गया विधान सभा का उनको यह कहा गया कि हम टिकिट दूसरे को देंगे आपको अध्यक्ष बना देते हैं...

श्री अध्यक्ष : आप कभी व्यक्तियों पर नहीं जाते हैं ?

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, उनको वहां के न्यास का अध्यक्ष बना दिया गया। अलवर जो विधान सभा के मेम्बर हार गये थे उनको अध्यक्ष बनाया गया।

अध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि नगर की जो समस्यायें हैं उनमें नगरपालिकाओं और नगर न्यासों का समीकरण कैसे किया जा सकता है यह सोचने का विषय है। आज हालत यह है कि इन दोनों को अलग अलग संस्थाएं होने के कारण कई नगरों का विकास भी रुक गया है आज नगरपालिकायें और नगर न्यासों का आपस में समन्वय नहीं है। एक दूसरे के अधिकारों को चेलेन्ज करते रहते हैं। जब आप अध्यादेश द्वारा कानून लाने जा रहे हैं तो आपको कानून अधूरा नहीं लाना चाहिये। जो भी संभावित खामियां नजर आती हों उनका समीकरण हो जाय ऐसा इस विधेयक में है नहीं।

अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश द्वारा इस प्रकार के जो कानून लाये जाते हैं वे केवल राजनैतिक कारणों से प्रेरित होते हैं यदि इसी तरह से होता रहा तो यह एक प्रकार से लोकतन्त्र का मखौल होगा। इस बारे में ज्यादा समय न लेता हुआ इतना ही निवेदन

(श्री रामकिशन)
करना चाहता हूं हिन्डोन नगर न्यास की आपके सामने कितनी ही शिकायतें हैं, इसकी माननीय मंत्री महोदय को सारी जानकारी है वहां से नगर न्यास के अध्यक्ष इस प्रकार के है जैसे मानों भूतपूर्व झालावाड़ के नरेश हो या भूतपूर्व डूंगरपुर के नरेश रहते थे उसी प्रकार वे रहते हैं। जो जीप उनको मिली हुई है वह कहां घूमती रहती है यह उनसे छिपा नहीं है·····

श्री अध्यक्ष : यह आपके व्यक्तिगत के अनुरूप मसला नहीं है यह बहुत छोटा मसला है।

श्री रामकिशन : आप इसको छोटा मसला कह कर टालें नहीं। हिन्डोन नगर न्यास की जितनी शिकायतें हैं वे सारी विभाग में हैं लेकिन उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं होती। अब की बार उनको आपने अध्यक्ष नहीं बनाया है लेकिन जो चार्ज उनके खिलाफ थे उनके बारे में कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

इसी तरह से प्लाट के अलोटमेण्ट का सवाल है उसमें भी बड़ा पक्षपात किया गया है अनियमिततायें की गई हैं यह सारी जानकारी विभाग के पास हैं।

भरतपुर के न्यास की कई शिकायतें हैं मंत्री जी को फुर्सत नहीं है उन पर दबाव आता रहता है राजनैतिक दबाव उन पर मजबूत पड़ता है मुख्य मंत्रीजी उनको बनवा देते हैं वे उनका कहा कैसे टाल सकते हैं। जनता का कल्याण हो या नहीं यह उनको चिन्ता नहीं। जयपुर में किसी को टिकिट नहीं मिला उनको वहां पर सदस्यों के रूप में नामजद कर दिया गया। जहां कलेक्टर के रिकमण्डेशन की बात आती है उनको कौन रखता है, जो भीखाभाई के चन्दन की मालिस करता है उसी को रखा जाता है।

एक माननीय सदस्य : क्या इसमें भीखा-भाई की चलती है क्या ?

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्री जी का भी कभी कभी इशारा हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : ये तो स्वयं सिद्ध है।

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्री जी के इशारे पर इस प्रकार के व्यक्तियों का नोमीनेशन हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो मौजूदा संख्या शिडूल्ड कास्ट और शिडूल्ड ट्राइब्स के लिए रख रखी है उस संख्या को बढ़ा दिया जाना चाहिये। आज अगर किसी के लिए आवास की समस्या है वह समस्या अन्य वर्गों के लोगों के लिए नहीं जितनी समस्या पिछड़े हुए मोहल्लों में रहती है। जहां पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं आज जिस प्रकार की उनके रहने की कण्डी-शन्स हैं उसको हम नारकीय जीवन कह सकते हैं। आज वे इन मोहल्लों में नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस तरह का नियम बना दें जिन जिन क्षेत्रों में न्यास काम करते हैं वहां के विधान सभा के सदस्य को उसमें जरूर रखा जाय। यदि कहीं दो चार हों तो उसमें से एक को निर्वाचित कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अब तक तो इस बारे में अध्यक्ष को अनुमति लेनी जाती थी···

श्री रामकिशन : एक तरह से जो विधान सभा का सदस्य है उस क्षेत्र का उसको सदस्य बनाया जाना ही चाहिए। आज हम देखते हैं ऐसे न्यासों के अध्यक्ष, या मेम्बर बना दिये जाते हैं जिनका उस नगर से कभी ताल्लुक ही नहीं रहा या वे उस नगर के रहने वाले ही नहीं लेकिन सरकार राजनैतिक कारणों के आधार पर उनको रखना चाहती है और जरूरी समझती है। जैसा आपने कहा व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए, मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं आम तौर पर उनको अध्यक्ष बनाया गया है जिनको उस नगर के जीवन की कोई जानकारी नहीं है न स्नेह और न तारतम्य ही उस नगर से उनका रहा है....

एक माननीय सदस्य : जो हार जाते हैं उनको रख दिया जाता है।

श्री रामकिशन : इस सम्बन्ध में मंत्री जी गंभीरता से सोचें निर्वाचित प्रतिनिधि को इसका सदस्य अवश्य बनाया जाना चाहिए। वे तो आराम से अपने मन्त्री पद पर किसी प्रकार की आंच आने देना नहीं चाहते। आपने परमानन्द ले लिया, परमानन्द के नजदीक आप अब पहुंच गये हैं।

श्री अध्यक्ष : ब्रह्मानन्द तक पहुंच गये हैं।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इसको आप गंभीरता से लें। यह ठीक है कि आप इसमें इतना समय दे नहीं पाते हैं, आपसे अब यह विभाग संभलता भी नहीं। अच्छा है आप इस विभाग को छोड़ दें क्योंकि यह इतना गंभीर मामला बनता जा रहा है कि आपके वश की बात नहीं रह गई है। आप कोई दूसरा विभाग ले लें।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह समझते हैं कि ये दूसरे विभाग को भी सुधार देंगे।

श्री रामकिशन : ऐसा तो मैं भी नहीं मानता लेकिन इतना जरूर कह देना चाहता हूं आप इस विभाग को छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि सदन मेरे संकल्प को स्वीकार करे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो विवरण दिया हुआ है उसकी कुछ लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "पिछले कुछ समय से राज्य सरकार को राज्य में नगर सुधार न्यासों के कार्य करण को सुधारने के संबन्ध में विभिन्न सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। मार्च 1959 में नगर आयोजन मंत्री की अध्यक्षता में उक्त विभिन्न सुझावों का परीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी। समिति ने अपनी सिफारशें दीं और सरकार ने उनमें कुछ को मान लिया और राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक का प्रारूप भी बनाया गया किन्तु कुछ कारणों से विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सका। तथापि उनमें से कुछ सिफारिशों का राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 में संशोधन करके तुरन्त कार्यान्वित करना अपेक्षित था।"

इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि आपका यह जो अमेण्डिंग बिल है वह इस रिपोर्ट पर आधारित है। उसकी जितनी भी

(श्री भैरोंसिंह)
रिकमण्डेशन थी वह राज्य सरकार में मान ली हैं। जिनको मान लिया उसके आधार पर यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। ऐसी हालत में जिस रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक लाया जा रहा है उसकी रिपोर्ट पाने का माननीय सदस्यों को अधिकार हो जाता है। हम उस प्रतिवेदन को देखना चाहेंगे। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, उस प्रतिवेदन को आप सदन की मेज पर प्रस्तुत करें। अगर नहीं करते हैं, तो विशेषाधिकार का हनन् होगा। अतः आपसे अनुरोध है आप मंत्री महोदय को आदेश दें कि इस प्रकार के प्रतिवेदन को सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आप पोइण्ट आफ आर्डर का और बहस का दोनों का उत्तर दे दें।

श्री भीखा भाई (नगर आयोजन मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्टेट-मेन्ट आफ आब्जेक्ट के बारे में आपत्ति उठाई है, दरअसल में यहां पर एक बिल मार्च 1966 में जो है उसके बारे में एक क्लारीकल मिस्टेक हुई है और वो क्लारीकल मिस्टेक 1969 के बिल के बारे में जो कि पहिले 1966 के अन्दर एक कमेटी बनी थी तत्कालीन आयोजन मंत्री की अध्यक्षता में, और उसके बारे में कुछ चर्चा उसमें हुई और उसके बाद 1968 में एक और कमेटी बनी जो कि सचिव की अध्यक्षता में थी, और इस कमेटी ने कुछ अनौपचारिक रूप से जो बातें अपनी मीटिंग के अन्दर बार बार आई, उसके अन्दर चर्चा आई और हमारी जो कठिनाइयां आई उनको लेकर इस बात को रखा गया था कि ये जो मुद्दे हैं इनके बारे में एक बिल लाया जाये।

श्री भैरोंसिंह : कोई सिफारिश है ?

श्री भीखाभाई : एक कण्सोलिडेटेड बिल आ जाता तो ठीक रहता लेकिन गत सत्र में यह बात आई थी और मैंने इस सदन में इस बात की घोषणा की थी और यह आश्वासन दिया था कि हमारे शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को भी इनमें मनोनीत किया जाये। परन्तु इसमें उस एस्योरेन्स को मैं पूर्ण नहीं कर सका किन्हीं कारणों से तो मैंने यह उचित समझा कि इसके लिए कोई कानून या लेजिसलेटिव रूप इसको दे दिया जाये। दूसरा कारण यह था कि गांधी शताब्दी वर्ष है और इस कारण से····

श्री विजयसिंह (मकराना) : गांधी शताब्दी वर्ष में मेहरबानी कर के यह धोली टोपी को उतार दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पॉइण्ट आफ आर्डर उठाया गया है उसका क्या स्पष्टीकरण है। क्या कोई कमेटी थी और उसकी क्या सिफारिश थी ?

श्री भीखाभाई : इसके सम्बन्ध में जैसा मैंने निवेदन किया था एक कमेटी का गठन किया गया था। वह समाप्त हो गई। 68 में दूसरी कमेटी उसके अध्यक्ष सेक्रेटरी थे और उसके बाद दूसरी कमेटी बनी। उसकी सिफारिशों पर जो व्यावहारिक कठिनाइयां रोजमर्रा के काम में महसूस की गई उनके आधार पर राज्य सरकार ने····

श्री अध्यक्ष : मेरा मतलब मन्त्री महोदय, यह था कि सन् 68 में आयोजन मन्त्री की अध्यक्षता में उक्त सुझावों का परीक्षण नोट किया गया और उस समिति ने आपको अपनी सिफारिशें दीं। नम्बर दो और उन में से कुछ को मान लिया गया। नम्बर तीन अब इसकी पोजीशन का स्पष्टीकरण कर दें।

श्री भैरोंसिंह : जैसा कि कहा गया है कि समिति ने कोई सिफारिश की है तो उसका माननीय सदस्यों को लाभ मिलना चाहिये या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मैं निवेदन कर रहा हूं स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट में कुछ एरर हैं, ड्राफ्ट में एरर रह गई है ....

Only proceedings of the committee were that the Committee was in favour of making the change that earlier it was presided by the Deputy Minister, who was the Chairman, and subsequently it was reconstituted in 1969 under the Chairman of the U. I. T.

श्री अध्यक्ष : Recommendations are on the record ?

श्री भीखाभाई : In the department itself.

श्री अध्यक्ष: No privilege claimed for the document ?

श्री भीखाभाई: These are the recommendations, Sir.

श्री अध्यक्ष : इस समय समझ लें और, सुनने के बाद भी क्या आपको सन्तोष हो जायेगा ?

श्री भैरोंसिंह : सुनने तो दें।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि यदि यह प्रश्न यह सुनने से हल हो सकता है और यह बिल आगे चल सकता है तो इजाजत दे दूं। क्या आप यह चाहते हैं कि यह डिटेल में रखा जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जरूरी है। सुनने से शायद सन्तोष हो जाये।

श्री अध्यक्ष : यह तो मैं नहीं सोचता कि सन्तोष इतना जल्दी हो जायेगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन रिकमन्डेशन्स के ऊपर यह विधेयक नहीं है यह तो ...

श्री भीखाभाई : यह इसकी सिफारिशें बहुत लम्बी हैं। जो कठिनाइयां थीं वे बहुत अरजेन्ट नेचर की थीं जिसको विभाग ने समझा, इस बात को लेकर यह बिल है। और यह बहुत लम्बा चौड़ा है . . .

श्री अध्यक्ष : जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है वही।

श्री भीखाभाई : "Existing provisions, proposed changes, reasons for changes"

श्री अध्यक्ष : इसको छोड़िये, अपने मुद्दे पर आ जाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो विधेयक है इस कमेटी की रिकमन्डेशन्स के आधार पर स्वीकार किया है ।

श्री भीखाभाई : मैंने आपको कहा है कि जो इन्फोरमल सजेशन आये थे उनके आधार पर है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो-तीन प्रश्न माननीय सदस्य ने यहां पर उठाये हैं यह स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट और रीजन्स में है उसमें यह स्पष्ट है कि एक कमेटी बनी है उसकी रिकमन्डेशन्स हैं और उनमें से एक रिकमन्डेशन के लिये यह आर्डिनेन्स लाया गया है····

"On receiving various suggestions to improve the working of the Improvement Trusts in the State, in March, 1969 a Committee was appointed under the chairmanship of the Minister of Town Planning, to examine the various suggestions. The Committee gave its recommendations and Government have accepted some of them. A Bill was drafted to amend the Rajasthan Improvement Trust Act but for some reasons the Bill could not be introduced in the Assembly."

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, समय समाप्त हो रहा है, आधे घंटे के लिये समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : दो प्रश्न हैं। यह विधेयक पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाये अथवा दूसरा यह प्रश्न है कि यह सम्पन्न होने तक बढ़ा दिया जाये। आपका उत्तर और पाइंट आफ आर्डर का स्पष्टीकरण और आपके इस उत्तर पर यह जो संशोधन आपने प्रस्तुत किया है उस पर मत। यह जब तक सम्पन्न हो तब तक बढ़ा दिया जाये ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : पारित होने तक।

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः इस प्रश्न को विचारार्थ रखता हूं। बिजनेस बहुत ज्यादा है। कल भी कंजेस्टेड बिजनेस है। यदि आज यह विधेयक पारित हो जाता है तो सहूलियत भी रहती है।

श्री मूलचन्द डागा : आज ही पारित हो।

श्री अध्यक्ष : आज ही पारित हो सकता है। चलिये प्रारम्भ रखिये।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पहले मुद्दे का प्रश्न है, मैंने निवेदन किया है कि माननीय सदस्यों की हमेशा ही यह इच्छा रही है और उस इच्छा के अनुकूल मैंने यह आश्वासन दिया था और उस आश्वासन देने के बाद····

श्री भैरोंसिंह : पाइंट आफ आर्डर !

श्री भीखा भाई : उसका ही जवाब दे रहा हूं····

श्री अध्यक्ष : माननीय यशवन्तसिंह नाहर बोल रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को उठाया था।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि यह स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट में स्पष्ट नहीं है इसलिये यह प्रश्न यहां पर उठाया गया है कि क्या कुछ रिकमन्डेशन कमेटी ने दी है और उन रिकमन्डेशन के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने शिड्यूल्ड कास्टस् और ट्राइब्स के मेम्बर्स को यू. आई. टीज. में लिया जाना अत्यावश्यक समझा और उसी पर यह आर्डिनेन्स लाया गया है····

श्री अध्यक्ष : इस रिकमन्डेशन का लाभ उठा सकते हैं माननीय सदस्य ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : This is irrelevant for the purpose of this debate.

श्री अध्यक्ष: It is material.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इस बिल का जो स्कोप है वह केवल दो मेम्बर शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये है···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यदि वह सिफारिशें आपके समक्ष प्रस्तुत होती तो माननीय सदस्यों को वाद विवाद करने में सहूलियत होती ।

एक माननीय सदस्य : नाहर साहब कुछ कह रहे थे ···

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन के नियम हैं और जो गवर्नमेंट का आने वाला बिल है उसमें कोई ऐतराज नहीं है । इस गवर्नमेंट के बिल में कोई संशोधन नहीं आ सकता है । जो दिये गये पैराज हैं इसके अतिरिक्त आये-क्लाज बहुत साफ है । कोई प्राइवेट बिल लाये और माननीय मंत्री महोदय स्वीकार कर लें अन्यथा वह चीज इर-रिलेवेन्ट है–आज के दिन ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि माननीय भैरोंसिंह जी ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने यह कहा यह बिल उन रिक-मन्डेन्स पर बेस नहीं है यह तो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एन्ड रीजन्स पर ही–वास्तविकता तो कुछ और है । अभी माननीय यशवन्त सिंह जी नाहर ने कहा केवल एक रिकमन्डेशन जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एक–दो सदस्यों के बढ़ाने की है यह बात भी सही नहीं है । इस बिल के पढ़ने से कई महत्वपूर्ण प्रश्न इस अमेन्डमेंट के जरिये किये जा रहे हैं । जैसे कितनी ही स्कीमों के लिये अब तक गवर्नमेंट नोटि-फिकेशन इश्यू करती थी अब उन प्रोविजन्स को ड्राप किया जा रहा है । इसी तरह कई स्कीम्स के बारे में नये प्रोसीजर अपनाये जाते रहने की बात है । एक तो हेस्ट में इन चीजों को मंजूर नहीं किया जा सकता है । फिर उसका औचित्य क्या है ? उनको पढ़कर ही सही तरीके से जानकारी मिल सकती है । इसलिये जो प्रिविलेज है हमें पढ़ने का उसके बाद ही हम कोई ओपीनियन जाहिर कर सकते हैं । इसलिये जो रिकमन्डेशन्स हाउस की बिल पर हैं कि उसको रोक दिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : पंचायत के कानून में जब अभी संशोधन आया तो सादिक अली को अमुक अमुक रिकमन्डेशन्स हैं इतना ही केवल इन्-कारपोरेट क्यों किया है । सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाया है । रैवेन्यू लॉज कमीशन की रिकमन्डेशन के आधार पर बनाया जाय–बिल के समर्थन में या बिल के विरोध में इसलिये मेरा निवेदन है एक्सपर्ट कमेटीज या गवर्नमेंट कमेटीज होती हैं उनकी रिकमन्डेशन्स होती हैं, आखिर उनको रिकम-न्डेशन्स बनाने में काफी समय लगता है, राज्य सरकार का काफी खर्चा भी होता है । साल-दो साल उनको अपनी रिकमन्डेशन्स देने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
में लग जाते है फिर गवर्नमेंट उसमें से चूज करके एक बिल में अमेन्डमेंट लाये । मैं समझता हूं गवर्नमेंट का एप्रीशियेशन, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म इस आधार पर हो रहा है कि कमेटी की यह रिकमन्डेशन थी और दूसरे की अपेक्षा यह थी कि यह रिकमन्डेशन्स थी, इसको क्यों नहीं इनकारपोरेट किया गया है। इसलिये हाऊस में डिबेट होना बहुत आवश्यक है, और इसीलिये तब इस कानून पर विचार कर सकते हैं। जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है और जो रिकमन्डेशन्स दी हैं और जिसको आधार मान कर राज्य सरकार ने बनाये हैं, यह परम आवश्यक है कि सदन के माननीय सदस्यों के स्वस्थ वाद-विवाद के लिये निहायत जरूरी है। सदन के माननीय सदस्यों को उस कमेटी को रिकमन्डेन्स की और राज्य सरकार के लिये गये निर्णय की जानकारी उनको मिल सके और उसकी एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है और उसके साथ ही माननीय राम किशन जी का संकल्प प्रस्तुत हुआ है–दोनों की स्थिति अलग अलग है। यदि मैं संकल्प को ले लूं और व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय लूं तो कोई बाधा नहीं । इसलिये मैं संकल्प पर पहले निर्णय ले लेता हूँ। प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय राम किशन जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया

अब व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया गया है यद्यपि यह विधेयक बहुत दिनों पूर्व सरक्युलेट हो चुका था। माननीय सदस्यों ने इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर ध्यान पूर्वक अध्ययन किया होगा और शीघ्रातिशीघ्र इसकी व्यवस्था के प्रश्न को यों भी उठाया जा सकता है–अध्यक्ष को सूचित करके भी . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष बीमार रहते हैं।

श्री नत्थीसिंह : ज्यों ही सदन में आये त्यों ही उठा दिया।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपकी भावना है बीमार रहने की। यदि वह हो पाता है तो इस कार्य संचालन में देरी न होती और इसके पूर्व ही विधेयक को पारित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन फिर भी इस लेट स्टेज पर यह व्यवस्था उठाई गई है तो मैं यह समझता हूं जो कमेटी की सिफारिशें है यह महत्वपूर्ण अवश्य हैं इसकी जानकारी सदन के माननीय सदस्यों को मिलनी चाहिये थी। यदि मैं यह कहूं इसको जानकारी माननीय सदस्यों को न मिले और उसके अभाव में माननीय सदस्य वाद-विवाद करें तो मेरा यह ख्याल है माननीय सदस्यों को पूरा लाभ इस विधेयक पर विचार करने का मिल सकता है? इसके अभाव में न मिल सकेगा। ऐसी दृष्टि में, इस संदर्भ में मैं इस विधेयक को डेफर करने का सोचता हूं लेकिन मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं। अब चूंकि ऐसा अवसर नहीं है कि इसकी प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों में वितरित की जायं। इसलिये आपके सहयोग

(श्री अध्यक्ष)

को मैं सहसा आपके मौन रहने से स्वीकार करते हुये मैं उसको कापी इस सदन को टेबिल पर रखवा दूंगा। यह माननीय सदस्यों को स्वीकार है?

(मौन स्वीकृति)

ऐसा मैं मानता हूं। इस संदर्भ में। इसको मुझे चलाने का पांच मिनिट का काम है इसलिये इस आशा से कि माननीय सदस्यों ने स्वीकृति दी है इस व्यवस्था के प्रश्न के संदर्भ में कि यह रिपोर्ट आवश्यक है माननीय सदस्यों को अवलोकनार्थ, इस संदर्भ में मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी कापी सदन की मेज पर रख दें। अब प्रश्न यह और रहता है, जैसे मैंने निवेदन किया माननीय रामकिशन जी के संकल्प का इस व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये माननीय सदस्यों ने उसको देने की भी स्वीकृति दे दी है। माननीय सदस्यों को वाधा न हो तो विचारार्थ जो प्रश्न है उसको ले लिया जाय–यह थर्ड स्टेज है।

श्री भैरोंसिंह : सदस्यों को बिना इस रिपोर्ट को देखे वाद-विवाद करने का लाभ नहीं मिलेगा।

(माननीय सदस्य के व्यवधान करने पर)

श्री अध्यक्ष : उस अभिव्यक्ति को यदि मैं वापिस ले लूं तो...

(विराम)

इसको डेफर करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Not for tomorrow?

श्री अध्यक्ष : जो बिजनिस है माननीय सदस्यों ने मुझे अधिकार दिये हैं बिजनिस एडजस्ट करने का...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह अधिकार तो आपको दिये हुये हैं। जैसी आपको सहूलियत हो।

श्री अध्यक्ष : अब इस सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11–00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5–10 म.प. दिनांक 17 नवम्बर, 1970 के प्रातः 11–00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 125 की सूची)

The Meetings of the University Acts Amendment Committee held on the following places on the dates mentioned against the names of places.

Meetings	*Venue*	*Date*
I	Rajasthan Secretariat, (Committee Room), Jaipur	13-2-1969
II	-do-	17 & 18-3-1969
III	-do-	28 & 29-4-1969
IV	Rajasthan University (Guest House), Jaipur	29 & 30-9-1969
V	Udaipur University, Udaipur	10 & 11-10-1969
VI	Jodhpur University, Jodhpur	19 & 20-11-1969
VII	Rajasthan Secretariat (Committee Room), Jaipur	22 & 23-12-1969
VIII	-do-	11 & 12-2-1970
IX	-do-	23 & 24-6-1970

The next meeting of the above Committee is now going to be held at Jaipur on 6th, 7th & 8th December, 1970 to finalise the report of the Committee.

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

कोटा जिले की पंचायत समितियों के विकास अधिकारी

134. श्री **प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में कितनी पंचायत समितियां हैं तथा उनमें कितने विकास अधिकारी कितने 2 समय से तैनात हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकतर विकास अधिकारी प्रत्येक पंचायत समिति में 2 वर्ष से वहां तैनात है और जिनकी कई बार ट्रान्सफर भी किया गया था मगर फिर कैन्सल कर दिया गया ? यदि हां, तो कौन-कौन से विकास अधिकारी का कब-कब तबादला किया गया और कितनी बार कैन्सल किया गया?

उत्तर

(1) कुल 11 पंचायत समितियां हैं। एक विकास अधिकारी सन् 1967 से, तीन विकास अधिकारी, 1969 से व पांच विकास अधिकारी इसी वर्ष से नियुक्त हैं। दो पंचायत समितियों में पद रिक्त हैं।

(2) जी नहीं।

ग्रामीण विद्युतिकरण की प्राथमिकता में जैसलमेर का स्थान

135. श्री **बाल सिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् मण्डल द्वारा हर जिले में ग्रामीण विद्युतिकरण को प्राथमिकता दी जा रही है ? अगर हां, तो जैसलमेर जिले म इस योजना को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि जसलमेर जिले में अमरसागर, जैसलमेर, जैसलमेर-मूल सागर, पोकरण राम देवरा व पोकरण नगर के पास कुओं में बिजली देने की योजना का सर्वेक्षण कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब तक यह योजना इस जिले में आरम्भ करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जहां तक सम्भव है है ग्रामीण विद्युतिकरण अधिक से अधिक करने का प्रयत्न किया जाता है, पर जैसलमेर क्षेत्र मुख्य विद्युत् स्रोतों से दूर होने और वहा पर कृषि का स्कोप बहुत कम होने के कारण इस क्षेत्र में विद्युतिकरण कम होना स्वाभाविक है।

(2) अमर सागर व राम देवरा का सर्वेक्षण हो चुका है जिसकी रिपोर्ट विचाराधीन है। मूल सागर का सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है। अभी योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

राजस्थान में कर भार

136. श्री **दौलत राम सारण** (डूंगरगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान निर्माण के समय प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर भार कितना कितना था और आज कितना है ?

(2) उस समय राज्य पर ऋण भार कितना था और राज्य के असेट्स कितने थे ? आज ऋण भार क्या है, और असेट्स कितने हैं ?

(श्री दौलतराम सारण)

(3) उस समय बजट क्या था? आज बजट कितना है?

(4) उस समय प्रति व्यक्ति मासिक व वार्षिक आय क्या थी? आज प्रति व्यक्ति मासिक व वार्षिक आय कितनी है?

(5) उस समय प्रशासनिक व्यय कितना प्रतिशत था? आज कितना प्रतिशत है?

(स्थगित किया गया)

137. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में विद्युत् शुल्क किन-किन उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन-जिन उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क वसूल नहीं किया जाता है, उन्होंने पिछले 2 वर्षों में कितनी-कितनी विद्युत् का उपभोग किया है?

(3) जिन लोगों से विद्युत् शुल्क नहीं लिया जाता उनको यह छूट किस कानून के अधीन दी जाती है?

(4) क्या राजस्थान विद्युत् शुल्क अधिनियम, 1962 में ऐसा कोई प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो किस धारा में तथा इसका उद्देश्य क्या है?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा राज-पत्र अधिसूचना क्रमांक एफ 7/13 एल/62 में प्रकाशित राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम, 1962 के अधीन निम्न श्रेणी के विद्युत् उपभोक्तओं से विद्युत शुल्क नहीं लिया जाता है:-

(क) भारत सरकार के कार्यालय।

(ख) भारत सरकार द्वारा रेल्वे के निर्माण, मेन्टीनेन्स एवं परिचालन हेतु।

(ग) कृषि कार्य में विद्युत् उपभोग पर।

(घ) अस्पताल एवं डिसपेन्सरीज जो निजी लाभ के लिये नहीं चलती हैं।

(ड.) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं।

(च) सार्वजनिक देवस्थान (पूजा के स्थान)

(छ) विद्युत् रसायन एवं विद्युत् थर्मल उद्योगों के लिये विद्युत् भट्टी।

(ज) सार्वजनिक जन पथ विद्युत्, एवं

(झ) मार्च 1968 के बाद के नये उद्योग अथवा किसी उद्योग द्वारा लगाई गई अतिरिक्त प्रतिस्थापित क्षमता पर।

(2) उन उपभोक्ताओं से जिनसे विद्युत् शुल्क नहीं लिया जाता है उनका विद्युत् उपभोग अलग से संग्रहित नहीं किया जाता अतः सूचना एकत्रित करने में अधिक समय लगने की संभावना है क्योंकि इस प्रकार के उपभोक्ता करीब तीस हजार हो सकते हैं।

(3) जी हां।

(4) जी हां। राजस्थान विद्युत् (शुल्क) अधिनियम 1962 की धारा 3 (2) के तहत तथा धारा 3 (3) के अधीन जहां

(विद्युत मंत्री)

राज्य सरकार सार्वजनिक हित में उचित समझे, उपरोक्त उपभोक्ताओं से विद्युत् शुल्क नहीं लिया जाता ।

लेखाधिकारी के कारण अधिकारियों में असंतोष

138. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर)**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) शिक्षा विभाग प्रधान कार्यालय में कितने लेखाधिकारी हैं और उनके जिम्मे क्या क्या कार्य हैं ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग प्रधान कार्यालय में एक एकाउन्ट्स आफिसर को राजपत्रित अधिकारियों की वरिष्ठता, नियुक्तियों, पदोन्नति, विभागीय जांच आदि का कार्य सौंप रखा है और एकाउन्ट्स का कार्य नहीं दिया गया है । यदि हां, तो इन एकाउन्ट्स आफिसर का नाम क्या है ?

(3) क्या सरकार को पता है कि श्री एस. एन. भारद्वाज, लेखाधिकारी की नियुक्तियों, वरिष्ठता, विभागीय जांच व पदोन्नतियों में वरती गई अनियमितताओं व पक्षपात के कारण विभागीय अधिकारियों में भारी असंतोष है ? यदि हां, तो इस असंतोष को दूर करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है और कब तक ?

(4) क्या सरकार भविष्य के लिए ऐसी व्यवस्था करेगी कि जिस अधिकारी की नियुक्ति जिस विशिष्ट कार्य के लिए की जावे, उसे वही काम दिया जावे जिससे अन्य अधिकारियों में असंतोष न हो ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग प्रधान कार्यालय में लेखाधिकारी का एक पद स्वीकृत है जो इस समय रिक्त है । पूर्व में इस पद की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठता सूची सम्पन्न कराने के लिये प्रदान की गई थी ।

(2) यह सही नहीं है । अब निदेशालय में राजपत्रित अधिकारियों की वरिष्ठता, नियुक्तियों, पदोन्नति विभागीय जांच आदि का कार्य शिक्षा उपनिदेशक (प्रशासन) के सहयोग से निदेशक करते हैं ।

(3) ऐसे कोई तथ्य विभाग की जानकारी में नहीं आये हैं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) सामान्यतः ऐसा ही किया जाता है ।

बाली तहसील के ग्रामों का विद्युतिकरण

139. **श्री पृथ्वीसिंह (बाली)** : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) बाली तहसील, जिला पाली में दिनांक 31-3-70 तक कुल कितने गांवों का विद्युतिकरण हो चुका है ? कृपया तारीख वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त गांवों में दिनांक 31-3-70 तक कुल कितने पावर कनेक्शन दिये गये ? गांव वार संख्या, मय गांव में पहला पावर कनेक्शन देने के, विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) दिनांक 31-3-70 को ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे, जिनमें सिक्यो-

(श्री पृथ्वीसिंह)

रिटी जमा कराये हुए 6 माह से ऊपर अवधि बीत गई थी पर कनेक्शन नहीं दिये गये ? गांव वार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रायोरिटी स्कीम के अन्तर्गत कितने लोगों की आवश्यक धनराशि जमा हो चुकी है जिन्हें 31-3-70 को 6 माह हो गये हैं, पर कनेक्शन 31-3-70 तक नहीं दिया गया ?

उत्तर

(1) 44 ग्रामों का। सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कल करीब 389 कृषि कुओं को व 129 अन्य प्रकार के कनेक्शन दिए गए। सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) वाली तहसील में एडवान्स डिपोजिट स्कीम में तीन लोगों की धनराशि जमा हो चुकी थी जिनको कनेक्शन नहीं दिए गए।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)।

340. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर द्वारा उच्च अध्यापकों का गलत रूप से तबादला करने की शिकायतें सरकार को मिली हैं ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या पंचायत समितियों के अध्यापकों के स्थानान्तरण के संबंध में कोई नियम बने हुए हैं या कोई आदेश जारी किये हुए हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, एक शिकायती-पत्र दिनांक 14-9-70 को व एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 26-9-70 को प्राप्त हुआ। पत्र प्राप्त होने पर उप-जिला विकास अधिकारी से जानकारी करने के लिए दिनांक 26-9-70 को पत्र लिखा गया।

(2) पंचायत समितियों के लिए निर्देश जारी किये हुए हैं, जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान सरकार

पंचायत एवं विकास विभाग

अंश पत्र क्रमांक एफ. 139।2।योज। कोर्ड।डी.डी.।60।71156-358 दिनांक 15-4-60 की ओर से अतिरिक्त संचालक, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं संयुक्त विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को समस्त विकास अधिकारीगण।

(3) प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों का स्थानान्तर न तो 2 वर्ष की अवधि पूरा होने के पहिले व न ही चालू सत्र के मध्य में होना चाहिये। असाधारण परिस्थितियों में 2 वर्ष के पहले स्थानान्तर करने के लिये विकास अधिकारी को चाहिये कि सकारण प्रस्ताव पंचायत समिति अथवा संबंधित स्थाई समिति के (जैसा भी हो) समक्ष रख कर अनुमोदन प्राप्त करें।

(पंचायत मंत्री)

राजस्थान सरकार
पंचायत एवं विकास विभाग
दिनांक 12-9/17-9-61

क्रमांक एफ. 36 (56) विवि।स्थापना। 61/964319-90 ।

समस्त विकास अधिकारी,

आपको यह ज्ञात ही है कि राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों के स्थानान्तरण आमतौर पर दो वर्ष से कम अवधि में नहीं किये जाते हैं क्योंकि किसी भी कर्मचारी को भलीभांति काम करने का अवसर देने के लिये यह आवश्यक है कि उसका जल्दी स्थानान्तरण न किया जावे। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि पंचायत समिति सेवा के कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी दो वर्ष से कम की अवधि में नहीं किये जाने की परिपाटी अपनाई जानी चाहिये ।

ह. रामसिंह,
संयुक्त विकास आयुक्त, राजस्थान,
जयपुर ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

(1) समस्त जिला विकास अधिकारी ।

(2) समस्त सचिव, जिला परिषद् ।

(3) सचिव, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जयपुर ।

(4) समस्त अधिकारी (मुख्यालय) ।

रामसिंह,
संयुक्त विकास आयुक्त, राज.,
जयपुर ।

चम्बल नदी से निकाली गई नहरें सिंचाई का लक्ष्य

141. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चम्बल नदी से निकाली गई दोनों दांई और बांई नहरों के पानी से कितनी भूमि के सिंचित होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

(2) दांई और बांई नहरों को निकले कितना समय हो चुका है ?

(3) दांई और बांई दोनों नहरों से इस समय कुल कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है ?

(4) क्या चम्बल की नहरी भूमि की मुरब्बा बन्दी और किला बन्दी की गई है ?

(5) क्या चम्बल के सिंचित क्षेत्र में भूमि का एकीकरण किया गया था ?

(6) यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया ?

उत्तर

(1) प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 7.00 लाख एकड़ भूमि सिंचित करने का अनुमान है ।

(2) दांई व बांई नहर से माह नवम्बर सन् 1960 से सिंचाई आरम्भ हुई ।

(3) गत वर्ष 3.40 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हुई ।

(4) परियोजना के प्रारम्भिक काल में मुरब्बाबन्दी व किलाबन्दी का चंबल क्षेत्र में प्रयास किया गया था लेकिन काश्तकारों

(सिंचाई मंत्री)

के विरोध के कारण इस कार्य म प्रगति नहीं हो सकी है।

(5) परियोजना के प्रारम्भिक काल में भूमि के एकीकरण का प्रयास किया गया था लेकिन काश्तकारों के विरोध के कारण कार्य में प्रगति नहीं हो सकी।

(6) काश्तकारों के विरोध स्वरूप यह कार्य हाथ में नहीं लिया जा रहा है।

बूंदी शहर के तालाब

142. श्री **केसरीसिंह हांडा** (हिन्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि बूंदी के जैतसागर तालाब की फाटक नहीं लगती है जिसके कारण शहर के कुवे बावडियों में पानी बराबर नहीं बढ पाता ?

(2) पानी को क्यों नहीं रोका जाता है ?

(3) क्या बूंदी के नागरिकों का एक प्रतिनिधि मण्डल भी बूंदी के सहायक अधिशासी अभियन्ता से इसी विषय पर मिला था ?

(4) क्या सरकार द्वारा बूंदी शहर के दोनों तालाबों की फाटक जुलाई के अन्त में लगादी जावेगी ताकि पानी पूरा इकट्ठा हो सके, इसके आदेश देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) पानी को पूर्ण भराव तक रोका जाता है।

(3) जी हां।

(4) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पानी पूरा भरने का प्रयत्न किया जाता है।

जोधपुर के सहायता प्राप्त हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी में परिवर्तन

143. श्री **ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) वर्ष 1960 से अब तक जोधपुर की सहायता प्राप्त हाई स्कूलों को हायर सेकेन्ड्री में कब कब परिवर्तित किया गया और उनकी सहायता देने के सम्बन्ध में क्या क्या शर्तें रखी थीं ?

(2) किन किन स्कूलों को इन शर्तों के अनुसार वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है और कब कब से ?

(3) उपरोक्त स्कूलों को हायर सेकेन्ड्री में परिवर्तित करने के पश्चात् कौन कौनसे हाई स्कूलों को हायर सेकेन्ड्री में परिवर्तित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) यदि उपरोक्त प्राईवेट स्कूलों को अनुदान नहीं दिया है तो सरकारी स्कूलों को परिवर्तित क्यों किया गया ?

(5) क्या अन्य डिवीजनों में सहायता प्राप्त स्कूलों का हायर सेकेन्ड्री में परिवर्तित किए जाने के पश्चात् किन्हीं अन्य सरकारी हाई स्कूलों को हायर सेकेन्ड्री में परिवर्तित किया गया है ?

(श्री ओम दत्त भाटी)

(6) हाई स्कूल को हायर सेकेन्ड्री में परिवर्तित करने से व्यय में कितना अन्तर पड जाता है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1960 से अब तक जोधपुर की सहायता प्राप्त हाई स्कूलों को हायर सेकेन्ड्री में परिवर्तित किया गया है उनकी सूची मय शर्तों के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिन संस्थाओं को स्तर उन्नत करते समय ग्रान्ट नहीं देने की शर्त लगाई गई थी, उन्हें उसका अनुदान अभी नहीं दिया गया है।

(3) जोधपुर में किसी सरकारी हाई स्कूल को 1960 से 70 तक हायर सैकेण्डरी में परिवर्तित नहीं किया गया है। 1961-62 में राजमहल गर्ल्स सेकेण्डरी स्कूल व महिला बाग सैकेण्डरी स्कूल जोधपुर को हायर सेकेण्डरी स्कूल में परिवर्तित किया गया है ?

(4) अनुदान प्राप्त हायर सेकेण्डरी स्कूल बहुत कम संख्या में क्रमोन्नत किये गये अतः बढती हुई छात्र संख्या को ध्यान में रख कर राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेकेण्डरी स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में परिवर्तन करना आवश्यक था।

(5) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में परिवर्तित करने से निम्नलिखित व्यय में अन्तर पडता है :—

(व्यय 8 मास)

1.	हाई स्कूल (अपर प्राईमरी से. मा. शाला में क्रमोन्नत करने पर) ..	24,300
2.	माध्यमिक शाला को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत पहले वर्ष में	
1.	कला वर्ग ..	29,500
2.	विज्ञान मय गणित ..	23,300
3.	जीवविज्ञान ..	11,000
4.	वाणिज्य ..	14,000
5.	कृषि	16,600

अकाल के स्थाई हल के लिये योजना

144. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान के चूरू बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर और जोधपुर जिलों में एक-एक करोड लागत की अकाल के स्थायी हल के लिये विशेष योजनायें मन्जूर की गई हैं ? वे योजनाएं क्या क्या हैं ? कब से कब तक उन पर अमल होगा ? इस योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

जी हां।

राजस्थान के चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, डूंगरपुर तथा बांसवाडा जिलों में अकाल के स्थायी हल हेतु एक विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले पर करीब 2 करोड रुपयों की धनराशि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में खर्च होने का अनुमान है। इस योजना में

(योजना मंत्री)
निम्न कार्यक्रम सम्मिलित किया जाना सरकार के विचाराधीन है :—

(1) भू-संरक्षण ।

(2) वन रोपण (Afforestation)

(3) चरागाहों का विकास

(4) डेयरी विकास

(5) सड़क निर्माण

(6) लघु एवं मध्यम सिंचाई योजनाएं

विस्तृत योजना की प्रति उक्त योजनाओं के केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर ही सदन की मेज पर रखी जा सकेगी ।

विद्यार्थियों का सिनेट में प्रतिनिधित्व

145. **श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** (टौंक) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि गत वर्ष विश्वविद्यालय राजस्थान के छात्रों द्वारा माह अगस्त में की गई हड़ताल के दौरान छात्रों का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से मिला था ?

(2) यदि हां, तो क्या छात्रों द्वारा प्रस्तुत मांगों में से छात्रों का सिनेट राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व की एक मांग थी ?

(3) क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया था कि छात्रों को आगामी वर्ष तक सिनेट में प्रतिनिधित्व दिया जावेगा ?

यदि हां, तो उपरोक्त आश्वासन पर क्या कार्यवाही आज तक की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2 व 3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए धनराशि

46. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लघु सिंचाई योजनाओं के लिये कुछ धनराशि जिलाधीशों को अलाट की गई थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त धनराशि को जिलाधीशों ने पंचायत समितिवार अलाट कर दिया था ? यदि हां, तो भरतपुर जिले की किस किस पंचायत समिति को उक्त योजनाओं के लिये कितना कितना पैसा दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि कामां पंचायत समिति को भी लघु सिंचाई योजनाओं के लिये पैसा दिया गया था ? यदि हां, तो किस किस ग्राम को और कितना कितना ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना की धनराशि से पंचायत समिति कामां ने ग्राम मुरार ग्राम मुल्लाका और ग्राम नगला हरनारायण के तीनों बान्धों का नव-निर्माण अपनी देखरेख में कराया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बान्धों के कच्चे और पक्के कामों के टेण्डर

(श्री मजलिसखां)
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कामां ने ही मांगे थे और स्वयं ने ही उनका निर्णय किया था ? यदि हां, तो उक्त तीनों बान्धों के कच्चे और पक्के कामों के ठेके किस नाम के ठेकेदारों को दिये गये ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में वर्षा की औसत माप 20 इन्च और 25 इन्च के लगभग है ? क्या यह भी सही है कि दिनांक 14/13 अगस्त, 1970 को उक्त तीनों बान्धों के कच्चे और पक्के काम टूट गये जब कि उस समय उस क्षेत्र में दस बारह इन्च वर्षा भी मुश्किल से हुई और उनके पानी से ग्राम कनवाडा, नन्दोला और चक नन्दोला की खरीफ की फसल नष्ट हो गई ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी जांच करायेगी कि क्या कारण रहा जिससे इतनी थोडी वर्षा में उक्त बांध टूट गये ?

(स्थगित किया गया)

50. श्री **ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में गत दो वर्षों में कितने अविवाहित पुरुषों की नसबन्दी की गई ?

(2) इस प्रकार के ओपरेशन करने वालों और उकसाने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकार की नसबन्दी हो जाने पर रीकेनेलाईजेशन करने की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो राज्य में कहां कहां और कितने कितने व्यक्तियों के इस प्रकार के रीकेनलाईजेशन आपरेशन किये गये और इसके कितने केसों में सफलता मिली और सफलता के क्या प्रमाण हैं ?

(4) क्या स्त्रियों के भी रीकनैलाईजेशन के केसेज राज्य में हुए हैं ? यदि हां, तो उनमें से कितने सफल रहे ?

(स्थगित किया गया)

अकाल सहायता कार्यों पर व्यय

65. श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ)
श्री **रामसिंह कुड़ी** (जायल) :
क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान निर्माण के पश्चात् आज तक कितने अकाल पड़े एवं अकाल सहायता के लिये कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ? वर्ष वार और जिलेवार आंकड़े दे दिये जायं और यह भी बतलाया जाय कि प्रति वर्ष कितनी कितनी जनसंख्या, पशु संख्या व क्षेत्रफल अकाल से प्रभावित रहा ?

(स्थगित किया गया)

चूरू जिले की न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव

69. श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले की न्याय पंचायतों के रिक्त स्थानों के चुनाव बहुत समय से नहीं करवाये गये हैं ? यदि हां, तो किन किन के कब कब से ?

(श्री दौलतराम सारण)

(2) क्या यह भी सही है कि सरदारशहर तहसील क्षेत्र की एक न्याय पंचायत के चेयरमैन एक कत्ल के मामले में बहुत समय से फरार हैं जिससे उस न्याय पंचायत की कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस न्याय पंचायत के पंचों ने सम्बन्धित अधिकारी तथा पंचायत विभाग को कई बार लिखित शिकायत इस चेयरमैन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों नहीं की गई ? अब राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है और कब तक ?

(स्थगित किया गया)

पंचायत सचिव के पदों पर नियुक्ति

70. श्री **गंगासहाय** (कठूमर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में मैट्रिक पास व ट्रेण्ड पंचायत सचिव कितने हैं ?

(2) कितने पंचायत सचिवों को ग्रुप पंचायत सचिवों के पद पर नियुक्त किया है ? इसमें कितने मैट्रिक पास व ट्रेण्ड है और कितने नान-मैट्रिक व अनट्रेण्ड है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या ऐसे पंचायत सचिव भी हैं जो मैट्रिक हैं, ट्रेण्ड हैं और जिनको पंचायत सचिव के पद पर कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है परन्तु ट्रेण्ड पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति नहीं किया गय है ? यदि हां, तो कितने ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 128 की सूची)

जिलाधीश द्वारा रोके गये पेमेन्ट संबंधी प्रपत्र।

क्रम सं.	ठेकेदारों के नाम	बिलों की संख्या	कार्य जो किया	स्थान	बकाया राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
(1)	श्री रंगीलाल पटवारी	1	कम्प्रेसर द्वारा खुदाई एवं ब्लास्टिंग	मोजपुरा फिडर	—	दिनांक 12-7-70 के बाद किसी भी कार्य पर किसी भी ठेकेदार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया।
(2)	,, जतन सिंह	1				
(3)	,, चन्दर प्रकाश	1	,,	कालियास माईनर	8029.50	
(4)	,, बिशनसिंह	1	,,	कालसास खारी कैनाल	2596.75	
(5)	,, केशर सिंह	1	,,	बांकली मीलडी अथेलिया	11598.25	
(6)	,, रामचन्द्र शर्मा	..	,,	लडकी फिडर रायपुर	4899.50	
(7)	,, के. एल. कपूर	..	,,	टाकडसादा	—	
(8)	,, गुलाम मो. छीपा	..	,,	खारी कैनाल	—	
(9)	,, युनिवर्सल मोटो कार्पोरेशन भीलवाड़ा।	1	मैटेरियल सप्लाई का कार्य किया		—	

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 146 की सूची)

Statement showing the Number of Villages Electrified in each District from April to October, 1970.

Sl. No.	Name of the District	No. of villages electrified
1.	Ajmer	4
2.	Alwar	3
3.	Banswara	..
4.	Barmer	..
5.	Bharatpur	6
6.	Bhilwara	4
7.	Bikaner	..
8.	Bundi	4
9.	Chittorgarh	9
10.	Churu	4
11.	Dungarpur	..
12.	Jaipur	14
13.	Jaisalmer	..
14.	Jhunjhunu	11
15.	Jalore	10
16.	Jhalawar	4
17.	Jodhpur	2
18.	Kota	16
19.	Nagaur	2
20.	Pali	11
21.	Sawai-madhopur	14
22.	Sikar	6
23.	Sirohi	4
24.	Sri Ganganagar	9
25.	Tonk	14
26.	Udaipur	7
	TOTAL ..	158

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 148 की सूची)

ANNEXURE 'A'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

(*Rupees in lacs*)

Year	Operating Revenue	Operating Expenses	Gross (+) Profit (—) Loss	Depreciation	Interest	Reserve	Misc. Expenses	Net (+) Profit (—) Loss	Remarks
1957-58 (7/57 to 3/58)	100.82	109.21	(—)8.39	6.40	10.08	..	..	(—)24.87	
1958-59	140.95	154.30	(—)13.35	10.35	16.57	..	..	(—)40.27	
1959-60	157.63	162.55	(—)4.92	12.43	15.04	..	..	(—)42.39	
1960-61	188.30	172.26	(+)16.04	15.39	17.16	..	..	(—)16.51	
1961-62	248.30	208.59	(+)39.71	30.42	26.79	..	..	(—)17.50	
1962-63	308.18	252.31	(+)55.87	36.35	100.44	..	..	(—)80.92	
1963-64	507.30	284.78	(+)222.52	85.33	132.78	16.32	..	(—)11.91	
1964-65	585.72	349.64	(+)236.08	102.76	183.76	26.37	..	(—)76.21	
1965-66	659.06	438.67	(+)220.39	84.78	213.17	30.11	..	(—)107.87	
1966-67	727.38	582.86	(+)144.52	106.03	252.11	23.28	..	(—)237.00	
1967-68	1011.23	771.76	(+)239.47	183.37	347.96	20.73	16.12	(—)328.71	
1968-69	1392.65	851.61	(+)541.04	225.56	486.61	49.08		(—)221.11	
1969-70	1624.28	812.93	(+)811.35	320.75	521.93	54.38		(—)85.71	
							TOTAL ..	1281.28	

Page No 148

ANNEXURE 'B'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

Statement of Capital Expenditure (Fixed Assets) at the end of the years from 1960-61 to 1969-70.

At the end of the year	Rupees(*In lacs*)
1. 1960-61	407.50
2. 1961-62	730.00
3. 1962-63	2252.63
4. 1963-64	3263.78
5. 1964-65	3531.06
6. 1965-66	4260.83
7. 1966-67	5012.10
8. 1967-68	6441.07
9. 1968-69	9996.29
10. 1969-70	10876.61

ANNEXURE 'C,

Apart from Govt. Loans the RSEB have borrowed the following amounts from L. I. C of India and open market

	Year	Rs in Lacs.	
(a) Bonds guaranteed u/s 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948:—	1962-63	104.46	
	1968-69	105.50	
	1969-70	424.89	
(b) Loans from the L. I. C. of India :—	1966-67	200.00	
	1967-68	100.00	Rs. 10 lacs have been repaid upto 1969-70
	1968-69	100.00	Rs. 5 lacs have been repaid upto
	1969-70	175.00	1969-70

परिशिष्ट-6
(अतारांकित प्रश्न संख्या 149 की सूची)

List of Electrified Localities of Bhadesar Tehsil, Distt. Chittorgarh.

Bhadesar	26-5-67
Bhalunali	25-5-69
Asawma	15-4-68
Udpura	15-3-69
Akola	18-9-69
Manopiya	18-9-69
Bhadboda	15-9-69
Gardhana	31-3-70

सूची मदेसर तहसील के उन ग्रामों में जिनका विद्युतिकरण अब तक हो चुका है, तथा जितने किसानों को कुए पर बिजली का कनैक्शन दिया गया है और कितने प्रार्थियों को प्रत्येक ग्राम में कनैक्शन देना बाकी है :—

क्र. सं.	नाम ग्राम	कनैक्शन दिये गए कुए की संख्या	कनैक्शन कुए पर देना बाकी है
1.	आबरीमाता (असबारा)	9	4
2.	उदयपुरा	..	..
3.	गरधाना	..	7
4.	आकोला	2	..
5.	मण्डिया	10	3
6.	भादसोरा	10	8
7.	भलुण्डी	5	1
8.	मदेसर	6	2

Page No 151

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 152 की सूची)

जिन कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1961 के अन्तर्गत वेतन श्रृंखला 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15 और 16 में वेतन निर्धारण किया गया है उनकी वेतन वृद्धि में एक वर्ष के लिये रोक लगाई थी यह रोक निम्न प्रकार से है :—

वेतन श्रृंखला	5 में	120।-पर
,,	6 में	120। रु. पर या 150।-रु.पर
,,	8 में	100।-रु. पर या 130।-रु. पर
,,	10 में	102।-रु. पर या 150।-रु. पर
,,	11 में	102।- रु. पर या 150।-रु. पर
,,	13 से 16 तक	150।-रु. पर

पद वार सूची तैयार करने में काफी समय लगेगा।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 187 की सूची)

राजस्थान राज्य शिक्षा संस्था, उदयपुर।

क्र. सं. 1	पद 2	ग्रेड 3	पदों की संख्या 4	व्यक्ति का नाम 5	कब से इस पद पर है 6	पी. एस. सी./डी.पी.सी. में सलेक्शन है या नहीं 7	विशेष विवरण। 8
(1)	निदेशक (संयुक्त शिक्षा निदेशक)	1100-1500	(1)	श्रीमती ओ. जोशी	2-11-70 (एज्यूम किया)	कार्यवाहक	संस्थान के पदों के लिये चयन किये जाने की परम्परा नहीं है। फिल्ड में जो लोग उपयुक्त प्रतीत होते हैं उनको उनकी ग्रेड के अनुसार पदों पर ले लिया जाता है। उनका चयन पी. एस. सी. / डी. पी. सी. से उनके पदों पर ही होता है अधिकांश अधिकारी इसी प्रकार से चयनित या स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं।
(2)	उपनिदेशक के समकक्ष (वरिष्ठ) (शिक्षा उप-निदेशक के समकक्ष)	800-1300	(1)	श्री जी.एम. भटनागर	7-8-70	,,	
(3)	उपनिदेशक (कनिष्ठ) (प्रधानाध्यापक हा. से. स्कूल सलेक्शन ग्रेड	600-1100	(1)	श्री गोविन्दमाधव याज्ञिक	7-11-70	,,	
(4)	अनुसंधान अधिकारी (प्रधानाध्यापक हा. से. स्कूल के समकक्ष	375-850	(4)	श्री अवधबिहारी वाजपेयी	31-10-66	चयनित	
(5)	,,	,,		श्रीमती सी.पी. राय	24-6-66	,,	
(6)	,,	,,		श्री सज्जाराम माथुर	2-10-70	,,	
(7)	,,	,,		श्री डी.पी. विजयवर्गीय	4-10-67	,,	
(8)	सहायक निदेशक (प्रधानाध्यापक सेकेन्डरी स्कूल के समकक्ष)	300-800	(4)	श्री जमनालाल दशोरा	20-8-70	,,	

1	2	3	4	5	6	7	8
(9)	,,	,,		श्री भागीरथसिंह शेखावत	17-9-70	,,	
(10)	सहायक निदेशक	300-800		श्री दिनेशचन्द्र भटनागर	7-10-70		
(11)	,,	,,		श्रीमती डी.एल. हीरानन्दानी	1-7-66	,,	
(12)	सांख्यिकी अधिकारी	300-800	(1)	श्री भीमसिंह मेहता	25-4-66		
(13)	अनुसंधान सहायक (वरिष्ठ अध्यापक के समकक्ष)	225-425	(4)	श्री गोवर्धन के. जोशी	26-10-66		नियुक्ति निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा होती है।
(14)	,,	,,		श्री भगवतीलाल मेहता	23-11-66		
(15)	,,	,,		श्री प्रेमसिंह कांकरिया	8-5-69	पी.एस.सी. चयनित	
(16)	,,	,,		श्री विद्या सागर शर्मा	7-11-70	..	
(17)	अनुसंधान सहायक (द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष)	160-360	(4)	श्री परवतसिंह सागर	1-12-66	..	
(18)	,,	,,		श्री भैरूलाल पालीवाल	1-12-66	..	,,
(19)	,,	,,		श्री जगदीशदत्त शर्मा	6-12-66	..	,,
(20)	,,	,,		श्री मोहनलाल मण्डेला	21-7-66	..	
(21)	लेखाकार	300-450	(1)	श्री लक्ष्मीनारायण नंदवाना	12-6-67	..	राज. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण है।
(22)	आशुलिपिक प्रथम ग्रेड	180-425	(1)	श्री गणेशलाल पालीवाल	31-4-67	..	,,
(23)	आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय	160-360	(1)	श्री कन्हैयालाल पारीक	7-4-70	..	,,
(24)	सहायक	170-390	(1)	श्री विजयानन्द पालीवाल	14-10-69	..	राज. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
(25)	संगणक	130-300	(1)	श्री घनश्यामलाल गुजरगौड़	11-7-66	..	,,
(26)	लेखा लिपिक	130-300	(1)	श्री संतोषलाल मेहता	7-11-64	..	,,
(27)	कनिष्ठ लिपिक	110-230	(2)	श्री श्यामसुन्दर जोशी	14-4-66	..	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
(28)	"	"		श्री देवीसिंह राणावत	1-7-66	..	"
(29)	ड्राइवर	110-230	(1)	श्री भगवानराम	2-9-64	..	"
(30)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	60-85	(7)	श्री किशोरसिंह	9-11-63	..	"
(31)	"	"		श्री नारायणसिंह	4-1-64	..	"
(32)	"	"		श्री धन्ना मीणा	18-9-64	..	"
(33)	"	"		श्री मोडीराम	30-4-69	..	"
(34)	"	"		श्री छोगालाल	7-11-64	..	"
(35)	"	"		श्री ख्यालीलाल	20-1-64	..	"
(36)	"	"		श्री मिठ्ठूलाल हरिजन	सस्पेंशन पर है।	..	"

जी. एन. भटनागर,
निदेशक, राजस्थान राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर ।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 160 की सूची)

पंचायत समिति लाडपुरा में वर्ष 1965-66 से अब तक मुर्गी पालन के लिये दिये गये अनुदान या ऋण का विवरण

क्रमांक	नाम	ऋण में दी गई राशि	अनुदान में दी गई राशि
1.	श्रीमती छोटीबाई पत्नी श्री केशरीलाल नया गांव पंचायत बोरावास	1800)	700)
2.	श्री कृष्ण मुरारी सक्सेना पुत्र श्री शिवनारायण सक्सेना रंगवाडी	1000)	..

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूची)

सूची–क

अतारांकित प्रश्न सं. 831 सि. मं.

नागौर सुजानगढ मार्ग पर चलने वाले बस मालिकों की मय बस के नम्बर की सूची।

क्रम सं. 1	नाम परमिटधारी 2	वाहन नम्बर 3	
1.	श्री गणेश नारायण पुत्र मंघाराम सुजानगढ ..	आर. जे. आई.	195
2.	श्री लालचन्द पुत्र श्री रिखबचन्द सुजानगढ ..	आर. जे. आई.	171
3.	पदम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी नागौर	आर. जे. आई.	376
4.	श्री जेठमल सुजानगढ	आर. जे. आई.	121
5.	श्री मोहनलाल नागौर	आर. जे. एस.	206
6.	श्री सत्य नारायण सुजानगढ	आर. जे. जैड.	124
7.	श्री रामकुमार नागौर	आर. जे. एस.	270
8.	श्री उम्मेदसिंह सुजानगढ	आर. जे. वी.	409
9.	श्री भीमराज सुजानगढ	आर. जे. आई.	390
10.	पदम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी नागौर	आर. जे. एफ.	1081
11.	मैं. दधीच ट्रान्सपोर्ट कम्पनी सुजानगढ	आर. जे. एन.	442
12.	श्री तृहनदानसिंह जोधपुर	आर. जे. क्यू.	1299
13.	श्री विरेन्द्र सिंह मेडता सिटी	आर. जे. क्यू.	2972
14.	श्री प्रेमराज कुचामन	आर. जे. एफ.	1037
15.	मै. जसराज नन्दकिशोर सालासर	आर. जे. वी.	175
16.	मै. चान्दमल रामेश्वर प्रसाद निम्बी	आर. जे. आई.	181
17.	श्री रूपसिंह पुत्र ठा. श्योसिंह	आर. जे. एस.	299

1	2	3	4
18.	श्री सुखदेवसिंह पाली	आर. जे. टी.	868
19.	श्री कनीराम चोथमल सुजानगढ	आर. जे. वी.	697
20.	स. चरणसिंह	आर. जे. एफ.	1040
21.	श्री मोहनलाल सेठी इन्चार्ज श्री मदनलाल सुपुत्र श्री गनपतराम, सुजानगढ	आर. जे. एस.	478

सूची (ख)

जिन गाडियों में यात्री कर बाकी है, उनकी सूचना निम्नलिखित है :—

क्रमांक	गाडी संख्या	बकाया राशि	अवधि जिसकी रकम बकाया है
1	2	3	4
1.	आर. जे. वी. 409	410-66	1969-70
2.	आर. जे. आई. 121	200-54	"
3.	आर. जे. क्यू. 1299	744-13	"
4.	आर. जे. एस. 270	1994-00	"
5.	आर. जे. एस. 478	164-95	"

सूची (ग)

सूची उन मोटर गाडियों की जिनका रोड टैक्स 31-12-70 तक जमा हो चुका है :—

1. आर.जे.एस. 206
2. आर.जे.क्यू. 2973
3. आर.जे.वी. 301
4. आर.जे.आई. 124
5. आर.जे.पी. 175
6. आर.जे.एफ. 1092
7. आर.जे.क्यू. 1269
8. आर.जे.वाई. 171
9. आर.जे.आई. 195

सूची उन मोटर गाडियों की जिनका टैक्स दिनांक 1-7-70 से बकाया है :—

1. आर.जे.एल. 270
2. आर.जे.एस. 250 — इस गाडी का टैक्स 2, 3, 4 क्वार्टर 1969 का बकाया है ।

सूची उन मोटर गाडियों की जिनके कागजात कर अधिकारी के पास सरेण्डर हैं :—

1. आर.जे.एस. 342 .. .. .. 20-12-67 से
2. आर.जे.आई. 367 .. .. .. 1-7-70 से

सूची उन मोटर गाडियों की जिनके बारे में रोड टैक्स की सूचना एकत्रित की जा रही है :—

1. आर.जे.आई. 121
2. आर.जे.आई. 390
3. आर.जे.आई. 181
4. आर.जे.एस. 299
5. आर.जे.टी. 868
6. आर.जे.पी. 697
7. आर.जे.एफ. 1040
8. आर.जे.एफ. 1037

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 16 नवम्बर, 1970)

स्कम्भ सं. 1		पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
12		16	अम्दर	अन्दर
14		7	श्री शिव वरण माथुर	श्री शिवचरण माथुर
19		5	राजस्यान	राजस्थान
23		3	ररपोर्ट	रिपोर्ट
27	अन्तिम से	9	ह	वह
34		6	श्री विजयसिह	श्री विजयसिंह
,,		9	ज्जट	बज्जट
36		1	श्री खर्नसिह	श्री खेतसिंह
42		12	यप	यह
49 से 60	शीर्षक		अतारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
51		5	एस्टमेट्स	एस्टीमेट्स
56		5	औ	और
63		7	(बंरे)	(वंर)
67	शीर्ष		(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)	(विद्युत् मन्त्री)
81	,,		(अर्पसिंह)	(श्री रूपसिंह)
,,		11	श्री ढुलीचन्द जैन	श्री दुलीचन्द जैन
82	अन्तिम से	8	श्री दौलत राम सारणा	श्री दौलतराम सारण
96		12	पढ़ी	गड्डी
99		5	दीं	दो
100	अन्तिम		मह	माह
101		10	जहां तक	—
102		8	चाहता हूं कि आपका सूझबूझ	चाहता हूं कि सूझबूझ
,,		11	(हंसी) क्योंकि	—
,,	अन्तिम से	3	श्र मद सिंह	श्री मदन सिंह
114		6	दया	दिया
121		14	श्री दुर्गा लाल वढ़दार	श्री दुर्गालाल वाढ़दार
123	शीर्ष		(श्री केशर सिंह हाडा)	(श्री केसरी सिंह हाडा
123		7	श्री अम,ाल यादव	श्री अमृतलाल यादव
,,		11	श्री कोरी सिंह हड	श्री केसरी सिंह हाड़ा
,,		16	श्री कृष्ण कु ार गोयल	श्री कृष्ण कुमार गोयल
124		1	ज ना	ितना
125		12	यद	यदि
128		12	नियपानुसारा	नियमानुसार
129		2	यों	—
,,		16	यहि	यदि
133		5	मैम्वरसं	मैम्बर्स

1	2	3		4
135	अन्तिम से	14	फरेस्ट	फोरेस्ट
137	,,	15	रिहेबिलटेर	रिहेबिलिटेड
,,	,,	2	भरर्ती	भर्ती
139		13	परर्ज	परपज
142	अन्तिम	3	को	की
			नेदे	देने
,,	,,			
145	शीर्षक		श सकय	शासकीय
148	अन्तिम से	2	श्री भरोंसिह	श्री भंरोंसिह
150	,,	6	नीमड	नीमड़े
153		16	माविने में कलेक्टर के और	मायने में कलक्टर की ओर
157		7	(हंसी)	—
168	अन्तिम से	11	सेमय	समय
177		2	प्रकार	इस प्रकार
180		1	तत	तो
182	अन्तिम से	4	भंरों सिह ज	भैरोंसिह जी
184		10	श्री रामनन्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	अन्तिम से	12	श्री देवीदत्त गडि ा	श्री देवीदत्त गाडिया
185		12	1 लाा च	17 लाख
,,	अन्तिम से	9	इवेस्टमेंट	इन्वेस्टमेन्ट
187		4	Esumpt on	Resumpt in
,,		16	Frm	From
,,	अन्तिम से	13	एस्योरेन्स	एश्योरेन्स
189	,,	4	के लिये	—
190		1	जनते	जानते
,,	अन्तिम से	11	दिए	दी
193		3	इस्वेस्टमेंट	इन्वेस्टमेंट
194		2	मोनोपोलीज	मोनोपोलिस्ट
,,		14	पुरस्त	दुरुस्त
195		8	ही	हो
,,	अन्तिम से	2	अपने	आपने
196		4	थायोलेशन	वायोलेशन
197	अन्तिम से	3	श्रा समापति	श्री समापति
,,	,,		पढ़ेगा	पड़ेगा
198		15	स्थित	स्थिति
,,	अन्तिम से	8	यील्ड	यील्डिग
200	शीर्षक		शास य	शासकीय वक्तव्य
201		11	इसका	इसको
203		12	स्त्रीमेंट	एग्रीमेन्ट
204	अन्तिम		लि	लिये
205		5	लच्चर	लचर
208		4	शिडयूल	शिड्यूल्ड
,,		5	मेम्बरसं	मेम्बर्स
,,		10	इनके	इनको

1	2	3	4
217	अन्तिम से	12 करकर	कर
218	,,	वग	वर्ग
220		1 नर्स	नर्स—कम्पाउन्डर्स
226	अन्तिम से	8 आर	और
228	,,	8 उपस्थान	उपस्थापन
230	,,	10 श्री मन्त्रीं	श्री मन्त्री
231		18 श्री सापति	श्री सभापति
232		6 माव ा	भावना।
250		11 अलवर जो	अलवर से जो
256	अन्तिम से	10 वया	क्या
258		8 श्री सतीश चन्द अग्रवाल	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल
266		9 श्री सतीशचद अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
282		6 Asawma	Aswara
,,		10 Bhadboda	Bhadsoda
285		8 जान	जाने
,,		10 चयनिज्ञ	चयनित